त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 3

FOR REFERNCE ONLY.

शुक्रवार, 25 फरवरी, 2000
6 फाल्गुन, 1921 (शक)

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3.....60.....
Date 24/2/24

(खण्ड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला खंड 4 तीसरा सत्र 2000/2021 (शक)

[अंक 3, शुक्रवार, 25 फरवरी, 2000/6 फाल्गुन, 1921 (शक)]

विषय	कॉलम
स्थगन प्रस्ताव	
सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में	2–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	24–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 197 से 426	75–328
सभा पटल पर रखे गये पत्र	328–338
सभा का कार्य	338–340
समितियों के लिए निर्वाचन	340–341, 390–391
(एक) प्राक्कलन समिति	340
(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	340–341
(तीन) भारतीय पुनर्वास परिषद	341
(चार) लोक लेखा समिति	390
(पांच) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	390–391
रेल बजट, 2000-2001	342–376
कुमारी ममता बनर्जी	342–376
मंत्री द्वारा वक्तव्य	382–389
अधिवक्ताओं की हड़ताल	
श्री राम जेठमलानी	382–388
लोक लेखा समिति	
पहला प्रतिवेदन	389
कॉफी (संशोधन) विधेयक - पुरःस्थापित	391–392
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित	395–401
(एक) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक	
(धारा 3 का संशोधन)	
श्री किरीट सोमैया	395
(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश विधेयक	
(अनुसूची का संशोधन)	
श्री बीर सिंह महतो	395–396

(तीन) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों के लिए) विधेयक

श्री बीर सिंह महतो 396

(चार) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक

श्री विलास मुत्तेमवार 396

(पांच) कबाड़ बीनने वाले और अन्य निस्सहाय – निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक

श्री विलास मुत्तेमवार 397

(छह) चलचित्र (संशोधन) विधेयक

(धारा 3 के स्थान पर नई धारा आदि का प्रतिस्थापन)

श्री विलास मुत्तेमवार 397–398

(सात) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक

श्री रामदास आठवले 398

(आठ) एक समान शिक्षा विधेयक

श्री रामदास आठवले 398

(नौ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का आरक्षण) विधेयक

श्री रामदास आठवले 399

(दस) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक

श्री रामदास आठवले 399

(ग्यारह) केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 और 6 का संशोधन)

श्री किरीट सोमैया 400

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक

(धारा 4 का संशोधन)

श्री किरीट सोमैया 400

(तेरह) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण) विधेयक

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 401

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक 401–438

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) (विविध कार्यवाहियों को वापस लेना) विधेयक

श्री रमेश चेन्नितला 401–402

प्रो. रासा सिंह रावत 402–405

श्री वरकला राधाकृष्णन 405–407

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता 407

श्री राशिद अलवी 408–410

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी 410–411
श्री अली मोहम्मद नायक 411–414
श्री रवि प्रकाश वर्मा 415–416
श्री सुबोध मोहिते 417–419
श्री हरीभाऊ शंकर महाले 419–420
श्री रामदास आठवले 420–421
श्री राम जेठमलानी 421–425
श्री सी एच. विद्यासागर राव 425–432
श्री जी. एम. बनाववाला 432–437
विधेयक वापस लिया गया 437
उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा
सभा के कार्य के बारे में 437–439
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 26क और 26ख का अंतःस्थापन)
विचार करने के लिए प्रस्ताव
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 439–440

लोक सभा

शुक्रवार, 25 फरवरी, 2000/6 फाल्गुन 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 21।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री विजयराजे सिंधिया, कृपया आपका निवेदन क्या है ?

(*व्यवधान*)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय मेरा नाम विजयराजे सिंधिया नहीं है। मेरा नाम माधवराव सिंधिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

(*व्यवधान*)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैंने श्री माधवराव सिंधिया का नाम पुकारा है आपका नाम नहीं पुकारा है। कृपया इसे समझें।

(*व्यवधान*)

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वकीलों पर लाठी चलाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : उन्होंने उकसाने वाली ऐसी क्या कार्यवाही की कि उन पर लाठी चलाई गई है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

स्थगन प्रस्ताव

सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में सूचना दी है क्योंकि मैंने अनेक अन्य सदस्यों के साथ हम, सभी के लिए एक अत्यधिक चिन्ता के ऐसे मामले के बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है जो हमारे संविधान में हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धान्त पर प्रहार करता है। यह ऐसा गंभीर मुद्दा है जहां पर सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने की खुली छूट दी गई है ...*(व्यवधान)* केन्द्र इन सब घटनाओं का मूकदर्शक बना बैठा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री माधवराव सिंधिया : इस संबंध में मैं अपना निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को निर्देश देने का पूरा अधिकार है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ऐसी है कि वह संपूर्ण देश में जहर फैलाती है और संविधान की मूल विशेषता धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है ...*(व्यवधान)*। मैं उस बात को उद्धृत करता हूं जो श्री गोलवलकर ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इस बारे में संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : ये सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं क्योंकि उनकी विचारधारा जहर फैलाती है। हमारे संविधान की मूल विशेषता धर्मनिरपेक्षता है। हमारे संविधान की यह मूल विशेषता सिविल सेवकों से तटस्थता और निष्पक्षता की अपेक्षा करती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्पष्टतः एक सांस्कृतिक संगठन कहने से हम विस्मित हैं।

मैं उस बात को उद्धृत करना चाहता हूं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक ने कही थी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : आप सरकारी कर्मचारी को एक ऐसे संगठन के कार्यकलापों में भाग लेने की अनुमति कैसे दे सकते हैं जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जहर फैलाता है, जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं पर प्रहार करता है और जिसने उन सभी मूल सिद्धान्तों को विनष्ट करने की ठान ली है जो हमारे संविधान के आधार हैं ?

लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं उस बात को उद्धृत करना चाहता हूं जैसा हमारे देश में कैसी प्रणाली होनी चाहिए और आज यह कैसी है, के बारे में गुरु गोलवलकर ने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। हम श्री सिंधिया की बात सुन रहे हैं। कृपया इसे समझें कि किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मैंने किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैं श्री सिंधिया की बात सुन रहा हूं। अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठिए। मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में प्रत्येक जाति को हिन्दू संस्कृति व भाषा अपनानी चाहिए, उसे हिन्दू धर्म का आदर करना सीखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : उन्होंने कहा "उन्हें हिन्दू जाति और संस्कृति अर्थात् हिन्दू राष्ट्र के गुणगान के सिवाय किसी अन्य विचार के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हिन्दू जाति में विलय के लिए अपना अलग अस्तित्व त्याग देना चाहिए अथवा वे इस देश में हिन्दू राष्ट्र के अधीनस्थ बन कर रहें जहां पर वे कोई दावा न करें, किसी विशेषाधिकार के हकदार नहीं होंगे और उन्हें कोई अधिमानता नहीं दी जाए–यहां तक नागरिकता का अधिकार भी नहीं दिया जाए।" ..*(व्यवधान)*

इस प्रकार यह आर एस एस का आधार और विचारधारा है। सरकारी कर्मचारी को आर एस एस की गतिविधियों में भाग लेने के अनुमति कैसे दी जा सकती है ? उन्हें संगठन की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति कैसे दी जा सकती है ? संसदीय प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त है कि सरकारी कर्मचारियों को लोगों के साथ व्यवहार करते हुए निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ कहने की अनुमति दी थी।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : क्या हमें विषय के बारे में नहीं कहना है ?

श्री माधवराव सिंधिया : यह हमारे संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। यह एक ऐसा मूलभूत और आधारभूत विषय है कि मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है नियम 56 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा करने की अनुमति अवश्य देगा ताकि इस मामले, जिसने विपक्ष को पूरी तरह एकजुट कर दिया है, पर विस्तार से चर्चा की जाए और सरकार समझ ले कि उनके संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या हैं...*(व्यवधान)*

संघ सरकार स्वीकार कर रही है क्योंकि अनुच्छेद 256 और 257 के अन्तर्गत संघ सरकार को निदेश जारी करने का पूरा अधिकार है और यदि वह निर्देश जारी नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि संघ सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन भी नहीं कर रही है। वह अपनी जिम्मेदारियों से इनकार कर रही है और प्रच्छन्न कार्यसूची पर जबरदस्ती कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात सरकार को प्रयोगात्मक परीक्षण करने दे रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्ततः गुप्त कार्यसूची पर ही कार्य हो।

मैं श्री राम विलास पासवान, श्री शरद यादव, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज और यहां बैठे हुए उन सभी सज्जनों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया जो कुछ श्री गोलवाल्कर ने कहा है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उन्हें चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए। यह गम्भीर मामला है वे समझ नहीं पा रहे हैं इस देश में क्या होने जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है।

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न काल को स्थगित नहीं किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, श्री माधवराव सिंधिया जी गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि मैंने प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया है। जो कुछ कहा जा रहा है उसे मैं सुन रहा हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, माधवराव सिंधियाजी ने पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, उसके बारे में मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने गलती की है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

कुमारी उमा भारती : उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लिया है जो

इस सभा में उपस्थित नहीं है। इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए।

[हिन्दी]

इसे रिकार्ड से बाहर निकालिये। माधव राव सिंधिया जी ने उस व्यक्ति का नाम लिया है, जो सदन में मौजूद नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : यह किस प्रकार सम्भव है कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ? मैं अभी रूल कोट करती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं यह समझता हूं कि यह एक मामला है कि जिस पर जोर से बोलकर निर्णय नहीं लिया जा सकता यदि हम एक दूसरे पर चीखते–चिल्लाते ही रहेंगे तो हमें यह भी बता दीजिए तब विपक्ष के रूप में हम जानते हैं हमें क्या करना होगा। हमें लगा कि यह ऐसा मामला है जिस पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिए जो सही अर्थ में इस देश का उच्चतम निकाय है क्योंकि हम सब के लिए यह चिन्ता का विषय है मुझे इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं है। कई माननीय मित्र हमारे सामने बैठे हुए हैं जो उस बात को हमसे भी ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं जिसे हम सोच रहे हैं ...*(व्यवधान)* अतः मेरा निवेदन है, क्या इस पर चर्चा की जानी चाहिए और यदि हां तो किस रूप में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। कई मामले हैं जो काफी महत्त्वपूर्ण हैं जो पूरे देश की चिन्ता का कारण है जैसा कि यह मामला है और पूरा विपक्ष इस पर एकमत है...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इस मामले पर हम एकजुट हैं। यह समस्या उत्पन्न कर रहा है...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उस नियम का सहारा लेना चाहते है जिसका नियम पुस्तिका में उल्लेख है, नामतः स्थगन प्रस्ताव क्योंकि हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। अब यह कहा जा रहा कि "नहीं यह मामला स्थगन प्रस्ताव के लिए उपयुक्त नहीं है यह ऐसा मामला नहीं है जिसे बजट सत्र में उठाया जाना चाहिए आदि आदि"।

हमें अत्यन्त खेद है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे इस तरह से रफा–दफा कर दिया जाए। दूसरे पक्ष के लोग अभी–अभी सत्ता में आए हैं। वे इस महत्त्वपूर्ण मामले पर चर्चा को दबाना चाहते हैं मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपके कक्ष में क्या हुआ लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने विपक्ष के सदस्यों की भावनाओं की तीव्रता को समझ लिया होगा। यह ऐसा मामला है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सोमवार को स्थगन प्रस्ताव के अर्न्तगत इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दें। आज रेल बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। हम उसमें बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कृपया यह कार्य कर दीजिए। पूरे देश को पता चल जाए कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जा रहा है। संसद इस पर आतुरता से ध्यान दे रही है। यदि उनके पास बहुमत है तो वे इसके विपक्ष में निर्णय करेंगे। वे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न होने देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?

महोदय मेरा अनुरोध है कि कृपया आप विपक्ष के हाथों से इस महत्त्वपूर्ण हथियार को मत छीनिए जिसकी नियम अनुमति देता है। हम किसी असाधारण चीज के लिए तो नहीं कह रहे हैं। विगत में ऐसे कई अवसर इस संसद में आये जब चर्चा की अनुमति दी गयी यदि दूसरे पक्ष के सदस्य इस मामले को नियमित मामले की तरह उठाने से हमें रोक रहे हैं तो मुझे खेद है कि हमारे इरादे अच्छे होने के बावजूद भी यह सभा कठिन स्थिति में होगी, हमें सभा की कार्यवाही चलाने में बाधा होगी।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय क्या प्रश्न काल स्थगित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : तो प्रश्नकाल आरम्भ कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि माननीय सदस्य क्वश्चन ऑवर को चलने नहीं देना चाहते। हमें बोलने नहीं देंगे तो सदन नहीं चलेगा और अगर बोलने देंगे तो चलेगा। यह बात आप तय कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुलायम सिंह जी, आप रोज क्वश्चन ऑवर में पांच मिनट बोल लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ संघ परिवार के बारे में कहा गया है और संघ परिवार के बारे में गुजरात की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रवैया है, वह निंदनीय भी है, लोकतंत्र विरोधी है और संविधान के प्रतिकूल है। हमारे देश में संविधान का जो चरित्र है, वह धर्मनिरपेक्ष है या पंथनिरपेक्ष, जो कहना चाहें, जो हमारे मित्र कहते हैं, उस पर सीधा हमला है। इसलिए कोई बहाना ढूंढ़कर इस देश की लोकतंत्रीय प्रणाली को खत्म करने का षडयंत्र चल रहा है। उसी के चलते ये सरकारें अपने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को काली टोपी और हाफ पैंट पहनकर साथ में डंडा लेकर चलने की अनुमति दे रही हैं। इसका मतलब यह होगा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी न चाहते हुए भी मजबूरी में परेड में शामिल होंगे, क्योंकि उनको इसी के चलते प्रमोशन दी जाएगी और अच्छी नियुक्तियां दी जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय को लिया जाए। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, हमारा दल और अन्य सभी विपक्षी दलों की यही राय है। लोक सभा देश की जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है। हम चाहेंगे कि माननीय जार्ज फर्नांडीज की राय इस

पर आनी चाहिए, जनता दल (यू) की राय आनी चाहिए, बालू साहब की, वाइको साहब की और तेलुगू देशम की राय इस पर आनी चाहिए। यह मामूली बात नहीं है। हम सब देश की जनता द्वारा चुनकर आए हैं। हमारी राय है कि साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देकर आज यह स्थिति हो गई है कि हमारे देश की आंतरिक एकता को खतरा पैदा हो गया है तथा सीमाओं पर भी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया जाए। अगर हमारे देश में आंतरिक एकता होती तो हमारे ऊपर आक्रमण करने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ती। आज पूरे देश को तोड़ने, बर्बाद करने और विखंडित करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। ये लोग सत्ता में रहकर संघ परिवार के नियंत्रण में सरकार चलाना चाहते हैं, क्या हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। हम गृह मंत्री जी से कहेंगे कि आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि यह कह देना कि यह गुजरात या उत्तर प्रदेश सरकारों ने किया होगा, सही नहीं है। आपने इन सरकारों को क्या निर्देश दिएं हैं, यह हमें बताएं। इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय को लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारों ने देश के सामने जो खतरा पैदा कर दिया है, उसके रहते हमारे देश की आंतरिक एकता को बाहरी शक्तियों से भी खतरा पैदा हो गया है। हम देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए और रक्षा के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी स्पष्ट राय है कि संघ परिवार का कोई मंत्र नहीं होना चाहिए और कोई सदस्य लोकसभा में नहीं आना चाहिए। इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप बाहर जाकर नाचिए, गीत गाइए या परेड करिए और कहिए कि हमारा यही काम है।

अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत कष्ट उठाए हैं। हमने 1977 में प्रचंड बहुमत में होते हुए भी अपनी सरकार को दोहरी सदस्यता के सवाल पर गिरा दिया था। हम उस समय भी संघ के खिलाफ लड़े थे। आज दोहरी सदस्यता का नतीजा हमारे सामने आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप पहल कीजिए और इसमें भूमिका निभाएं। आज देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए सारी कार्यवाही रोककर सदन में इस विषय पर चर्चा हो।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। प्रश्न यह है कि स्थगन प्रस्ताव का अपना अर्थ है और जैसा कि आपको भली–भांति पता है कि इसमें निन्दा का तत्त्व होता है देश में आर एस एस के बारे में क्या हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में काफी हस्तक्षेप है जो हम सभी के लिए महत्त्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है ऐतिहासिक अनुसंधान में यह भी कुछ हुआ है। अतः हमने स्थगन प्रस्ताव की मांग की ओर पूरा विपक्ष इस पर एकजुट हो गया। हम उस निन्दा प्रस्ताव पर बल डालना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप हमें ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव मंजूर करने के लिए यह एकदम सही प्रस्ताव है। इसके लिए जो चार पाइंट्स होते हैं, वे भी मौजूद हैं। घटना लोक महत्त्व की हो, रीसेंट हो, स्पेसिफिक हो और जिसमें केन्द्र सरकार की जवाबदेही बनती हो।

गुजरात सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार ने जब आर.एस.एस. में सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को छुट्टी दे दी और आर.एस.एस. में भर्ती होने पर जो रोक थी, अब वह नहीं रही, उससे देश भर में कोलाहल का वातावरण और साम्प्रदायिकता फैल रही है। संविधान कहता है कि हम सैकुलरिज्म पर खतरा नहीं आने देंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया और आर.एस.एस. को क्लीन चिट दे दी और संघ परिवार को भी क्लीन चिट दे दी। इस तरह से साम्प्रदायिकता को रोकने में यह सरकार जब विफल रही है तो यह इस सरकार की घोर विफलता है। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाए, एडजर्नमेंट मोशन के लिए यह फिट केस है। ये लोग आर.एस.एस. वाले जब इनकम टैक्स की नोटिस हुई तो इन्होंने कहा कि हम कल्चरल हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नागपुर हाई कोर्ट में एफिडैविट दिया है कि हम पोलिटिकल पार्टी हैं और यही कहते हैं कि हम कल्चरल पार्टी हैं, यह इनका दोहरा मापदंड है। इसलिए बजरंग दल, आर.एस.एस. तथा जितने संघ परिवार हैं, उससे देश की अस्मिता को खतरा है, देश टूटने का खतरा है, फासीवाद का खतरा है। अध्यक्ष महोदय, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं और आप सदन के रहनुमा हैं, इसीलिए देश को फासीवाद और साम्प्रदायिकता से बचाया जाये।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आर.एस.एस. का मुद्दा कल से इस हाउस में गरमाया हुआ है, इसको लेकर गुजरात की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आर.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेने की जो खुली छूट दी है और जिसका समर्थन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है, हम यह जानना चाहेंगे, खास तौर से सत्ता पक्ष की ओर से कि केन्द्र सरकार का इसके बारे में क्या कहना है ताकि पूरे देश की जनता को यह मालूम पड़ जाये कि ये अपना क्या फैसला देना चाहते हैं। इस मामले को लेकर जो यह स्थगन प्रस्ताव की बात आई है, इस स्थगन प्रस्ताव के मुद्दे पर इस विषय को लेकर सारा आपोजीशन एक है। इसीलिए हमारी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपको इस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव का एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए। यह फैसला आपको करना है। मैं यह समझती हूं कि सत्ता पक्ष का आपके ऊपर दबाव हो सकता है लेकिन आपको भी अपनी पॉवर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अपोजीशन के लोगों की राय तो आपके सामने है लेकिन सत्ता पक्ष में जो बी.जे.पी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनके सहयोगी दलों की क्या राय है, यह पूरे देश को मालूम पड़ जाये।

मैं यह समझती हूं कि आप अपनी पॉवर का पूरा इस्तेमाल करेंगे। यदि इस विषय को दबाया गया तो पूरे देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वे काफी भयभीत हैं और महसूस कर रहे हैं कि यदि इसी तरीके से जो काफी इम्पॉर्टेंट मामले हैं और जिस तरह आर. एस.एस. ने पूरे देश में समय–समय पर साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया है, इससे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग काफी घबराये हुए हैं। इस अहम मुद्दे को लेकर जब पूरा अपोजीशन यूनाइटेड है तो आप अपनी पॉवर का पूरा इस्तेमाल करके इसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराएंगे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के रा.स्व.सं. की गतिविधियों में भाग लेने या उससे सम्बद्ध होने के प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। महोदय, यह गंभीर प्रश्न है। यह प्रश्न हमारे प्रशासन की धर्मनिरपेक्षता की विश्वसनीयता के लिए चिन्ताजनक है। यह प्रश्न किसी विशेष राज्य सरकार के लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मेरा निवेदन है ही यह प्रश्न केवल किसी विशेष राज्य जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश या हिमाचल के लिए चिन्ता का विषय नहीं है, यह प्रश्न राष्ट्रीय, संवैधानिक महत्त्व का है।

प्रथम महोदय, हमारे प्रशासन की धर्मनिरपेक्षता की विश्वसनियता और निष्पक्षता पर शंका उपस्थित होगी। इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि संघ परिवार, रा.स्व.सं. और ऐसे अन्य संगठन एक ऐसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो लिखित और कार्यात्मक दोनों रूपों में पूर्णतः भारत के संविधान के विरुद्ध है।

दूसरा, यदि हम ऐसी बातों की आज्ञा देते हैं तो फिर हमारा प्रशासन दो भागों में विभाजन होगा एक संघ परिवार, रा.स्व.सं से संबद्ध अधिकारी और दूसरे वे अधिकारी जो रा.स्व.सं की गतिविधियों से स्वयं को सम्बद्ध नहीं रखेंगे। हम ऐसी बातों की आज्ञा नहीं दे सकते। हमारे प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि गुजरात राज्य के कर्मचारी अगर अन्य राज्य में या केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं उनके साथ–साथ साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह संपूर्ण देश में फैल सकता है। महोदय, केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य संवर्ग के ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को रोक देना चाहिए जो यहां पर हैं। इसलिए महोदय, हम सरकार की धर्मनिरपेक्षता को बचा पाने में विफलता के लिए सरकार की निंदा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया ध्यान दीजिए कि हम विषय पर विचार–विमर्श नहीं कर रहे हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : जी हां महोदय, हम सरकार द्वारा हमारे देश की धर्म निरपेक्ष नीति और हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्षता की रक्षा न कर पाने पर उसकी निंदा करते हैं। सरकार की निंदा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता होगी, जिस बात की आवश्यकता है वह है सरकार की निंदा केवल वाद–विवाद नहीं। इसलिए, मेरा आपसे यह निवेदन है कि, हमारे देश की धर्मनिपरेक्षता के लिए इस संकट की घड़ी में, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर अपनी सहमति दें।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लिए चिन्ता का एक विषय है हमारी नौकरशाही, हमारे प्रशासन के राजनीतिकरण के लिए बढ़ते हुए प्रयास। हम राजनेताओं और अपराधियों के मध्य संबंध पर काफी बोल चुके हैं। मैं राजनेताओं और नौकरशाहों के मध्य संबंधों पर भी बोल चुका हूं, और नौकरशाही का राजनीतिकरण बहुत खतरनाक है। यही कारण है कि जहां संविधान का अनुच्छेद 19 संगठन की स्वतंत्रता की गारण्टी देता है, वहीं वह सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर सार्वजनिक निरपेक्षता कायम रहने के लिए समुचित प्रतिबंध भी लगाता है। सरकारी कर्मचारियों को रा. स्व.सं. के सदस्य बनने की अनुमति देना प्रशासन की निरपेक्षता के हित में निश्चित ही नहीं होगा, और यह निश्चित रूप से प्रशासन और नौकरशाही का राजनीतिकरण करेगा। इसलिए, अपनी ओर से, और मेरी पार्टी की ओर से, मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, मैं भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कई सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन मैंने केवल नेताओं को ही समय दिया है।

श्री पी.सी.थामस : महोदय, मेरी पार्टी का कोई अन्य अनुयायी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया समझिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब, श्री जार्ज फर्नान्डीज बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर यहां चर्चा हो रही है, उस पर बहस करने के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? मैंने आपको अनुमति दी थी। अब सरकार को जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर) : मैं नहीं जानता यहां क्या हो रहा है। यह स्थगन प्रस्ताव है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है ? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री बसुदेव आचार्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह कोई तरीका नहीं है। श्री आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलने के लिए खड़ा हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या सभा में व्यवहार करने का यह तरीका है। कृपया समझिए, और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने मंत्रीजी को अनुमति दी है

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : आप हमें 'समझने' के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है ? ...*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर बोलना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : यह विषय गृह मंत्रालय से संबंधित है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मैं जानना चाहता हूं और मेरा अधिकार है यह जानने का कि यहां क्या हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। मैंने मंत्रीजी को अनुमति दी है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया समझिए कि मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : वे किस अधिकार से बोल रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसी अधिकार से जिससे आप बोल रहे हैं। जिस प्रकार से आप यहां आए हो उसी प्रकार से मैं भी यहां हूं। मेरे भी वही अधिकार हैं जो आपके हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री ए. सी. जोस : उन्होंने स्थगन प्रस्ताव संबंधी कोई नोटिस नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह सही तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ए. सी. जोस : वे किस अधिकार से बोल रहे हैं ?....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पुनः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए. सी. जोस : महोदय, वे किस अधिकार से वे बोल रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, जनता दल सैक्युलर का एक ही सदस्य है। उसकी बात को भी सुना जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : महोदय, कृपया बताइए कि वे किस नियम के अधीन बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर विपक्ष सदन में चर्चा चाहता है, उस पर बहस करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती और बहस हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए! आपस में मत बोलिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एक प्रश्न यह है कि इस पर एडजर्नमैंट मोशन आना सम्भव नहीं है। हम एक बात सदन के सामने यह रखना चाहते हैं कि इस सदन का काम कुछ नियमों के तहत चलता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप पृष्ठ 30 देखिए। यह नियम 58 है :

"अविलम्बनीय लोक–महत्त्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धन के अधीन होगा, अर्थात् प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा;"

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : यह हाल ही में घटित हुआ है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपकी राय जानना चाहते हैं ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, हम पिछले पचास सालों से इस सदन में काम में लगे हैं। मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं। जिन नियमों के तहत सदन का काम होना चाहिए, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम वे नियम पढ़ चुके हैं। हम इस बारे में समता पार्टी की राय जानना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। यह सही तरीका नहीं है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने मंत्री महोदय को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मै इस समय कौल और शकधर के पृष्ठ 447 से उद्धरण दे रहा हूं ...(व्यवधान) यह स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : श्री फर्नान्डीज द्वारा दिया गया तर्क समयानुरूप नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने अपने तर्क दिए। ...*(व्यवधान)* मैंने सभी माननीय सदस्यों की बातें बड़े ध्यान से सुनीं। वे मेरी बात भी ध्यान से सुनें और समझें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : उन्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कौल एंड शकधर के पृष्ठ संख्या 447 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* इस नियम के तहत सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, मैं उन पर आ रहा हूं।

[अनुवाद]

इसमें निम्नलिखित आवश्यक बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है 'मंत्री की जिम्मेदारी'

"सामान्यतया किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय भारत सरकार के व्यवहार या उसकी किसी भूल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए और उसमें भारत सरकार के किसी काम की आलोचना उपलक्षित होनी चाहिए, अर्थात् या तो उसने कोई काम किया है या कोई ऐसा काम करने में चूक की है, जोकि उस समय करना बहुत आवश्यक था। जब तक सरकार संविधान तथा विधि द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के निष्पादन में असफल न हो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता।"

....जिस विषय में हस्तक्षेप करना सरकार की जिम्मेदारी न हो उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव नियम विरुद्ध है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं अब आपको किताब के पेज 932 पर ले जाता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कृपया अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करना राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है। दूसरी बात, इसे केन्द्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में बाधक और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

गुजरात की यहां पर बार–बार चर्चा की गई लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि गुजरात सरकार के दायित्व को हम लोग छीनकर यहां चर्चा में नहीं ला सकते। अगर इन लोगों की मनपसंद कोई चीज वहां नहीं हो रही है तो गुजरात विधानसभा उसके लिए खुला है। अध्यक्ष जी, अब मैं आपको पेज 935 की तरफ ले जाता हूं। यह संसद और राज्य संबंधी मामलों के बारे में है।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : महोदय यहां क्या हो रहा है ? कृपया क्या हमें भी बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। आप अनावश्यक रूप से सभा को परेशान कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पृष्ठ 935 में, यह उल्लिखित है 'लोक सभा में कार्य की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम राज्य संबंधी मामलों की चर्चा का निषेध करते हैं जिन पर संबद्ध राज्य विधान सभाओं में समुचित रूप से चर्चा की जा सकती है।' मैं अब अगले पृष्ठ पर आता हूं और इसमें उल्लिखित है, ... ऐसे प्रश्नों, जो संघ के उत्तरदायित्व से संबंधित हो, को संसद में उठाया जा सकता है।' यह स्थगन प्रस्ताव पर है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, भारत सरकार का इसमें कोई लेन–देन नहीं है और मैं यह बात एक बार फिर कहता हूं कि यदि बहस करना है। तो बहस हो जाये लेकिन एडजर्नमेंट मोशन के लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन इस सदन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिये, इसका निर्णय आप कर सकते हैं। यह बात दुरुस्त है कि वह एडजर्नमेंट मोशन यहां आयेगा जिस पर सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी हो। अभी हमारे सम्माननीय मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने यहां पढ़कर बताया कि यदि इस सरकार की जिम्मेदारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो तो एडजर्नमेंट मोशन यहां पर आ सकता है। हम यह जानना चाहते हैं और इस पर अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं कि क्या यह बात सही नहीं है कि गुजरात सरकार ने केन्द्र की सरकार से पूछा था कि आर. एस.एस. के मुद्दे पर जो निर्णय लिया गया है, उसको वापस लेकर सरकारी नौकरों को आर.एस.एस. की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने दे या नहीं। इन्होंने कहा कि हां, हिस्सा लेने दे सकते हैं। क्या यह इनडायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है ...*(व्यवधान)* क्या यह इनकी इनडायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है और अगर इन्होंने कह दिया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : आप इसे सिद्ध कीजिए ...*(व्यवधान)* यह आपकी सूचना के लिए है कि इस आधार पर भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : हम यह कहना चाहते हैं कि सरकारी नौकरों को आर.एस.एस. की एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की इज़ाजत देना कितना डेंजर्स है।

दूसरे देशों में जैसा ब्राउन सैन्टर्स और ब्लैक सैन्टर्स करते थे ऐसा ही मिलिट्री शिक्षण इसमें दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, परेड की जाती है या नहीं की जाती है, मिलिटेन्सी की बात की जाती है या नहीं की जाती है। अगर ऐसी संस्था के अंदर ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : *शिवराज जी तो संघ के कार्यक्रमों में बहुत* बार आ चुके हैं, उन्हें मालूम है.... *(व्यवधान)* उन्होंने कई आर.एस.एस. समारोहों में भाग लिया है। वे जानते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : ऐसी संस्था के अंदर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : उनके अपने नगर में ही, उन्होंने आर.एस. एस. समारोहों में भाग लिया है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील : ऐसी संस्था में अगर गुजरात गवर्नमैंट के अधिकारी हिस्सा लेते हैं और जैसा श्री बनातवाला ने ठीक कहा कि अधिकारी दूसरी स्टेट्स में जा सकते हैं, केन्द्र सरकार में आ सकते हैं तो इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसकी जिम्मेदारी इस सरकार को लेनी है या नहीं। अगर ऐसी बात जिसके ऊपर सारा सदन उत्तेजित है, बाहर के लोग उत्तेजित हैं तो इतनी बड़ी बात या ऐसे सब्जैक्ट के ऊपर एडजर्नमैंट मोशन के तहत चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं संक्षेप मे कुछ कहना चाहता हूं। इसमें मुद्दा यह है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं अत्यंत संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं, यदि आप मुझे अनुमति दें तो। मुद्दा यह है ...*(व्यवधान)*

बहन जी, आपका ध्यान सिर्फ मध्य प्रदेश पर केन्द्रित है ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, माधवराव सिंधिया जी ने आर. एस.एस. के बारे में 1970 में क्या बोला है वह मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि इनका गणवेश इनके घर में रखा हुआ है। मैं बताना चाहती हूं श्री सुन्दर लाल पटवा जी बता रहे हैं कि उन्होंने सिंधिया जी को आर.एस.एस. का मैम्बर बनाया था। मेरे पास प्रूफ है। इसलिए इन्हें जब जरूरत पड़ती है तो यह आर.एस.एस. की गोद में बैठ जाते हैं ...*(व्यवधान)* यह आर.एस.एस. के बारे में क्या बोले हैं, मेरे पास इस बात का प्रूफ है ...*(व्यवधान)* इन्हें जब जरूरत पड़ती है तो यह आर. एस.एस. की गोद में बैठ जाते हैं ...*(व्यवधान)* यह सोनिया जी को दिखाने के लिए आर.एस.एस. का विरोध करने लग जाते हैं। सोनिया जी आप माधवराव जी को अपनी बगल में मत बैठाइये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। महोदया, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री माधवराव सिंधिया : *मैं केवल तकनीकी मुद्दों को उठाऊंगा।* जिन्हें माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा भी उठाया गया है और मैं इस मुद्दे के गुण–दोषों की चर्चा नहीं करूंगा।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि ऐसे असंख्य उदाहरण है जिनके कारण हम कुछ बातों पर विश्वास करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : वे कौन–सी नई बात उठा रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं केवल एक तकनीकी मुद्दा उठा रहा हूं। यहां पर मेरा मानना है कि हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के विरुद्ध ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मूलतः कार्य करता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सर, मुझे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : इसीलिए सिविल सेवा की तटस्थता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, उन्हें आर.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो मुद्दा उठाया वह यह था कि ऐसा गुजरात सरकार ने किया है। इस संबंध में, 1994 में बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पृष्ठ 1 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि : "धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत विशेषता है।"

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : यह पक्के आर.एस.एस. मैन हैं ...*(व्यवधान)* यह जरूरत पड़ने पर आर.एस.एस. से हाथ मिला लेते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे कई बातें कहनी हैं। वो जो भी कहना चाहे उन्हें कहने दीजिए। महोदय, बोम्मई मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि :

> "धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूलभूत विशेषता है। यद्यपि भारत में सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारन्टी दी गई है, राज्य की दृष्टि में किसी व्यक्ति का धर्म, विश्वास या आस्था का कोई अर्थ नहीं है। राज्य के लिए सभी बराबर है और सब समानता के व्यवहार के हकदार हैं।"

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है :

> "ऐसी कोई भी राज्य सरकार जो गैर धर्मनिरपेक्ष नीति या धर्मनिरपेक्ष कार्य करती है तो यह संवैधानिक आदेश के विपरीत कार्य करती है और इसके परिणामस्वरूप स्वयं को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए पात्र बनाती है।"

उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है। हमारा मानना है कि गुजरात सरकार ने संवैधानिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करते हुए यह कार्य किया है।

इसलिए, संविधान के अंतर्गत केन्द्र सरकार अनुच्छेद 256 के अंतर्गत कार्रवाई करने में सक्षम है। इसमें कहा गया है :

> "राज्यों की और संघ की बाध्यता – प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू है, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।" ...*(व्यवधान)*

अनुच्छेद 257(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पास निदेश जारी करने का अधिकार है। यदि अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत राज्य अनुपालन नहीं करते हैं तो उस राज्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जोकि अन्ततः अनुच्छेद 356 के अंतर्गत हो सकती है। यदि केन्द्र सरकार मानती है कि राज्य संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह दोनों अनुच्छेद केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सभा को माननीय मंत्री महोदय द्वारा जान–बूझकर गुमराह किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने जान–बूझकर सभा को गुमराह किया है। संविधान के अनुच्छेद 257 के अंतर्गत, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि केन्द्र सरकार की कार्यकारी शक्ति राज्य को निदेश देने तक होनी चाहिए। उन्होंने इसे गलत ढंग से व्याख्यायित किया है। मैं गृह मंत्री महोदय के बोलने के पहले, गृह मंत्रालय द्वारा 28.10.1980 को जारी किए गए परिपत्र को उद्धरित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के अंतर्गत, क्या केन्द्र सरकार की राज्य को निदेश देने संबंधी कार्यकारी शक्तियां दिनांक 28.1.1980 के परिपत्र, जो कि इस समय माननीय मंत्री महोदय के पास है, के अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, हमारे पास समय नहीं है। मध्याह्न 12.00 बजे हमें रेल बजट के मुद्दे को लेना है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री महोदय ने जान–बूझकर सभा को गुमराह किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। वे स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : 28.10.1980 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र में उल्लिखित है कि वित्त मंत्री से एक बार फिर उनके अन्तर्गत कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में पैरा 1 के कतिपय उपबन्धों को विशेष रूप से लाने का अनुरोध है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर.एस.एस. और आनंद मार्ग साम्प्रदायिक आधार वाले हैं ...*(व्यवधान)* मैं, इसलिए यह चाहता हूं गृह मंत्री महोदय इस बात की व्याख्या करें कि क्या इस उद्देशिका में व्याख्यायित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा राज्य और केन्द्र के लिए अलग–अलग है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : गृह मंत्री महोदय इस परिपत्र से किसी को मात नहीं दे सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. सी. थामस, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने गृह मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री पी. सी. थामस : महोदय, क्या मुझे भी अवसर दिया जाना चाहिए।

गृहमंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं चर्चा के अंत में श्री माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आऊंगा क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी श्री माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गये मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने भी ज्ञापन प्रस्तुत करते समय उठाया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिभाऊ शंकर महाले, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। अन्यथा मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, आपने न केवल श्री माधवराव सिंधिया को इस स्वीकार्यता से संबंधित मामले को उठाने की आज दूसरी बार अनुमति दी। अपितु, कल आपने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया किन्तु नेताओं के साथ विचार–विमर्श के आधार पर आपने उन्हें मामले को उठाने की अनुमति दी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री बूटा सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अध्यक्ष महोदय की ओर से कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं कल की कार्यवाही को पढ़ना नहीं चाहता परन्तु कल की कार्यवाही के अनुसार, आपने इस मामले पर शून्यकाल के बाद चर्चा किए जाने की अनुमति दी थी और आपने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी थी लेकिन आज अपनी समझ से ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : आप किस प्रकार आपत्ति उठा सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : इसे अस्वीकार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य आपको उत्तर नहीं देना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपत्ति नहीं कर रहा। अध्यक्ष महोदय को अधिकार है, वे इसकी दुबारा जांच करें और उन्होंने आपको मामला उठाने की अनुमति दी है। महोदय, मैं केवल श्री सिंधिया द्वारा अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 (1) के संबंध में श्री सिंधिया द्वारा किए गए उल्लेखों पर विचार करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप अपने मंत्रालय के परिपत्र को पढ़िए। उसमें लिखा है कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वंसेवक संघ और जमात–ए–इस्लामी जैसे संगठनों से नहीं जुड़ना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी यह क्या है ? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह पता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : वे इसे पढ़ेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस मामले को सभा में उठाने से पूर्व, कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ राष्ट्रपति से मिलीं और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन दिया कि केन्द्र सरकार इस

मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है, और राष्ट्रपति ने कांग्रेस पार्टी का यह ज्ञापन हमें सौंपा है। जब मुझे अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257(1) का उल्लेख मिला तो, मैंने तुरन्त पुनः सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की और पाया कि सरकारिया आयोग वह निकाय है जिसने इन अनुच्छेदों का गहराई से अध्ययन किया था, ने प्रथम अनुच्छेद 256 को उद्धृत किया और फिर कहा :

इस अनुच्छेद के उपबंधों को पढ़ने से पता चलता है कि इसके अंतर्गत निदेश जारी करने के लिए संसद द्वारा बनाये गए कानून का होना या उस राज्य में प्रयोजनार्थ लागू विधि का होना अनिवार्य है। यदि निदेश ऐसी स्थिति में दिया जाता है जहां संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम लागू नहीं है या उस राज्य पर लागू कोई विद्यमान नियम, शामिल नहीं है तो यह शक्तियों का विधि सम्मत उपयोग नहीं होगा। महोदय, यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह उचित नहीं है कि वे कितनी बार उसी बात को बोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने मंत्रीजी को अनुमति दी है। कृपया समझिए। कुछ धैर्य रखिए, श्री रेड्डी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप केवल इतना बताइए कि यह मामला महत्त्वपूर्ण है या नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक मामले के महत्व का संबंध है, सरकार की ओर से, मैं पुनः कहना चाहता हूं जो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पहले ही कहा था, कि वाद–विवाद रोकने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। हम इस विषय पर सम्यक वाद–विवाद चाहते हैं। हमें केवल इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर आपत्ति है क्योंकि यह राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार ने इसका नोटिस नहीं लिया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, बहुत हो गया। यह क्या है ?

पूर्वाह्न 11.59

(इस समय श्री अवतार सिंह भडाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

(इस समय, श्री अवतार सिंह भडाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, आप मंत्रीजी को उत्तेजित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक अनुच्छेद 257 (2) का संबंध है, उसमें लिखा है :

"प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न आये या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। ...*(व्यवधान)*

मैं सरकारिया आयोग से उद्धृत करता हूं :

"इस अनुच्छेद के उपखंड (1) का 'इस प्रयोजन हेतु' वाक्यांश इसके उपयोग को उन स्थितियों तक सीमित करता है जहां किसी राज्य की कोई कार्यकारी कार्रवाई संघ की कार्यकारी शक्ति के वैध प्रयोग में बाधक हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो। यदि संघ सरकार राज्य कार्यपालिका के लिए आरक्षित किसी भी क्षेत्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए निर्देश देती है, जो उस शक्ति के विरुद्ध न हो तो, ऐसे निर्देश अवैध होंगे।"

यह सलाह सरकारिया आयोग की है। इसलिए, केन्द्र सरकार अनुच्छेद 256 या अनुच्छेद 257 (1) के अंतर्गत कार्यवाही नहीं कर सकती। इसकी गृह मंत्रालय द्वारा पूर्ण जांच पड़ताल कर ली गई है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, मैं खड़ा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप अध्यक्ष को कुछ कहने का मौका नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया समझिए कि आपको इस साल का सर्वोत्तम संसद सदस्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप भी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह बात ध्यान रखिए।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह महत्त्वपूर्ण मामला है। इस मामले में अपना विनिर्णय देने से पूर्व, कृपया हमारी भी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं, श्री बूटा सिंह, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, यह बोलने का उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अति हो रही है। जब अध्यक्ष खड़े हैं, आप उन्हें बोलने से रोक रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, श्री बूटा सिंह, मैं आपसे अपील करता हूं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ? ...*(व्यवधान)* श्री आडवाणी सभा और देश को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे श्री विलास मुत्तेमवार, श्री माधवराव सिंधिया, श्री जी. एम. बनातवाला, श्री बसुदेव आचार्य और श्री पी. सी. थामस की ओर से सरकारी कर्मचारियों के रा.स्व.सं से जुड़ने पर उठाये गए प्रतिबंध पर केन्द्र सरकार के द्वारा गुजरात सरकार के आदेश वापस कराने में असफल रहने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुईं। मैंने 24 फरवरी, 2000 को सभा में इन सूचनाओं को नामंजूर कर दिया था। मुझे इसी विषय पर आज पुनः सर्वश्री माधवराव सिंधिया, बसुदेव आचार्य और जी. एम. बनातवाला से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मैंने अब सदस्यों की बातें सुनी हैं। यद्यपि, यह विषय इतना महत्त्वपूर्ण है कि इस पर सभा में चर्चा कराई जा सके, मेरे विचार से इसके लिए सभा की पूरी कार्यवाही को स्थगित करना उपयुक्त नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये क्या है ? हम इस विषय पर सोमवार को विस्तृत चर्चा करेंगे परन्तु यह चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं होगी। कृपया इसे समझिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि हम गृह मंत्रीजी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, इसके विरोध में, हम सभा के बाहर जाते हैं।

अपराह्न 12.06 बजे

(इस समय, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री पी. सी. थामस : गृह मंत्रीजी के उत्तर के विरोध में, मैं सभा से बाहर जाता हूं।

मध्याह्न 12.07 बजे

(इस समय, श्री पी. सी. थामस सभा भवन से बाहर चले गये)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों के निर्यात की गुणवत्ता का उन्नयन

***21. डॉ. राजेश्वरम्मा वुक्कला :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए भण्डारण, प्रसंस्करण और प्रशीतित परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं कृषकों को उपलब्ध कराके उनकी सहायता करने का है जिससे वे समृद्ध राष्ट्रों के किसानों जैसे उच्च स्तर को प्राप्त कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार सभी कृषि जन्य उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे उत्पादों के अपेक्षित उच्च मानकों को पूरा करने के लिए जिनका कि व्यापार किया जाता है, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता के परिरक्षण और उसमें सुधार, पैकेजिंग के विकास, बुनियादी सुविधाओं में सुधार और अन्य उपायों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पाद, चाय, कॉफी, अरंडी का तेल और कपास को छोड़कर निर्यात की गई कृषि वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है :

1997–98	15169 करोड़ रुपए
1998–99	15960 करोड़ रुपए
1999–2000(अप्रैल–अक्टू.)	7702.78 करोड़ रुपए

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में ये भी शामिल हैं, इस संबंध में बुनियादी सुविधा मुहैया करना, गुणवत्ता का उन्नयन करना, प्रशीतित वाहन आदि निम्नलिखित हैं :

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) निर्यात एककों में आईएसओ 9000/एचएसीसीपी प्रणालियों को अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) विदेशी बाजारों में गाह्यता में सुधार लाने के लिए उत्पादों में विशेषकर आमों में कीट के प्रकोप को दूर करने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की स्थापना;

(4) ताजे फलों, सब्जियों, पुष्पोत्पादों जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गोसंचालन और शीत भंडारों की स्थापना करना;

(5) गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सम्मिश्रण को खत्म करने और जीवाणु एवं फफूंदी से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करना;

(6) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(7) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद प्रशीतन–पूर्व शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेस) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(8) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(9) उत्पादों की घरेलू ढुलाई के लिए मध्यवर्ती पैकेजिंग सामग्री की खरीद के जरिए फसल कार्य को यंत्रीकृत करना;

(10) छंटाई, ग्रेडिंग, धुलाई, वैक्सिंग, पक्वन, पैकेजिंग और सफाई, ठप्पाकरण सहित यांत्रिक रख–रखाव सुविधाओं की स्थापना करना;

(11) धूम्रीकरण, एक्स–रे स्क्रीनिंग, गर्म जल में डुबाने का उपचार जैसी लदान–पूर्व अभिक्रिया के लिए सुविधाएं मुहैया कराना;

(12) प्रदूषण नियंत्रण, निस्सारण अभिक्रिया इत्यादि जैसी पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना करना;

(13) उच्च आर्द्रता के कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर्स, नियंत्रित वातावरण या संशोधित वातावरण स्टोरेज जैसी विशिष्ट सुविधाओं की स्थापना;

(14) क्रेता–विक्रेता बैठकों और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह–भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(15) डाटा वेश विकसित करने और बाजार सूचना को प्रचालित करने के लिए सहायता प्रदान करना।

छोटी बचतों और लोक भविष्य निधि पर ब्याज दर

*22. ***श्री समर चौधरी :***

श्री रामपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में छोटी बचतों और लोक भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्याज दर में हाल में की गई कटौती के कारण देश में छोटी बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपने भरण–पोषण हेतु इन बचत क्षेत्रों में अपने धन का निवेश करने वाले पेंशनभोगियों और अन्य वृद्ध व्यक्तियों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। कतिपय लघु बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि पर ब्याज दरें दिनांक 15.1.2000 से घटा दी गई हैं।

(ख) (i) विभिन्न लघु बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि पर 15.1.2000 को और उससे पहले की ब्याज दरों का विवरण संलग्न है।

(ii) विभिन्न लुघ बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि की ब्याज दरों में मामूली कमी अर्थव्यवस्था के वृहत्तर हित के लिए आवश्यकता हो गई थी, ताकि इन दरों को देश की समग्र ब्याज दर संरचना के अनुरूप बनाया जा सके।

(ग) लघु बचतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि लघु बचतें अभी भी आकर्षक प्रतिलाभ, सहज नकदीकरण तथा महत्त्वपूर्ण कर रियायतों सहित निवेश का एक जोखिम रहित माध्यम है, जो वर्षपर्यंत निवेशकों के लिए खुली रहती हैं। विगत वर्ष ब्याज दर में की गई कमी के बावजूद चालू वर्ष में लघु बचत संग्रहणों में वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पेंशनरों सहित वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचतों के निवेश के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए समय–समय पर यथेष्ट कदम उठाए जाते हैं। लघु बचत योजनाओं की जोखिम शून्य प्रकृति उन्हें काफी अनुकूल जोखिम–प्रतिलाभ समीकरण देती है। सेवानिवृत्त हो रहे/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 9% कर–मुक्त ब्याज दर वाली दो योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दर में कोई कमी नहीं की गई है।

विवरण

विद्यमान लघु बचत योजनाएं, ब्याज की दरें उन पर उपलब्ध कर लाभ दर्शानेवाला विवरण

योजना का नाम	दिनांक 1.1.99 से	दिनांक 15.1.2000 से	
1	2	3	
1. @ डाकघर बचत योजना	4.50	कोई परिवर्तन नहीं	साधारण (व्यक्तिगत खाता)
2. * डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्षीय) 10 रुपए के मूल्यवर्ग हेतु परिपक्वता मूल्य	811.15 रु.	789.60 रु.	
3. * डाकघर मासिक आय योजना (6 वर्षीय)	12.00	11.00	मासिक देय और 6 वर्ष की समाप्ति पर जमा राशि का 10 प्रतिशत बोनस
4. * डाकघर सावधि जमा योजनाएं :			
(क) 1 वर्षीय जमा	9.00	8.00	गणना तिमाही और भुगतान वार्षिक
(ख) 2 वर्षीय जमा	10.00	9.00	– वही –
(ग) 3 वर्षीय जमा	11.00	10.00	– वही –
(घ) 5 वर्षीय जमा	11.50	10.50	– वही –
5. ** राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 8वां निर्गम (6 वर्षीय) 100 रु. मूल्य वर्ग के लिए परिपक्वता मूल्य	195.60 रु.	190.12 रु.	
6. ** राष्ट्रीय बचत योजना–1992 (4 वर्षीय)	11.00	10.50	वार्षिक भुगतान
7. किसान विकास पत्र 100 रुपए मूल्य वर्ग के लिए परिपक्वता मूल्य	200 रु. 6 वर्ष में	200 रु. 6½ वर्ष में	
8. @ लोक भविष्य निधि योजना (15 वर्षीय)	12.00	11.00	
9. @ सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना (3 वर्षीय)	9.00	कोई परिवर्तन नहीं	अर्द्ध–वार्षिक भुगतान
10. @ सेवानिवृत हो रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए जमा योजना (3 वर्षीय)	9.00	कोई परिवर्तन नहीं	अर्द्ध–वार्षिक भुगतान

आख्यान :

* धारा 80ठ (आयकर अधिनियम) के अधीन लाभ उपलब्ध।

** धारा 88 और 80 ठ (आयकर अधिनियम) के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध।

@ ब्याज पूर्णतः कर मुक्त।

लोक भविष्य निधि के मामले में धारा 88 (आयकर अधिनियम) के अंतर्गत भी लाभ उपलब्ध।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

***23. श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ख) खुले बाजार में प्राकृतिक रबड़ का मौजूदा मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने खुले बाजार से प्राकृतिक रबड़ के संकलन के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो कौन-कौन सी एजेंसियां प्राकृतिक रबड़ के संकलन के कार्य में संलग्न हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिनांक 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार, प्राकृतिक रबड़ का प्रारंभिक स्टॉक 1,87,965 टन था और वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 6.25 लाख टन होने का अनुमान है।

(ख) माह फरवरी 2000 के दौरान, प्राकृतिक रबड़ का भाव 3100 रुपए से 3200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा है।

(ग) और (घ) रबड़ उत्पादकों को लाभकारी भाव सुनिश्चित कराने के लिए, भारत सरकार ने एस.टी.सी. के जरिए सरकारी खाते से प्राकृतिक रबड़ की खरीद करके बाजार हस्तक्षेप किया है। एस. टी.सी. दिनांक 1 फरवरी, 2000 तक 29,427 मी. टन प्राकृतिक रबड़ खरीद चुका है। देशी रबड़ की खपत को बढ़ाने के लिए, सरकार ने अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत दिनांक 20.2.1999 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ङ) और (च) एस.टी.सी. द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खरीद रबड़-मार्क तथा रबकों से की जा रही है, जो रबड़ उत्पादक सोसायटियों के शीर्षस्थ निकाय हैं तथा रबड़ के गैर-सरकारी डीलर भी हैं।

इंडियन एयरलाइन्स का निजीकरण

***24. श्रीमती रीना चौधरी :**

श्री तिरूनावकरसू :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में 51 प्रतिशत अपनी इक्विटी बेचकर इनका निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विमान कंपनियों की इक्विटी बेचने के लिए क्या कार्यविधि अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन विमान कंपनियों की इक्विटी की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हो जाने की आशा है;

(ङ) क्या कुछ एसोसिएशनों और कर्मचारी संघों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इन एसोसिएशनों/संघों ने क्या आपत्तियां उठाई हैं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेड में सरकार द्वारा धारित इक्विटी के 51 प्रतिशत का विनिवेश करने का निर्णय किया गया है। इसमें से 26% इक्विटी किसी समूह या किसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसे संयुक्त उद्यम/अनुकूल भागीदारी कहा जाएगा। शेष 25 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश कर्मचारियों, वित्तीय संस्थाओं तथा जनता को की जाएगी।

(घ) किसी विनिवेश से वसूल होने वाली राशि अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिनमें बाजार दशाएं, कम्पनी का वित्तीय निष्पादन, बिक्री दशा इत्यादि शामिल हैं। अतः विनिवेश से प्राप्तियों की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) कर्मचारियों के कुछ समूहों ने इण्डियन एयरलाइन्स में विनिवेश का विरोध किया है। इण्डियन एयरलाइन्स में विनिवेश संबंधी प्रस्ताव पर कर्मचारियों की आशंकाएं मूलतः जॉब सुरक्षा, कर्मचारी शेयरधारिता/वेतन/लाभ/हित तथा प्रबंध नियंत्रण के मुद्दों से संबंधित हैं।

(छ) विनिवेश के संबंध में घोषित सरकार की नीति के अनुसार, कामगारों के हित का सभी मामलों में संरक्षण किया जाएगा। सरकार अनुकूल भागीदार के साथ समझौता ज्ञापन/शेयरधारक करार के माध्यम से कर्मचारियों के वैध हितों का संरक्षण करने का प्रयास करेगी।

निर्यात क्षमता

***25. श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की निर्यात क्षमता की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात योग्य वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 के दौरान और 1999-2000 में दिसम्बर, 1999 तक देश का निर्यात कितना रहा;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात-निष्पादन प्रभावित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो कम निर्यात-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(च) व्यापार घाटा कम करने और देश के निर्यात-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) निर्यात संभाव्यता की जांच करना एक सतत् प्रक्रिया है और सरकार विश्व व्यापार में हमारे हिस्से को बढ़ाने के लिए लगातार अनेक निर्यात संवर्धन उपाय कर रही है। उपलब्ध आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर, भावी निर्यात उत्पादों के एक समूह का पता लगाया गया है, जिसमें ये शामिल हैं–चिकित्सा और भेषजीय उत्पाद, लौह तथा स्टील के प्राथमिक रूप, वस्त्र यार्न, कार्यालय मशीनें, टेलिकॉम उपकरण, कृषि मशीनें, रसायन उत्पाद, खिलौनों सहित इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं।

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान भारत का निर्यात निम्नानुसार रहा :

(मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य)

1996–97	33469.76
1997–98	35007.85
1998–99 @	33641.00
1999–2000 (अप्रैल–दिसम्बर)	27419.23

@ अनन्तिम

(घ) और (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पाया गया कम निर्यात निष्पादन मुख्यतः विश्व प्रवृत्ति के अनुरूप था। दक्षिणी पूर्वी एशियाई संकट तथा रूस और कुछ लैटिन अमरीकी देशों में व्याप्त संकट से इन क्षेत्रों में होने वाले हमारे निर्यात पर कुप्रभव पड़ा। बुनियादी कठिनाइयां और अन्य बाधाएं जैसे निर्यात योग्य कम वस्तुएं होना और न्यून इकाई मूल्य की वसूली अन्य कारण थे। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में निर्यातों में वृद्धि हुई है और निर्यात वृद्धि अंनतिम आकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की अप्रैल–दिसम्बर अवधि की तुलना में अप्रैल–दिसम्बर, 1999–2000 के दौरान डालर के रूप में 12.93 प्रतिशत हुई है।

(च) व्यापार घाटा निर्यातों की तुलना में आयात अधिक करने से होता है और हमारे आयातों का बड़ा हिस्सा आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सरकार एक्जिम नीति तथा क्रियाविधियों में संशोधनों के जरिए निर्यातों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जिसमें मुख्य ध्यान निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने तथा अधिक मुक्त व्यापारिक वातावरण मुहैया कराने की ओर दिया जाता है।

विनिवेश लक्ष्य

***26. श्री किरीट सोमैया :**

श्री अजित सिंह :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1999–2000 के दौरान, 10,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार विनिवेश के संबंध में भविष्य में क्या कार्रवाई करना चाहती है ;

(ङ) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की एकमुश्त बिक्री करने के लिए महत्वपूर्ण भागीदारों का चयन करने पर विचार कर रही है; और

(च) "नवरत्नों" के विनिवेश के संबंध में सरकार की क्या योजना है और नए विनिवेश आयोग के गठन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) वर्ष 1999–2000 के लिए निर्धारित 10,000/– करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करना कदाचित संभव नहीं होगा।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) कुछ कम्पनियों में पूंजी बाजार मार्ग के जरिए आरम्भ में यथा आयोजित विनिवेश अक्टूबर, 1999 के दूसरे सप्ताह तक नहीं किया जा सका क्योंकि देश में आम चुनाव हो रहे थे। सरकार ने नई सरकार के बनने तक इंतजार करने का निर्णय लिया। अक्टूबर–नवम्बर, 1999 के दौरान गेल में जी.डी.आर. पेशकश पूरी की गई। नवम्बर, 1999 के दूसरे सप्ताह से जनवरी, 2000 तक वाई2के समस्या के कारण किसी अंतर्राष्ट्रीय पेशकश की आयोजना नहीं की जा सकी। इस दौरान इस विनिवेश के संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक पृथक विभाग का गठन किया गया।

(घ) सरकार विनिवेश की इस वर्तमान घोषित नीति का कार्यान्वयन करेगी कि अधिकांश मामलों में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयर धारिता को घटाकर 26 प्रतिशत पर लाया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के सामाजिक उपक्रमों के मामले में सरकार अपनी अधिकांश धारिता को बनाए रखेगी।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों में विनिवेश के तरीके के संबंध में कोई सामन्य नीति नहीं है। इसका परिकलन मामला–दर–मामला आधार पर किया जाता है।

(च) सरकार की "नवरत्न" कम्पनियों के संबंध में विनिवेश की कोई पृथक् नीति नहीं है। भाग (घ) के उत्तर में यथा वर्णित विनिवेश संबंधी सामान्य नीति का अनुसरण किया जाएगा। विनिवेश आयोग का गठन निकट भविष्य में किया जाएगा।

वाटर नामक फिल्म को स्वीकृति

***27. श्री रामदास आठवले :**

श्री रिजवान जहीर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म निर्मात्री दीपा मेहता को बनारस में अपनी फिल्म 'वाटर' की शूटिंग करने की इज़ाजत दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह अनुमति किस तारीख को दी गई थी;

(ग) क्या फिल्म की दोबारा जांच की गई है और इसमें से कुछ अंशों को हटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार तथा फिल्म निर्मात्री के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शूटिंग के सेट पर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप जान माल की कुल कितनी हानि हुई;

(छ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म की शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है ;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) फिल्म की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (झ) कैनेडियन कम्पनी मैसर्स फ्लैगशिप इन्टरनेशनल लिमिटेड ने भारत में फीचर फिल्म 'वाटर' की शूटिंग के लिए सरकार की अनुमति हेतु। अक्टूबर, 1999 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आवेदन किया था। सुश्री दीपा मेहता इसकी निर्देशिका, पटकथा लेखिका और सह–निर्मात्री हैं। विदेशियों द्वारा भारत में फीचर फिल्म की शूटिंग संबंधी प्रक्रिया विदेश मंत्रालय की वीजा नियमावली में दी गई है। तद्नुसार, उक्त आवेदन पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श से विचार किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय से परामर्श किया गया है।

2. प्रस्ताव पर विचार करते समय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी नीति का पालन करते हुए देश की एकता, अन्य देशों के साथ मैत्री संबंधों तथा साम्प्रदायिक सद्भाव के महत्त्व को ध्यान में रखता है। तद्नुसार गृह मंत्रालय की सहमति से मंत्रालय ने 6 फरवरी, 2000 के अपने पत्र द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए सहमति दी। सरकार इस संबंध में आवेदक फिल्म निर्माता के साथ कोई समझौता नहीं करती। मंत्रालय द्वारा दी गई सहमति कई शर्तों के अधीन थी जिसमें से एक शर्त यह थी कि स्थलों पर शूटिंग संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली अनुमति के अधीन होगी।

3. 31 जनवरी, 2000 को उत्तर प्रदेश ने पटकथा के अंशों के बारे में वाराणसी में कुछ संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा विरोध किए जाने की सूचना दी थी और भारत सरकार द्वारा पटकथा की पुनः जांच करने का सुझाव दिया था। तत्पश्चात् सुश्री दीपा मेहता ने हिन्दी संवादों वाली पटकथा के संशोधित रूपान्तर के अनुमोदन हेतु मंत्रालय से सम्पर्क किया था। उन्होंने अपनी पटकथा में कुछ वाक्यों को हटा दिया/बदल दिया था। इस परिवर्तित पटकथा पर विचार किया गया और उसके आधार पर फिल्म की शूटिंग हेतु संशोधित पटकथा को दिनांक 2 फरवरी को सरकार की अनुमति दे दी गई थी।

4. उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि 30 जनवरी, 2000 को कुछ लोगों के समूह ने फिल्म के शूटिंग स्थल पर प्रदर्शन किया जिसके दौरान फिल्म की शूटिंग हेतु बनाए गए कुछ सैटों को नुकसान हुआ। इस दौरान जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। वाराणसी में विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा फिल्म की शूटिंग के विरुद्ध प्रदर्शन जारी रहा। दिनांक 5 फरवरी, 2000 को फिल्म की कुछ शूटिंग हुई परन्तु विरोध, प्रदर्शनों तथा आत्महत्या के प्रयास के कारण उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या के परिणामस्वरूप जिला प्रशासन ने दिनांक 7 फरवरी, 2000 के अपने आदेश द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अंतर्गत 15 दिन के लिए शूटिंग रोकने का आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म की शूटिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

5. मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म निर्माण दल वाराणसी से चला गया है। उसके बाद मैसर्स फ्लैगशिप इन्टरनेशनल लिमिटेड ने मंत्रालय से सम्पर्क नहीं किया है।

बैंकों को बन्द करना

***28. श्री अमर राय प्रधान :**

श्री सुरेश कुरूप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इन बैंकों की कुल कितनी अनुप्रयोज्य आस्तियां हैं; और

(घ) इन बैंकों को बन्द करने/इनका विलय करने के बाद इन ऋणों की वसूली के लिए सरकोर द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक को बन्द किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आर्थिक अपराधों में लिप्त कम्पनियां

*29. **श्री आर. एल. भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी भारतीय और विदेशी कम्पनियां आर्थिक अपराधों में लिप्त पाई गईं;

(ख) उनके द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा–शुल्क अधिनियम, आयकर अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघनों के लिए जिन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या 8269 है।

(ख) प्रमुख उल्लंघन इस प्रकार है : जान–बूझकर कर अपवंचन करना, झूठी विवरणियां दाखिल करना, माल का न्यून/अधिक मूल्यांकन, प्रतिअदायगी के कपटपूर्ण दावे, गलत घोषणा/गलत वर्गीकरण, मॉडवेट क्रेडिट का दुरुपयोग, निर्यात आय की वसूली न होना, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा का लेन–देन करना और हवाला कारबार में लेन–देन करना।

(ग) जी, हां।

(घ) की गई कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस जारी करना, अर्थदण्ड और जुर्माना लगाना, और अभियोजन कार्रवाई शुरू करना शामिल हैं।

छोटे निवेशकों को परेशान किया जाना

*30. **श्री अनंत गंगाराम गीते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "डिपॉजिटरी" प्रणाली लागू होने के परिणामस्वरूप छोटे निवेशकों को होने वाली परेशानी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नब्बे के दशक के शुरुआती व बीच के वर्षों में पूंजी बाजार के उत्कर्ष के दिनों में ऐसी कम्पनियों में, जो इस बीच गायब हो गई हैं, किए गए निवेश से ऐसे निवेशकों को हुई अभूतपूर्व हानि पर भी ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "सेबी" के माध्यम से कोई अर्थक्षम कार्य पद्धति तैयार करने का है जिससे ऐसे निवेशक और अधिक हानि उठाए बिना अपने शेयरों को बेच सकें ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और "डिपजिटरी" प्रणाली शुरू किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (घ) कागज आधारित प्रतिभूतियां जाली, नकली और चुराए गए कागजों से जुड़े जोखिमों और निकृष्ट परिदाय और पंजीकरण में विलम्ब जैसी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होती हैं। विद्रवीकरण और निक्षेपागार प्रणाली ने निकृष्ट परिदाय और जाली/नकली/चुराई गई प्रतिभूतियों के जोखिमों को काफी हद तक कम किया है। अतः निक्षेपागार प्रणाली और प्रतिभूतियों के विद्रवीकरण की शुरुआत निवेशकों के हित में है। यह तथ्य, कि निक्षेपागार प्रणाली में लगभग 20 लाख खाते खोले गये हैं, प्रदर्शित करता है कि निवेशक इस प्रणाली का लाभ ले रहे हैं।

(ख) और (ग) विगत हाल में अनेक कंपनियां जिन्होंने पूंजी बाजार में प्रवेश किया और निधियों का संग्रहण किया, निधियां जुटाते समय जनता से की गई अपनी वचन बद्धताओं को पूरा करने में दोषी पाई गई हैं। ये कंपनियां पूंजी बाजार में अपने कार्य–कलापों की प्रकृति के आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)/भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.)/कंपनी कार्य विभाग (डी.सी.ए.) के विनियामककारी क्षेत्राधिकार में आती हैं। तदनुसार, इन एजेंसियों द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और कंपनी अधिनियम, 1956 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों/विनियमों के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सेबी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सामूहिक निवेश योजनाओं (सी. आई. एस.) के संबंध में अब तक 127 कंपनियों द्वारा निवशकों को लगभग 185 करोड़ रुपए की राशि वापस की गई है। सी. आई. एस. के लिए सेबी के विनियमों के अनुसार, जो 15 अक्टूबर, 1999 को अधिसूचित किए गए थे, कोई भी कंपनी किसी भी सामूहिक निवेश योजना को तब तक जारी नहीं रख सकती जब तक यह सेबी से पंजीकरण प्राप्त न कर ले। किसी मौजूदा योजना, जो सेबी से पंजीकरण प्राप्त नहीं करती, की मौजूदा योजना को समाप्त करना होगा और संग्रहित निधियां निवेशकों को लौटानी होंगी। निषेधात्मक आदेश जारी करना योजनाओं को बंद करना, मुकदमे संबंधी कार्यवाहियों की शुरुआत करना जैसी कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध की गई है। कंपनी कार्य विभाग ने चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे संबंधी कार्यवाहियां भी शुरू की हैं।

अमरीका के साथ व्यापार समझौता

*31. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र और कृषि क्षेत्र सहित कतिपय प्रमुख क्षेत्रों में अवरोधों को दूर करने हेतु भारत और अमरीका के बीच कोई व्यापार

समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमरीका के साथ भारत के व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय के दिनांक 22 सितम्बर, 1999 के निर्णयों एवं सिफारिशों को लागू करने के लिए उचित समयावधि का निर्धारण करने के लिए द्विपक्षीय करार कर लिया है। विवाद निपटान निकाय ने यह माना था कि भुगतान संतुलन आधार पर भारत द्वारा आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध न्यायोचित नहीं हैं। यह निर्णय भारत द्वारा आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों के बारे में अमरीका द्वारा डब्ल्यू टी ओ में दायर विवाद के संदर्भ में था। सिफारिशों को लागू करने के लिए उपयुक्त अवधि जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हो गई है, अंततः 1 अप्रैल, 2001 में समाप्त हो जाएगी और इस तारीख तक भारत को 8 अंक स्तर पर सभी 1429 टैरिफ मदों पर से मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने होंगे। 714 मदों पर मात्रात्मक प्रतिबंध 1 अप्रैल, 2000 तक और शेष 715 मदों पर 1 अप्रैल, 2001 तक मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।

(ग) चूंकि इस करार में शामिल मदों पर अभी तक मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त नहीं किए हैं, इसलिए सुधार का प्रश्न नहीं उठता।

अनुप्रयोज्य आस्तियां

***32. श्री अधीर चौधरी :**

श्री नामदेव हरबाजी दिवाये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 2000 के "स्टेट्समैन" में "नो रिसपाइट फॉर पब्लिक सैक्टर बैंक्स फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियों में कमी करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान बैंककारी कानूनों को संशोधित करने का निर्णय किया है और बैंक ऋणों की अदायगी न करने वाली शीर्ष कम्पनियों और व्यक्तियों की सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा बैंक ऋणों की अदायगी न करने वाली शीर्ष कम्पनियों और व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। अनुपयोज्य आस्तियों का प्रबंधन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ की गई बैठक में विचार-विमर्श किए गए विषयों में से एक था क्योंकि अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सतत् ध्यान का मामला रहा है। यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार 43,577 करोड़ रुपए से बढकर 31.3.99 की स्थिति के अनुसार 51710 करोड़ रुपए हो गई है, जो कुल अग्रिमों के 15.9% का द्योतक है।

(ग) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने न केवल अनुपयोज्य आस्तियों की नई घटनाओं को रोकने के लिए बल्कि अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती हुई अनुपयोज्य आस्तियों के कारणों का अध्ययन करने और अनुपयोज्य आस्तियों की समस्याओं के संबंध में बहु-चरणीय कार्य योजनाओं का सुझाव देने के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की थी। समिति द्वारा की गई व्यापक सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा विचार किया गया है और कुछ सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की गई है।

(ii) नई अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि को रोकने के लिए बैंकों ने विभिन्न स्तरों पर ऋण मूल्यांकन कौशलों को उन्नत बनाने के उपाय किए हैं।

(iii) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में ऋण वसूली नीति के दस्तावेज तैयार किए गए हैं और ये निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत पुनरीक्षित हैं।

(iv) बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे न्यूनतम खर्च पर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए वार्ता द्वारा तय समझौतों के माध्यम से अपनी अनुपयोज्य आस्तियों को कम करें। तथापि, इस संबंध में समझौते पर पहुंचने के लिए किया जाने वाला पूर्वोपाय भी निर्धारित किया गया है।

(v) प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक के अधीन वसूली कक्षों की स्थापना की गई है और बैंकों द्वारा शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। शाखाओं की वसूली संबंधी कार्य निष्पादन की प्रधान कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर निगरानी की जानी होती है और निदेशक बोर्ड को तिमाही आधार पर प्रगति की सूचना दी जाती है।

(vi) बैंकों की देय-राशियों की शीघ्र वसूलियों में सहायता करने के लिए अब तक कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलूर,

अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, मुम्बई, जबलपुर, हैदराबाद, एर्णाकुलम में ऋण वसूली अधिकरणों तथा मुम्बई और चेन्नई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई है। ऋण वसूली अधिकरणों को अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए 17 फरवरी, 2000 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है ताकि उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की देयराशियों की वसूली के मामले में अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(vii) 1. भारतीय रिजर्व बैंक ने "संदिग्ध" या "हानि" के रूप में वर्गीकृत। करोड़ रुपए और इससे अधिक की कुल बकाया राशियों वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तथा 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार मुकदमा दायर खातों के बारे में ब्यौरे एकत्र करने और इस सूचना को (फ्लापी डिस्कों पर) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है ताकि वे चूक करने वाली उधारकर्ता इकाइयों द्वारा और सूची में शामिल निदेशकों/मालिकों/भागीदारों द्वारा भी स्वयं अपने काम से या अन्य इकाइयों के नाम से जिनसे वे सम्बद्ध हैं, नई या अतिरिक्त ऋण सीमाओं के लिए किए गए अनुरोध पर, गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय उसका उपयोग कर सकें।

2. भारतीय रिजर्व बैंक, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उन उधारकर्ताओं (कुल 1 करोड़ रुपए इससे अधिक की बकाया राशियों वाले) की सूची भी प्रकाशित करता है, जिनके खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी निधियों की वसूली के लिए मुकदमे दायर किए गए हैं।

(viii) बड़े अग्रिमों के संबंध में समझौता पुस्तकों की जांच करने और उसे विचारार्थ सक्षम प्राधिकारियों को संस्तुत करने के लिए नौ बैंकों द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में निपटान सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

(ix) समझौता निपटान के द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र की तीन वर्ष से अधिक पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों तथा लघु ऋणों के परिसमापन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार कार्यपालकों की निपटान सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

(घ) और (ङ) वसूली तंत्र को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 17 जनवरी, 1999 को एक अध्यादेश प्रख्यापित करके बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 को संशोधित किया गया है।

इस अध्यादेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529-क के उपबंधों के अनुसार क्षति पूर्ति और प्रति दावों, अधिकरणों द्वारा रिसीवरों और आयुक्तों की नियुक्ति, एक से अधिक वसूली अधिकारी की नियुक्ति तथा प्रतिभूत ऋणदाताओं के मध्य बिक्री आय के संवितरण के लिए अभिकरणों को शक्ति प्रदान करने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश से कच्चे माल का निर्यात

*33. **श्री रामानंद सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से देश-वार कौन-कौन से कच्चे माल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या बस्तर जिले के बेलाडिला से बहुत सस्ती दरों पर जापान को लौह आयस्क को निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) महोदय, केन्द्रीय सरकार पूरे देश के निर्यात आंकड़े रखती है न कि राज्य-वार।

(ख) और (ग) जी, नहीं, एक्जिम नीति के अनुसार 64% एफई अन्तर्वस्तु से अधिक का लौह अयस्क सरणीकृत है और मुख्यतः एमएमटीसी के जरिए निर्यात किया जाता है। कीमतें वार्षिक आधार पर तय की जाती हैं और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्यात संविदाओं के लिए आधार बनाती है।

फसल ऋण मंजूर करने के लिए तकनीकी समिति

*34. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा फसल ऋण मंजूर करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बैंकों द्वारा किसानों को विशेष रूप से बिहार और मध्य प्रदेश में, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के मार्ग-निर्देशों के अनुसार जिले में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक फसल उगाने के लिए वित्त निर्धारित करने हेतु प्रत्येक जिले में तकनीकी समिति गठित की गई है जिसमें राज्य सरकार बैंकों तथा प्रगतिशील किसानों के प्रतिनिधि शामिल है। पारिवारिक

श्रम, कृषि संबद्ध मौसम, उच्च तकनीक की अपेक्षा वाली विशिष्ट तथा आरोपित की जाने वाली फसलें, परिचालन के तरीकों, आदि समेत परिचालन की लागत को फसल–वार वित्त निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना है। किसानों को ऋण की पर्याप्त उपलब्धता तथा एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जिले में वित्त की इस मात्रा को सभी बैंकों द्वारा अपनाया जा रहा है।

(ग) आर बी आई/नाबार्ड ने किसानों को ऋण प्रवाह और अधिक बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(1) अच्छे कार्य निष्पादन वाले किसानों की संमिश्र ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद ऋण सुविधा को लागू करना।

(2) कृषि उधारकर्ताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करना।

(3) बैंकों से कहा गया है कि वे उच्च तकनीक वाली कृषि परियोजनाओं के लिए वित्त–पोषण सुलभ कराने के उद्देश्य से विशेषज्ञ कृषि शाखाएं खोलें।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण आवेदनों को सरल बनाने, शाखा प्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने, किसानों के लिए संमिश्र नकद ऋण सीमा लागू करने, नए ऋण उत्पादों को लागू करने, ऋणों का नगद संवितरण करने, आवश्यक अपेक्षाओं के रूप में अद्वेयता प्रमाणपत्र की छूट देने और 10, 000 रुपए से अधिक के ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से संबंधित मामलों को बैंक के विवेकाधिकार पर छोड़ने का फैसला किया है।

(5) कृषि को उधार देने के लक्ष्य में हुई किसी कमी का अंशदान ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर आई डी एफ) में किया जाना है जिसे ग्रामीण ढांचागत संबंधी सतत् परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार तथा राज्य स्वामित्व वाले निगमों की सहायतार्थ नाबार्ड के साथ स्थापित किया गया है।

किसानों को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार में राज्य सहकारी बैंकों (एस सी बी)/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी सी सी बी) को विशेष छूट/नीति संबंधी छूट प्रदान की गई है। इनमें से कुछ ये हैं :

* ऋणों को मंजूर करते समय निम्नतम वसूली तथा अनुपयोज्य आस्तियों के पात्रता मानदण्ड पर जोर न डाला जाना है।

* डी सी सी बी तथा एस सी बी के शामिल होने का निम्नतम मानदण्ड और मौसम संबंधी नियमों पर भी अधिक जोर न दिया जाना है।

* दिनांक 01 अप्रैल, 1999 से प्रभावी मौसमी कृषि के नए परिचालनों के बदले डी सी सी बी की ओर से एस सी बी को आहरण के लिए अनुमति दी गई है। चाहे अनतिदेय रक्षा राशि प्रमाणपत्र उपलब्ध हो या न हो।

मध्यप्रदेश राज्य में कार्यरत 45 केन्द्रीय सहकारी बैंकों (सी सी बी) में से 22 सी सी बी को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(1) की अनुपालना करने से छूट प्रदान की गई है (जैसा कि सहकारी समितियों के मामलों में होता है) जिससे कि वे चालू वर्ष के दौरान कुल 335.27 करोड़ रुपये तक के ऋण विस्तार के लिए समर्थ हो सके।

[अनुवाद]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

***35. श्री नरेश पुगलिया :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋणों की वसूली के लिए गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के गठन के समय और इस समय बैंकों की कुल बकाया ऋण राशि कितनी है;

(ग) प्रत्येक न्यायाधिकरण द्वारा अपने गठन से अब तक निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है और अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(घ) ऋण वसूली न्यायाधिकरणों द्वारा आशानुरूप बकाया ऋणों की वसूली न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश भर में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों का कार्य–निष्पादन सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील) : (क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (डी आर टी एक्ट) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋणों की वसूली के लिए अब तक कलकत्ता, दिल्ली, बैंगलूर, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, जबलपुर, मुम्बई एवं एर्णाकुलम में 12 ऋण वसूली अधिकरण (डी आर टी) तथा मुम्बई एवं चेन्नई में 2 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डी आर ए टी) स्थापित किए जा चुके हैं और चंडीगढ़, कटक एवं इलाहाबाद में 3 ऋण वसूली अधिकरण तथा कलकत्ता, दिल्ली एवं इलाहाबाद में 3 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) ऋण वसूली अधिकरणों के गठन से पूर्व 1 अगस्त, 1993 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से संबंधित 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक के (6738 करोड़ रुपए की कुल राशि वाले) 10595 वाद–दायर मामले विभिन्न न्यायालयों

में लम्बित पड़े थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, 17921 करोड़ रुपए की कुल राशि के 21781 मामले या तो विभिन्न उच्च न्यायालयों से ऋण वसूली अधिकरणों में स्थानान्तरित किए गए हैं अथवा बैंकों द्वारा 31.3.1999 तक उनमें दायर किए गए हैं। ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा यथासूचित सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (संयुक्त) से संबंधित 30.9.1999 की स्थिति के अनुसार मामलों की संख्या, उनके निपटान तथा उनके शुरू होने से अब तक वसूल की गई राशि की अधिकरण–वार स्थिति नीचे दी गई है :

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	30.9.99 तक निपटाए गए मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	कलकत्ता	857	59.24
2.	दिल्ली	1214	106.43
3.	बैंगलूर	2334	258.77
4.	जयपुर	1432	161.31
5.	अहमदाबाद	420	58.53
6.	चेन्नई	1229	162.46
7.	गुवाहाटी	51	1.43
8.	पटना	126	10.93
9.	जबलपुर	270	0.81
10.	मुम्बई	हाल ही में गठित	–
11.	हैदराबाद	हाल ही में गठित	–
12.	एर्णाकुलम	हाल ही में गठित	–

(घ) और (ङ) ऋण वसूली अधिकरणों (डी आर टी) का कार्य निष्पादन कुछ न्यायालयीन मामलों के कारण प्रभावित हुआ है जिसमें एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय का है जिसमें ऋण वसूली अधिकरणों को असंवैधानिक एवं अमान्य (शून्य) घोषित किया गया है। तथापि, सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर-की है एवं ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा मंजूर स्थगन आदेश के तहत कार्य कर रहे हैं। ऋण वसूली अधिकरणों के अब परिणाम नजर आने लगे हैं। सरकार मूलतः प्रस्तावित 10 ऋण वसूली अधिकरणों एंव 1 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के अतिरिक्त 5 और ऋण वसूली अधिकरण तथा 4 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण गठित कर रही है। इस ऋण वसूली अधिकरणों में से दो डी आर टी हैदराबाद एवं एर्णाकुलम में तथा चेन्नई में एक डी आर ए टी स्थापित किया जा चुका है। कुल न्याय निर्णयन एवं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने, कानूनी विसंगतियां दूर करने तथा वसूली अधिकरणों को सुदृढ़ करने के लिए 17.1.2000 को एक अध्यादेश प्रख्यापित करके बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में से कुछ संशोधन नीचे दिए गए हैं :

(i) समंजन एवं प्रतिदावों, अधिकरण द्वारा रिसीवर एवं कमिश्नर की नियुक्ति, एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण में मामलों का अन्तरण तथा अधिकरण में एक से अधिक वसूली अधिकारियों की नियुक्ति करना;

(ii) अपीलीय अधिकरण के अंतिम आदेश के आधार पर बढ़ी/घटी हुई राशि की वसूली के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकरणों को शक्तियां प्रदान करना;

(iii) अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष को अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन करने तथा किसी अन्य अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष का कार्य करने की शक्तियां प्रदान करना;

(iv) वसूली को सरल बनाने के लिए एक अधिकरण से दूसरे अधिकरण में वसूली प्रमाणपत्र का अन्तरण;

(v) कम्पनी अधिनियम की धारा 529क के उपबंधों के अनुसार सुरक्षित ऋणदाताओं के बीच बिक्री आय का संवितरण करने के लिए अधिकरणों को शक्तियां प्रदान करना।

मोटर वाहन बीमा सम्बन्धी कारोबार

***36. श्री सी. के. जाफर शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में मोटर वाहन बीमा सम्बन्धी कारोबार में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कारोबार को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) बीमा क्षेत्र का मोटर पोर्टपोलियों हामीदारी से जुड़ी हानियां उठा रहा है :

(ख) हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) मोटर तीसरे पक्षीय दावों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम में असीमित देयता का उपबंध;

(ii) मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा उपबंध जिसने "कोई दोष नहीं देयता" में वृद्धि कर दी है;

(iii) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा क्षतिपूर्ति के पंचाटों में वृद्धि कर रुख;

(iv) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप तीसरा पक्षीय मृत्यु/चोट के दावों में वृद्धि हुई है ;

(v) प्रीमियम राशि में आनुपातिक वृद्धि किए बिना मोटर वाहनों की मरम्मत के खर्च में अत्यधिक वृद्धि; और

(vi) "अपनी क्षति और तीसरा पक्षीय" कवच के लिए प्रीमियम दरों में वृद्धि का अपर्याप्त होना।

(ग) इस कारोबार को लाभप्रद बनाने के लिए साधारण बीमा उद्योग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) मोटर प्रीमियम दरों में वृद्धि करने के लिए टैरिफ सलाहकार समिति (टीएसी) से बात की गई।

(ii) 20,000/–रुपए से कम राशि के दावों के संबंध में संस्थातर्गत सर्वेक्षण शुरू किया जाना।

(iii) लोक अदालतों के माध्यम से तीसरा पक्षीय दावों का शीघ्र निपटान।

(iv) साधारण बीमा उद्योग द्वारा हानियों को कम करने के उपाय शुरू करना।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. में धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त अधिकारी

*37. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989–90 की अवधि के दौरान और उसके बाद विशेषकर वर्ष 1992, 1993, 1994 और 1995 में कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों में कोयला भंडार में कमी और अन्य धोखाधड़ी के कई मामलों को पता चला है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सहायक कंपनी में विशेषकर बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल., ई.सी.एल. और डब्ल्यू.सी.एल. में अब तक उजागर हुए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए कई समितियां गठित की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी समितियों के गठन की तिथि सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त समितियों की सिफारिशों के अनुरूप सभी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को अब तक दंडित किया जा चुका है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनको अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है; और

(ज) उक्त समितियों की रिपोर्टों को कारगर बनाने और कोयला भंडारों में कमी पर अंकुश लगाने की दृष्टि से शेष मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ज) तत्कालीन कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के एक वरिष्ठ अधिकारी, श्री आर. एन. मिश्रा की अध्यक्षता में 3 समितियों का गठन किया था। इन तीनों समितियों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :

(i) वह समिति जिसका गठन दिनांक 27.7.92 को 1986–87 से 1992–93 की अवधि के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) में स्टॉक की कमी की जांच किए जाने के लिए किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.12.93 को कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत की। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों के संबंध में कोयला मंत्रालय की स्वीकृति दिनांक 22.4.94 को को.इं.लि. को सम्प्रेषित कर दी गई। समिति की सिफारिशों पर विचार किए जाने के बाद 259 मामलों में शामिल 222 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई। 222 कर्मचारियों में से अब तक 220 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

(ii) वह समिति, जिसे सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सेकोलि) में 1994 में किए गए कोयले के कम प्रेषण की जांच के लिए दिनांक 7.10.94 को गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 5.1.96 को कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के संबंध में कोयला मंत्रालय की स्वीकृति दिनांक 3.6.96 को को.इं.लि. को सम्प्रेषित कर दी गई थी। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, 240 मामलों में शामिल 190 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई थी। अद्यतन स्थिति तक 193 मामलों में शामिल 166 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई पूरी कर ली गई है। शेष 47 मामलों में से 32 मामलों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और 2 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है परन्तु अभी तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। बाकी के 13 मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

(iii) वह समिति जिसे 1992–93 की अवधि के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) में स्टॉक की कमी की जांच के लिए दिनांक 19.5.93 को गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को दिनांक 31.1.97 को प्रस्तुत कर दी थी। दि. 2.1.98 को रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों के संबंध में कोयला मंत्रालय की स्वीकृति कोइंलि को सम्प्रेषित कर दी गई थी। समिति की रिपोर्ट

कर विचार करने के बाद, 78 मामलों में शामिल 178 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई थी। अद्यतन तिथि तक, 54 मामलों में शामिल 144 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है। शेष 24 मामलों में से 5 मामलों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। दो मामलों में जांच पूरी कर ली गई है परन्तु जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अन्य 17 मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

इन समितियों की सिफारिशें निम्नलिखित 2 श्रेणियों की थीं :

(i) वैयक्तिक कोयला अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ करना।

(ii) स्टॉक के कमी तथा उत्पादन की अधिक रिपोर्टिंग किए जाने जैसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए व्यवस्था–सुधार संबंधी सिफारिशें लागू करना।

कोइंलि से प्राप्त सूचना के आधार पर व्यवस्था सुधार संबंधी सिफारिशों के संबंध में कृत कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आपराधिक कृत्य के स्वरूप वाले जालसाजी के मामलों की सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को दे दी गई है। सी.बी.आई स्वयं भी कोयला कंपनियों में होने वाले जालसाजी के मामलों का पता लगाती है और अपराधियों के विरुद्ध न्यायालयों में कार्रवाई आरम्भ करती है।

विवरण

व्यवस्था सुधार से संबंधित सिफारिशों के संबंध में नवीनतम कृत्त कार्रवाई का ब्यौरा

क्रम सं.	सिफारिश	नवीनतम स्थिति
1	2	3
1.	**प्रबंधक तथा अभिकर्त्ता के कार्यों का पृथक्करण** अतिव्याप्ति से बचने के लिए खान प्रबंधक तथा अभिकर्त्ता के कार्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। कोयले का उत्पादन प्रबंधक का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए जबकि अभिकर्त्ता स्टॉक का परिरक्षक और स्टॉक के प्रेषण के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।	कुछ क्षेत्रों में सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के बाद यह पाया गया है कि प्रबंधक तथा अभिकर्त्ता के कार्यों का पूरी तरह से सीमांकन किया जाना व्यवहार्य नहीं है चूंकि खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद ने ऐसे सीमांकन पर इस आधार पर आपत्ति की कि कोयला खान विनियमन, 1957 के अनुसार कोई भी लदान स्थल/साइडिंग एक विशेष खान के पट्टे के भीतर ही होती है और प्रबंधक खान के साथ साइडिंग पर किसी भी भूल–चूक के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है क्योंकि खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत दी गई "खान" की परिभाषा के अनुसार साइडिंग खान का ही एक भाग है और प्रबंधक को उपर्युक्त दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है।
2.	**अनुकूलतम स्टॉक स्तर** कोयले का स्टॉक प्रेषणों में अधिमानतः वृद्धि के माध्यम से, अधिकतम एक माह के उत्पादन तक सीमित करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो उत्पादन को नियमित करके भी ऐसा किया जा सकता है। विकल्प के रूप में प्रत्येक कोलियरी को उस दिन की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए, जब इसका स्टॉक स्तर शून्य हो। कुछ आपवादिक मामलों में जहां स्टॉक शून्य नहीं हो सकता, वहां पुराने स्टॉक को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और नए कोयले को अलग से स्टॉक कर लिया जाना चाहिए। यदि कोयले का कोई विशेष ढेर समाप्त नहीं किया जा सकता तो, उस ढेर की गुणवत्ता और मात्रा की सम्पूर्ण जांच कोइंलि मापन दल द्वारा की जानी चाहिए ताकि कोयले की गुणवत्ता और मात्रा का सही निर्धारण हो सके।	कोयला स्टॉक के स्तर को, जहां भी आवश्यक हो, उत्पादन सीमित करके नियंत्रित किया जा रहा है। 31.10.99 की स्थिति के अनुसार समग्र रूप में कोइंलि में कोयले का कुल स्टॉक 31.10.98 की स्थिति के अनुसार 0.94 माह की तुलना में 0.77 माह के समतुल्य है।

1	2	3
3.	**उत्पादन की रिपोर्टिंग की व्यवस्था** डम्पर कारक में कमी करने के लिए स्वस्थाने शेल/पत्थर पर विचार किया जा रहा है जबकि वास्तविक प्रेषणों में इनमें से कुछ पत्थर कोयले में मिल जाते हैं और उपभोक्ताओं को प्रेषित हो जाते हैं। किन्तु, कोयले की अंतरीय मात्रा कोलियरियों में उपलब्ध नहीं होती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की रिपोर्टिंग कम होती है। उत्पादन की रिपोर्टिंग की एक द्वैध व्यवस्था का अनुपालन किया जाना चाहिए।	प्रतिपादनाधीन संशोधित दिशा–निर्देशों में इस पक्ष का ध्यान रखा जा रहा है।
4.	**कोलियरी परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण** कोलियरी क्रिया–कलापों को कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए ताकि लागत और उत्पादन के विभिन्न कारकों को सहसंबंधित किया जा सके।	कार्यान्वयनाधीन
5.	**स्टॉक में कमी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई** सभी लाईन प्रबंधकों को स्टॉक में कमी के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। सीएमडी को शक्ति प्रत्यायोजित की जानी चाहिए कि वे अपने अधीन काम कर रहे सभी गैर–बोर्ड स्तर के अधिकारियों को अनिवार्य सेवा–निवृत्ति, पद से हटाए जाने तथा सेवा मुक्त करने को छोड़कर बाकी सभी तरह के दण्ड लगाने और निलम्बित करने का अधिकार रखते हों, सी.एम.डी. के पास किसी भी अधिकारी को 3 माह की अवधि तक निलंबित रखने का अधिकार भी होना चाहिए, चूंकि इससे अधिक की अवधि के लिए कोइंलि बोर्ड की सहमति आवश्यक है।	कार्यान्वित
6.	**कोयले के ढेर** कोयला उत्पादन का तब तक कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक वह पूर्व निर्धारित ढेरी स्थल पर नहीं पहुंच जाता।	इसका अनुपालन किया जा रहा है।
7.	**धीमी गति से संचलित स्टॉक का प्रेषण** कुछ स्टॉक कम गुणवत्ता वाले होते हैं। अतः एक ऐसी नीति अवश्य होनी चाहिए, जिससे कोयले की कीमत में लचीलापन आ सके।	अनुषंगी कंपनियों के पास वास्तविक गुणवत्ता के अनुसार स्टॉक के कोयले का विक्रय करने का अधिकार है।
8.	**वे ब्रिज/बाड़ लगाना** कोलियरी में प्रत्येक स्टाकिंग क्षेत्र के लिए पर्याप्त चहारदीवारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रत्येक कोलियरी में सड़क वे–ब्रिजों की स्थापना के लिए एक क्रैश कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए।	सड़क वे–ब्रिजों की स्थापना के संबंध में अधिकतर अनुषंगी कंपनियों में कार्य पूरा हो गया है। आवर्ती व्यय तथा शुरू में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता वाले बड़े भू–भाग में फैले स्टॉकिंग क्षेत्रों को देखते हुए चहारदीवारी लगाना एक व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है।
9.	**डम्पर/टब का व्यासमापन** डम्पर कारक तथा टब कारक का निर्धारण वाहक क्षमता पर आधारित होना चाहिए और न कि एक माह के दौरान उनके द्वारा उठाए गए कोयले की औसत मात्रा पर।	प्रतिपादन के अधीन संशोधित दिशा–निर्देशों में इस पक्ष का ध्यान रखा जा रहा है।

ए.डी.आर. तथा जी.डी.आर. इश्यू हेतु मानदण्ड

***38. श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कम्पनियों के लिए अर्न्राष्ट्रीय शेयर बाजार में ए.डी.आर. तथा जी.डी.आर. इश्यू जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्णय को क्रियान्वित किए जाने की तारीख क्या है;

(घ) पूर्व में जारी किए गए "इश्यूज" के संबंध मे सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली संभावित नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इश्यू जारी करने वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के संबंध में अपनाई जाने वाली सम्भावित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) चालू उदारीकरण प्रक्रिया के अनुसरण में सरकार ने 19 जनवरी, 2000 को दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिनके तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण शेयरों के नए निर्गम के साथ ए.डी.आर./जी.डी.आर. निर्गम करने के लिए भारतीय कारपोरेटों द्वारा वित्त मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करने की अपेक्षा को हटा दिया गया है। चूंकि ए.डी.आर./जी.डी.आर. के जरिए निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक भाग माना जाता है, अतः ऐसे निर्गमों के विद्यमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के समनुरूप होने की आवश्यकता होगी तथा उन्हीं क्षेत्रों में अनुमेय किए जाएंगे जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमेय है। तथापि, ऐसे ए.डी.आर./जी.डी. आर./निर्गम अन्य अनिवार्य अनुमोदन अपेक्षाओं द्वारा शासित होंगे जैसे कम्पनी अधिनियम के अधीन अनुमोदन समुद्रपारीय निवेश/कारोबार अधिग्रहण (जहां ए.डी.आर/जी.डी.आर. प्राप्तियां विदेशी निवेश के लिए उपयोग में लाई जाती हैं) के लिए अनुमोदन इत्यादि जो कम्पनी से प्राप्त किए जाने की आवश्यकता होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य अनुमति प्रदान करते हुए फेरा के अंतर्गत 20 जनवरी, 2000 को एक अधिसूचना भी जारी की है जिसके तहत् निर्गमकर्ता कम्पनियों को निर्गम पश्चात् सूचना देने के अपेक्षा का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। इस घोषणा से पूर्व जारी किए गए निर्गमों के संबंध में निर्गमकर्ता कम्पनियों को व्यष्टि अनुमोदनों की विशिष्ट शर्तों तथा निबंधनों का अनुपालन करना होगा।

[अनुवाद]

इस्तेमाल किए गए टायरों का आयात

***39. श्री पी.सी. थामस :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश–वार कितने इस्तेमाल किए गए टायरों का आयात किया गया और उनका मूल्य कितना था;

(ख) क्या नए टायरों का भी आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रबड़–उत्पादकों ने केन्द्र सरकार से इस्तेमाल किए गए टायरों के आयात पर रोक लगाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ग) विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां ।

(घ) उपयोग में लाए गए टायरों के आयात के विरुद्ध आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर्रस एशोसिएशन नई दिल्ली (आटमा) सहित केरल सरकार और व्यापार एवं उद्योग के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) इस्तेमाल शुदा/रिट्रीडेड टायरों के अंधा–धुंध आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार दिनांक 8.8.97 से 25 अमरीकी डालर से 175 अमरीकी डालर की रेंज में एक न्यूनतम आयात कीमत (सीआईएफ मूल्य) निर्धारित कर चुकी है।

विवरण

1996–97, 1997–98 और 1998–99 (अप्रैल–फरवरी 99) के दौरान टायरों का आयात

मात्रा संख्या में
मूल्य लाख रुपए में

मद/देश	1996–97		1997–98		1998–99 (अप्रैल–फरवरी 99)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
बेल्जियम	621	83.91	9531	87.73	543	71.92
चीन जनवादी गणराज्य	105956	140.21	70756	63.50	5396	57.60

1	2	3	4	5	6	7
फ्रांस	3813	427.06	18471	742.86	42634	750.36
जर्मन संघीय गणराज्य	6808	247.10	21630	533.90	21463	391.24
इजराइल	52	5.15	22	2.41	314	31.85
जापान	35307	3462.51	14755	3762.49	92897	3950.61
कोरिया गणराज्य	22197	379.52	56979	867.20	46848	712.61
सिंगापुर	2140	67.27	3102	377.31	38464	122.29
दक्षिण अफ्रीका	8394	95.42	–	–	9276	166.42
थाइलैंड	170136	53.61	51818	127.45	161576	345.55
यू. के.	1215	198.27	6838	163.73	17321	354.83
यू. ए. ई.	62	3.55	4161	54.61	2358	45.57
अन्य	34116	915.37	118327	985.22	50285	182.98
कुल	390817	6078.95	376390	7768.41	489375	7183.83

स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस, कलकत्ता।

1996–97, 1997–98 और 1998–99 (अप्रैल–फरवरी) के दौरान इस्तेमाल शुदा टायरों का आयात

मात्रा संख्या में
मूल्य लाख रुपए में

मद/देश	1996–97		1997–98		1998–99 अप्रैल–फरवरी 99	
रिट्रीटेड/इस्तेमाल शुदा फ्यूमैटिक टायर	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हांगकांग	560	1.32	7	0.04	–	–
नीदरलैंड	39	0.73	–	–	–	–
जर्मन संघीय गणराज्य	–	–	1227	3.92	780	12.01
जापान	–	–	1208	3.52	–	–
कोरिया गणराज्य	–	–	15	0.30	852	4.42
श्रीलंका	–	–	400	1.14	260	2.18
संयुक्त अरब अमीरात	15	0.08	902	4.71	–	–
मलेशिया	–	–	–	–	2000	11.54
यू. के.	–	–	–	–	2010	13.02
थाइलैंड	–	–	–	–	301	11.40
अन्य	20	0.10	898	4.90	4	0.07
कुल	634	2.23	4657	18.53	6207	54.64

स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस, कलकत्ता।

नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति

***40. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तैयार कर ली है जिसके अनुसार कुछेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में स्वतः विदेशी निवेश की अनुमति होगी;

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्षेत्र–वार कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्य–वार और क्षेत्र–वार कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने आर्थिक सुधारों के प्रति अपनी वचनबद्धताओं में नयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) नीति की घोषणा की है, जिसके फलस्वरूप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) अनिवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) तथा विदेशी निगम निकाय (ओ. सी. बी.) निवेश के लिए निम्नलिखित को छोड़कर सभी मदों/कार्यकलापों को स्वतः मार्ग के अधीन रख दिया गया है :

(i) सभी प्रस्ताव जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत होती है, जिनमें निम्न शामिल हैं, (1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस लेने संबंधी अपेक्षित मद, (2) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को बनाने वाली इकाइयों की इक्विटी पूंजी में 24 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश, और (3) नई औद्योगिक नीति, 1991 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित अवस्थिति–परक नीति के अनुसार ऐसी सभी मदें जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लिया जाना अपेक्षित है।

(ii) वे सभी प्रस्ताव जिनमें विदेशी सहयोग कर्ता ने भारत में पहले कोई उद्यम/समझौता किया हो। ऐसे सभी मामलों में 1998 शृंखला की दिनांक 14.12.98 के प्रेस नोट संख्या 18 में विनिर्धारित पद्धतियां लागू होंगी।

(iii) किसी विदेशी/एन. आई. आई./ओ. सी. बी./निवेशक के पक्ष में किसी मौजूदा भारतीय कम्पनी में शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित सभी प्रस्ताव।

(iv) वे सभी प्रस्ताव जो अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/सीमाओं के अन्तर्गत न हों अथवा उन सेक्टरों के अन्तर्गत हों जिनके एफ डी आई की अनुमति नहीं है और/ अथवा जब कभी कोई निवेशकर्ता एफ आई पी बी को आवेदन करने का विकल्प चुनता है और स्वतः मार्ग का लाभ नहीं उठाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश के लिए और साथ ही ई ओ यू/ई पी जेड/ई एच टी पी/एस टी पी इकाइयों के लिए सभी प्रस्ताव स्वतः मार्ग के योग्य होंगे बशर्ते वे उपर्युक्त पैरामीटरों के अंतर्गत हों।

क्षेत्र विशेष संबंधी दिशा–निर्देश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए इक्विटी की सीमा संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार तथा क्षेत्र–वार अनुमोदित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्रमशः संलग्न विवरण–II और III में दिया गया है।

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किसी सक्षम घरेलू उद्योग को कोई खतरा नहीं समझा जाता है। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करते समय आवेदक से इस आशय की एक घोषणा प्राप्त की जाती है कि क्या विदेशी सहयोगकर्ता का भारत में उसी अथवा सम्बद्ध क्षेत्र में कोई पिछला संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण/व्यापार चिन्ह करार है, वे विस्तृत परिस्थितियां जिनमें कोई नया संयुक्त उद्यम स्थापित करना/नये प्रौद्योगिकी अंतरण (व्यापार चिन्ह सहित) का समझौता करना आवश्यक समझा गया है, और इस आशय का प्रमाण लिया जाता है कि नये प्रस्ताव से मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी/व्यापार चिन्ह भागीदारी अथवा अन्य पूंजी धारकों के हितों की किसी प्रकार से हानि नहीं होगी।

मौजूदा भारतीय कंपनी में विदेशी/एन. आर. आई/ओ. सी. बी. इक्विटी लाने के लिए मौजूदा भारतीय कंपनी के बोर्ड के संकल्प की एक प्रति मांगी जाती है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कार्यकलापों में 24% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने के लिए 50% निर्यात दायित्व की प्रतिबद्धता अनिवार्य है।

विवरण-I

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्र–वार विशेष दिशा–निर्देश

क्र.सं	क्षेत्र	दिशा–निर्देश
1	2	3
1.	**बैंकिंग**	अनिवासी भारतीय धारण 40% तक अन्य विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी भागीदारिता सहित। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों सहित विदेशी बैंकिंग कंपनियों अथवा वित्त कंपनियों द्वारा 20% तक के विदेशी निवेश की अनुमति है। अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी इक्विटी अंशदान में कमी के मामलों में बहुपक्षीय संस्थानों को समग्र विदेशी इक्विटी में 40% तक निवेश करने की अनुमति है। स्वतः अनुमोदन मार्ग उपलब्ध नहीं है।
2.	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन बी एफ सी)**	नीचे दर्शाए गए स्तरों के अनुसार निम्नलिखित 17 एन बी एफ सी कार्यकलापों में एफ डी आई/एन आर आई/ओ सी बी निवेश की अनुमति है : 1. मर्चेन्ट बैंकिंग 2. अंडर राइटिंग 3. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं 4. निवेश परामर्श सेवाएं 5. वित्तीय परामर्श 6. स्टॉक ब्रोकिंग 7. परिसंपत्ति प्रबंधन 8. उद्यम पूंजी सेवाएं 9. अभिरक्षण सेवाएं 10. फैक्टोरिंग 11. क्रेडिट रिफरेंस एजेंसी 12. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 13. लीजिंग एंड फाइनेंस 14. हाउसिंग फाइनेंस 15. फोरेक्स ब्रोकिंग 16. क्रेडिट कार्ड व्यापार 17. मुद्रा विनियम व्यापार **क. निधि आधारित एन बी एफ सी के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मापदंड** एफडीआई के लिए 51% तक, 0.5 मिलियन अमरीकी डालर प्रथमतः (अपफ्रंट) लाया जाये।

1	2	3
		एफडीआई के लिए 51% से अधिक तथा 75% तक 5 मिलियन अमरीकी डालर प्रथमतः (अपफ्रंट) लाया जाए,
		एफडीआई के लिए 75% से अधिक तथा 100% तक, 50 मिलियन अमरीकी डालर जिसमें से 7.5 मिलियन अमरीकी डालर प्रथमतः (अपफ्रंट) लाया जाये तथा शेष 24 महीनों में।
		100% एन बी एफ सी होल्डिंग कंपनी की तरह कार्य करेगी तथा न्यूनतम 25% घरेलू इक्विटी के साथ विशिष्ट क्रियाकलाप इसकी संबद्ध अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए जाएंगे। 10% घरेलू इक्विटी प्रथमतः (अपफ्रंट) लायी जाये तथा शेष 24 महीनों में।
		ख. गैर-निधि आधारित कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मापदंड।
		विदेशी निवेश वाली सभी अनुमत गैर–निधि आधारित एन बी एफ सी के संबंध में 0.5 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण मापदंड लागू होता है।
		स्वतः अनुमोदन मार्ग उपलब्ध नहीं है।
2.	नागरिक उड्यन	(विस्तृत दिशा–निर्देश नागरिक उड्यन मंत्रालय द्वारा जारी किय गये हैं) घरेलू हवाई सेवा क्षेत्र में :
		1. 40% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। विदेशी हवाई सेवाओं द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी भागीदारी की अनुमति नहीं।
		2. 100% अनिवासी भारतीयों द्वारा।
		3. स्वतः मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3.	दूरसंचार	1. बेसिक, सेल्यूलर मोबाइल, पेजिंग तथा मूल्यवर्धित सेवाओं तथा उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल वैयक्तिक संप्रेषण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49% तक सीमित है जो दूरसंचार विभाग से लाइसेंस की स्वीकृति और विदेशी इक्विटी की सीमा तथा इक्विटी के स्थानांतरण एवं वृद्धि के लिए अवरोध काल संबंधी लाइसेंस की शर्तें तथा लाइसेंस के अन्य उपबंध कंपनियों (जो निवेश कर रही है तथा जिनमें निवेश किया जा रहा है) द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्याधीन है।
		2. विनिर्माणकारी क्षेत्र में इक्विटी की कोई सीमा नहीं है।
4.	पेट्रोलियम	क. नई अन्वेषण नीति के अंतर्गत, लघु क्षेत्रों के लिए प्रतियोगितात्मक बोली के द्वारा 100% तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है।
		मझौले आकार के क्षेत्रों के लिए अनिगमित संयुक्त उद्यमों के लिए 60% तक तथा एनओसी सहित निगमित संयुक्त उद्यम के लिए 51% तक।
		ख. तेल शोधक के लिए विदेशी निवेश 26% तक सीमित है (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 26% तथा शेष 48% सार्वजनिक) । निजी भारतीय कंपनी के मामलों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49% तक की अनुमति है।

1	2	3
		ग. पेट्रोलियम उत्पाद और पाइपलाइन क्षेत्र के लिए 51% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।
		घ. विपणन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से संबंधित ढांचागत क्षेत्र में 74% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।
		ङ 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को बाजार अध्ययन तथा फार्मुलेशन के उद्देश्य के लिए अनुमति।
		च. निवेश/वित्तीयन के लिए 100% पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी की अनुमति है।
		छ. व्यापार तथा विपणन के लिए 5 वर्षों के लिए न्यूनतम 26% भारतीय इक्विटी अपेक्षित है।
		स्वतः मार्ग उपलब्ध नहीं है।
5.	आवास और अचल संपत्ति	इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।
		अनिवासी भारतीय/ओसीबी को अनुमति है।
		निवासी भारतीय/ओसीबी के लिए विशिष्ट योजना में निम्न क्षेत्र आते हैं :
		(क) सर्विस प्लॉटों का विकास तथा निर्मित आवासीय परिसरों का निर्माण।
		(ख) अचल संपत्ति में निवेश जिसमें व्यापार केन्द्रों तथा कार्यालयों सहित, आवासीय तथा वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण, शामिल है।
		(ग) नगरों का विकास।
		(घ) सड़कों तथा पुलों सहित, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की शहरी आधारभूत सुविधायें।
		(ङ) भवन निर्माण सामग्रियों के विनिर्माण में निवेश।
		(च) उपर्युक्त क से ङ में भागीदारी उद्यमों में निवेश।
		(छ) हाऊसिंग फाइनेंस संस्थानों में निवेश।
6.	कोयला तथा लिग्नाइट	1. आंतरिक प्रयोग के लिए विद्युत परियोजनाओं और कोयला या लिग्नाइट खानों की स्थापना अथवा प्रचालन करने वाली निजी भारतीय कंपनियों को 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।
		2. कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने हेतु इस शर्त पर 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है कि कंपनी कोयला खनन कार्य नहीं करेगी और अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से खुल बाजार में धुले हुए कोयले अथवा आकृतिकृत को नहीं बेचेगी और धुले हुए कोयले अथवा आकृतिकृत कोयले की आपूर्ति ऐसी कंपनियों को करेगी जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को धुलाई अथवा आकृति के लिए कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रही हों।

1	2	3
		3. आंतरिक खपत के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट की खोज या खनन हेतु 74% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।
		4. उपर्युक्त सभी मामलों में, स्वतः मार्ग के अधीन 50% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार का निवेश किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की इक्विटी के 49% से अधिक नहीं होगा।
7.	उद्यम पूंजीगत कोष (वीसीएफ तथा उद्यम पूंजीगत कंपनी)	एक अपतट उद्यम पूंजीगत कंपनी किसी घरेलू उद्यम पूंजीगत निधि की पूंजी का 100% अंशदान कर सकती है तथा निधि के प्रबंध के लिए घरेलू परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी भी स्थापित कर सकती है। वीसीएफ तथा वीसीसी को घरेलू असूचीबद्ध कंपनियों की प्रदत्त निधि में 40% तक अनुमति है। इसकी सीमा लघु उद्योग के लिए आरक्षित क्षेत्रों के संबंध में लागू संगत इक्विटी निवेश सीमा के अध्याधीन होगी। वीसीएफ/वीसीसी द्वारा एक अकेली कंपनी में निवेश, घरेलू वीसीएफ/वीसीसी के प्रदत्त निधि के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्वतः मार्ग उपलब्ध नहीं है।
8.	व्यापार	स्वतः मार्ग के अधीन 51% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित व्यापार की अनुमति है बशर्ते कि यह मुख्य रूप से निर्यात कार्यकलाप हो और उपक्रम एक निर्यात हाउस/ट्रेडिंग हाउस/सुपर ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस हो। तथापि, एफ आई पी बी मार्ग के अधीन : 1. व्यापार कंपनियों के मामले में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है :– – निर्यात, – निर्यात/विस्तारित गोदाम बिक्रियों सहित बल्क निर्यात, – नकद दो और ले जाओ (कैश एंड कैरी) थोक बिक्री व्यापार – वस्तुओं अथवा सेवाओं का अन्य निर्यात बशर्ते कि कम–से–कम 75% उसी समूह की कंपनियों में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति तथा बिक्री के लिए तथा तीसरी कंपनी के प्रयोग अथवा आगे स्थानांतरण/वितरण/बिक्री के लिए हो। 2. निर्यात–आयात नीति के उपबंधों के अध्यधीन निम्नलिखित प्रकार के व्यापार की भी अनुमति है : क. बिक्री उपरांत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कंपनियां (अर्थात स्वंय कोई व्यापार नहीं)। ख. ऐसी व्यापार कंपनियों को संयुक्त उद्यमों के उत्पादों का थोक बिक्री स्तर पर घरेलू व्यापार करने की अनुमति है जो अपने ऐसे संयुक्त उद्यमों की ओर से विनिर्मित उत्पादों का विपणन करना चाहती है जिनमें भारत में इक्विटी में उनकी भागीदारी है। ग. हाई–टेक मदों/बिक्री के बाद विशिष्ट सेवा की अपेक्षा रखने वाले मदों का व्यापार

1	2	3
		घ. सामजिक क्षेत्र के लिए मदों का व्यापार ङ. उच्च टेक्नॉलोजी, चिकित्सा तथा नैदानिक मदों का व्यापार च. लघु उद्योगों के मदों का व्यापार जिसके तहत उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देश के आधार पर कोई कंपनी अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत उस मद का व्यापार कर सकती है। छ. उन मदों का परीक्षण विपणन जिनके लिए कंपनी के पास विनिर्माण की अनुमति है बशर्ते कि ऐसी परीक्षण की सुविधा दो वर्षों के लिए होगी और विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में निवेश परीक्षण विपणन के साथ ही शुरू की जाएगी।
9.	विनिर्माण/सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनियां	विनिर्माण/सेवा क्षेत्र की कंपनियों के मामले में जहां विदेशी निवेश के लिए निर्धारित सीमा हो, केवल प्रत्यक्ष निवेश पर ऐसे निर्धारित सीमा हेतु विचार किया जायेगा और किसी निवेशकर्ता कंपनी में विदेशी निवेश तब तक इस सीमा से अधिक नहीं होगी जब तक कि ऐसे निवेशकर्ता कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49% से अधिक नहीं होगा और निवेशक कंपनी का प्रबंधक भारतीय स्वामी के पास नहीं होगा स्वतः अनुमोदन का मार्ग उपलब्ध नहीं है।
10.	परमाणु ऊर्जा	एफ.आई.पी.बी. के जरिये एफ.डी.आई./एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश पाने के लिए निम्नलिखित तीन कार्यकलापों की अनुमति है (परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 6.10.98 के संकल्प संख्या 8/1(1)/97–पी.एस. यू./1422 के तहत जारी व्यापक दिशा–निर्देशों के अनुसार) : क. खनन तथा खनिज पृथक्कीकरण ख. उपर्युक्त (क) के उत्पादों के लिए स्वतः मूल्य वर्धन ग. समेकित कार्यकलाप (जिसमें उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों शामिल हैं)। निम्नलिखित रूप में एफ.डी.आई. भागीदारी की अनुमति है : (1) शुद्ध मूल्य वर्धन और एकीकृत परियोजनाओं दोनों में 74% तक। (2) शुद्ध मूल्य वर्धन वाली परियोजनाओं साथ ही किसी भी मध्यवर्ती स्तर तक मूल्यवर्धन वाली एकीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्र/राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के जरिये 74% तक की एफ.डी.आई. अनुमत्य है, जिसमें कम–से–कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी धारिता 26% से कम नहीं होगी। (3) अपवाद के मामलों में 74% से अधिक एफ.डी.आई. की अनुमति होगी जिसके लिए एफ.आई.पी.बी. के अनुमोदन से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग की स्वीकृति आवश्यक है।
11.	रक्षा तथा सामरिक उद्योग	कोई एफ.डी.आई/एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति नहीं है।
12.	कृषि (बागवानी सहित)	कोई एफ.डी.आई./एन.आर.आई./ओ.सी.बी निवेश की अनुमति नहीं है।

1	2	3
13.	प्रिंट मीडिया	कोई एफ. डी. आई./एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति नहीं है।
14.	प्रसारण	कोई एफ.डी.आई./एन.आर.आई/ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति नहीं है।
15.	विद्युत	100% तक वि.प्र.नि. की अनुमति है।
16.	औषध तथा औषधभेषज	(i) बल्क औषधियों के मामले में 74% तक वि.प्र.नि., उनके इंटरमीडिएट्स तथा फार्मुलेशन (रिकंबिनेंट डी एन ए प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तैयार औषधियों को छोड़कर) स्वतः मार्ग में शामिल होंगे। (ii) बल्क औषधियों से उनकी मूल अवस्था से तथा उनके मध्यकों से विनिर्माण के लिए तथा रिकंबिनेंट डी एन ए प्रौद्योगिकी तथा विशिष्ट कोशिका/ऊतक लक्षित फार्मुलेशन से निर्मित बल्क औषधियों के लिए, बशर्ते इसमें मूल अवस्था से ही विनिर्माण शामिल हो, सरकार द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर 74% से अधिक वि.प्र.नि. हेतु विचार किया जायेगा।
17.	सड़कें तथा हाई–वे पत्तन व हार्बर	सड़कों, हाइवे, वाहन पुलों, टॉल सड़कों, वाहनयोग्य सुरंगों, पत्तनों तथा हार्बरों के निर्माण तथा रख–रखाव की परियोजनाओं के लिए स्वतः मार्ग के तहत् 100% तक वि.प्र.नि. की अनुमति है।
18.	होटल एवं पर्यटन	इन क्षेत्र में 100% वि.प्र.नि. की अनुमति है। होटल में शामिल हैं रेस्टोरेंट, बीच रिसोर्ट तथा अन्य पर्यटक कॉम्पलेक्स जो पर्यटकों को आवास मुहैया कराते हैं तथा/अथवा कैटरिंग तथा भोजन की सुविधा देते हैं। पर्यटन संबंधित उद्योग में शामिल हैं–ट्रैवल·एजेंसी, टूर संचालन एजेंसी तथा पर्यटकों के परिवहन संचालन करने वाली एजेंसी, पर्यटकों को सांस्कृतिक, साहसिक कार्य तथा वन्य जीवन अनुभव के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले एकक, पर्यटकों को भूतल, वायु एवं जल परिवहन की सुविधा देने वाले एकक, पर्यटकों के लिए खाली वक्त, मनोरंजन, मन बहलाव, खेल एवं स्वास्थ्य एकक तथा सभागार/सेमिनार एकक तथा संगठन। निम्नलिखित मानदंडों को शर्त के अध्यधीन 51% तक के लिए स्वतः मार्ग भी उपलब्ध है : विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वतः अनुमोदन मंजूर किया जाता है यदि: (i) परियोजना की पूंजीगत लागत का 3% तक आर्किटेक्ट, डिजाइन, सुपरविजन आदि हेतु शुल्कों सहित तकनीकी तथा परामर्शदायी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया जाता है। (ii) कुल कारोबार का 3% तक फ्रेंचाइजिंग तथा विपणन/प्रचार सहायता शुल्क आदि के लिए देय हो तथा (iii) सकल संचालन लाभ का 10% तक प्रबंधन शुल्क, जिसमें
19.	खनन	(i) हीरों तथा कीमती पत्थरों की खोज तथा खनन के लिए स्वतः मार्ग के तहत् 74% तक वि.प्र.नि. की अनुमति प्रदान की जाती है।

1	2	3
		(ii) सोने तथा चांदी के लिए हीरे व कीमती पत्थरों, मेटालर्जी एवं प्रसंस्करण को छोड़कर अन्य खनिजों के लिए स्वतः मार्ग के तहत् 100% तक वि.प्र.नि. की अनुमति है।
		(iii) आवेदक से इस घोषणा की शर्त के अध्यधीन कि उसका कथित क्षेत्र और/अथवा खनिज विशेष से कोई संयुक्त उद्यम मौजूद नहीं है, जहां तक खनन क्षेत्र का संबंध है, 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु दिनांक 14.12.98 का प्रेस नोट संख्या 18(1998 शृंखला) लागू नहीं होगा।
20.	डाक सेवाएं	पैकेट, पार्सल और अन्य मदें पहुंचाने वाले कोरियर, जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1998 के दायरे में नहीं आते, अनुमति के पात्र नहीं होंगे।
21.	प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन	प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के एकीकरण हेतु परामर्श सेवाओं, दोनों में 100% तक वि.प्र.नि. को स्वतः मार्ग के तहत् अनुमति प्रदान की जाती है।
22.	विज्ञापन तथा फिल्म	निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन मार्ग उपलब्ध है :
		– विज्ञापन क्षेत्र के लिए 74% तक वि.प्र.नि.
		– निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन फिल्म उद्योग (फिल्म वित्त–पोषण, उत्पादन, वितरण, प्रदर्शन, विपणन तथा फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य कार्यकलाप) में 100% तक वि.प्र.नि.
		(i) फिल्मों, टी.वी., संगीत, वित्त और बीमा में स्थापित ट्रैक रिकार्ड वाली कंपनियों को अनुमति होगी।
		(ii) यदि कंपनी अकेली सबसे बड़ी इक्विटी शेयरधारक है, जो उसकी न्यूनतम प्रदत पूंजी 10 मिलियन अमेरिकी डालर होनी चाहिए और अन्य मामलों में न्यूनतम 5 मिलियन अमेरिकी डालर होनी चाहिए।
		(iii) अकेली सबसे बड़ी शेयर धारक कंपनी के लिए विदेशी इक्विटी निवेश का न्यूनतम स्तर 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर होगा तथा अन्य मामलों में यह 1 मिलियन अमेरिकी डालर होगा।
		(iv) ऋण–इक्विटी अनुपात 1:1 से अधिक का नहीं होगा, अर्थात् घरेलू ऋण इक्विटी से अधिक नहीं होगा।
		(v) लाभांश संतुलन के उपबंध लागू होंगे।

विवरण-II

अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	1997	1998	1999
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3141.90	2336.80	781.40
असम	0.00	0.00	0.00

1	2	3		
बिहार		52.08	44.65	603.70
गुजरात		3132.62	3348.71	1115.15
हरियाणा		827.78	225.37	731.47
हिमाचल प्रदेश		14.15	0.33	16.15
जम्मू और कश्मीर		0.00	0.00	0.40
कर्नाटक		3114.83	5026.85	2513.28
केरल		22.24	58.52	210.25
मध्य प्रदेश		5081.72	660.18	1851.09
महाराष्ट्र		6219.33	3063.05	6251.98
मणिपुर		3.19	0.00	0.00
मेघालय		6.00	44.46	0.00
नागालैंड		3.68	0.00	0.00
उड़ीसा		4695.37	330.54	223.64
पंजाब		565.46	101.59	19.44
राजस्थान		1613.46	65.14	194.88
तमिलनाडु		3914.60	3081.17	1647.35
त्रिपुरा		0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश		356.49	247.21	672.17
पश्चिम बंगाल		998.30	1205.40	308.88
अंडमान और निकोबार		0.00	12.80	0.00
चंडीगढ़		0.06	65.48	2.03
दादरा और नगर हवेली		9.98	8.22	35.92
दिल्ली		5324.19	1091.08	6635.37
गोवा		71.40	114.82	33.84
पांडिचेरी		62.13	38.91	39.89
दमन और दीव		8.74	5.85	22.29
अन्य (राज्य दर्शाये नहीं गये)		15651.64	9636.57	4455.98
कुल योग		54891.34	30813.50	28366.55

विवरण-III

अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का क्षेत्र–वार/वर्ष–वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र का नाम	1997	1998	1999
1	2	3	4
धातुकर्मी उद्योग	2516.72	2219.84	1400.15
ईंधन (विद्युत तथा तेल रिफाईनरी)	26432.61	13891.77	5673.47
बायलर तथा स्टीम उत्पादन संयंत्र	6.65	1.38	28.64
विद्युत के अलावा प्राइम मुवर्स	12.89	25.00	0.40
विद्युत उपकरण	2192.99	1427.49	2546.85
दूरसंचार	7185.60	3100.13	3901.78
परिवहन उद्योग	3790.07	1562.88	6223.70
औद्योगिक मशीनरी	218.18	108.09	269.42
मशीन टूल्स	128.01	14.36	97.22
कृषि मशीनरी	0.00	216.34	0.73
अर्थ मूवींग मशीनरी	69.98	0.39	1.85
विविध मैकेनिकल तथा इंजीनियरिंग	383.32	189.27	275.30
वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	252.31	280.80	85.33
चिकित्सा तथा शल्यचिकित्सा उपकरण	42.47	25.85	3.84
औद्योगिक इंस्ट्रूमेंट्स	11.80	0.91	4.94
वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स	11.77	1.14	0.30
गणितीय, सर्वेक्षण तथा ड्राईंग	0.25	38.00	0.00
उर्वरक	1.20	0.00	0.00
रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	2827.18	1813.73	810.41
फोटोग्राफी कच्ची फिल्म तथा कागज	196.27	0.00	8.33
रंजक सामग्री	2.89	73.59	4.50
औषध तथा भेषज	182.89	91.14	79.78
वस्त्र (रंजित, छपे वस्त्र सहित)	595.32	232.55	322.76
कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुग्दी	684.68	107.12	685.77
चीनी	934.00	0.00	0.00
खमीर उद्योग	253.67	0.51	2.22
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1926.93	632.54	141.42

1	2	3	4
वनस्पति तेल तथा वनस्पति	145.29	0.85	48.30
साबुन, शृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन	145.03	60.55	1.24
रबड़ गुड्स	45.83	551.25	123.71
चर्म, चर्म वस्तुएं तथा पिर्कस	59.06	48.83	26.56
ब्लू तथा जिलेटिन	0.00	0.00	1.20
कांच	466.34	192.93	425.33
सिरेमिक	124.59	93.58	68.09
सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	59.13	89.59	681.06
कास्ट उत्पाद	6.72	0.73	0.00
रक्षा उद्योग	3.47	0.00	0.00
परामर्शी सेवाएं	369.37	636.22	253.62
सेवा क्षेत्र	1436.90	1697.12	2287.90
होटल तथा पर्यटन	728.11	480.52	784.49
व्यापार	119.36	685.11	238.28
विविध उद्योग	321.50	221.40	857.63
कुल योग	54891.34	80813.50	28366.55

फर्शी चूना-पत्थर खदानों का आबंटन

197. श्री कृष्णमराजू : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने व्यक्तियों को प्राथमिकता–आधार पर फर्शी चूना–पत्थर की खदानों का आबंटन किया गया है;

(ख) श्रमिकों के लिए कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार, उनकी मजदूरी को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के अन्तर्गत फर्शी चूना–पत्थर को एक गौण खनिज माना गया है और परिणामः इस गौण खनिज के लिए खनन पट्टा प्रदान करने से केन्द्र सरकार का कोई संबंध नहीं है। फर्शी चूना पत्थर जैसे गौण खनिजों के बारे में खनिज रियायतें आदि का विनियमन कार्य आन्ध्र प्रदेश, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए केन्द्र सरकार, खान विभाग इस प्रकार की सूचना नहीं रखता है।

(ख) से (घ) फर्शी चूना पत्थर खानों में नियोजित कामगारों की मजदूरी का निर्धारण एवं उसमें वृद्धि करने का कार्य भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है इसलिए यह सूचना भी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

वस्त्र और परिधान पार्क

198. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने साजो–शृंगार और परिधान जैसी कीमती चीजों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए देश भर में भिन्न–भिन्न प्रकार के वस्त्रों और परिधान पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या हैदराबाद में ऐसे पार्क लगाये जाने के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अंशदान किया गया है; और

(घ) अन्यत्र राज्य–वार किन–किन स्थानों पर ये पार्क स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) परिधान का उत्पादन करने वाले महत्त्वपूर्ण राज्यों में अपैरल पार्क की स्थापना करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपैरल पार्क के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है। कुछ राज्य सरकारों से इस संबंध में प्रस्ताव भेजने को अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हैदराबाद के समीप गुंडलापोचमपल्ली में 174 एकड़ भूमि पर एक अपैरल पार्क स्थापित किया है। इस पार्क का उद्देश्य संपर्क मार्ग तथा कोटा पृष्ठांकन जैसी अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं के अतिरिक्त लगातार जलापूर्ति, डाक, टेलीफोन, कंटेनर सेवा, सीमा शुल्क, बीमा, प्रशिक्षण आदि जैसी सेवाओं के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र प्रदान करना है। केन्द्रीय सरकार ने विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने तथा अपैरल निर्यात पार्क तक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए जटिल इन्फ्रास्ट्रक्चर संतुलन योजना के अंतर्गत 1.8 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, पार्क से हैदराबाद मैट्रो सीवरेज तक निरूपित बहिस्राव के लिए निकासी लाइनें बिछाने के लिए उसी शीर्ष से 70 लाख रुपए की अनुदान राशि का भुगतान भी किया है।

राज्य सरकारों की बजट संबंधी रिपोर्टों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

199. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 राज्य सरकारों की बजटीय स्थिति के बारे में हाल ही में रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के बजट घाटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्व घाटा जो 1990-91 में 38.3 प्रतिशत था, इस समय बढ़कर 53.8 प्रेतिशत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों में इस बड़े बजट घाटे के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों की बजटीय स्थिति के संबंध में सुधार करने पर तत्काल ध्यान देने का है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की जनवरी, 2000 की जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत कुल 25 राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा 1990-91 में उनके सकल राजकोषीय घाटे (जी.एफ.डी.) का 28.3% प्रतिशत और 1998-99 (संशोधित अनुमान) में उनके सकल राजकोषीय घाटे (जी.एफ.डी.) का 53.8 प्रतिशत था। राज्यों के बढ़ते हुए राजस्व घाटे का प्रमुख कारण गैर-योजना राजस्व व्यय में तीव्र वृद्धि, विशेषतः स्थापना व्यय, राज्यों के निरन्तर घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, बढ़ता हुआ ब्याज भुगतान दायित्व और प्राप्तियों में कमी है।

(ङ) से (छ) संविधान के तहत स्वायत्तशासी राज्य सरकारों से अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अपनी सुविधानुसार उचित कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है। तथापि जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति ने सिफारिश की है कि कुछ राज्यों ने अपने निजी मध्यम आवधिक राजस्व सुधार कार्यक्रम ईजाद किए हैं और अधिक राजस्व गैर योजनागत व्यय में कमी करके, मूल्यों और सब्सिडी में सुधार कर और विनिवेश के जरिए राजस्व जुटाकर घाटे में कमी का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने उन राज्यों को मध्यम आवधिक सहायता की सुविधा प्रदान कर रखी है जिन्होंने भारत सरकार के साथ राजस्व सुधार कार्यक्रमों के संचालन की शुरुआत करने के लिए समझौता कर रखा है।

विवरण

राज्यों को सकल राजकोषीय घाटा 1998-99 (संशोधित अनुमान)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष (-)/घाटा (+)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	15640.80	19389.10	3748.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	927.30	1032.50	105.20
3.	असम	5255.00	6806.60	1551.70

1	2	3	4	5
4.	बिहार	10399.60	14790.90	4391.40
5.	गोवा	1143.40	1459.10	315.70
6.	गुजरात	13122.90	17896.80	4773.90
7.	हरियाणा	6033.60	8353.40	2319.80
8.	हिमाचल प्रदेश	2533.90	3848.90	1315.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4766.20	5718.40	952.20
10.	कर्नाटक	12168.30	15189.20	3020.90
11.	केरल	8174.60	10959.30	2784.70
12.	मध्य प्रदेश	12301.10	15828.40	3527.30
13.	महाराष्ट्र	22130.70	29102.50	6971.80
14.	मणिपुर	952.30	1122.00	169.70
15.	मेघालय	939.80	1146.10	206.40
16.	मिजोरम	756.40	901.30	144.90
17.	नागालैंड	1035.70	1278.90	243.20
18.	उड़ीसा	5716.90	8369.70	2652.80
19.	पंजाब	7080.10	11013.00	3933.00
20.	राजस्थान	8838.10	14084.00	5245.90
21.	सिक्किम	1466.50	1662.40	195.90
22.	तमिलनाडु	14198.50	18582.20	4383.70
23.	त्रिपुरा	1244.80	1446.90	202.10
24.	उत्तर प्रदेश	18800.00	30891.50	12091.40
25.	पश्चिम बंगाल	10012.00	18521.30	8509.30
26.	रा.रा.क्षे.दिल्ली	3982.80	5482.90	1500.10
	कुल	189621.40	264877.30	75256.00

*राजस्व प्राप्तियां

दूरदर्शन क्षेत्रीय सेवा

200. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलयालम, तमिल, तेलगू और बंगला में 24 घंटे चलने वाली दूरदर्शन की क्षेत्रीय सेवा को बेहतर बनाने के लिए कोई नये उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रमों के प्रसारण में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कोई मतभेद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन चैनलों को निर्देश देने और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति बनायी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर बने और उनसे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर निगरानी रखने वाली एजेंसी का नाम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा में सुधार हेतु किए गए उपायों में से कुछ उपाय प्रायोजकता/कमीशंड आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले धारावाहिक प्रसारित करना, प्रख्यात व्यक्तियों के साक्षात्कारों के साथ–साथ प्रतिदिन एक घंटे का प्रातःकालीन सूचना सेवा कार्यक्रम शुरू करना, प्रत्येक बुधवार और शनिवार को प्रातः 8.30 बजे से 9.30 बजे तक चार क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम को लिंक करना और प्रसारण के उच्च स्तर को बनाए रखना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशन एवं उनकी मॉनीटरिंग संबंधी कार्य संबंधित केन्द्रों द्वारा किया जाता है।

सामान्य भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरें

201. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पी.पी.एफ (पब्लिक प्रोविडेन्ट फंड) की तरह सामान्य भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) ब्याज दरों की वार्षिक समीक्षा की जाती है और उन्हें अधिसूचित किया जाता है। वर्ष 2000–2001 के लिए ब्याज दरें अभी निर्धारित की जानी शेष हैं।

पी जी एफ आई एल द्वारा सेवा प्रभारों की वापसी

202. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (पीजीएफआईएल) को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग–निर्देशों के खिलाफ जमाकर्ताओं से लिए गए प्रभारों को लौटाने को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी ने इस आदेश का पालन किया है और यदि हां, तो अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड एन्वेस्टमेंट लिमिटेड (पी जी एफ आई एल) जैसी कम्पनियों को ब्रोचर आदि जारी करने एवं जमाकर्ताओं के लेखों की व्यवस्था पर हुए खर्च के लिए एक–बार अप्रत्यर्पणीय अधिकतम 80/– रुपये की राशि एकत्र करने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, जमाकर्ताओं को परिपक्वता अवधि के बाद कुल जमाराशि तथा उस पर मिले संविदागत प्रतिफल को लागू सेवा–प्रभारों के समायोजन के बाद चुकाया जाना था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड एन्वेस्टमेंट लि. (पी जी एफ आई एल) ने 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार अपने तुलनपत्र में जमाकर्ताओं की देयताओं के लिए अनुमत्य सेवा प्रभारों को समायोजित करने के बाद जमाराशि में से पूर्व विनियोजित 771.47 करोड़ रुपए की राशि का पुनरांकन किया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पूर्व विनियोजित जमाराशियों के संबंध में अतिरिक्त देयताओं के लिए प्रावधान कम्पनी की बहियों में विभिन्न चरणों में किए जाएंगे तथा सम्पूर्ण राशि मार्च, 2001 तक पूरी तरह से उपलब्ध करा दी जाएगी।

विस्फोटक अधिनियम

203. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विस्फोटक अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने से संबंधित कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विस्फोटक विभाग को ऐसे मामलों के लिए जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, विस्फोटक अधिनियम, 1814 और विस्फोटक नियमावली, 1983 के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित 668 मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। इनका वर्ष–वार विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	वर्ष	मामलों की सं.
01	1997–1998	297
02	1998–1999	139
03	1999–2000	232
	कुल	668

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में उल्लंघन की सूचना प्राप्त हुई :

(1) विस्फोटकों के आदान–प्रदान और लाने ले जाने से संबंधित मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत न करना।

(2) विस्फोटकों का ठीक से लेखा–जोखा न रखना।

(3) बिना अनुमति प्राप्त किये लाइसेंस क्षमता से अधिक विस्फोटक सामग्री रखना।

(4) मैगजीनों और विनिर्माण भवनों के बीच विनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी का पालन न करना।

(5) कमियों का ठीक न किया जाना।

(6) अनधिकृत व्यक्तियों को विस्फोटकों की आपूर्ति।

(7) लाइसेंसीकृत परिसरों में विस्फोटकों से संबंधित दुर्घटनाएं, चोरियां तथा हानि।

लाइसेंस तुरंत निलंबित/निरस्त कर दिए गए थे।

(ग) और (घ) विस्फोटक विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त, जिला प्राधिकारियों को भी अपने अधिकार–क्षेत्रों में विस्फोटकों के विनिर्माण, उन्हें रखने, उनका उपयोग व बिक्री करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के अधिकार हैं। विस्फोटक विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त, पुलिस उप–निरीक्षक के रैंक तक के अनेक जिला प्रशासन प्राधिकारियों को तलाशी लेने तथा माल जब्त करने के अधिकार दिये गये हैं। इस प्रकार उक्त अधिनियम और नियमावली के प्रशासन की जिम्मेदारी उनकी ही है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरदर्शन केन्द्र

204. श्री राजो सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने दूरदर्शन केन्द्र हैं और कहां–कहां हैं;

(ख) अगले तीन वर्षों में बिहार में किन–किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) उन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है; और

(घ) बिहार के प्रत्येक जिले में उच्च शक्ति में ट्रांसमीटरों की कब तक स्थापना किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) वर्तमान में, बिहार में 4 स्टूडियो के अलावा 53 टीवी ट्रांसमीटर (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर–5, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–45, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर–2 ट्रान्सपोजर–1) कार्यरत हैं। इन के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्तमान में, बिहार में निम्नलिखित टीवी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं तथा इनके अगले तीन वर्षों में चालू हो जाने की सम्भावना है :

1. रांची में स्टूडियो का उन्नयन (उन्नयन)
2. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी–1) जमशेदपुर
3. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी–2) मुजफ्फरनगर, पटना, रांची।
4. अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी–1) रामनगर, चतरा बरहरवा रोसेरा।
5. अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर रायगढ़ हिल।

(ग) रांची में स्टूडियो परियोजना।

(घ) जिला आधार पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, बिहार के सभी जिले, निर्दिष्ट जिले के अन्दर या बाहर स्थापित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से टीवी सेवा प्राप्त कर रहे हैं।

विवरण

बिहार में विद्यमान टी.वी. नेटवर्क (15.2.2000 की स्थिति के अनुसार)

स्टूडियों	डाल्टनगंज
	रांची
	पटना
	मुजफ्फरपुर
उच्च शक्ति ट्रां.	डाल्टनगंज
	कटिहार
	मुजफ्फरपुर
	पटना
	रांची

अल्प शक्ति ट्रां.	औरंगाबाद	कोडरमा
	बेगूसराय	लखीसराय
	बेतियाह	लोहारदगा
	भागलपुर	माधेपुरा
	बोकारो	मधुबनी
	बक्सर	मोतीहारी
	छैबासा	मुंगेर
	दरभंगा	मुशाबनी
	दाऊदनगर	नवादा
	देवगढ़	नौमुण्डी
	धनबाद	फूलपारस
	दुम्का	रक्सौल
	फोरबेसगंज	सहरसा
	गया	सरायकेला
	घाटझिला	सासाराम
	गिरीधी शेखपुरा	शेखपुरा
	गोड्डा	सिकन्दरा
	गोपालगंज	सिमरी बख्तियारपुर
	गुमला	सीतामढ़ी
	हजारीबाग	सिवान
	जमशेदपुर	सुपौल
	जमुई	पटना (डीडी–2)
	खगड़िया	
अति अल्प शक्ति ट्रां.	गढ़वा	
	सिमढेगा	
ट्रांजपोजर	रामगढ़ हिल	

[अनुवाद]

रूस द्वारा रुपया-कोष का उपयोग

205. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 2000 के "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "पैक्ट ऑन यूज ऑफ रूपी–फण्ड्स बाइ राशिया लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट किए गए तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और रूस के बीच सिद्धान्त रूप में समझौता है कि भारत द्वारा रूस देय को रुपया वापसी–अदायगी निधियों के एक भाग का प्रयोग भारत में संयुक्त उद्यमों में रूसी निवेश के लिए किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शिकाओं, ऐसे निवेश के क्षेत्र और सम्बन्धित तौर–तरीकों के विवरणों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। निवेश के लिए ऐसे करार के प्रचालन से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत और नाइजीरिया के बीच नशीली औषधि की मांग में कमी मामले संबंधी समझौता

206. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नशीली औषधि की मांग में कमी और नशीली दवाओं व साइकोट्रापिक पदार्थों के अवैध–व्यापार पर रोक के लिए आपसी सहयोग के विषय पर हाल ही में नाइजीरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब से प्रभावी हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता

207. श्री मोइनुल हसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये वार्ताएं किन–किन क्षेत्रों के लिए होंगी;

(ग) क्या भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में दोनों देशों के लाभ संबंधी आम मांगों पर बल दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) आर्थिक संबंध एवं व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत–चीन संयुक्त दल (जेईजी) का छठा सत्र दिनांक 21 से 22 फरवरी, 2000 को बीजिंग में आयोजित हुआ था। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेतृत्व

श्री मुरासोली मारन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा किया गया था और चीनी पक्ष का नेतृत्व श्री शी. गुआंगसेंग, विदेश व्यापार एवं आर्थिक सहयोग मंत्री द्वारा किया गया था। दोनों पक्षों की ओर से व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग से संबंधित अनेक मुद्दों पर द्विपक्षीय वर्ताएं की गई थीं दोनों मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चीन को शामिल करने के संदर्भ में एक द्विपक्षीय करार पर भी हस्ताक्षर किए थे।

चीन को अभी डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनना है। तथापि, डब्ल्यूटीओ में चीन को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। डब्ल्यूटीओ की कार्यसूची में से गैर–व्यापार मुद्दों को बाहर रखने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर भारत और चीन दोनों देशों के विचार मोटे तौर पर समान हैं। इसलिए, जैसे ही चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनता है, दोनों देशों के बीच सहयोग की गुंजाइश है।

विनिवेश आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

208. श्री मोहन रावले : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनिवेश आयोग द्वारा अब तक कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) इन रिपोर्टों में क्या–क्या महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) अब तक दी गई अपनी 12 रिपोर्टों में विनिवेश आयोग ने सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रमों में कारोबार बिक्री, सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रमों में पूंजी बाजार के माध्यम से शेयर की पेशकश, सरकारी क्षेत्र के 28 उपक्रमों में विभिन्न अनुपातों में अनुकूल बिक्री, सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रमों में परिसंपत्तियों की समाप्ति/बिक्री तथा सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों के संबंध में विनिवेश का आस्थगन की अनुशंसा की है।

(ग) और (घ) आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, "गेल" कॉनकार, एम.टी.एन.एल. तथा माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. में सरकार द्वारा धारित इक्विटी का आंशिक विनिवेश कर दिया गया है। चूंकि, विनिवेश बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सिफारिशों की विस्तृत जांच के बाद किया जाता है, सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में आयोग द्वारा अनुशंसित विनिवेश उचित समय पर किया जाएगा।

बंद पड़ी वस्त्र मिलें

209. श्री टी. गोविन्दन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में हस्तकरघा और विद्युतकरघा मिलों सहित बंद पड़ी वस्त्र मिलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनके बंद होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान (अप्रैल से दिसंबर तक) सूती/मानव–निर्मित फाइबर मिलों के बंद होने की स्थिति का राज्य–वार विवरण (बिना एस एस आई) नीचे दिया गया है।

राज्य	बंद मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
गुजरात	3
हरियाणा	1
कर्नाटक	3
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	1
तमिलनाडु	17
कुल	29

विद्युतकरघा क्षेत्र के संबंध में, अप्रैल–सितंबर 1999 के दौरान विद्युतकरघा सेवा केन्द्र, वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बंद हुए विद्युतकरघों की अनुमानित राज्य–वार संख्या का विवरण नीचे दिया गया है।

राज्य	बंद विद्युतकरघों की संख्या
आंध्र प्रदेश	303
असम	1932
गुजरात	37,334
जम्मू–कश्मीर	15
मध्य प्रदेश	5, 348
महाराष्ट्र	37,401
पंजाब	665
राजस्थान	9,709
तमिलनाडु	29,556
उत्तर प्रदेश	16,276

हथकरघा क्षेत्र के संबंध में, हथकरघा बुनाई मुख्यतया घरेलू गतिविधि है। बिखरी हुई स्थिति के कारण, इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वस्त्र मिलों के बंद होने के बहुत से तथ्य जिम्मेदार हैं जिनमें अप्रचलित प्रौद्योगिकी, इनपुट्स की लागत में वृद्धि, समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्ति में कठिनाइयां, कुप्रबंध, मंदी की स्थिति आदि शामिल है। सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

* भारत सरकार ने रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के संबंध में उठाये जाने वाले जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारी उपायों का तेजी से पता लगाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, एस आई सी ए, 1985 बनाया है और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है। बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में विभिन्न उपाय शामिल हैं, जैसे कि पूंजी का पुनर्निर्माण, प्रवर्तकों द्वारा नई निधियों का प्रवेश, अन्य कंपनियों के साथ शामिल है, प्रबंधन का परिवर्तन, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी और आवधिक ऋणों की व्यवस्था।

* सरकार ने प्रशिक्षण, परामर्श, डिजायन विकास सहायता, वस्त्र परीक्षण तथा विद्युतकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए बुनाई क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना के लिए विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पी एस सी) की स्थापना की है।

ई. सी. एल. द्वारा अधिगृहीत भूमि के भू-स्वामियों को नौकरी

210. श्री सुनील खां : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भू-स्वामियों को नौकरियां देने का कोई करार हुआ था जिनकी भूमि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा विभिन्न कोयला खानों के लिए अधिगृहीत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अघग्राम और बाकुलिया कोयला खानों में भू-अधिग्रहण के अंतर्गत आने वाले भू-स्वामियों को नौकरी न देकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. करार का पालन नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) भूमि खोने वाले भू-स्वामियों को अब तक कितना मुआवजा दिया गया है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति के अनुसार भू-वंचितों को रोजगार दिए जाते हैं। किन्तु, कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अर्द्धग्राम ओपनकास्ट परियोजना के लिए अर्द्धग्राम भू-स्वामियों के संगठन, अर्द्धग्राम ग्राम पंचायत और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के स्थानीय प्रबंधन के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया। त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 123.45 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में पैकेज के एक भाग के रूप में 61 भू-वंचितों को रोजगार की पेशकश करने का निर्णय लिया गया। इनमें से 41 कामों की पेशकश की गई है, 8 मामले प्रक्रियाधीन हैं और शेष 12 मामलों में भू-स्वामियों द्वारा ई.को.लि. प्रबंधन को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

बकुलिया परियोजना के लिए भू-स्वामियों के संगठन, सलमा ग्राम पंचायत और ई.को.लि. के स्थानीय प्रबंधन के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 18.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में 24 तदर्थ रोजगार देने का निर्णय लिया गया। इस अधिग्रहण के एवज में कोयला कंपनी ने अब तक भूमि का कोई वास्तविक कब्जा नहीं लिया है।

(ग) और (घ) ई.को.लि. अर्द्धग्राम ओपनकास्ट परियोजना के भू-वंचितों के संबंध में समझौते को पूरा कर रही है। बकुलिया परियोजना, लागत-प्रभावी न होने के कारण शुरू नहीं की जा सकी और बंद रही। कोयला कंपनी द्वारा चूंकि परियोजना छोड़ दी गई है, अतः त्रिपक्षीय समझौता कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(ङ) उपर्युक्त के भाग (ग) और (घ) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) उपर्युक्त दो परियोजनाओं के संबंध में भू-वंचितों को दिए गए मुआवजे के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(i) अर्द्धग्राम ओ.का.प.	–	रु. 19,46,812/–
(ii) बकुलिया परियोजना	–	रु. 4,90,000/– (भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव किए जाने के समय एल.ए. कलक्टर द्वारा की गई मांग)

नयी जमा योजना के लिए मंजूरी

211. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले सरकार ने ये निर्देश जारी किये थे कि सभी वित्तीय कंपनियों को नयी जमा योजना आरम्भ करने से पहले आगे से इन्वेस्टमेंट इन्फारमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया (आई सी आर ए) क्रेडिट रिटिंग इन्फारमेशन सर्विसेज आफ इंडिया लिमिटेड (सी आर आई एस आई एल) जैसी मान्य रेटिंग एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करनी होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने इस शर्त का पालन किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कंपनी के सार्वजनिक जमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं। सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है कि सभी वित्तीय कम्पनियों को नयी जमा योजनाओं को शुरू करने के पूर्व अनुमोदित दर्ज निर्धारक एजेन्सी से मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी।

(ख) और (ग) पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि. (पी. जी. एफ. आई. सी. एल.), अवशिष्ट गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (आर.एन.बी.एफ.सी.) की श्रेणी से सम्बन्धित है। आर.एन.बी.एफ. सी. को जनता की जमा राशि को स्वीकार करने के लिए क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। यह कम्पनियों के लिए निर्धारित निवेश प्रतिमान जमा राशियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त माना जाता है। जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा के उद्देश्य से आर.एन.बी.सी. को, निर्धारित निवेश प्रतिमान पर आधारित प्रतिभूतियों में जमा देयताओं के कम–से–कम 80 प्रतिशत को निवेश करने का भी आदेश दिया जाता है। प्रतिभूतियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंपने की आवश्यकता है तथा इनकी केवल जमाकर्ताओं को भुगतान करने के उद्देश्य से निकासी की जा सकती है। पी.जी.एफ. आई. सी. एल. ने कुछ न्यायालय मुकद्मों द्वारा विनियमों को चुनौती दी थी। न्यायालय मामले समाप्त होने पर पी. जी. एफ. आई. सी. एल. ने वर्तमान विनियामक प्रावधानों को स्वीकार कर लिया है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण

212. श्री सुबोध राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योगों के विकास के लिए देश में संचालित राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने राज्य–वार कितनी राशि का निवेश किया;

(ख) क्या सरकार ने उद्योगों को इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण देने की शर्तों को उदारीकृत करने के लिए कोई विशिष्ट कार्ययोजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चाय की खपत में कमी

213. श्री तूफानी सरोज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चाय की खपत में 6 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चाय के निर्यात में भी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) जी, हां। वर्ष 1999 के दौरान चाय के निर्यातों में पिछले वर्ष के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में 20.16 मिलियन कि.ग्रा. की गिरावट दर्ज की गई। निर्यातों में गिरावट आने के कारण है : वर्ष 1999 के दौरान कम उत्पादन, घरेलू मांग की वृद्धि अन्य उत्पादनकर्ता देशों से प्रतिस्पर्धा और देश विशिष्ट कारकों की वजह से कजाकिस्तान, आयरलैंड, यू.ए.ई, इराक, ए.आर.ई., तुर्की इत्यादि को होने वाले निर्यातों में कमी।

(ङ) सरकार और चाय बोर्ड संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए चाय के निर्यातों का देश–वार विश्लेषण कर रहे हैं। चाय बोर्ड अलग–अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही बाधाओं, जब कभी इनका पता चलता है, को हटाने के लिए भी कार्य करता है। चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कतिपय अन्य कदमों में शामिल हैं:

(i) विदेशों में आयोजित प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी;

(ii) विशिष्टता रखने वाले स्टोरों और मुख्य बाजारों में जाकर नमूने लेना;

(iii) भारतीय चाय की विशिष्टता के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न, जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना;

(iv) भारत और चाय आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान।

कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाया जाना

214. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कौन–कौन से स्थानों पर कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर लगाए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) इनमें से अब तक कितने टी.वी. ट्रांसमीटर लगाए जा चुके हैं;

(ग) क्या कुछ स्थानों पर टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने और परीक्षण करने के बावजूद उन्हें चालू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक चालू कर दिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान कुल 422 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था जिनमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान 354 ट्रांसमीटर स्वीकृत कर दिए गए हैं। 354 ट्रांसमीटर परियोजनाओं में से अब तक 230 स्थापित कर दी गई हैं। सभी 354 परियोजनाओं के स्थानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी रूप से तैयार ट्रांसमीटर को चालू किए जाने का कार्य लम्बित है। अपेक्षित स्टाफ के मिलते ही इन ट्रांसमीटरों को चालू कर दिया जाएगा। स्टाफ को पुनः तैनाती करने/भर्ती करने का कार्य पर प्रगति है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश		स्थान
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	बोबिली
	"	देवरकोंडा
	"	कन्डूकुर
	"	मछलीपट्टनम
	"	मदुगुला
	"	मिरयालागुडा
	"	पासरा
	"	पेढ़ापल्ली
	"	पुलामनेर
	"	पुगांनूर
	"	सिरीसिल्ला
	"	सिरपुर
	"	टेक्काली
	"	उदयगिरी
	"	वेलदांडा
	"	वेमलवाड़ा
	"	वीनूकोंडा
	"	जहीराबाद

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	दात्तालूर
	"	कानीगिरी
	"	मारीपरदू
अरुणाचल प्रदेश	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	देवमाली
	"	इटालीन
	"	संग्राम
	"	ताली/तुतिंग
असम	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बोकाखत
	ट्रांसपोजर	गुवाहाटी
बिहार	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बरहरवा
	"	छातरा
	"	रामनगर
	"	रौसेरा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	रामगढ़ हिल
गुजरात	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	व्यारा
हरियाणा	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	भिवानी (डी.डी–II)
	"	फिरोजपुर झिरका
	"	करनाल
	"	महेन्द्रागढ़
	"	तोहाना
	"	यमुनानगर
हिमाचल प्रदेश	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	मण्डी (डी.डी–II)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	आशापुरी
	"	आहवा देवी
	"	बिजली महादेव
	"	डलहौजी
	"	झातिगंरी
	"	काजा
	"	नेहरी

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	तिस्सा
जम्मू एवं कश्मीर	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	पुंछ
	"	उधमपुर
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बफलियाज
	"	बटालिक
	"	दरहल
	"	रिंगडमगोमपा
	"	तराल
	"	तुरतोक
कर्नाटक	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बेलाथानगढ़ी
	"	दनदेली
	"	हिरीयूर
	"	हौसदुर्ग
	"	इंडी
	"	जामखंडी
	"	कोप्पा
	"	मुथौल
	"	मुंडारगी
	"	शिंदनूर
	"	तालीकोटा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बदमी
	"	ह्यूविन हिप्पारगी
	"	कुदलिगी
केरल	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कोटाराकारा
	"	मंजेरी
	"	पाला
	अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	इरादूपेट्टा
	"	मुण्डाकायम
महाराष्ट्र	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	अकलकोट
	"	भामरागद

1	2	3
	अल्पशक्ति ट्रांसमीटर	दरयापुर
	"	धादगांव
	"	खानापुर
	"	मंगलवेधा
	"	पल्टन
	"	पुलगांव
	"	रावेर
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अम्बेट
	"	सकोली
मेघालय	ट्रांसपोजर	शिलांग
मिजोरम	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	लौंगतलेई
	ट्रांसपोजर	ऐजवाल
मध्य प्रदेश	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अगर
	"	भदवानी
	"	बरेली
	"	चम्पा
	"	कैराईरा
	"	खरोद
	"	कौंटा
	"	कुकशी
	"	लखनाडौन
	"	मुलताई
	"	पंडारिया
	"	सिंधवा
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अलोट
	"	पाथलगांव
नागालैंड	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	मोकॉकचुंग(डी.डी–II)
	ट्रांसपोजर	बाराबस्ती
उड़ीसा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	चिकीती
	"	जलपारा

1	2	3
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कुलाड़
	"	नयागढ़
	"	तुषारा/सैंताला
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	जयपटना
	"	काशीपुर
	"	लंजीगढ़
	"	मच्छकुड़
	"	पाईकमल
	"	सुकिंडा
	ट्रांसपोजर	चांदीपारा
	"	धेनकनाल
राजस्थान	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बाली
	"	भीनमाल
	"	किशनगढ़
	"	कुशालगढ़
	"	मकराना नगर
	"	नसीराबाद
	"	नवलगढ़
	"	पिरवा
	"	सागवाड़ा
	"	संचौर
	"	सोजत
	"	तारानगर
	"	विजय नगर
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	कोटरा
	"	लक्ष्मणगढ़
	"	तिबी
सिक्किम	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	जोरथंग
तमिलनाडु	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अम्बासमुदरम
	"	अम्बूर

1	2	3
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	चिदम्बरम
	"	धेनकानीकोट्टा
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	इरोद
	"	कल्लाकरूचि
	"	नट्टम
	"	पलानी
	"	पेरानामपेट
	"	पोलाछी
	"	वंदावासी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	जिंजी
	"	मेट्टूपलायम
त्रिपुरा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अमरपुर
	"	अम्बासा
	"	जोलाईबारी
उत्तर प्रदेश	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अल्मोड़ा
	"	भिदूना
	"	डाक पत्थर
	"	दूनाघाट
	"	दुधीनगर
	"	गोपेश्वर
	"	कालागढ़
	"	कर्वी
	"	खेतीखान
	"	कोसी
	"	नरौरा
	"	तालबेहट
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अरौली
	"	बद्रीनाथ
	"	चमोली
	"	दुगड्डा

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	केदारनाथ
	"	मनीला
	"	नौगांवखल
	"	शिराकोटा (बैकुंठधाम)
	ट्रांसपोजर	मसूरी (डीडी–II)
पश्चिम बंगाल	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बलरामपुर
	"	गढ़बेटा
	"	झालदा
	"	कूच बिहार

मिलों के आधुनिकीकरण हेतु विदेशी सहायता

215. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में विदेशी सहायता से कुछ वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्त्र मिलों के राज्य–वार नाम क्या हैं;

(ग) उन देशों और वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने इनके आधुनिकीकरण हेतु धन दिया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्रत्येक मिल को वर्ष–चार कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में विदेशी सहायता से संबंधित राज्य–वार सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

सेबी द्वारा कराई गयी विशेष लेखा परीक्षा

216. श्री अनन्त गुडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 22 वृक्षारोपण कम्पनियों की विशेषरूप से लेखा परीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य रूप से कम्पनी–वार तथा विशेषरूप से महाराष्ट्र में कार्यरत कम्पनियों द्वारा धन जुटाने और तैनानी में पता चले अनियमितताओं और वित्तीय धोखा–धड़ी/अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए/उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र में दोषी गैर बैंकिंग वित्तीय और वृक्षारोपण कम्पनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति सहित इन कम्पनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी एवं लेन–देन की जांच हेतु कोई तंत्र बनाने के लिए कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 53 सामूहिक निवेश योजनाओं (सी. आई. सी.) जिनमें बागान कम्पनियों शामिल हैं, की विशेष लेखापरीक्षा की है।

लेखापरीक्षा रिपोर्टों के मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं : योजनाओं के उद्देश्यों से असंबद्ध गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर निधियों का विपथन; योजनाओं की भूमि/सम्पत्तियां प्रायः कम्पनियां/निवेशकों के नामों में पंजीकृत नहीं होती; जुटाई गई निधियों का एक बड़ा भाग निधियों को जुटाने की लागत पर खर्च किया जाता है; मौजूदा निवेशकों को उत्तरवर्ती निवेशकों से प्राप्त धनराशि में से भुगतान किया जाता है, न कि वैध कारोबार कार्यकलापों से होने वाले लाभों/आय में से निधियां क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किए बिना ही जुटाई गई हैं।

सेबी ने ऐसी योजनाओं का प्रचालन करने वाली विभिन्न कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लिब्रा प्लांटेशन्स लि., ऐरो ग्लोबल एग्रोटैक लि., एस. पी. जी. ग्रीन गोल्ड

प्लांटेशन लि., ओकारा एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. और गोल्डन फोरेस्ट्स (इण्डिया) लि. नामक 5 कम्पनियों के विरुद्ध न्यायालय कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, 15 अक्टूबर, 1999 को सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 अधिसूचित किए गए थे। अब के बाद, सामूहिक निवेश प्रबन्धन कम्पनी, जिसने सेबी विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, को छोड़कर कोई अन्य कम्पनी सामूहिक निवेश योजना का प्रचालन जारी नहीं रख सकती, उसे प्रायोजित नहीं कर सकती अथवा उसकी शुरुआत नहीं कर सकती। साथ ही किसी मौजूदा सामूहिक निवेश योजना को कोई नई योजना शुरू करने अथवा निवेशकों से धन जुटाने की तब तक अनुमति नहीं दी गई है, जब तक इसे पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं दे दिया जाता।

महाराष्ट्र में प्लांटेशन और अन्य कम्पनियों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कताई मिलें खोलना

217. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश के सहकारी क्षेत्र में राज्य–वार कितनी कताई मिलें हैं;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में नई मिल खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थान–वार और राज्य–वार ऐसी कितनी मिलें खोली जाएंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 31.1.2000 की स्थिति के अनुसार सहकारी क्षेत्र में सूती/मानव–निर्मित फाइबर कताई मिलों को राज्यवार संख्याः

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कताई मिलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	11
असम	1
बिहार	3
गुजरात	4
कर्नाटक	12
केरल	4
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	67
उड़ीसा	6
पंजाब	7
राजस्थान	4
तमिलनाडु	18
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	2
पांडिचेरी	2

(ख) हथकरघा व विद्युतकरघा क्षेत्रों की यार्न आवश्यकता की पूर्ति को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित कताई मिलों सहित सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में कार्य करती है और यह स्वयं द्वारा, कोई नई मिल स्थापित नहीं करती है।

उड़ीसा में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्र

218. श्री अनन्त नायक : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्र सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र की क्षमता, अनुमानित लागत, स्थान और इसका पूरा हो जाने की अनुमानित तिथि क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों द्वारा कब तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) एल्यूमिनियम धातु के निर्माण को आवश्यक लाइसेंसिंग प्रावधान से मुक्त रखा गया है। नए एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक पार्टियों को केवल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई. ई.एम.) फाईल करना होता है। उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रीन फील्ड एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी, नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) उड़ीसा में अपनी बाक्साइट खानों, एल्यूमिना शोधनशाला, एल्यूमिनियम प्रगालक और गृहीत विद्युत संयंत्र (सी. पी. पी.) की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विस्तार परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। नालको की विस्तार परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत् है :

परियोजना का नाम	स्थल	मौजूदा क्षमता (टन)	विस्तार के बाद क्षमता (टन)	लागत (करोड़ रु. में)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
बाक्साइट खान	दामनजोड़ी	24 लाख	48 लाख	1664.60 (खान +	18.3.01
एल्यूमिना शोधनशाला	दामनजोड़ी	8 लाख	15.75 लाख	(शोधनशाला)	–वही–
एल्यूमिनियम प्रगालक	अंगुल	2.3 लाख	3.45 लाख	2062 (प्रगालक +	3.5.02
सी. पी. पी.	अंगुल	720 मेगावाट	840 मेगावाट	सी. पी. पी.	–वही–

उड़ीसा में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र की निम्न कम्पनियों ने औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई. ई.एम.) सरकार को प्रस्तुत किया है। प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों के बारे में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	स्थल (जिला)	निर्माण का मद	वार्षिक क्षमता (टन)	आई.ई.एम. प्राप्त होने की तारीख
1.	उड़ीसा एक्स्ट्रूशन लि.	बालासोर	अनरोट एल्यूमिनियम	7200	26.05.95
2.	स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज	कालाहाण्डी	एल्यूमिना	1000000	13.03.97
3.	इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि.	सम्बलपुर	एल्यूमिनियम अलायड नहीं	30000	02.01.95
4.	हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि.	सम्बलपुर	एल्यूमिनियम	250000	08.08.97
5.	पास्सरी मिनरल्स लि.	सुन्दरगढ़	एल्यूमिना, कैल्साइंड	2400	13.02.97
6.	स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज	झरसूगुड़ा	एल्यूमिनियम इंगोट्स	250000	13.03.97
7.	हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि.	रायगढ़ा	एल्यूमिना	500000	08.08.97

सरकार ने मैसर्स उत्कल एल्यूमिना इन्टरनेशनल (प्राइवेट) लि. और मैसर्स्स लारसन एण्ड टुबरो को प्रत्येक द्वारा उड़ीसा के रायगढ़ा जिले में एक मिलियन टन क्षमता वाले 100% निर्यातोन्मुखी एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सर्ज्जों को ऋण

219. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान आज की तारीख तक सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्य की संस्था–वार ऋण स्वरूप कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्यों को वास्तविक रूप में कितनी धनराशि जारी की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा यथा सूचित सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 (अप्रैल–दिसम्बर, 1999) के दौरान भिन्न–भिन्न राज्यों को स्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का संस्था–वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1998–99 के दौरान राज्य–वार/संस्था–वार मंजूरियां

क्र.सं.	राज्य	आईडीबीआई	एसआईडीबीआई	आईआईबीआई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1828.3	180.9	109.7
2.	अरुणाचल प्रदेश		1.5	
3.	असम	46.1	8.2	2.4
4.	बिहार	678.3	95.9	12.6
5.	गोवा	187.1	86.2	85.0
6.	गुजरात	3205.9	457.6	278.8
7.	हरियाणा	520.2	306.3	28.2
8.	हिमाचल प्रदेश	82.2	38.7	5.0
9.	जम्मू व कश्मीर		20.1	
10.	कर्नाटक	2517.4	418.5	122.7
11.	केरल	372.9	265.6	20.0
12.	मध्य प्रदेश	751.5	243.2	51.0
13.	महाराष्ट्र	5569.8	865.5	644.9
14.	मणिपुर		3.7	
15.	मेघालय		4.8	
16.	मिजोरम		1.0	
17.	नागालैंड		1.5	
18.	उड़ीसा	131.8	135.1	105.0
19.	पंजाब	596.4	226.1	50.9
20.	राजस्थान	1080.4	151.7	78.0

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	0.4	6.6	
22.	तमिलनाडु	2646.8	509.4	228.1
23.	त्रिपुरा		3.9	
24.	उत्तर प्रदेश	2076.5	271.7	140.5
25.	पश्चिम बंगाल	670.6	294.6	185.4
26.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	2268.5	186.5	17.5
27.	संघ शासित क्षेत्र			
	(क) अंडमान व निकोबार		0.1	
	(ख) दमन व दीव	56.8	0.2	
	(ग) दादरा व नगर हवेली	105.5	15.7	9.5
	(घ) चंडीगढ़	62.7	2.4	
	(ङ) लक्षद्वीप			
	(च) पांडिचेरी	28.7	7.1	
28.	विविध राज्य/अन्यों			
	कुल	25484.7	4810.3	2175.2

विवरण-II

अप्रैल–दिसम्बर, 1999 के दौरान राज्य–वार/संस्था–वार स्वीकृत सहायता

क्र.सं.	राज्य	आईडीबीआई अप्रैल–दिस. 1999	एसआईडीबीआई अप्रैल–दिस. 1999	आईआईबीआई अप्रैल–दिस. 1999
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3467.4	177.5	88.4
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.4	
3.	असम	42.4	9.6	
4.	बिहार	207.6	60.6	8.2
5.	गोवा	62.4	36.3	20.0
6.	गुजरात	3678.9	204.5	109.5
7.	हरियाणा	306.2	125.2	50.0
8.	हिमाचल प्रदेश	357.3	28.1	25.0
9.	जम्मू व कश्मीर	40.0	12.0	

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	977.8	35.3	30.7
11.	केरल	136.7	47.9	
12.	मध्य प्रदेश	861.8	110.7	15.0
13.	महाराष्ट्र	3214.8	243.5	318.0
14.	मणिपुर		0.5	
15.	मेघालय		2.8	
16.	मिजोरम		0.6	
17.	नागालैंड			
18.	उड़ीसा	42.3	29.9	300.0
19.	पंजाब	631.5	60.1	
20.	राजस्थान	595.9	138.4	50.0
21.	सिक्किम		1.8	
22.	तमिलनाडु	2737.6	202.7	222.6
23.	त्रिपुरा		1.0	
24.	उत्तर प्रदेश	496.5	111.6	63.0
25.	पश्चिम बंगाल	607.6	88.2	333.0
26.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1197.7	115.0	13.2
27.	संघ शासित क्षेत्र और अन्यों	106.2	18.0	
	(क) अंदमान व निकोबार			
	(ख) दमन व दीव	16.0	0.2	
	(ग) दादरा व नगर हवेली	45.8	12.2	
	(घ) चंडीगढ़	39.4	5.0	
	(ङ) लक्षद्वीप			
	(च) पांडिचेरी	5.0	0.6	
	(छ) अन्यों			
28.	विविध राज्य/			
29.	गैर–विनिर्दिष्ट क्षेत्र			
	कुल	19768.6	1862.2	1646.6

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम

विवरण-III

वर्ष 1998–99 के दौरान राज्य–वार/संस्था–वार संवितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईडीबीआई	एसआईडीबीआई	आईआईबीआई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1245.3	154.5	152.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1.5	–
3.	असम	22.7	9.6	2.4
4.	बिहार	137.7	78.7	–
5.	गोवा	113.8	72.8	70.4
6.	गुजरात	2345.4	323.3	256.6
7.	हरियाणा	309.2	294.9	30.8
8.	हिमाचल प्रदेश	96.3	38.7	5.0
9.	जम्मू व कश्मीर	1.0	16.8	–
10.	कर्नाटक	1297.4	323.2	97.7
11.	केरल	174.9	202.5	13.7
12.	मध्य प्रदेश	752.9	194.0	40.3
13.	महाराष्ट्र	2699.9	734.9	511.6
14.	मणिपुर	–	0.7	–
15.	मेघालय	–	2.8	–
16.	मिजोरम	–	1.0	–
17.	नागालैंड	–	1.4	–
18.	उड़ीसा	234.3	82.6	65.3
19.	पंजाब	489.6	146.7	59.1
20.	राजस्थान	857.1	131.3	76.6
21.	सिक्किम	–	6.1	–
22.	तमिलनाडु	1401.0	363.3	126.5
23.	त्रिपुरा		3.7	
24.	उत्तर प्रदेश	835.7	240.5	86.3
25.	पश्चिम बंगाल	668.1	206.2	210.4
26.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	454.1	191.6	5.5
27.	अंडमान व नीकोबार	–	0.1	–
28.	दमन व दीव	51.3	0.7	1.1

1	2	3	4	5
29.	दादरा व नगर हवेली	106.9	16.1	14.0
30.	चंडीगढ़	17.6	1.2	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32.	पांडिचेरी	21.2	4.4	
	कुल	14333.4	3845.9	1688.5

विवरण-IV

अप्रैल–दिसम्बर, 1999 के दौरान राज्यवार/संस्था–वार संवितरित

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	डीबीआई	एसआईडीबी	आईआईबीआई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	895.2	135.9	68.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	0.5	–
3.	असम	25.9	9.4	0.5
4.	बिहार	231.5	56.5	10.1
5.	गोवा	56.1	38.08	10.0
6.	गुजरात	2019.0	161.6	101.1
7.	हरियाणा	235.9	100.6	2.7
8.	हिमाचल प्रदेश	306.3	16.9	15.0
9.	जम्मू व कश्मीर	41.2	11.6	–
10.	कर्नाटक	706.5	46.09	67.0
11.	केरल	67.3	44.0	2.7
12.	मध्य प्रदेश	580.2	89.2	16.0
13.	महाराष्ट्र	2003.6	211.4	230.3
14.	मणिपुर	–	0.5	–
15.	मेघालय	–	2.5	–
16.	मिजोरम	–	0.6	–
17.	नागालैंड	–	–	–
18.	उड़ीसा	134.4	25.6	61.0
19.	पंजाब	290.8	52.8	6.9
20.	राजस्थान	458.6	95.4	25.0

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	–	1.9	–
22.	तमिलनाडु	912.3	177.9	91.6
23.	त्रिपुरा	–	1.1	–
24.	उत्तर प्रदेश	616.3	99.2	13.2
25.	पश्चिम बंगाल	336.1	59.4	99.4
26.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	475.3	111.7	13.2
27.	अंडमान व निकोबार	–	–	–
28.	दमन व दीव	8.8	0.2	–
29.	दादरा व नगर हवेली	26.2	9.7	0.6
30	चंडीगढ़	22.9	4.8	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–
32	पांडीचेरी	15.8	0.6	–
	कुल	10466.2	1566.4	834.8

इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड का पुनरुद्धार

220. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या भारी उद्योग और लोक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को पुनः चालू करने की चल रही प्रक्रिया के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) "द इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड" पालघाट इकाई को सहायक इकाई तथा एक स्वतन्त्र लाभ कमाने वाली इकाई का दर्जा देने से संबंधित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्वीकृत कार्यान्वयनाधीन है। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पास केवल कोटा स्थित प्रमुख इकाई को इसके पास बनाए रखते हुए समग्र रूप से पुनर्संरचना करना और इसकी इकाइयों अर्थात् पालघाट इकाई, कोटा की डीडीजी इकाई और जयपुर की यूपीएस इकाई को इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की अलग सहायक कंपनियों के रूप में बदलने की परिकल्पना की गई है और प्रमुख यूनिट तथा इसकी सहायिकाओं के लिए संयुक्त उद्यम का गठन करने के लिए "सिद्धान्त रूप में" अनुमोदन पर बल दिया गया है।

सरकार ने पहले वर्ष में अपेक्षित निधियां पहले ही जारी कर दी हैं और परिकल्पित छूट और रियायतें दे दी हैं। सरकार ने बैंकों को भी काउन्टर गारंटी दे दी है। इसके अलावा, अगस्त, 1999 में स्वीकृत की गई स्कीम के कार्यन्वयन में कंपनी की सहायता करने के लिए आई.डी.बी.आई को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

221. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में राज्य–वार और सेक्टर–वार अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) सरकार ने निवेश तंत्र को और अधिक उदार बनाने की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की समीक्षा की है और विदेशी/अनिवासी भारतीय तथा विदेशी कारपोरेट निकायों के निवेश के लिए निम्नलिखित मदों को छोड़कर, शेष सभी मदों/कार्यकलापों को स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत रखने का निर्णय किया है :

(1) वे सभी मद जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है।

(2) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वे मदें जहां 24% से अधिक विदेशी निवेश अपेक्षित हो।

(3) वे मदें जिनके लिए स्थापना–स्थल संबंधी नीति के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

(4) वे सभी प्रस्ताव जिनके लिए विदेशी सहयोगकर्ता ने भारत में पहले से ही उद्यम/समझौते किये हैं,

(5) वे सभी प्रस्ताव जो अधिसूचित क्षेत्रीय नीति की सीमा से बाहर हों।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान, अनिवासी भारतीयों के निवेश संबंधी राज्य–वार (ब्यौरे) विवरण के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान अनिवासी भारतीयों का कुल निवेश प्रवाह क्रमशः 38914.60 लाख रुपये तथा 35917.60 लाख रुपये थे जिसमें अनेक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर–संचार, औषध तथा भेषज, वस्त्र, खाद्य–प्रसंस्करण, सेवा क्षेत्र, होटल तथा पर्यटन, व्यापार तथा विविध उद्योग।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

राज्य	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	
	1998	1999
1	2	3
आंध्र प्रदेश	290.31	23.35
बिहार	0.20	–
गुजरात	70.24	3.90
हरियाणा	6.86	103.45
हिमाचल प्रदेश	0.33	0.45
कर्नाटक	114.38	21.91
केरल	0.67	6.07
मध्य प्रदेश	2.86	0.14
महाराष्ट्र	135.61	108.87
उड़ीसा	6.44	0.50
पंजाब	5.07	2.10
तमिलनाडु	60.18	14.91
उत्तर प्रदेश	13.58	7.32
पश्चिम बंगाल	17.35	1.00
दादरा एवं नगर हवेली	0.86	–
दिल्ली	13.32	56.91
दमन एवं दीव	0.25	–
राजस्थान	–	60.80
चंडीगढ़	–	0.98
पांडीचेरी	–	10.00
अन्य	11.23	32.87
योग	750.34	454.81

चाय, कॉफी और कपास का निर्यात

222. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान 31.12.99 तक चाय, कॉफी और कपास की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और निर्धारित लक्ष्य क्या थे और ये चीजें किन–किन देशों को निर्यात की गईं; और

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान इन चीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अप्रैल से दिसंबर 99 की अवधि के दौरान चाय और कॉफी का निर्यात क्रमशः 148.64 मि. किग्रा. तथा 1.50 मी. टन हुआ। वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान चाय और कॉफी के निर्यात लक्ष्य क्रमश 220 मिलि. किग्रा. तथा 1.80 लाख मी. टन थे। वर्ष 1998–99 (अक्टू.–सितम्बर 99) के दौरान रुई का निर्यात 5 लाख गांठों के निर्यात कोटा की तुलना में 0.9872 लाख गांठों का हुआ।

जिन प्रमुख देशों को इन मदों का निर्यात किया गया उनमें ये शामिल हैं : रूसी परिसंघ; यू.के., जर्मनी, यू.एस.ए., इटली, पोलैंड, ए. आर.ई., संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्पेन, स्लोवेनिया, बैल्जियम आदि।

(ख) चाय और कॉफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार तथा अलग–अलग वस्तु बोर्ड संभाव्यता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए देश–वार चाय के निर्यात का विश्लेषण कर रहे हैं। वस्तु बोर्ड अलग–अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आने वाली अड़चनों, जब कभी उनका पता चलता है, को दूर करने की कार्रवाई करते हैं।

चाय तथा कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपायों में शामिल हैं :

(i) विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(ii) प्रमुख बाजारों में जा कर नमूने लेना;

(iii) चाय और कॉफी संबंधी साहित्य के संवितरण सहित उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए संभावित बाजारों में मीडिया अभियान चलाना;

(iv) भारत और आयातक देशों के बीच शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान करना।

सरकार ने कपास के संबंध में एक टेक्नोलोजी मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य अनुसंधान कार्य, किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रसार, विपणन अवस्थापना में सुधार तथा कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने की दृष्टि से जिन्निंग तथा प्रोसेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण करना है, जिनका निर्यात पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

223. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998–99 और 1999–2000 के दौरान आज की तिथि तक निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की मात्रा और कीमत कितनी–कितनी थी;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1998–99 और अप्रैल–जनवरी, 1999–2000 के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों का निर्यात वर्ष 1998–99 की संगत अवधि की तुलना में निम्नानुसार हैं :

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : करोड़ रुपये में
$: मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

	1998–99	1998–99 (अप्रैल–जन.)	1999–2000 (अप्रैल–जन.)
मात्रा	302934	245549	266681
मूल्य	4626.87	3945.56	4046.74
$	1106.91	945.95	941.76

(ख और (ग) जी, हां। समुद्री उत्पादों के निर्यात में डालर मूल्य के रूप में अप्रैल–जनवरी, 1999–2000 की अवधि के दौरान वर्ष 1998–99 की संगत अवधि की तुलना में मामूली गिरावट आई है। ऐसा मूलरूप से चालू वर्ष की शरुआती अवधि के दौरान जापानी बाजार में प्रचलित सुस्त हालातों के कारण वहां के बाजार में श्रिम्प के निर्यात से कम मूल्य वसूली के कारण हुआ है।

(घ) भारत सरकार द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिए भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में अन्यों के साथ–साथ शामिल हैं : प्रसंस्करण उद्योग द्वारा उपयोग किए जा रहे उपस्करों की खरीद के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, नए फार्मों का विकास, अमरीकी बाजार के संबंध में बाजार अनुसंधान आयोजित करने के लिए एम्पीडा को प्राधिकृत करना, पर्यावरण–अनुकूल मात्स्यिकी को प्रचारित करने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन, विविधीकृत मात्स्यिकी पर जोर, बाजार सर्वेक्षण करना, बीमारी की रोकथाम के उद्देश्य से समस्याओं का पता लगाने के लिए एक परियोजना की स्वीकृति देना, इस उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक विशेष कार्य दल की स्थापना करना और भारत से मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन की अनिवार्यता पर जोर देना।

विनिवेश के जरिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्र की गई राशि

224. श्री एन.एन. कृष्णदास :

श्री विकास चौधरी :

श्री सुनील खां :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विनिवेश के द्वारा आज की तारीख तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इकाई–वार कितनी राशि एकत्रित करने का अनुमान था और कितनी राशि वास्तव में एकत्र की गई और इकाई–वार कितना प्रतिशत शेयर हटा लिया गया है; और

(ख) ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का इकाई–वार परिसंपत्ति मूल्य कितना है और उनका वर्तमान बाजार मूल्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) विनिवेश के माध्यम से अब तक जुटाई गई सरकारी क्षेत्र उपक्रम–वार राशियां तथा विनिवेश की प्रतिशतता दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं। इसे वर्ष 1991–92 से 1999–2000 के दौरान 44,300 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य की तुलना में प्राप्त किया गया है।

(ख) ऐसी एकक–वार सूचना सरकार द्वारा इकट्ठी नहीं की जाती।

विवरण-I

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निम्न के दौरान वसूल की गई राशि (करोड़ रुपये)	
		1991–92	1992–93 से 1999–2000
1	2	3	4
1.	एंड्रयू यूल	–	0.00
2.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	–	48.27
3.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	–	47.17
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	–	309.55
5.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	–	331.18
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज लिमिटेड	–	45.40
7.	सी. एम. सी. लिमिटेड	–	0.00
8.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	–	0.00
9.	कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	–	335.48
10.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	–	0.00
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	–	67.53
12.	फर्टि. एण्ड कैमि. (त्रावणकोर लि.)	–	1.30
13.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	–	1810.90
14.	एच. एम. टी. लि.	–	23.38
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	–	0.00
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	–	8.07
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमि. लि.	–	0.00
18.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि.	–	894.96
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस् मैन्यू कं. लि.	–	0.00
20.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	–	81.55
21.	भारतीय तेल निगम लि.	–	2405.40
22.	इंडियन पेट्रो–कैमिकल्स कार्पो. लि.	–	0.00
23.	इरकान इंटरनेशनल लि.	–	0.00
24.	भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.	–	15.63

1	2	3	4
25.	भारत पर्यटन एवं विकास निगम	—	51.99
26.	कुद्रेमुख आयरन एण्ड ओर कंप. लि.	—	11.40
27.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	—	0.00
28.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	—	2360.46
29.	मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पो. लि.	—	0.00
30.	नेशनल एल्यूमिनियम कंप. लि.	—	244.30
31.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	—	1.00
32.	नेशनल मिनरल डेव. कार्पो. लि.	—	17.88
33.	नेवेली लिग्नाइट कार्पो.	—	70.43
34.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	—	3838.11
35.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि.	—	30.36
36.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	—	28.08
37.	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	—	2.25
38.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	—	736.06
39.	विदेश संचार निगम लि.	—	1239.00
40.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि.	—	105.45
	जोड़	3038.00 @	15162.54

@1991–92 में शेयरों को बंडलों में बेचा गया था अतः सरकारी क्षेत्र उपक्रमवार वसूल की गई राशि के विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	30.11.99 की स्थिति के अनुसार विनिवेश की प्रतिशतता
1	2	3
1.	एंड्रयू यूल	9.60
2.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	39. 19*
3.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	24.14
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	32.28
5.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	33.80
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज लिमिटेड	25.54
7.	सी. एम. सी. लिमिटेड	16.69
8.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	6.12
9.	कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	36.92
10.	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1.44
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5.98
12.	फर्टि. एण्ड कैमि. (त्रावणकोर लि.)	1.70

1	2	3
13.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	32.66
14.	एच. एम. टी. लि.	8.44
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	1.04
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1.24
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमि. लि.	41.39*
18.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि.	48.94*
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस् मैन्यू कं. लि.	9.87
20.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	24.08
21.	भारतीय तेल निगम लि.	17.85
22.	इंडियन पेट्रो–कैमिकल्स कार्पो. लि.	40.05*
23.	इरकान इंटरनेशनल लि.	0.27
24.	भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.	22.98
25.	भारत पर्यटन एवं विकास निगम	10.03
26.	कुद्रेमुख आयरन एण्ड ओर कंप. लि.	1.00
27.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	16.92
28.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	43.80*
29.	मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पो. लि.	0.67
30.	नेशनल एल्यूमिनियम कंप. लि.	12.85
31.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	2.35
32.	नेशनल मिनरल डेव. कार्पो. लि.	1.62
33.	नेवेली लिग्नाइट कार्पो.	6.01
34.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	16.36
35.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि.	7.50
36.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	19.88
37.	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन	8.97
38.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	14.18*
39.	विदेश संचार निगम लि.	47.04
40.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि.	74.00

* सार्वजनिक निगम/जी डी आर निगमों द्वारा सरकारी शेयरधारिता के न्यूनीकरण सहित।

** शेष इक्विटी राज्य सरकारों/अन्य सहयोगियों द्वारा धारित है।

[हिन्दी]

फूलों का निर्यात

225. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में फूलों का निर्यात किया गया और उसका मूल्य क्या था :

(ख) किन–किन देशों को फूलों का निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा फूलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान फूलों के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1997–98	81.21
1998–99	97.21

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस/एपीडा

फूलों का निर्यात फुटकर स्वरूप का होने के कारण निर्यात किए गए फूलों की मात्रा के एक समान आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारतीय फूलों का निर्यात जिन प्रमुख देशों को किया जाता है, वे ये हैं : नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नार्वे, जापान, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यू.एस.ए, यू.के. तथा संयुक्त अरब अमीरात।

(ग) सरकार पुष्पोत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। पुष्पात्पादों के उत्पादन को बढ़ाने तथा निर्यातों का संवर्धन करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं :

(i) ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण की स्थापना करने हेतु सुलभ ऋण की व्यवस्था करना ;

(ii) अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे विशेषीकृत परिवहन यूनिटों (रीफर कंटेनर्स), की खरीद, प्रीकूलिंग/शीतभंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए निर्यातकों/उपजकर्ताओं/सहकारी समितियों को एपीडा एनएचबी आदि द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(iii) उन्नत पैकेजिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(iv) क्रेता–विक्रेता बैठकें और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों, फ्लावर शो तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धानात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(v) पुष्पोत्पाद तथा बागान उत्पादों जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के निर्यात की व्यवस्था के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों पर वाक–इन–टाइप कोल्ड स्टोरेज तथा एकीकृत कार्गो हैंडलिंग तथा शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना करना। वाक–इन–टाइप शीत भंडारण सुविधाएं गुवाहाटी तथा कलकत्ता हवाईपत्तनों पर स्थापित की गई हैं। समेकित शीतभंडारण तथा कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन, नई दिल्ली; बंगलौर और चेन्नई हवाई पत्तनों पर स्थापित की गई हैं। इसी प्रकार की सुविधाएं हैदराबाद तथा तिरुअंनन्तपुरम हवाईपत्तनों पर भी स्थापित की जा रही हैं।

(vi) किसानों को निर्यात, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण पैकेजिंग, परिवहन आदि के लिए प्रशिक्षण देने के साथ–साथ व्यापार तथा उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवाएं तथा अन्य समर्थन सेवाएं प्रदान करना;

(vii) पुष्पोत्पादों के निर्यातों पर हवाई भाड़ा इमदाद देना।

अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के उपक्रम

226. **श्री सी. के. जाफर शरीफ** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत–क्षेत्र (तापीय और नाभिकीय) में कार्यरत हुत से सरकारी क्षेत्र के उत्पादक उपक्रमों को ब्याज, भण्डारण व ाभलाई, बीमा, अभिलेख अनुरक्षण, निरीक्षण पर अत्यधिक वहन – ागत के कारण लाभोत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ने तथा अत्यधिक ात्रा में बेकाम पड़ी सामग्री के कारण गुणवत्ता में हास का खतरा उत्पन्न ोने का भय है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सामग्री का इष्टतम उपयोग करने और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश की गई पूंजी के मुकाबले उच्चतर कारोबार अर्जित करने के लिए वार्षिक खपत व अनावश्यक व्यय को कम करने के वास्ते उसके निर्धारित, 33 प्रतिशत को बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1997–98 के अनुसार विद्युत क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई पूंजीगत वस्तुओं/मशीनरों के विनिर्माण में मुख्यतः संलग्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित निवल लाभ वर्ष 1997–98 के दौरान बढ़कर 632 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1996–97 में यह 422 करोड़ रुपए था और ब्याज का बोझ उसी अवधि के दौरान 287 करोड़ रुपए से कम होकर 176 करोड़ रुपए रह गया है। 31–3–1998 की स्थिति के अनुसार कच्ची सामग्री और भण्डारण तथा कल पुर्जों की मालसूची 779 करोड़ रुपए की थी, जो कि वर्ष 1997–98 के दौरान इन मद के कुल उपयोग का 23.5 प्रतिशत थी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मालसूची के नियंत्रण हेतु किए गए विभिन्न उपायों में क्रयों का विनियमन, लीड टाइम में कमी, अधिक कम्प्यूटीकरण और सतत निगरानी शामिल हैं।

गुजरात के लोगों को आवासीय ऋण

227. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात, विशेष रूप से जामनगर जिले तथा शहर के लोगों को विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितना आवासीय ऋण प्रदान किया गया;

(ख) ऐसे ऋणों को प्रदान करने के क्या नियम और शर्तें हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्य के लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जामनगर जिले के अग्रणी बैंक स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक देना बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात के जामगनर जिले में पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर/संवितरित आवास ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

राज्य का नाम (जिला)	वर्ष					
	1996–97		1997–98		1998–99	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
जामनगर सिटी	250	3.47	284	4.22	412	6.16
जामनगर जिला (जामनगर सिटी को छोड़कर)	43	0.49	79	1.08	188	2.88
गुजरात						

(ख) आवास ऋण संबंधी शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) आवास ऋण के लिए कोई राज्य–वार लक्ष्य नियत नहीं किया जाता है।

विवरण

आवास ऋण योजना

(i) ऋण राशि : आवास निर्माण के लिए ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों को 5 लाख रुपए तक तथा शहरी/महानगरीय क्षेत्रों को 10 लाख रुपए तक।

मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए 50,000 रु. तक

(ii) ब्याज : 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए जो प्राथमिक उधार दर (पीएलआर) से अनधिक हो।

2 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए बैंक ब्याज दर का निर्धारण इस शर्त के अध्यधीन करने के लिए स्वतंत्र है कि इसका न्यूनतम पी एल आर से अधिक न हो।

(iii) उद्देश्य : 1. नए आवासीय घर/कोठरी/फ्लैट/डुप्लेक्स आदि के निर्माण/खरीद के लिए/प्रस्तावित आवास का निर्माण स्वयं, व्यावसायिक भवन निर्माताओं, सहकारी आवास सोसायटी, आवास बोर्डों आदि द्वारा किया जा सकता है।

2. पुराने आवास की खरीद को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। खरीद के लिए प्रस्तावित आवास आम तौर पर 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(iv) पात्रता : कोई व्यक्ति जिसके पास स्वतंत्र आय स्रोत अर्थात वेतन, व्यावसायिक आय, कारोबार से आय आदि हो जो वित्तीय प्रतिबद्धता/किस्तों की भुगतान कर पाने के लिए पर्याप्त हो।

(v) ऋण पात्रता : 1. अधिकतम ऋण आवेदक की निवल मासिक आय/शुद्ध वेतन के 36 गुणा के आधार पर मंजूर की जाएगी जिसमें वापसी अदायगी आय के 50 प्रतिशत से कम होती है।

2. कारोबार, कृषि/सम्बद्ध क्रियाकलापों आदि के लिए ऋण की अधिकतम राशि उनकी निवल वार्षिक आय के 3 गुणे तक सीमित होगी।

(vi) मार्जिन राशि : ऋण की राशि पर ध्यान दिए बिना 20 प्रतिशत।

(vii) संवितरण : संवितरण चरणों में किए जाने चाहिए और इसे निर्माण में हुई वास्तविक प्रगति से जोड़ा जाना चाहिए।

(viii) प्रतिभूति : सम्पत्ति को बंधक रखना।

भारत-ब्रिटेन निवेश मिशन

228. श्री नामदेव हरबाजी दिवाये :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–ब्रिटेन व्यापार निवेश मिशन ने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो विचार किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या निर्णय लिए गए ;

(ग) नई प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने तथा ताजा निवेश के संदर्भ में व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए पता लगाए गए महत्वपूर्ण क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान भारत–ब्रिटेन आर्थिक सहयोग और

द्विपक्षीय व्यापार की कार्य निष्पादन समीक्षा और पिछले तीन वर्षों में उभरने रुझान का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सर जर्मी हेनली, विदेश एवं राष्ट्रकुल कार्यालय में पूर्व राज्यमंत्री और सर निकोलस फेन, भारत में पूर्व ब्रिटिश उच्चायुक्त के संयुक्त नेतृत्व में भारत–ब्रिटिश व्यापार एवं निवेश मिशन ने 16–20 जनवरी, 2000 के दौरान नई दिल्ली एवं मुम्बई का दौरा किया। कार्यक्रम का समन्वयन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा किया गया था।

(ख) और (ग) प्रतिनिधिमंडल की कुछ केन्द्रीय मंत्रियों एवं व्यापार एवं उद्योग के साथ बैठकें हुई, जिनके दौरान उसे भारत द्वारा किए गए आर्थिक उदारीकरण तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी दी गयी थी जो बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, अवस्थापना, दूर संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, तेल एवं गैस, पेट्रोरसायन, औद्योगिक विनिर्माण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ाने के लिए विद्यमान हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं 1999 (30.11.99) के दौरान यू.के. से अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा

धनराशि : मिलियन रु. में)

वर्ष		यू.के. से अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
1996		15245.99
1997		44907.19
1998		32008.44
1999	(30.11.99 तक)	28734.51

पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं 1999–2000 (अप्रैल–नवम्बर) के दौरान भारत एवं यू.के. के बीच हुए व्यापार का ब्यौरा

(धनराशि : करोड़ रु. में)

वर्ष	भारत से हुए निर्यात	भारत द्वारा आयात	कुल व्यापार
1996–97	7266.52	7578.08	14844.60
1997–98	7955.90	9081.45	17037.35
1998–99	8027.83	10792.71	18820.54
1999–2000 (अप्रैल–नवम्बर)	6189.52	7146.45	13335.97

राज्यों को बैंक ऋण

229. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा राज्यों को ऋण वितरित करने में व्यापक और असामान्य विसंगतियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऋण वितरण संबंधी मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपेक्षित राज्यों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) मार्च 1999 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा (सीडी) अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है। बैंकों का ऋण जमा अनुपात हर राज्य में भिन्न–भिन्न होता है। अखिल भारतीय आधार पर बैंकों से अपनी ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी शाखाओं के लिए अलग–अलग 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात रखना अपेक्षित है।

(ग) किसी भी राज्य/क्षेत्र में ऋण का प्रवाह विभिन्न कारकों, जैसे बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, क्षेत्र की खपत क्षमता, मझोले तथा बड़े उद्योगों का विकास, विपणन सुविधाओं का उचित विकास, निवेश के लिए प्रेरक वातावरण, उद्यमिता संबंधी पहल, क्षेत्र की कानून व्यवस्था की दशा, बैंक के बकायों आदि की वसूली की सन्तोषप्रदता आदि पर निर्भर करता है। कम ऋण जमा अनुपात वाले राज्यों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए बैंक हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस संबंध में समय–समय पर आयोजित की जाने वाली संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में इस स्थिति की निगरानी की जाती है।

विवरण

मार्च 1999 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण जमा अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	68.5
2. अरुणाचल प्रदेश	14.1
3. असम	31.5
4. बिहार	25.2
5. गोआ	25.0
6. गुजरात	48.9
7. हरियाणा	42.2
8. हिमाचल प्रदेश	22.0
9. जम्मू एंड कश्मीर	38.7
10. कर्नाटक	64.5
11. केरल	41.1
12. मध्य प्रदेश	48.4
13. महाराष्ट्र	72.8
14. मनीपुर	41.7
15. मेघालय	16.7
16. मिजोरम	20.6
17. नागालैण्ड	15.7
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	73.6
19. उड़ीसा	42.5
20. पंजाब	38.7
21. राजस्थान	45.1
22. सिक्किम	20.0
23. तमिलनाडु	93.0
24. त्रिपुरा	29.4
25. उत्तर प्रदेश	27.2
26. पूर्वी बंगाल	43.8
27. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	16.6
28. चंडीगढ़	83.8
29. दादरा और नागर हवेली	21.3
30. दमन और दीप	17.6
31. लक्षद्वीप	7.7
32. पाण्डिचेरी	33.8
अखिल भारत	55.5

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष करों की बकाया भुगतान धनराशि

230. श्री अरूण कुमार :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों की कितनी धनराशि आदयगी हेतु शेष है;

(ख) इस धनराशि में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया प्रत्यक्ष करों की बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या उपाया किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों (31 मार्च की स्थिति अनुसार) के बारे में निगम कर और आयकर की बकाया मांग की कुल धनराशि के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं :

वित्तीय वर्ष	कुल बकाया मांग (रुपये करोड़ों में)
1996–97	33585.12
1997–98	41230.03
1998–99	44143.72

(ख) सम्पूर्ण बकाया मांग की वसूली नहीं की जा सकती है। इस धनराशि में वे मांगें भी शामिल हैं, जो देय नहीं हुई हैं, मांगों का भुगतान कर दिया गया है, परन्तु उनका सत्यापन नहीं हुआ है, न्यायालयों/समझौता आयोग/अपीलीय न्यायाधिकरणों और आयकर प्राधिकारियों आदि द्वारा स्थगित कर दिया गया है। बकाया की भारी राशि इकट्ठा होने का प्रमुख कारण है विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में इसी विषय पर अनेकों मुकद्मे किए गए हैं।

(ग) कर की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें विस्तृत

विधिक प्रक्रियाएं अंतर्ग्रस्त हैं। इनमें ब्याज लगाना, अर्थदण्ड लगाना, बैंक खातें की कुर्की करना, चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की एवं बिक्री करना शामिल हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा बड़ी राशियों से संबंधित मांगों की लगातार आवधिक समीक्षा की जाती है और उन पर निगरानी रखी जाती है तथा करों की वसूली करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय के विभागों में भ्रष्टाचार

231. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसम्बर, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रेस में" "कैच द व्हेल्स, लेट ऑफ द मैकेरल्स" नामक शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित खबर के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस मंत्रालय के अन्य विभागों यथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर में व्याप्त भ्रष्टाचार; अधिकारियों तथा व्यापारी समुदायों दोनों की सांठ-गांठ के कारण कर चोरी करने और गलत ढंग से धन इकट्ठा करने आदि की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क), जी, हां।

(ख) समाचार का संबंध मुख्यतः सहार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे तथा सहार विमान पत्तन पर 1.5 करोड़ रुपए के 1300 मोबाइल हैण्ड सेटों की तस्करी के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से है।

(ग) 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा 10 अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है।

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने हेतु कदम उठाए गए हैं। सतर्कता की दृष्टि से प्रशासन को मुस्तैद करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने लोक शिकायतों के निपटान हेतु ऑन लाइन सतर्कता चेतावनी प्रणाली आरंभ की है।

बैंकों द्वारा करेंसी नोटों का उचित रख-रखाव न किया जाना

232. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मियों/अन्य लोगों द्वारा करेंसी नोटों पर लिखकर और स्टेपल लगाकर इन्हें खराब किया जा रहा है/कटा-फटा बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) करेंसी नोटों के खराब रख-रखाव को रोकने और इनका अधिक समय तक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) दिए गए नोटों की अदद संख्या को वाटर मार्क विंडो में अंकित करना रोकड़ियों और जनता का एक चलन रहा है जिससे नोट खराब हो जाते हैं। नोटों के नए एवं पुनः जारी किए जाने वाले पैकेटों को स्टेपल किया जाता है जिससे नोटों की अवधि कम हो जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि नोट पैकेटों को स्टैपल न करें। इसके बजाए नए एवं पुनः जारी किए जाने वाले नोट पैकेटों पर बैंड लगाया जाए। वाणिज्यिक बैंक पुनः जारी किए जाने वाले नोट पैकेटों को स्टेपल करने के चयन को रोकने के लिए सिद्धान्त रूप में राजी हो गए हैं। तथापि, इसमें कुछ समय लग जाएगा क्योंकि ऐसे परिवर्तन के लिए प्रक्रिया तैयार करने की जरूरत होगी।

महाराष्ट्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

233. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एच.पी.टी./एल.पी.टी./स्टूडियो/दूरदर्शन केन्द्रों का उन्नयन/आकाशवाणी की स्थापना जैसी चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिसमें पूरी की गई परियोजनाएं अगले वर्ष तक चलने वाली परियोजनाएं शामिल हैं और इनके लिए प्रदान किया गया धन कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की मानीटरिंग तथा समीक्षा प्रसार भारती में विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है।

(ख) जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, वर्तमान में महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन 8 परियोजनाओं में से 4 पूरी हो चुकी हैं तथा शेष चार परियोजनाएं 20.02 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत पर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा इनके अगले वर्षों में चरणों में पूरा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में इस समय 39.41 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत पर कार्यान्वयनाधीन 16 दूरदर्शन परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा शेष 12 परियोजनाओं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, के अगले वर्ष के अन्त तक चरणबद्ध रूप से पूरा होने की संभावना है।

निर्यात नीतियों की समीक्षा

234. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देनें वाली विभिन्न नीतियों की समय पर समीक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों और व्यापार प्रतिनिधियों का कार्य दल के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने हेतु लघु एवं दीर्घावधि दोनों प्रकार की योजनाओं को तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने के बारे में सरकार को नीतिगत उपायों पर सलाह देने तथा विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सरकारी अधिकारियों और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए व्यापार बोर्ड का पहले ही गठन कर दिया है।

(ग) सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए समय-समय पर विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिनमें अन्य सुविधाओं के साथ शामिल है : ईपीसीजी योजना के तहत रियायती/शून्य शुल्क पर पूंजीगत सामानों का आयात, अग्रिम लाइसेंस के तहत निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात; निर्यात घराने, व्यापार घराने, स्टार व्यापार घराने और सुपर स्टार व्यापार घराने के रूप में निर्यातकों को मान्यता प्रदान करना, पात्र निर्यातकों को ग्रीन कार्ड सुविधा प्रदान करना और ई ओ यू/ई पी जैड योजना के तहत इकाइयों की स्थापना करना।

सरकारी ऋण

235. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

कुमारी भावना पुण्डलिकराव गवली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ते हुए सरकारी कर्ज और सरकार की गिरती हुई वित्तीय स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जयकुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा की गई कार्रवाई वर्ष 2000-2001 के बजट में प्रतिबिंबित होगी।

आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर समाचार वाचन

236. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल से क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार वाचन बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल केवल हिन्दी और अंग्रेजी में ही समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अश्लीलता

237. श्रीमती मिनाती सेन :

श्री सुखदेव पासवान :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 2000 में "नवभारत टाइम्स" में "कानून का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं विज्ञापन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। यह समाचार, कानूनों का उल्लंघन करके निजी उपग्रह चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे कतिपय विज्ञापनों के सम्बन्ध में है।

(ग) संगत कानूनों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाना है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

238. श्री धर्मराजसिंह पटेल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रसारण केन्द्र के माध्यम से कौन–कौन से कार्यक्रम प्रसारित करने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) इलाहाबाद में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर 1983 से कार्य कर रहा है। तथापि, एक टीवी स्टूडियो परियोजना पूरी हो गयी है और यह चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है।

(ग) अपेक्षित स्टाफ के मिलते ही स्टूडियो को चालू कर दिया जाएगा। प्रसार भारती ने पहले ही इस बारे में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(घ) इस स्टूडियो में सभी प्रकार के घरेलू कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं।

बैंकों से छोटे किसानों को ऋण

239. प्रो. रासासिंह रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में लघु और सीमांत कृषकों को तथा कृषि क्षेत्र में ऋण मुहैया कराने के लिए विभिन्न अधिसूचित बैंकों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इस लक्ष्य में कितनी उपलब्धि हासिल हुई है;

(ख) क्या लघु कृषकों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य में कृषकों को पर्याप्त ऋण मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) छोटे और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन कृषि और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत वे सम्मिलित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान में छोटे और सीमांत किसानों को बकाया ऋणों से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

समाप्त वर्ष	बकाया ऋण (करोड़ रुपए में)
जून, 1996	207.37
जून, 1997	211.19
जून, 1998	247.25

(ख) जी, नहीं। सरकार की जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नये नम्बरों का आबंटन

240. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन ने आयकर विभाग के स्थायी खाता संख्या (पी.ए.एन.) पर ज्यादा बल न देकर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नये नम्बरों के आबंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने का सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएशन से ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है जिसमें उसने आयकर विभाग के स्थायी खाता संख्या (पी.ए.एन.) पर ज्यादा बल न देकर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नए नम्बरों के आबंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने का सरकार से आग्रह किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

करों में राज्यों का हिस्सा

241. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर और उत्पाद शुल्क के केन्द्रीय राजस्व में से राज्यों को हिस्सा देने संबंधी दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने कतिपय संशोधनों के साथ दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय करों की सुपुर्दगी की वैकल्पिक योजना सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दी है। अनुमोदित योजना के अन्तर्गत लगभग सभी केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों (स्टाम्प शुल्क, औषधीय/प्रसाधन सामान पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, माल कर और अधिकार को छोड़कर) का एक निर्धारित प्रतिशत, आयकर और बुनियादी/विशेष उत्पाद शुल्कों में विद्यमान हिस्से, तंबाकू, कपास

और चीनी पर बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रेलवे यात्री किराए पर कर के बदले अनुदान, राज्यों को दिया जाएगा। यह पहली अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 2000 तक लागू होगी। वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान निवल प्राप्तियों का प्रतिशत हिस्सा इस तरह होगा कि राज्यों का हिस्सा सकल प्राप्तियों का 29 प्रतिशत हो। राज्यों के प्रतिशत हिस्से का पुनरीक्षण, इसे पन्द्रह वर्ष तक रोके रखने की बजाय, जैसा कि दसवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है, उत्तरवर्ती वित्त आयोगों द्वारा किया जाएगा।

सेबी द्वारा प्राप्त शिकायतें

242. श्री ए. ब्रह्मनैया :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेबी" ने लाभांश का भुगतान न करने और खो गए प्रमाणपत्रों के बदले इसकी दूसरी प्रतिलिपि जारी न करने के सम्बन्ध में छोटे निवेशकों से प्राप्त शिकायतों पर चुस्ती से कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो 1998–99 के दौरान "सेबी" को ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) "सेबी" द्वारा ऐसी कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया;

(घ) शेष शिकायतों का समाधान न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) शेयरधारकों के मामलों में सेबी को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) सेबी के अनुसार, उनके निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के तहत, सेबी द्वारा निवेशकों से कम्पनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें अभिस्वीकृत की जाती है तथा एक संदर्भ संख्या शिकायतकर्त्ता को भेजी जाती है। शिकायत का उचित निवारण करने के उद्देश्य से प्रत्येक शिकायत पर संबंधित कम्पनी के साथ कार्रवाई की जाती है तथा सेबी द्वारा आवधिक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। सेबी ने सूचित किया है कि निवारण की दर, जिसमें लाभांश का भुगतान न किए जाने तथा कम्पनियों द्वारा डुप्लीकेट शेयर जारी किए जाने से संबंधित शिकायतें शामिल हैं, 95.55 प्रतिशत हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1998–99 के दौरान, सेबी को कुल 2685 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो विधिवत् निष्पादित क्षतिपूर्ति बांड के प्रति शेयर प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के संबंध में हैं तथा कुल 22668 शिकायतें लाभांश प्राप्त न होने के संबंध में हैं। इसी अवधि के दौरान, उक्त किस्म की क्रमशः 2590 तथा 24,087 शिकायतों का सेबी द्वारा निवारण किया गया था। तथापि, समाधान की गई इन शिकायतों में पिछली अवधि से अग्रेनीत शिकायतें शामिल हैं।

(घ) कम्पनियों द्वारा शिकायतों का निवारण न किए जाने के कारण सामान्यतः कम्पनियों का रुग्ण हो जाना, प्रचालन बन्द हो जाना तथा वित्तीय कठिनाइयां हैं।

(ङ) सेबी, जो एक सांविधिक बाजार विनियामक है, की स्थापना प्रतिभूतियों में निवेशकों को संरक्षण करने के लिए की गई है। सेबी लघु निवेशकों से संबंधित मामलों के प्रति संवेदनशील है। ऐसा सेबी द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसरण में निवेशकों की शिकायतों की निवारण दर से अनुमान लगाया जा सकता है।

पारम्परिक सामग्री का निर्यात

243. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय, कॉफी, चावल, चमड़ा और खनिज जैसी पारम्परिक सामग्री के निर्यात में पिछले वर्ष से आज की तिथि तक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पारम्परिक सामग्री के निर्यात को संरक्षण देने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–अक्टूबर, 1999–2000 के दौरान चाय, कॉफी, चावल, चमड़ा और अयस्क तथा खनिजों के निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निम्नानुसार हैं :

मिलियन अमरीकी डालर)

मदें	अप्रैल–अक्टूबर 1998–99	अप्रैल–अक्टूबर 1999–2000
चाय	325	261
कॉफी	284	189
चावल	807	384
चमड़ा तथा उसके विनिर्माण	956	883
अयस्क तथा खनिज	455	438

निर्यातों में इस गिरावट के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारक जिम्मेदार हैं जैसे विश्व बाजार में मंदी, दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों, रूस और कुछ लैटिन अमरीकी देशों में आर्थिक संकट, अवस्थापनात्मक कठिनाइयां, अन्य बाधाएं जैसे कम इकाई मूल्य वसूली, कम उत्पादन और चाय जैसी मदों के लिए घरेलू मांग की बढ़ोतरी।

(ग) और (घ) परम्परागत मदों के निर्यातों के संरक्षण के लिए

किए गए कुछेक उपायों में शामिल हैं : विकेन्द्रीकरण, क्रियाविधियों के सरलीकरण और एक्जिम नीति में बताए गए अनेक अन्य उपायों के जरिए कारोबार लागत में कमी लाना। द्विपक्षीय पहल, थ्रस्ट क्षेत्रों और ध्यान देने योग्य क्षेत्रों का पता लगाना, प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी इत्यादि के जरिए भी निर्यात संवर्धन के उपाय किए जा रहे हैं।

पी जी एफ आई एल की बेहतर योजना

244. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कलकत्ता आधारित पीयरलैस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड (पी जी एफ आई एल) को कम्पनी की अनुप्रयोज्य आस्तियों और इसके द्वारा कम जमाराशि जुटाये जाने के संदर्भ में एक बेहतर योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बाद कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक की संतुष्टि के अनुरूप इस निर्देश का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कम्पनी के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लि. (पी जी एफ आई एल) ने प्रतिभूतियों की अनुमोदित श्रेणियों में निवेश द्वारा जमाकर्ताओं को संरक्षण देने हेतु अवशिष्ट गैर–बैंकिंग कंपनी निवेश 1987 के पैराग्राफ 6(1) के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं का पूरी तरह अनुपालन किया है। तथापि, इसकी तिमाही कार्रवाई रिपोर्टों में बताई गई प्रगति कुछ क्षेत्रों में अपेक्षित सीमा तक नहीं पाई गई।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 अक्टूबर, 1999 को पी जी एफ आई एल को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षित सीमा तक नहीं है, वहां आमूल चूल योजना के तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास किए जाएं।

प्रेस/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

245. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेस/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मंजूरी दिए जाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इस संदर्भ में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने प्रिन्ट मीडिया में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। स्थलीय एफ. एम. रेडियो प्रसारण और इलेक्ट्रोनिक प्रसारण के लिए भी अनुमति नहीं दी गई। केवल सॉफ्टवेयर के निर्माण तथा टेलीविजन अधिकारों के विपणन, प्रसारण समय, विकास आदि से संबंधित कार्यकलाप निम्नलिखित शर्तों पर विदेशी/बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए उपलब्ध है :

(क) भविष्य में प्रसारण संबंधी सभी कानून उन पर लागू होंगे और इस अनुमोदन के आधार पर वे किसी विशेषाधिकार या संरक्षण का दावा नहीं करेंगे;

(ख) वे भारतीय भूमि से कोई प्रसारण नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए विशेष अनुमति न दी जाए।

[हिन्दी]

बकाया आरक्षित पद

246. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैंकों, लोक उद्यमों, लोक उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) के बकाया आरक्षित पदों को भरने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बकाया आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी नहीं, इन्दिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले को उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ कहा है कि आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों सहित आरक्षित रिक्तियों की संख्या जिन्हें भरा जा सकता है, किसी भी हालत में वर्ष के दौरान भरे गए कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायालय आदेशों द्वारा लागू इस सीमाबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विशेष भर्ती संचालन को रोक दिया है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने बकाया रिक्तियों के संग्रहण से बचने के लिए आरक्षित पदों के समय पर भरे जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुदेश जारी किए हैं। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की भर्ती तथा प्रतिनिधित्व की स्थिति की पुनरीक्षा प्रत्येक छः महीने में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा समेकित प्रोफार्मा के माध्यम से की जाती है तथा सरकार को स्थिति से अवगत कराया जाता है। सार्वजनिक उद्यमों/सार्वजनिक उपक्रमों के सन्दर्भ में सार्वजनिक उद्यम विभाग भी निगरानी करता है।

विटामिन ए की तस्करी

247. श्री सुरेश चन्देल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 नवम्बर, 1999 के "पायनीयर" में विटामिन ए बीइंग स्मगल्ड इन ग्रेब आफ प्रॉन फीड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस तस्करी के कारण प्रतिवर्ष 2400 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है; और

(घ) विटामिन ए की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) विटामिन ए और विटामिन ए डी 3 से संबंधित आयात नीति प्रतिबंधित है। तथापि अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत श्रिम्पों की कतिपय विनिर्दिष्ट (हैडन, हैडलेस–ब्लॉक फ्रोजन/आईक्यूएफ/चिल्ड) के निर्यात पर निम्नलिखित मदों का निविष्टियों के रूप में शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है अर्थात् श्रिम्प/झींगा आहार, अथवा झींगा आहार के कतिपय विनिर्दिष्ट तत्त्व जैसे सोया खाद्य, स्क्विड लीवर तेल/पाउडर, गेहूं ग्लटन, सोया लेसिथिन, प्रो–बॉयोटिक्स, इम्यूनोस्टिम्यूलैटस, विटामिन पूर्व मिश्रकों जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए/एडी3, विटामिन बी–1, विटामिन बी2/बी 6 और खनिज मिश्रण शामिल हैं। विटामिन पूर्व मिश्रणों और खनिज मिश्रणों के आयात की अनुमति फिलर्स के साथ केवल मिश्रित रूप में दी जाती है और इसमें विटामिन सी का होना जरूरी है। भार के आधार पर विटामिन ए और एडी3 की कुलमात्रा भी विटामिन पूर्व–मिश्रणों के 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उपरोक्त दो अथवा उससे अधिक विटामिन पूर्व मिश्रणों की उपरोक्त शर्तें पूरी करने पर अनुमति दी जा सकती है। अग्रिम लाइसेंसिंग योजना में खनिज मिश्रण एवं फिलर्स के साथ पूर्व–मिश्रित रूप में ही विटामिनों के आयात की व्यवस्था है। इसलिए विटामिनों के अनधिकृत आयात की संभावना केवल ऐसे मामलों से होती है जिनमें आयातित निविष्टियों के विवरण की गलत घोषणा की जाती है। वास्तविक गलत घोषणा/धोखाधड़ी वाले ऐसे मामलों का पता लगाना तभी संभव है जब सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा झींगा आहार/पशु–आहार की आयात खेपों की अन्तर्वस्तुओं की व्यापक वास्तविक जांच की जाए ताकि विटामिन ए/एडी3 जैसी मदें झींगा आहार/पशु आहार के रूप में आगे न जा सकें।

भुवनेश्वर की तीन फर्मों से संबंधित 58 अग्रिम लाइसेंस (अलग–अलग लाइसेंसों समेत) जो नीति के प्रावधानों के स्पष्टतः अनुरूप नहीं थे, कटक लाइसेंसिंग कार्यालय द्वारा जारी किए गए पाए गए थे जिनका कुल मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक था। इन मामलों में इन लाइसेंसों को रद्द करने और अर्थदण्ड लगाने का प्रस्ताव करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया है। कुछ मामलों में, अधिनिर्णय की कार्रवाई पूरी हो गई है और अर्थदण्ड लगाया गया है। ये फर्में दण्ड लगाने के खिलाफ बम्बई और कटक उच्च न्यायालय में चली गई हैं।

(ग) यद्यपि ऐसी कुछ घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं जिनमें गलत घोषणा अथवा गलत वर्गीकरण का सहारा लेकर विटामिन ए का अनधिकृत रूप से आयात करने के प्रयास किए गए थे तथापि यह कहना सही नहीं है कि सरकार को 2400 करोड़ रुपए वार्षिक का नुकसान हुआ है, जैसाकि समाचार में कहा गया है।

(घ) शुद्ध विटामिन की झींगा आहार/पशु आहार के रूप में गलत घोषणा करते हुए इसे अनधिकृत आयात के ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए डीजीएफटी द्वारा सभी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों/सीमाशुल्क आयुक्त को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि निर्यात एवं आयात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के शीर्ष सं. 23.09 के तहत झींगा/श्रिम्प/कुक्कुट आहार के रूप में विटामिन ए/एडी3 आदि जैसे विटामिनों के आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दिनांक 25.11.99 के एक नीति परिपत्र द्वारा आगे स्पष्ट किया गया था का सम्पूरक के रूप में पशु आहार के अनन्य रूप से प्रयोग में लाए जाने के लिए विटामिन अथवा प्रो. विटामिन, एमीनो एसिड, कोसिडिओस्टेट्स इत्यादि से युक्त केवल पूर्व मिश्रणों के सुमेलिकृत वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली की व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार उपरोक्त शीर्ष 23.09 के तहत वर्गीकरण जारी रहेगा।

उन कुछेक मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें कतिपय फर्में ऐसे लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हो गई थीं जो मानक निविष्टि–उत्पादन मानदण्डों के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं थे। ऐसे अग्रिम लाइसेंसों को रद्द करने का प्रस्ताव करते हुए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

विदेशी वकीलों को विदेशी मुद्रा का भुगतान

248. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों को अपने विदेशी वकीलों और बैंकरों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कम्पनियां अपने ऋण समझौतों को स्थिरता प्रदान करने में असफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (घ) विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर दिशा–निर्देशों के अनुसार भारतीय कंपनियों को अपने विदेशी अधिवक्ताओं तथा बैंकरों को आउट–आफ–पॉकेट खर्च से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति है तथा इसकी व्यवस्था विदेशी वाणिज्यिक उधार अनुमोदनों के भाग के रूप में की जाती है। संभावित विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए उपगत वैसे संचालनात्मक तथा आऊट–आफ–पाकेट खर्चे जो ऋण नहीं होते हैं, की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक उच्चतम सीमा की शर्त के अधीन, चालू खाता लेन–देनों पर विद्यमान आर.बी.आई. दिशा–निर्देशों के अनुसार देता है।

कपास का आयात

249. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय के बावजूद फसल के चालू मौसम के दौरान निजी मिल मालिकों द्वारा अधिक कपास आयात किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कपास का कितना उत्पादन होने की उम्मीद है;

(घ) क्या पड़ोसी देश पाकिस्तान के कपास के आयात पर प्रतिबंध से आयातकों का ध्यान विचलित होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कपास परामर्शदात्री बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान कपास के आयात में कपास की पांच लाख गांठों की कमी करने का अनुमान लगाया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कपास सलाहकार बोर्ड के प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार दिनांक 19.11.1999 को की गयी अपनी बैठक में चालू कपास वर्ष 1999–2000 (अक्टूबर–सितंबर) के दौरान वर्ष 1998–99 (अक्टूबर–सितंबर) के दौरान आयात की गयी 7.87 लाख गांठों की तुलना में लगभग 5 लाख गांठों (प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.) का आयात होगा।

(ग) सी ए बी के आकलनों के अनुसार (दिनांक 19.11.1999 की स्थिति अनुसार) वर्तमान कपास वर्ष 1999–2000 (अक्टूबर–सितंबर) में कपास का उत्पादन लगभग 175 लाख गांठ (170 कि.ग्रा. प्रत्येक) होने का है।

(घ) और (ङ) कपास की कीमतों व गुणवत्ता प्राचलों पर निर्भर करते हुए, यह संभावना है कि पाकिस्तान की कपास के निर्दिष्ट आयातक, पाकिस्तान कपास के आयात पर रोक के मद्देनजर अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु, अन्य कपास निर्यातक देशों की ओर अभिमुख हो सकते हैं।

(च) और (छ) कपास सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 19.11.1999 को की गयी अपनी बैठक में, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतों की तुलना में कपास की घरेलू कीमतों, घरेलू कपास उत्पादन के आकलनों और घरेलू बाजार में अनुमानित खपत के आकलन के आधार पर विगत कपास वर्ष 1998–99 के दौरान 7.87 लाख गांठों की तुलना में 5 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किग्रा.) के आयात का प्राथमिक आकलन किया है। कुछ अनुमानों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

कपास का आयात

250. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान कपास के आयात में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो 1999–2000 के दौरान कपास की कुल कितनी गांठों का आयात किया गया;

(ग) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कपास आयात की अपेक्षा 1999–2000 के दौरान कपास के आयात में कितनी वृद्धि की गयी है;

(घ) क्या इन वर्षों में कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार उत्पादन में वृद्धि के मद्देनजर आयात नीति की अपेक्षा करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 19 अप्रैल, 1994 से कपास का आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत होता है। तथापि, चालू बजट वर्ष से 5 प्रतिशत का आयात शुल्क (10 प्रतिशत सरचार्ज के साथ) लगाया गया है। प्रयोक्ता मिलें तथा अन्य कपास के लिए संबंधित तथा वस्त्र उद्योग सरकार की नीति के ढांचा के अंतर्गत कपास का आयात कर सकते हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 1.1.2000 से 15.2.2000 की अवधि के दौरान वस्त्र आयुक्त के पास 10,95,360 गांठों (प्रत्येक गांठ में 170 किग्रा.) के आयात निविदाएं पंजीकृत हो चुकी हैं तथापि, वास्तविक आयात का विवरण अभी रिपोर्ट किया जाना है। कपास वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान कपास का आयात क्रमशः 4.13 लाख गांठों तथा 7.87 लाख गांठों का था।

(घ) और (ङ) वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान कपास का उत्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	लाख गांठों में प्रत्येक 170 कि.ग्रा. उत्पादन
(अक्टू–सितंबर)	
1997–98	158
1998–99	163
1999–2000	175*

*नवंबर, 1999 में कपास परामर्श बोर्ड द्वारा अनुमानित

(च) सरकार द्वारा समय–समय पर कपास की आयात नीति की समीक्षा की जाती है। दिनांक 23.12.1999 से वस्त्र आयुक्त के पास कपास का आयात पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वनस्पति–सेनेट्री आधार पर दिनांक 11.1.2000 से पाकिस्तान से भारत में कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

[हिन्दी]

थोक मूल्य सूचकांक

251. श्री सुखदेव पासवान :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक को बदलने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों सूचकांकों के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981–82 से अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित करने की दृष्टि से आधार वर्ष 1981–82 = 100 वाली वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक शृंखला के संशोधन के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए कार्यकारी दल का गठन किया गया। दल ने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और आधार वर्ष 1993–94 वाली नई थोक मूल्य सूचकांक शृंखला बहुत शीघ्र लागू कर दी जाएगी।

(ग) नई एवं वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक शृंखला की तुलना

ब्यौरा	नई थोक मूल्य सूचकांक शृंखला	वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक शृंखला
आधार वर्ष	1993–94	1981–82
मदों की संख्या	435	447
भाव दरों का संख्या	1918	2371
भारांश		
सभी जिंसें	100	100
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	32.29
ईंधन समूह	14.23	10.66
विनिर्मित उत्पाद	63.75	57.04
जोड़ी गई मदें	136	75
हटाई गई मदें	150	54

* अधिक हाल के आधार वर्ष 1993–94 को अपनाया गया है ताकि नई शृंखला में 1981–82 से अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जा सके।

* नवोदित हो रहीं और महत्त्वपूर्ण मदों को शामिल करके और कुछ गैर–महत्त्वपूर्ण मदों को हटाकर नई शृंखला के गठन को युक्तिसंगत बनाया गया है।

* उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1993–94 के अनुसार 120 करोड़ रुपए अथवा अधिक के कारोबार मूल्य वाली मदों को नई शृंखला के विनिर्मित उत्पाद समूह में सम्मिलित किया गया है। इसके विपरीत, 1981–82 की शृंखला में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1980–81 के अनुसार 20 करोड़ रुपए अथवा अधिक के उत्पादन मूल्य वाली मदों को सम्मिलित किया गया था।

* कृषि क्षेत्र के अपेक्षाकृत धीमे विकास के कारण प्राथमिक समूह के भारांश में गिरावट आई है जबकि विनिर्मित उत्पाद समूह और ईंधन समूह के भारांश में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

चाय, कॉफी, मसाले और तम्बाकू का निर्यात

252. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कॉफी, चाय, इलायची, मिर्च और तम्बाकू का निर्यात किया गया तथा उक्त वस्तुओं का कितना निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे वर्ष–वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) इन वस्तुओं के विश्व–निर्यात में भारत की प्रतिशत भागीदारी कितनी है; और

(घ) देश में ऐसे कौन–कौन से राज्य हैं जो उपरोक्त वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात करते हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) निर्यात के देश–वार आंकड़ों के ब्यौरे डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और ये संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) वर्ष 1998–99 के दौरान विश्व निर्यात में कॉफी का प्रतिशत हिस्सा 4.46%, इलायची का 3.7 %, मिर्च का 54% था। वर्ष 1998 के दौरान चाय के संबंध में उक्त हिस्सा 16.7% था और अनिर्मित तम्बाकू का हिस्सा 5% था।

(घ) कॉफी और इलायची के निर्यात में अधिकतम योगदान क्रमशः कर्नाटक और केरल राज्यों से प्राप्त होता है। मिर्च और तम्बाकू के मामले में अधिकतम योगदान आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है।

चाय का निर्यात मिश्रित रूप से या तो बल्क में या पैकेटों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण के समय सुपर चाय का उद्गम स्थल लुप्त हो जाता है और इसलिए उन राज्यों का पता लगाना संभव नहीं होता है जिनका भारत से निर्यातित चाय में अधिकतम हिस्सा बनता है। तथापि, चाय का अधिकतम उत्पादन असम राज्य में होता है।

वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए सहायता

253. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए और विशेषकर पिछड़े इलाकों में चल रहे ऐसे उद्योग के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य–वार कितना–कितना खर्च किया गया है; और

(ख) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस उद्योग के और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार देश में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना–शीर्ष के अंतर्गत किया गया व्यय वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान क्रमशः 254.84 करोड़ रुपए तथा 233.36 करोड़ रुपए का था।

भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए एक प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) शुरू की है। जो कि दिनांक 1.4.99 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.3.2004 तक प्रचालन में है। इस योजना के अंतर्गत नोडिए एजेंसियों/सहयोजित संस्थानों द्वारा उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को संबंधित वित्तीय संस्थानों के वित्तीय मानदंडों और योजना की अनुरूपता में परियोजनाओं के लिए दिए जाएंगे। सरकार का वित्तपोषण योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकीय उन्नयन की परियोजनाओं पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा प्रभावित ब्याज पर 5 प्रतिशत के बिन्दु तक की ब्याज की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार ने कपास के उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता में सुधार लाने, उन्नयन के लिए योजनाएं तथा नयी प्रयोगशालाओं की स्थापना, नये औद्योगिक एककों की स्थापना तथा वर्तमान एककों के विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण आदि के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया है।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गयी कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं नीचे दी गयी हैं :

1. हथकरघा क्षेत्र

कार्यशाला सह–आवास योजना, परियोजना पैकेज योजना हथकरघा विकास केन्द्र, गुणवत्ता रंगाई एकक, सामूहिक बीमा योजना आदि।

2. विद्युतकरघा क्षेत्र

विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों तथा कंप्यूटर सहायित डिजायन केन्द्रों की स्थापना, सामूहिक बीमा योजना आदि।

3. रेशम क्षेत्र

रेशम उत्पादन के विकास के लिए योजना पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन विकास के लिए कार्य योजना, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम आदि।

4. ऊन क्षेत्र

एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना, ऊन तथा ऊनी वस्त्र विकास के लिए क्षेत्र आधारित परियोजना, ऊन परीक्षण केन्द्र तथा बुनाई एवं डिजायन प्रशिक्षण केन्द्र आदि।

केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क विभाग का वेबसाईट

254. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क विभाग (सी.बी.इ. सी.) ने सीमाशुल्क से संबंधित ग्राहकों से शिकायत प्राप्त करने के लिए वेबसाईट की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो यह वेबसाईट कितना उपयोगी रहा है;

(ग) क्या इनमें कोई गोपनीयता निहित नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सीबीइसी का ऐसे वेबसाईट शुरू करने का क्या प्रयोजन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड ने जनता से विभाग के अधिकारियों और स्टॉफ के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए कम्प्यूटरीकृत सतर्कता सतर्क प्रणाली की शुरुआत की है। यह कार्यान्वयन के प्रारम्भिक चरणों में है। प्रणाली में गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

दूरदर्शन नेटवर्क के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु नई योजनाएं

255. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दूरदर्शन नेटवर्क के उन्नयन और आधुनिकीकरण की कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार प्रस्तावित उन्नयन योग्य दूरदर्शन केन्द्रों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समय–समय पर स्कीमें तैयार की जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं। वर्तमान में 2 स्टूडियो तथा 60 ट्रांसमीटरों के उन्नयन हेतु स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इस बारे में राज्य–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

उन स्थानों का ब्यौरा जहां सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्टूडियो का आधुनिकीकरण	उ.श.ट्रा. की शक्ति बढ़ाना	अ.श.ट्रा. से उ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा. से उच्च शक्ति ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा. से अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश		राजमुन्दरी	वारांगल		
2.	असम			गुवाहाटी डीडी–2		
				सिलचर डीडी–2		
3.	बिहार	रांची		जमशेदपुर	–	–
				पटना डीडी–2	–	
4.	गोवा			पणजी डीडी–2		
5.	गुजरात			सूरत		
				बड़ोदरा		
6.	हिमाचल प्रदेश			शिमला डी. डी. 2		
7.	जम्मू तथा कश्मीर			कथुआ	नौशेरा	पुंछ
				जम्मू डीडी–2	सांबा	उधमपुर
				श्रीनगर	कुपवाड़ा	
				(कशीर चैनल)	गुरेज	
					टिथवाल	
8.	कर्नाटक			हासन		
				मंगलौर		
				मैसूर		
				रायचूर		

1	2	3	4	5	6	7
9.	केरल		कालीकट (स्था.)			
			कन्नानोर			
			कोचीन डी. डी. 2			
			त्रिवेन्द्रम डी. डी. 2			
10.	मध्य प्रदेश				अम्बिकापुर	
					गुना	
					शहडोल	
11.	महाराष्ट्र				भोपाल डीडी–2	
					चन्द्रपुर	
					जलगांव	
					रत्नागिरी	
					नागपुर डीडी–2	
12.	मणिपुर				चुराचांदपुर	
13.	मेघालय				तुरा डीडी–2	
14.	उड़ीसा			सम्भलपुर	सम्भलपुर डीडी–2	नयागढ़
15.	पंजाब			फाजिल्का		
				अमृतसर		
16.	राजस्थान			बाड़मेर	अजमेर	
					जयपुर डीडी–2	
17.	तमिलनाडु				कुम्बाकोनम	
18.	त्रिपुरा				अगरतला डीडी–2	
19.	उत्तर प्रदेश				बांदा	
					लखीमपुर	
					लखनऊ डीडी–2	गोपेश्वर
20.	पं. बंगाल				बलूरघाट	झालदा
					खड़गपुर	
					कृष्णानगर	
					शंतिनिकेतन	
					मुर्शिदाबाद डीडी–2	
21.	दिल्ली	दिल्ली				
22.	पांडिचेरी				पांडिचेरी	

[हिन्दी]

बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश

256. **श्री मनीभाई रामजीभाई चौधरी :**

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें सरकार का विदेशी निवेश को अनुमति देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में विदेशी निवेश, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 3(2घ) के उपबन्धों की शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं जिसमें व्यवस्था है कि भारत से बाहर स्थित कोई व्यक्ति अथवा कंपनी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अपनी प्रदत्त पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक के शेयर किसी भी समय अंतरण द्वारा धारित या अर्जित नहीं करेगा। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) अथवा विदेशी कंपनी निकायों (ओसीबी) द्वारा शेयरों की धारिता के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में विशेष उपबन्ध नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए की गई व्यवस्था की तरह भारतीय स्टेट बैंक के मामले में भी 20 प्रतिशत की समान उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी है।

कार का उत्पादन और बिक्री

257. **श्री नवल किशोर राय :**

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से देश में कारों के उत्पादन और बिक्री में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान कुल कितनी कारों का उत्पादन हुआ है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दिसम्बर 1999 के अंत तक और चालू वित्त वर्ष के दौरान देशों में और विदेशों में अलग-अलग वर्षवार कितनी कारों की बिक्री की गई है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) 1993-94 में उदारीकरण से 1997-98 को छोड़कर यात्री कारों के उत्पादन व बिक्री में लगातार वृद्धि होती रही है और 1998-99 में उत्पादन में गिरावट आई थी। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फिर से पकड़ बना ली गई है। पिछले चार वर्षों और 1999-2000 (दिसम्बर तक) के दौरान कारों का उत्पादन, बिक्री और निर्यात निम्नानुसार है :

(संख्या में)

यात्री कर	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर)
उत्पादन	348240	411145	401002	390709	407535
बिक्री	345340	411305	417720	409966	456238
निर्यात	28851	37161	29705	25464	14657

[अनुवाद]

कमजोर बैंकों का बन्द किया जाना

258. **डॉ. रमेश चंद तोमर :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री ने भारतीय उद्योग महासंघ के कमजोर सरकारी बैंकों को बन्द करने संबंधी सिफारिश की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैंकों को पैसा न चुकाने वाली कारपोरेट संस्थाओं से पैसा वसूलने की स्वतंत्रता नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या पहल करने का प्रस्ताव है;

(घ) 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की क्षेत्र-वार सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां कितनी थीं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार कितने प्रतिशत बैंक वसूली को बट्टे खाते डाला गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने नियुक्त किए गए कृतिक बल की सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों को बन्द करने संबंधी सिफारिश वापस ले ली है। सीआईआई की सिफारिश पर विविध प्रतिक्रियाएं रही थीं। एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी किसी सिफारिश की आलोचना नहीं की है।

(ख) सभी चूककर्ताओं से अपनी देय राशि वसूल करने के लिए बैंक पूर्णतया स्वतन्त्र हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने न केवल नई अनुपयोज्य आस्तियां बनने से रोकने के लिए बल्कि अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली भी सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, ऋण वसूली अधिकरणों के जरिए प्रभावी तरीके से वसूली करना, ऋण मूल्यांकन कुशलताओं को उन्नत बनाना, ऋण वसूली नीति के दस्तावेज तैयार करना, न्यूनतम खर्च पर अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बातचीत द्वारा समझौते करना, मुख्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करना आदि शामिल हैं।

(घ) दिनांक 31.3.99 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की कुल राशि 51,711/– करोड़ रुपए थी। वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियां दिनांक 31.3.99 की स्थिति के अनुसार 16,624/– करोड़ रुपए थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.3.99 की स्थिति को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियों का क्षेत्र–वार ब्यौरा निम्नलिखित था :

क्षेत्र का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)
सरकारी क्षेत्र के एकक	1495.50
गैर प्राथमिकता क्षेत्र	27607.89
प्राथमिकता क्षेत्र	22607.11

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली यह सूचना क्षेत्र–वार नहीं देती है।

भारतीय स्टेट बैंक

259. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिवर्ज बैंक की हिस्सेदारी को कम करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकतम हिस्सेदारी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि भारतीय स्टेट बैंक में विदेशी मुद्रा कोष बरकरार रह सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति (नरसिंहम समिति–II) ने पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु बैंकों को अपना पूंजी आधार बढ़ाने के लिए बाजार से इक्विटी जुटाने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता का स्तर वर्तमान के 55 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत तक कम करने की सिफारिश की है। सिफारिश परीक्षणाधीन है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) का विदेशी कंपनी निकायों (ओसीबी) की शेयरधारिता के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 3(2घ) के आधार पर 20 प्रतिशत की सीमा को भारतीय स्टेट बैंक के मामले पर भी लागू कर दिया गया है।

रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम

260. डॉ. संजय पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दस पांडुलिपियों (इस समय) की सूची में 100 और पांडुलिपियां जोड़ने के लिए रोलिंग सेटलमेंट (दैनिक) सिस्टम के विस्तार करने की पहल का दलालों और निवेशकों द्वारा विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनियों के प्रमोटर इस पहल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत उनके शेयरों के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या "सेबी" की पहल प्राकृतिक रूप से अपमानजनक है और वाल्यूम में बंट जाएगी और इसके परिणामस्वरूप लिक्विडिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या दस पांडुलिपियों में वाल्यूम जो पहले ही अनिवार्य रोलिंग सेटलमेंट सूची में हैं, तेजी से कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो "सेबी" के रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत 100 और पांडुलिपियां शुरू करने पर अड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस मामले में दखल देने और 1999 से आज तक पूंजी बाजार की वर्तमान बाजार विकास के संदर्भ में "सेबी" की पहल को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सेबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, किसी भी दलाल या निवेशक ने चल निपटान का विस्तार करने की सेबी की पहल का विरोध नहीं किया है। इसके अलावा, एक मामले को छोड़कर, किसी प्रवर्तक ने सेबी से सम्पर्क तथा चल निपटान का विरोध नहीं किया है।

(ग) और (घ) सेबी द्वारा दी गई औसत छः निपटानों के आंकड़ों पर आधारित सूचना के अनुसार, कई दिन 10 स्क्रिपों के प्रथम लॉट में कुछ स्क्रिपों की कारोबार मात्रा, परिदाय तथा कीमत भी चल निपटान

के आरम्भण से पूर्व की औसत मात्राओं से अपेक्षाकृत अधिक रही है।

(ङ) और (च) चल निपटान के निवेशकों के लिए अनेक लाभ हैं। इससे जोखिम कम होता है तथा समाशोधन एवं निपटान में तीव्रता आती है जिससे निवेशकों को अपेक्षाकृत अधिक नकदीकरण प्राप्त होता है। इस कारण से, चल निपटान सभी विकसित बाजारों में तथा लगभग सभी उभरते हुए बाजारों में प्रचलित है। चल निपटान की ओर संक्रमण से भारत के पूंजी बाजारों में कारोबार प्रथाएं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अधिक निकट आ जाएंगी।

[हिन्दी]

करेंसी नोटों की विदेशों में छपाई

261. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विदेशों में छपवाये गये करेंसी नोटों का ब्यौरा क्या है और देश-वार इनकी संख्या एवं मूल्यवर्ग क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन करेंसी नोटों की छपाई पर कितना व्यय किया गया;

(ग) विदेशों से इन करेंसी नोटों को छपवाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार करेंसी नोटों को विदेशों में छपवाने को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :

मूल्यवर्ग	आपूर्तिकर्ता	देश	वर्ष	मात्रा मिलियन अदद में
500	गीसेके एण्ड डेवरिएन्ट	जर्मनी	1997–98	245.50
	–तदैव–		1998–99	541.50
	फ्रैंकाइज चार्ल्स आबेरथर	फ्रांस	1997–98	133.60
	–तदैव–		1998–99	348.40
	बी. ए. बैंक नोट	कनाडा	1997–98	50.00
	–तदैव–		1998–99	281.00
			जोड़	1600.00
100	डि ला रूई मुद्रा एवं प्रतिभूति मुद्रण	यू.के.	1997–98	950.00
	–तदैव–		1998–99	142.00
	डेबडेन प्रतिभूति मुद्रण लि.	यू.के.	1997–98	90.00
	–तदैव–		1998–99	183.00
	अमरीकी बैंक नोट कम्पनी	संयुक्त राज्य अमरीका	1997–98	160.00
	–तदैव–		1998–99	475.00
			जोड़	2000.00

(ख) सूचना इस प्रकार है :

अवधि	व्यय रुपयों में
1–4–97 से 31–3–98	196,33,79,712 = 00
1–4–98 से 31–3–99	188,14,99,494 = 00
	384,48,79,206 = 00

(ग) मांग आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए एक–बा.ी उपाय के रूप में नोटों की उपर्युक्त मात्रा का आयात करना पड़ा था।

(घ) और (ङ) विदेशों से मुद्रित नोटों का और आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर नए चैनल

262. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री भीम दाहाल :

श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने हाल ही में कुछ नए चैनल शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में वृत्तचित्रों के लिए एक विशेष दूरदर्शन चैनल सहित कोई अन्य नया चैनल शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख), जी हां। दूरदर्शन के "खेल चैनल" तथा "समाचार चैनल" को क्रमशः 20 मार्च, 1999 तथा 15 अगस्त, 1999 को शुरू किया गया है। इसके अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के सहयोग से दिनांक 26 जनवरी, 2000 को एक शैक्षिक चैनल "ज्ञान दर्शन" आरंभ किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर आकाशवाणी और दूरदर्शन ट्रांसमीटर

263. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषतः बांग्लादेश द्वारा भारत–विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण को प्रभावशाली बनाने हेतु जून, 1998 से अब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान भारत–बांग्लादेश सीमा पर कितने ट्रांसमीटर लगाए गए;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि असम राज्य में करीमगंज जिले का अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश सीमा से लगा है और वहां बांग्लादेश द्वारा भारत–विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना अत्यंत आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार वहां आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए ऐसे कदम कब तक उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जुलाई, 1999 में 430 करोड़ रुपए के परिव्यय पर जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के सीमावर्ती जिलों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं के विस्तार के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूर किया गया है। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करने के लिए जून, 1998 से अब तक बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में 3 टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं चालू की गयी हैं। इनके अतिरिक्त, बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों की 13 परियोजनओं सहित 14 टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं इस समय देश के सीमावर्ती जिलों में कार्यान्वयनाधीन हैं। जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, जून, 1998 से अब तक बांग्लादेश से सीमावर्ती जिलों में 5 आकाशवाणी ट्रांसमीटर चालू कर दिए गए हैं। इसके अलावा, बंगलादेश के सीमावर्ती जिलों में 9 परियोजनाओं सहित 24 आकाशवाणी ट्रांसमीटर परियोजनाएं इस समय देश के सीमावर्ती जिलों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में करीमगंज जिले का अधिकांश भाग सिलचर स्थित ट्रांसमीटर से सेवा आकाशवाणी और दूरदर्शन (डी.डी. I) की कवरेज प्राप्त करता है। वर्तमान में सिलचर में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर करीमगंज जिले के भागों में मेट्रो चैनल सेवा (डी.डी. 2) भी उपलब्ध हो जाएगी।

कृषि निर्यात

264. डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

श्री के. येरननायडू :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों को विदेशों में अस्वीकृत किए जाने की स्थिति से बचने के लिए इनका फफूंद तथा जीवाणु रहित होना सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की सहायता हेतु कृषि के निर्यात में वृद्धि करने, तथा खाद्य प्रसंस्करण तथा इससे सम्बद्ध उद्योगों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) कृषि उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मांग के साथ–साथ आपूर्ति की घरेलू क्षमता, उत्पादों की प्रचलित वैश्विक कीमतों, व्यापार की जा रही किस्मों और उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करता है। गत दो वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों, चाय, कॉफी, रबड़, अरंडी का तेल और कपास को छोड़कर निर्यात की गई कृषिजन्य मदों का मूल्य निम्नानुसार है :

1997–98	15169 करोड़ रु.	अप्रैल–अक्टूबर, 1997–98	7457.58 करोड़ रुपए
1998–99	15960 करोड़ रु.	अप्रैल–अक्टूबर 1998–99	8712.62 करोड़ रुपए
		अप्रैल–अक्टूबर, 1999–2000	7702.78 करोड़ रुपए

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता

(ग) और (घ) कृषि उत्पादों को फफूंदी और जीवाणु मुक्त करने के लिए ताकि विदेशों में इन्हें अस्वीकार न किया जाए, एक उपाय के रूप में अफलाटॉक्सिन के लिए मूंगफली की जांच और अनिवार्य निरीक्षण के लिए योजनाएं विकसित की गई हैं। नमूना तथा जांच की पद्धतियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और जांच करने तथा विश्वसनीयता के साथ प्रमाणन के लिए सक्षम पाई गई प्रयोगशालों को नामित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। कृषि उत्पादों को सुखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सहायता दी जा रही है ताकि ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके जिसमें उत्पादों में फफूंदी और जीवाणु के संवर्द्धन को रोका जा सके।

(ङ) गुणवत्ता उन्नयन, खाद्य प्रसंस्करण/कृषि उद्योगों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने सहित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन के लिए उठाए गए कदमों में अन्यों के साथ–साथ ये शामिल हैं :

(1) अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) निर्यात एककों में आईएसओ 9000/एचएसीसीपी प्रणालियों को अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) विदेशी बाजारों में गाह्यता में सुधार लाने के लिए उत्पादों में विशेषकर आमों में कीट के प्रकोप को दूर करने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की स्थापना;

(4) ताजे फलों, सब्जियों, पुष्पोत्पादों जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गोसंचालन और शीत भंडारों की स्थापना करना;

(5) गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सम्मिश्रण को खत्म करने और जीवाणु एवं फफूंदी से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान करना;

(6) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म, पक्कवन/क्योरिंग चेम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(7) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, प्रतीशन–पूर्व शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैडलिंग प्रणालियों (पैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(8) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(9) क्रेता–विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह–भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(10) डाटा वेश विकसित करने और बाजार सूचना को प्रचालित करने के लिए सहायता प्रदान करना।

दूसरे चरण के सुधार कार्यक्रम

265. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री अनंत गुढे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे चरण के सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्या मुख्य उपलब्धि हासिल करने का है और इस प्रयोजनार्थ कार्य करने का क्या तरीका अपनाया जाना है;

(ख) दूसरे चरण के आयोजित सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में डावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू. इ. एफ.) के वार्षिक सम्मेलन में किसी योजना का संकेत दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) आर्थिक सुधारों का लक्ष्य "रोजगार और इक्विटी सहित तीव्रतर विकास" है। इसकी प्राप्ति के लिए 7 से 8 प्रतिशत की त्वरित और व्यापक आधार पर संवृद्धि की जरूरत है जिससे गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। जैसा कि 25 अक्टूबर, 1999 को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्दिष्ट है। राष्ट्र की पुनरोन्मुखी विकास नीति तीन बातों पर ही निर्भर करेगी जिनमें सरकार एक सुदृढ़ और विनियामक नेतृत्व प्रदान करती है; निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्द्धी परिवेश में गति और दक्षता प्रदान करता है; और स्थानीय प्रजातांत्रिक संस्थाएं और सिविल समाज लोगों द्वारा उत्साहजनक भागीदारी प्रदान करता है। इस नीति में समाज के प्रत्येक वर्ग, राज्य और प्रशासन में विकासानुकूल नई सोच की जरूरत है जिससे विगत से पूरी तरह हट कर एक सुदृढ़ राष्ट्रीय सहमति का सृजन किया जा सके।

(ग) और (घ) वित्त मंत्री ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में यह निर्दिष्ट किया कि सरकार सुधारों को जारी रखने और रोजगार तथा इक्विटी सहित उच्चतर आर्थिक विकास को पोषित करने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

266. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998–99 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप किसानों को "फार्मर्स क्रेडिट कार्ड स्कीम" के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने को कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार कार्ड धारकों की संख्या कितनी है और वर्ष 1998–99 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से "फार्मर्स क्रेडिट कार्ड स्कीम" के तहत कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) वर्ष 1998–99 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में, देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर दी है जिसके अन्तर्गत बीज, खाद, कीटनाशकों आदि जैसी कृषि में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की खरीद सम्बन्धी अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने तथा साथ ही अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी आहरित करने के लिए पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 155 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 121834 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं तथा 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार, 270.51 करोड़ रुपए की ऋण राशि मंजूर की गई थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या और मंजूर की गई राशि के राज्य–वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों की सं.	जारी कार्ड	मंजूर राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16	10114	1537.20
2.	असम	3	181	34.12
3.	बिहार	20	2238	367.40
4.	गुजरात	7	5040	1173.69
5.	हरियाणा	4	3834	1989.63
6.	हिमाचल प्रदेश	1	104	39.89
7.	जम्मू और कश्मीर	2	201	28.11
8.	कर्नाटक	11	19142	4331.23

1	2	3	4	5
9.	केरल	2	40162	7090.39
10.	मध्य प्रदेश	19	3457	972.45
11.	महाराष्ट्र	6	3500	875.00
12.	उड़ीसा	8	13888	1801.85
13.	पंजाब	5	1801	931.55
14.	राजस्थान	12	5381	2371.22
15.	तमिलनाडु	3	721	144.26
16.	त्रिपुरा	1	3	0.31
17.	उत्तर प्रदेश	26	11434	3292.35
18.	पश्चिम बंगाल	9	633	88.25
	कुल	155	121834	27050.9

[अनुवाद]

डी.एफ.पी. और डी.ए.वी.पी. का पुनर्गठन

267. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्र प्रसार निदेशालय (डी.एफ.पी.) और दृश्य, श्रव्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान "डी.एफ.पी." को आबंटित धनराशि का क्षेत्र प्रसार कार्यालयों (डी.एफ.ओ.) और कर्मचारियों द्वारा झूठे दौरों के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके दुरुपयोग किया गया;

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या "डी.एफ.पी." और "डी.ए.वी.पी." की गतिविधियों की देख-रेख के लिए कोई निगरानी समिति या आयोग है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार आबंटित धनराशि का सही उपयोग कैस सुनिश्चित करती है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक क्षेत्र प्रसार कार्यालय (डी.एफ.ओ.) खोलने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय अथवा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का पुनर्गठन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का अध्ययन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के क्रिया-कलापों की देख-भाल करने के लिए कोई मॉनीटरिंग समिति अथवा आयोग नहीं है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के क्रियाकलापों की वास्तविक/वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग उनके द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय में की जाती है।

(छ) और (ज) नौवीं योजना के शेष भाग के दौरान देश के विभिन्न भागों में दस नए क्षेत्रीय प्रचार एकक स्थापित किए जाने का विचार है। बशर्ते सक्षम अधिकारी द्वारा स्कीम अनुमोदित कर दी जाए। ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	नागालैण्ड	वोखा
2.	अरुणाचल प्रदेश	रोइंग
3.	असम	कोकराझार

1	2	3
4.	उत्तर प्रदेश	हरिद्वार
5.	उड़ीसा	बोलनगिर
6.	तमिलनाडु	नीलगिरी
7.	महाराष्ट्र	घुले
8.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र
9.	मध्य प्रदेश (प.)	खरगौन
10.	मध्य प्रदेश (पू.)	रायगढ़

उत्तर प्रदेश के गांवों में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

268. डॉ. बलिराम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी जिलों के कितने गांवों को स्थानीय केन्द्रों और राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का इनकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) दूरदर्शन के कार्यक्रम उपग्रह के माध्यम से सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं। किसी क्षेत्र की स्थलीय कवरेज उस स्थान तथा आस–पास के क्षेत्रों/जिलों में चलाए जा रहे ट्रांसमीटरों की रेंज पर निर्भर करती है। प्रत्येक जिले में कवरेज प्राप्त कर रहे गांवों की संख्या संबंधी आंकड़े दूरदर्शन द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) इन जिलों में स्थित किसी भी ट्रांसमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, वाराणसी में डीडी–2 सेवा के लिए एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्र में दूरदर्शन नेटवर्क का और विस्तार करना दूरदर्शन में संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिक

269. श्री पी. कुमारासामी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के सीमा शुल्क विभाग ने कर्नाटक की मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स कम्पनी में बाल श्रमिकों से काम कराने की रिपोर्ट की जांच होने तक उस कंपनी द्वारा उत्पादित हाथ से बनायी जाने वाले भारतीय बीड़ी–सिगरेटों को सीमा पर जब्त करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) अमेरिका के सीमा शुल्क विभाग ने दिसम्बर, 1999 में मैसर्स मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स से बीड़ी के आयात के विरुद्ध इस "समुचित शंका" के आधार पर नजरबंदी आदेश जारी किये हैं कि बीड़ियों के विनिर्माण में कम्पनी द्वारा बाल श्रम का प्रयोग किया जा रहा था।

(ख) भारत सरकार ने मामले को समुचित अमेरिकी सरकारी प्राधिकारियों के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

270. श्री बृजलाल खाबरी :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कार्य शुरू किया;

(ख) इन कंपनियों द्वारा कितना निवेश किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को रोजगार मिला ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) 1.1.97 तथा 31.12.99 के बीच कुल 4383.44 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने के लिए 197 अनुमोदन विदेशी कम्पनियों को प्रदान किये गए हैं, जिनमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन/विनिर्माण के लिये बहु–राष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विनिर्दिष्ट लिंकेज से रोजगार सृजन पर आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

एन टी सी की भूमि का राज्य सरकारों को हस्तांतरण

271. श्री शिवाजी माने : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के हिंगोली और नान्देड़ जिलों में एन टी सी की 70 एकड़ भूमि खाली पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त भूमि को जनहित में प्रयोग हेतु राज्य सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अधिग्रहण के समय से नान्देड़ टैक्सटाइल मिल्स के पास हिंगोली में 70 एकड़ रिक्त भूमि है। यद्यपि इस भूमि को बेचने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, बेचने के कार्य को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। बोलीकर्ताओं द्वारा एक याचिका दायर की गयी और न्यायालय द्वारा इस भूमि के संबंध में यथा पूर्व स्थिति को बनाये रखने के आदेश दिए गए।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशी निवेश

272. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजेन्ट्रिक्स मामले को ध्यान में रखते हुए अमरीकी निवेशकों ने भारत को "वॉच लिस्ट" में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोजेन्ट्रिक्स मामले के बाद अन्य देशों के भावी और वर्तमान विदेशी निवेशकों में कोई विशेष परिवर्तन देखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो अमरीकी और अन्य विदेशी निवेशकों की आशंकाओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) मैसर्स कोंजेट्रिक्स इनर्जी इंकारपोरेशन द्वारा मैंगलूर विद्युत परियोजना से अलग होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों के रुख में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नज़र नहीं आया है।

(ग) सरकार 1991 में शुरू किये गये आर्थिक सुधारों की गति बनाये रखने के प्रति वचनबद्ध है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तंत्र का और उदारीकरण करने की दृष्टि से, सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/अनिवासी भारतीय/विदेशी कारपोरेट बाड़ी निवेश के लिए सभी मदों/कार्यकलापों को स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत रखने का निर्णय किया है; जिसमें निषेधात्मक सूची की मदें शामिल नहीं होंगी। इस आशय का एक प्रेस नोट 11.02.2000 को जारी कर दिया गया है। भारतीय शिष्टमंडल, जो समय-समय पर विदेशों का दौरा करता है, भी भारत की निवेश अनुकूल छवि के बारे में बता कर परियोजनाओं की मदद करता है और इस बारे में यदि कोई शंकाएं होती हैं तो उनको दूर करता है।

सरकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने तथा इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने संबंधी संकल्प का प्रचार विदेशों का दौरा करने वाले विभिन्न शिष्टमंडलों द्वारा भी समय-समय पर किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

273. श्री अशोक प्रधान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है और नई नियुक्तियां भी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी वर्ष-वार और श्रेणी-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भर्ती और प्रोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऋण हेतु मार्ग-निर्देश

274. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, विशेषतः, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऋण हेतु निर्धारित मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ऋण प्रवाह को अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :

1. अच्छे रिकार्ड वाले किसानों को सम्मिश्र ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकदी ऋण सुविधा शुरू करना;

2. कृषि उधारकर्ताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करना;

3. बैंकों को उच्च तकनीकी की कृषि परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेषीकृत कृषि शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है;

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण आवेदन–पत्रों का सरलीकरण, शाखा प्रबन्धकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, किसानों के लिए सम्मिश्र नकदी ऋण सीमा शुरू करना नए ऋण उत्पाद शुरू करना ऋणों का संवितरण, 10,000/– रुपए से अधिक के ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित मामलों में बैंक का स्वनिर्णय तथा अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अदेयता प्रमाणपत्र प्रदान करना शुरू किया है;

5. कृषि को दिए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य में हुई कमी का श्रेय ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) को जाता है जिसे ग्रामीण आधारभूत से संबंधित चल रही परियोजनाओं के शीघ्र समापन के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व निगमों की सहायता के लिए नाबार्ड के साथ स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

बैंक ऋणों के चूककर्ता

275. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों, वित्तीय संस्थाओं ने 25 लाख रुपए और उससे अधिक का ऋण जान–बूझकर न लौटाने वाले चूककर्ताओं की सूची भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चूककर्ताओं से पैसे की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं, निर्देशानुसार, 25 लाख रुपए और इससे अधिक के ऋणों को लौटाने में जान–बूझकर चूक करने वाले उधारकर्ताओं की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दे रहे हैं। विभिन्न संविधियों के अन्तर्गत यथा उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, इस समय प्रभावी बैंकिंग कानूनों के अन्तर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के नाम बताने की अनुमति नहीं है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं नकद वसूली, समझौता और अपने उधारकर्ताओं से प्राप्त राशियों को बट्टे खाते डालने के रूप में हर संभव उपाय कर रहे हैं। ऐसा करके, उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिकतम संभव वसूली करनी होगी।

आई.एम.एफ. का सुझाव

276. श्री के. येरननायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने (आई.एम. एफ.) राज्यों के स्वामित्व वाले बैंकों सहित व्यापक सुधारों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) "बोर्ड ऑन इंडिया" की बैठक में हुए विचार–विमर्शों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 22 सितंबर, 1998 को अन्य बातों के साथ–साथ मुद्रा–स्फीति को कम करने तथा बाजार के माहौल को सुधारने में मदद देने के लिए अपेक्षाकृत कठोर बृहत् आर्थिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया था। वित्तीय क्षेत्र के संबंध में उन्होंने अनुरोध किया कि "नरसिंह समिति" द्वारा सुझाए गए सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए और इस बात पर भी जोर दिया कि निजी पूंजी के आगमन को सुकर बनाने के लिए राज्य के स्वामित्वाधीन बैंकों के सरकारी नियंत्रण और प्रबंध तंत्र में दूरगामी परिवर्तन किए जाने जरूरी होंगे।

नीतियां बनाना भारत सरकार का प्रभुसत्तात्मक अधिकार है और नीतिगत निर्णय हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर लिए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्र में सरकार निजी क्षेत्र को बैंकिंग कंपनियां खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और सरकार के स्वामित्वाधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी गतिविधियों को विविधीकृत करने तथा पूंजी बाजार में अपना पूंजी आधार मजबूत करने के लिए इश्यू निर्गमित करने की अनुमति दे रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता

277. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता का सूक्ष्म अध्ययन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन एक सतत प्रक्रिया है यह समग्र कार्य–निष्पादन समीक्षा का अंग है, जिस पर सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

धौराभाटा डोलामाइट खान को फिर से शुरू किया जाना

278. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में बिल्हा स्थित धौराभाटा डोलामाइट खान को फिर से चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके बंद होने के कारण प्रभावित श्रमिकों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने वाले हैं;

(ङ) क्या इन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं। भारतीय खान ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार गांव धौराभाटा, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर में डोलोमाइट के लिए कोई भी खनन पट्टा, केन्द्र सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट के पास नहीं है।

(ख) से (च) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठते।

व्यापार घाटा

279. श्री होल खोमांग हौकिप :

श्री तूफानी सरोज :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान व्यापार-घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा व्यापार-घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। वाणिज्यिक आसूचना एवं साख्यिकी महानिदेशालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1999-2000 में 7038.68 मिलि. अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 7328.42 मि. अमरीकी डालर के हुए व्यापार घाटे की तुलना में कम था।

(ग) व्यापार घाटा निर्यातों की तुलना में आयातों का आधिक्य होता है और हमारे आयातों का बड़ा हिस्सा आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सरकार एकिजम नीति तथा क्रियाविधियों में संशोधनों के जरिए निर्यातों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जिसमें मुख्य ध्यान निर्यात-प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने तथा मुक्त व्यापारिक वातावरण मुहैया कराने की ओर दिया जाता है।

[अनुवाद]

करेंसी नोट के डिजाइन में परिवर्तन

280. श्री साहिब सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 100 रुपए और 500 रुपए के नोटों का आकार-प्रकार और रंगरूप लगभग एक समान होता है जिससे जनता को इन नोटों के बीच अंतर करने में भ्रम होता है;

(ख) क्या इन नोटों के आकार-प्रकार और रंगरूप में परिवर्तन करने हेतु जनता ने मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) 500 रुपए के नोटों (नए डिजाइन के) को 100 रुपए के मूल्यवर्ग के नोट से और अधिक भिन्न बनाने के लिए 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोट की रंग योजना में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है और संशोधित डिजाइन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एफ. एम. रेडियो स्टेशन

281. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा फैजाबाद जिलों में एफ.एम.स्टेशनों के स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टेशनों द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) फैजाबाद में 6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर 17.6.93 से ही चल रहा है। गोरखपुर में कोई एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि-उत्पादों का आयात

282. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप

में, सरकार का आगामी कुछ वर्षों में विदेशी कृषि–उत्पादों के आयात पर से प्रतिबंध उठा लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन कृषि–उत्पादों का विवरण क्या है जिनके लिए सरकार का आयात पर से प्रतिबंध उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या घरेलू कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) डब्ल्यू. टी.ओ. के सदस्य देशों को डब्ल्यू.टी.ओ. करारों में दिए गए विशिष्ट आधारों को छोड़कर, आयातों पर किसी प्रकार के मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं है। इस समय भारत ने भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर आठ अंक स्तर की 1429 टैरिफ लाइनों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कायम रखे हुए हैं। तथापि, विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) ने विवाद निपटान पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए विवाद में अपीलीय निकाय ने यह निष्कर्ष दिया है कि भारत द्वारा भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) 1994 के अनुच्छेद XI एवं XVIII के तहत तथा कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 4.2 के तहत भी हमारे दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं। विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा आयातों पर लगाए गए अपने मौजूदा मात्रात्मक प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से हटाया जाएगा जिसमें वे कृषि–जन्य उत्पाद भी शामिल हैं जिन पर भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ख) इस समय आठ अंक की टैरिफ लाईनों पर 377 कृषि–जन्य मदों के आयात ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें दिनांक 1.4.2001 तक हटाना पड़ेगा। इन 377 कृषि–जन्य मदों में से 146 कृषि–जन्य मदें विशेष आयात लाईसेंस (एसआईएल) के अंतर्गत हैं, 33 कृषि–जन्य मदें सरणीयन सूची के अंतर्गत हैं तथा 198 कृषि जन्य मदें प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा भारत के किसानों के कल्याण के लिए न्यूनतम कीमत समर्थन तंत्र तथा उचित कीमतों पर कृषि–संबंधी निविष्टियों के प्रावधान जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है। कृषि–जन्य मदों के आयात को उपयुक्त टैरिफ लगाकर सुविधाजनक रूप से इस प्रकार विनियमित किया जाता है ताकि किसानों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा सके। खाद्य–सुरक्षा संबंधी चिंताएं भारत की कृषि–संबंधी नीति के केन्द्र बिन्दु हैं। कृषि–जन्य उत्पाद संबंधी निर्यात–आयात नीति का निर्धारण ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करते हुए मुख्य रूप से खाद्य–सरुक्षा संबंधी चिंताओं, किसानों की आय तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि की आवश्यकता और कृषि–जन्य उत्पादों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में एल.पी.टी./एच.पी.टी.

283. श्री तरुण गोगोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वोत्तर राज्यों में कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों और उच्च क्षमता वाले स्थापित ट्रांसमीटर का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार संपूर्ण पर्वोत्तर क्षेत्र में इस सुविधा का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) मौजूदा ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का और विस्तार करने के लिए 19 ट्रांसमीटर (5 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, 4 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 4 ट्रान्सपोजर) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इनके अगले वर्ष के अन्त तक चरणों में पूरा हो जाने की आशा है। कवर न किए गए शेष क्षेत्र को संसाधनों की उपलब्धता के अधीन अगली योजना अवधि में शामिल किया जाएगा।

विवरण

15.2.2000 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में मौजूदा टी.वी. ट्रांसमीटर

राज्य	ट्रांसमीटर	
1	2	
अरुणाचल प्रदेश	उ. श. ट्रा.	
		ईटानगर
	अ. श. ट्रा.	
		मियाओ
		पासीघाट
		तेजू
		ईटानगर (डी.डी. II)
	अ.अ.श.ट्रा.	
		अलांग
		अंननी
		परिरीओ
		बासर
		बोलंग
		बोमेड़िला

1	2	
अ.अ.श.ट्रा.		चांगलांग
		चायगटाओ
		दापोरिजो
		दारक
		दिरांग
		गेकू
		गेंसी
		हवाई
		ह्यूलियांग
		हंगली
		इंकयोग
		कालकतांग
		केइंग
		खियोंग
		खोंसा
		लिरोमोबा
		मरियांग
		मेचूका
		मुक्टो
		नामसई
		नामपोंग
		पालिन
		रागा
		राइंग
		रूपा
		सागली
		सिजोसा
		सेप्पा
		तवांग
		तालिहा

1	2	
		तिरबिन
		योमचा
		जीरो
	ट्रान्सपोजर	
		सांखी ब्यू
असम	उ.श.ट्रा.	
		डिब्रुगढ़
		गुवाहाटी
		सिलचर
	अ.श.ट्रा.	
		बौगाईगांव
		धुबरी
		दीफू
		गोपालपाड़ा
		गोहपुर
		गोलाघाट
		हाफलांग
		हतसिंहमारी
		होजाई
		जोरहाट
		कोकराझार
		लुमडिंग
		मारघरिटा
		नागांव
		नजीरा
		नार्थलखीमपुर
		सोनारी
		तिनसुकिया
		डिब्रुगढ़ (डीडी–II)
		गुवाहाटी (डीडी–II)

1	2	
	अ.अ.श.ट्रा.	सिलचर (डीडी–II)
		डिगबोई
	ट्रान्सपोजर	
		गुवाहाटी
मणिपुर	उ.शा.ट्रा.	
		इम्फाल
	अ. श. ट्रा.	
		उखरूल
		इम्फाल (डीडी–II)
	अ. अ. श. ट्रा.	
		चंदेल
		चूड़ाचांदपुर
		जिरीबाम
		कांगपोकपी
		मोरेह
		सेनापति
मेघालय	उ. श. ट्रा.	
		शिलांग
		तूरा
	अ.श.ट्रा.	
		जोवाई
		विलियमनगर
		शिलांग (डीडी–II)
		तूरा (डीडी-II)
	अ.अ.श.ट्रा.	
		बाघमारा
		नांगस्टोईन
मिजोरम	उ.श.ट्रां.	
		एजवाल
		लुंगलेई

1	2	
	अ.श.ट्रां.	
		एजवाल (डी.डी.–2)
		लुंगलेई (डी.डी.–2)
	अ.अ.श.ट्रां.	
		चम्फई
		सैहा
नागालैण्ड	उ.श.ट्रा.	
		कोहिमा
		मोकोकचुंग
	अ.श.ट्रां.	
		दीमापुर
		तुएनसांग
		कोहिमा (डी.डी.–2)
	अ.अ.श.ट्रां.	
		मॉन
		फेक
		सताखा
		श्यामतोर
		वोखा
		जुनेहबोटो
	ट्रांसपोजर	
		कोहिमा
त्रिपुरा	उ.श.ट्रां.	
		अगरतला
	अ.श.ट्रां.	
		तेलियामुपा
		कैलाशहर
		कैलाशहर (डी.डी.–2)
		अगरत्तला (डीडी–2)

1	2
अ.अ.श.ट्रां.	
	धर्मानगर
ट्रांसपोजर	
	बेल्लोनिया

चाय उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

284. श्री रामशकल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विदेशी बहुराष्ट्रीय चाय कंपनियों को निशुल्क आयात लाइसेंस दिया गया है उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू चाय कम्पनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) घरेलू चाय कम्पनियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) चाय को आयातों की प्रतिबंधात्मक सूची में रखा गया है और इसके आयात की अनुमति लाइसेंस के बिना नहीं दी जाती है। तथापि, सार्क देशों से चाय का आयात करने के लिए किसी आयात लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी मदों के आयात की अनुमति उस स्थिति में शुल्क मुक्त लाइसेंसों पर भी दी जाती है चाहे वे निषेधात्मक सूची में हो अथवा नहीं यदि ऐसे आयात की जरूरत निर्यात उत्पादन के लिए हो। इसी प्रकार चाय के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मिश्रण और पुनर्निर्यात के प्रयोजन हेतु अर्थात् मूल्यवर्धित रूप में ईओयू/ईपीजैड के जरिए अथवा शुल्क छूट योजना के अंतर्गत दी गई है बशर्ते कि निर्यातक उक्त निर्यात उत्पाद के लिए कोई निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन की पेशकश करता हो।

उपभोक्ता पैकों में मिश्रित चाय के रूप में वर्ष 1997–98 की अवधि के दौरान 35.22 करोड़ रुपए के निर्यात दायित्व के साथ 13.91 करोड़ रुपए के सीआईएफ मूल्य के लिए 7 शुल्क मुक्त लाइसेंस और 1998–99 की अवधि के दौरान 97.54 करोड़ रुपए के निर्यात दायित्व के साथ 38.90 करोड़ रुपए के सीआईएफ मूल्य के जरिए 19 शुल्क मुक्त लाइसेंस मैसर्स लिप्टन इंडिया एक्सपोर्ट्स लि. कलकत्ता के पक्ष में जारी किए गए हैं। चालू वर्ष 1999–2000 के दौरान किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को चाय का आयात करने के लिए कोई अग्रिम लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

चूंकि चाय के आयात की अनुमति निर्यात उत्पादन के लिए दी गई है इसलिए इसका स्वदेशी चाय कम्पनियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित चाय को घरेलू बाजार में नहीं बेचा जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे घरेलू बाजार पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाय के शुल्क मुक्त आयात के लिए नीति में निम्नलिखित कठोर शर्तें निर्धारित की गई हैं :

(1) चाय के आयात की अनुमति किसी अपशिष्ट के बिना निवल दर निवल आधार पर दी जाएगी;

(2) निर्यातक निर्यात में आयातित चाय का पूर्ण उपभोग करने हेतु क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत करेगा;

(3) लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ता और अहस्तान्तरणीय शर्तों पर जारी किए जाएंगे और इनके हस्तान्तरण की अनुमति निर्धारित निर्यात दायित्व पूरा करने के बाद भी नहीं दी जाएगी;

(4) निर्यातक निर्यात के समय संगत नौवहन बिल पर आयातित चाय और घरेलू चाय के मिश्रण अनुपात को निर्दिष्ट करेगा और उसकी घोषणा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को करेगा;

(5) 100% के न्यूनतम मूल्यवर्धन पर जोर दिया जाएगा;

(6) आयात के समय निर्यातक द्वारा आयातित चाय पर बचाए गए 100% शुल्क के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों को बैंक की गारंटी देनी होगी;

(7) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत चाय के आयात के लिए लाइसेंस पूर्व आयात की शर्त पर जारी किया जाएगा। उन्हें लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास चार्टर्ड अकाउन्टेंट का इस आशय का एक प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि आयातित चाय का उपयोग/उपभोग मिश्रण के बाद किए गए निर्यात में किया गया है।

[अनुवाद]

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लाभ/घाटा

285. श्री बैको :

डॉ. सी. कृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., एस.आई.डी.बी.आई की वित्तीय संस्थाओं, एक्जिम बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंकों का "पूंजी पर्याप्तता अनुपात" क्या था;

(ग) इनमें से प्रत्येक बैंक/संस्थाओं की शेयर–धारण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी संस्थाओं/बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने कर्मचारी विकल्प योजना लागू की है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने तथा उनकी लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष पदों की रिक्तियां

286. डॉ. सी. कृष्णन :

श्री वैको :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें स्थायी चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक नहीं हैं और ये रिक्तियां कब से हैं और आज की स्थिति के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने तदर्थ चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पूर्व चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक से अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया है और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक मामले में जारी किए गए औपचारिक आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) औपचारिक आदेशों के बिना कार्य कर रहे चेयरमैन/प्रबंध निदेशकों का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भुज में रिकार्डिंग स्टूडियो

287. श्री पी.सी.गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज में एक रिकार्डिंग स्टूडियो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भुज के आकाशवाणी केन्द्र में पहले ही रिकार्डिंग एवं प्लेबैक के लिए सुविधायुक्त स्टूडियो है।

एल.आई.सी. द्वारा निवेश

288. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने अमेरिका आधारित फर्म को इंग्लैंड में अपना वित्तीय प्रबंधक नियुक्त करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम को अनुमति दे दी गई है;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निवेश हेतु कितनी राशि उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय जीवन बीमा निगम की राशि को घरेलू बाजार (सर्किट) में निवेश करने का निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी यू.के. स्थित शाखा के लिए फण्ड प्रबंधकों के रूप में मैसर्स मेरिल लिंच मर्करी एसेट मैनेजमेंट लि. को नियुक्त करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है। मैसर्स मेरिल लिंच मर्करी एसेट मैनेजमेंट लि. संयुक्त राज्य अमरीका की मैसर्स मेरिल लिंच ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट की यू.के. में स्थित अनुषंगी कंपनी है। सरकार ने जीवन बीमा निगम की यू.के. स्थित शाखा की निधियों के एक हिस्से की प्रबंध–व्यवस्था करने के लिए मैसर्स मेरिल लिंच मर्करी एसेट मैनेजमेंट लि. की नियुक्ति हेतु जीवन बीमा निगम को अनुमति दे दी है।

(ग) से (ङ) जीवन बीमा निगम के यू.के. से संबंधित कारोबार की निधि–राशि 31.3.99 की स्थिति के अनुसार 37.321 मिलियन यू. के. पौण्ड स्टर्लिंग थी। जीवन बीमा निगम के यू.के. के प्रचालनों की निधियों का निवेश यू.के. की बीमा कंपनियों की निधियों के निवेश को शासित करने वाले विनियमों के अनुसार किया जाता है। इन विनियमों में यह अपेक्षा की गई है कि बीमा कंपनी अपनी दीर्घकालिक कारोबारी परिसंपत्तियों के कम–से–कम 80% हिस्से का यू.के. में ही निवेश करे। मुद्रा संबंधी ऐसे उतार–चढ़ावों से बचने के लिए जिनके कारण पोर्टफ्रोलियो को अकारण जोखिम उठाना पड़े, जीवन बीमा निगम की यह राय है कि यदि यू.के. से बाहर निधियों का निवेश किया जाए तो वह पौण्ड स्टर्लिंग में मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों में किया जाना चाहिए।

राज्यों की बकाया देयताएं

289. श्री दिन्शा पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 2000 के "दि इण्डियन एक्सप्रैस" में "रिजर्व बैंक रिपोर्ट ऑन स्टेट्स आउटस्टैंडिंग रेइजेज कन्सर्न" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्यों की बकाया देयताएं चालू वित्तीय वर्ष तक लगभग 409,258 करोड़ रुपए होने का अनुमान है;

(घ) यदि हां, तो देयताओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस विषय पर सभी संबंधित राज्य सरकारों से बात की गई है;

(च) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क), (ग) और (घ) समाचार में उल्लिखित मामला राज्य वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, 1999–2000 में प्रकाशित किया गया है जो कि राज्यों के बजटीय अध्ययन पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, के अनुसार वर्ष 1999–2000 तक राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की देनदारियां 409,258 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ एस–44 पर प्रकाशित राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ङ) से (छ) राज्य सरकारें, जो कि संविधान के अंतर्गत स्वायत्तशासी हैं, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपने वरीयता क्रम से समय–समय पर उपाय करती रहती हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ऐसे उपाय सुझाना, जिससे सरकारें मिल–जुल कर तथा पृथकतः सार्वजनिक पुनर्संरचना इस प्रकार से कर सकें कि बजटीय संतुलन भी बना रहे और वृहत आर्थिक स्थायित्व भी बरकरार रहे, ग्यारहवें वित्त आयोग की विचारणीय शर्तों में निहित है, जो कि अभी कार्यरत है।

विवरण

31.03.2000 तक राज्य–वार देनदारियों का ब्यौरा (ब.अ.)

करोड़ रुपयों में

क्रम सं.	राज्य	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम	भविष्य निधि इत्यादि	कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8713.00	16306.00	2826.00	27845.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	279.00	634.00	191.00	1103.00
3.	असम	2400.00	4737.00	1328.00	8466.00
4.	बिहार	6243.00	16347.00	5622.00	28212.00
5.	गोवा	371.00	1235.00	331.00	1937.00
6.	गुजरात	4059.00	16037.00	2219.00	22315.00
7.	हरियाणा	2034.00	6200.00	3738.00	11973.00
8.	हिमाचल प्रदेश	959.00	3287.00	1848.00	6094.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1526.00	4068.00	1726.00	7320.00
10.	कर्नाटक	4527.00	10856.00	3664.00	19047.00
11.	केरल	5236.00	6577.00	5938.00	17751.00
12.	मध्य प्रदेश	4986.00	11045.00	6390.00	22420.00

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	5741.00	27056.00	4429.00	37226.00
14.	मणीपुर	592.00	409.00	239.00	1240.00
15.	मेघालय	439.00	362.00	146.00	946.00
16.	मिजोरम	302.00	303.00	279.00	884.00
17.	नागालैंड	698.00	381.00	461.00	1541.00
18.	उड़ीसा	4873.00	8497.00	4538.00	17908.00
19.	पंजाब	3434.00	14800.00	4697.00	22932.00
20.	राजस्थान	6793.00	12281.00	6628.00	25702.00
21.	सिक्किम	279.00	224.00	150.00	652.00
22.	तमिलनाडु	5977.00	12580.00	4140.00	22697.00
23.	त्रिपुरा	507.00	656.00	507.00	1669.00
24.	उत्तर प्रदेश	13385.00	35142.00	8542.00	57068.00
25.	पश्चिम बंगाल	6288.00	28834.00	3937.00	39060.00
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		5251.00		5251.00
	कुल	90639.00	244106.00	74514.00	409258.00

संबंधित राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से लिए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्य-निष्पादन

290. श्री दिन्शा पटेल : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997–98 की तुलना में 1998–99 के दौरान लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इनके कौन से कारण हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन–कौन से हैं; और

(ग) सरकार द्वारा, क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने, पुरानी प्रौद्योगिकी के स्थान पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल तथा मशीनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) वर्ष 1997–98 तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके दौरान लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या वर्ष 1996–97 में 130 से बढ़कर 134 हो गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास कैप्टिव विद्युत संयंत्र का प्रावधान तथा बेहतर विपणन रणनीति इत्यादि शामिल हैं। आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी समझौते किए जाते हैं। यदि किसी स्थिति में सम्भव हों, तो मशीनरी बदली जाती है। संयंत्रों के प्रौद्योगिकी समुन्नयन के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना तथा व्यापार एवं वित्तीय पुनर्गठन भी किए जाते हैं।

कपास-एकाधिकार

291. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में कपास उत्पादक अपनी समस्याओं की उपेक्षा पर आन्दोलन करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में कपास उत्पादक किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने कपास उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या पूरे देश के कपास उत्पादक किसानों की समस्याएं एक ही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में कपास उत्पादक किसानों की सहायता के लिए कोई ठोस कदम उठाए थे; और

(च) यदि हां, तो किस सीमा तक इन समस्याओं का समाधान हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) कपास उत्पादकों की समस्याओं की उपेक्षा के कारण नागपुर सिटी में कपास उत्पादकों के किसी भी आन्दोलन से न ही महाराष्ट्र सरकार को सूचना दी गयी है और न ही भारत सरकार को इसकी जानकारी है।

महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में उगाई जा रही सभी किस्मों व ग्रेडों के लिए मौसम के प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए गये हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1999–2000 कपास मौसम के लिए प्रस्तावित खरीद मूल्य सामान्य तौर पर विगत वर्ष की कीमतों की तुलना में ऊंची है। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना को बढ़ाने के लिए समय–समय पर भारत सरकार से अनुरोध करती है। इस समय में योजना जून, 2000 तक प्रचालन में है।

(घ) से (च) भारत सरकार प्रतिवर्ष "कपास (कपास बीज)" के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। जब भी "कपास" की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे जाती है, सरकार महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना राज्य में चालू है, सभी कपास उत्पादक राज्यों से भारतीय कपास निगम के माध्यम से "कपास" (कपास बीज) की खरीद करती है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से अनुसंधान, किसानों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रचार–प्रसार, बाजार अवसंरचना में सुधार, जिनिंग और प्रैसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कपास विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया है।

[हिन्दी]

मांस का निर्यात

292. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में किन–किन देशों को विभिन्न जानवरों का मांस निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न धार्मिक संगठनों/सामाजिक संगठनों ने मांस के निर्यात पर रोक लगाने हेतु अनुरोध/सुझाव दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों को विभिन्न पशुओं के मांस का निर्यात किया गया है, वे हैं : अल्बानिया, अंगोला, अर्मेनिया, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बंगलादेश, बारबाडोस, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रुनेई, बुल्गारिया, चिली, चीनी ताइपेई, चीन जनवादी गणराज्य, कोमोरोश, कांगो, चैक गणराज्य, डेनमार्क, मिश्र अरब गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, गैबोन, जर्मनी, घाना, गुयाना, जिब्राल्टर, यूनान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जापान, जोर्डन, कजाकिस्तान, केन्या, कोरिया, लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया गणराज्य, कुवैत, लेबनान, लाइबेरिया, लिथुआनिया, मलेशिया, मलावी, मालद्वीप, मॉरितानिया, माली, माल्टा, मारीशस, मोरक्को, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, नाइनीरिया, नार्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, पोलैण्ड, पुर्तगाल, कतर, रूस, सऊदी अरब, सेनेगल, सिंगापुर दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्विजरलैंड, थाइलैण्ड, टोगो, त्रिनिडाड, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, यू.के., यू.एस.ए., पश्चिम समोआ, यमन गणराज्य और जिम्बावे।

(ख) और (ग) विभिन्न धार्मिक/सामाजिक संगठनों द्वारा धार्मिक आधार पर और अपनी इन आशंकाओं की वजह से कि इससे भारत के पशुधन में कमी आ जाएगी, मांस के निर्यात को बंद करने के लिए सरकार को समय–समय पर अभ्यावेदन दिए जाते रहे हैं। इन संगठनों में शामिल प्रमुख संगठन है : अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली, एनिमल राइट्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली, अहिंसा महासंघ, मुम्बई, दि बम्बई ह्यूमैनिटेरियन लीग, मुम्बई, महाराजा कुमरपाल जीवदया ट्रस्ट, चेन्नई विभिन्न राज्यों के जैनसमाज, अहिंसा प्रिय समाज, नई दिल्ली, अखिल भारतीय मांस निर्यात निरोध परिषद और विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं।

(घ) सरकार द्वारा भारत से होने वाले मांस और मांस के उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित अनुरोधों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। मांस के निर्यातों से भारत के पशुधन में कमी नहीं आई है। 1987 और 1992 की पशुगणना के अनुसार, पशुओं की संख्या वर्ष 1987 में 445.28 मिलियन से बढ़कर वर्ष 1992 में 470.14 मिलियन हो गई है, जिससे 1.1% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज होती है। इसके अलावा, भारत का मांस निर्यात देश में मांस उत्पादन का केवल लगभग 4% बनता है। अनेक लोगों की जीविका मांस उद्योग से जुड़ी हुई है जिसमें पशुओं को पालना, पशुओं का वध करना और मांस का प्रसंस्करण शामिल है। इस प्रकार, मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से बेरोजगारी फैल सकती है और साथ–ही साथ विदेशी मुद्रा आय में कमी आ सकती है। इसके अलावा, प्रजनन–अक्षम पशुओं की देखभाल नहीं करनी होगी और फिर ऐसे पशु बीमारियों के वाहक बन जाते हैं जिससे प्रजननक्षम पशु और दूध का उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे प्रजनन–अक्षम पशुओं के लिए चारा

इत्यादि भी अपेक्षित होगा, जिससे स्वस्थ प्रजननक्षम पशुओं की उतनी देखभाल नहीं हो पाएगी, जितनी उनको जरूरत है।

[अनुवाद]

फाइबर ग्लास इंसुलेशन को डम्प किया जाना

293. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 के बिजनेस स्टेंडर्ड में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ बहु–राष्ट्रीय कम्पनियां भारतीय विनिर्माताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत में बड़े पैमाने पर "फाइबर ग्लास इंसुलेशन" की डम्पिंग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत में उनके विक्रय मूल्य से उनके उत्पादन और परिवहन लागत की भी भरपाई नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पाटनरोधी नियमों के अनुसार, पाटनरोधी जांच की शुरुआत केवल तभी की जाती है जब घरेलू उद्योग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर की जाती है जिसमें आयातित वस्तुओं के पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, पाटन तथा क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिए गए हों। इस मामले में घरेलू उद्योग द्वारा फाईबर ग्लास इंसूलेशन के पाटन संबंधी जांच की शुरुआत के लिए पाटनरोधी निदेशालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की गई है और इसलिए आज तक किसी जांच की शुरुआत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

294. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1999–2000 के दौरान विभिन्न राज्यों में, विशेषकर बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नयी शाखाओं को खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार ने और शाखाएं खोलने के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस, प्रत्येक मामले के गुण–दोषों के आधार पर, विशेष रूप से ऐसी शाखाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, ग्रामीण ऋणों संबंधी सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण और क्षेत्र के विद्यमान शाखा नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर किए जाते हैं।

[अनुवाद]

केरल में काजू बोर्ड गठित करना

295. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में काजू बोर्ड के गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भेल, भोपाल

296. श्री रामानन्द सिंह : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल एक लाभ अर्जित करने वाली औद्योगिक इकाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चालबाजियों से इस लाभ अर्जित करने वाली औद्योगिक इकाई को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भेल, भोपाल कंपनी की एक लाभ कमाने वाली इकाई है। पिछले तीन वर्षों के भोपाल इकाई के निष्पादन के कुछ मुख्य सूचक नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	टर्नओवर	मूल्यवर्द्धित	कर से पूर्व लाभ
96–97	1008	424	113
97–98	1070	430	124
98–99	1159	431	91

(ग) सरकार ने "नवरत्न" की स्थिति के अनुसार भेल के लिए स्वायत्तता दी है। भेल के बोर्ड को पार्ट टाइम निदेशक देकर सुदृढ़ बनाया जाता है। भेल अपनी निर्माण संबंधी सुविधाओं, उत्पाद

प्रौद्योगिकी को नवीनतम बना रहा है और प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए अपने सुपुर्दगी क्रम को बेहतर बना रहा है।

[अनुवाद]

पंचायत राज हेतु निधियां

297. श्री सुबोध राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से पंचायत संस्थाओं हेतु निधियां जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1996–2000 के दौरान केरल की पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 178.81 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। इसमें से 156.455 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों में निहित अपेक्षाओं को पूरा करने पर जारी कर दी जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी मामले संबंधी वासुदेव समिति

298. श्री अनंत गुढ़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एन. बी.एफ.सी.) को वित्तीय नीति से संबंधित मानदण्डों का सुझाव देने के लिए गठित वासुदेव समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) निबल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) का उच्च प्रविष्टि स्तर, (ii) सार्वजनिक जमाराशि मांगने वाली एनबीएफसी के लिए जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में उच्चतर पूंजी, (iii) स्थावर सम्पदा और (शेयर बाजार की) सूची से इतर निवेश की तुलना में निवेश पर उच्चतम सीमा, (iv) सार्वजनिक जमाराशियों के लिए आवेदन–फार्म और विज्ञापन में प्रकटीकरण, (v) सम्बद्ध कंपनियों को निवेश के लिए मानदण्डों को कड़ा करने, (vi) विज्ञापनों में प्रकटीकरण होने हेतु विवरणियों की पुनरीक्षा और (vii) अनिगमित निकायों को कंपनियों से ऋण देने से संबंधित कार्य दल की सिफारिशों को उपयुक्त निदेश जारी करके कार्यान्वित किया है। (i) बेजमानती जमाकर्ताओं का चल आस्ति के सम्बन्ध में दिया जाने वाला प्रारम्भिक प्रभार, (ii) जमाकर्ता शिकायत निवारण प्राधिकरण की स्थापना करना, (iii) वाणिज्यिक बैंकों की तरह चूक करने वाली एनबीएफसी का तुरन्त समापन, (iv) भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी शक्ति प्रदान करना कि वह किसी विशिष्ट एनबीएफसी अथवा एनबीएफसी के वर्ग को सांविधिक लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमोदन मांगने का निदेश दे सके, (v) भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा कपटपूर्ण एनबीएफसी की आस्तियों की कुर्की कर सके और ऐसी आस्तियों का प्रबन्धन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अभिरक्षक में निहित हो, (vi) अपंजीकृत एनबीएफसी द्वारा लिए जा रहे अप्राधिकृत जमाराशि को संज्ञेय अपराध बनाया जाए, (vii) अनिगमित निकायों द्वारा ली जा रही अल्पाधिकृत जमाराशि को संज्ञेय अपराध बनाया जाए, (viii) सार्वजनिक जमाराशियां मांगने वाले विज्ञापन के जारी करने पर प्रतिबन्ध से संबंधित सिफारिशों पर विधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। सांविधिक संशोधन की अपेक्षा वाली कार्य दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु एनबीएफसी के लिए नए अधिनियम बनाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इसके अतिरिक्त, वासुदेव समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकारों को उन एनबीएफसी की सूची उपलब्ध कराई गई है जिन्हें पंजीकरण प्रदान किया गया है और उनकी सूची भी उपलब्ध कराई गई है जिनके पंजीकरण के लिए आवेदन–पत्रों को अस्वीकार किया गया है। एनबीएफसी को बैंकों से ऋण का प्रवाह सहज बनाने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी को बैंक ऋण देने पर उच्चतम सीमा को मई 1999 से हटा लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और कंपनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु, चार महानगरीय केन्द्रों में क्षेत्रीय स्तर की समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं। जमाकर्ताओं को शिक्षित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने भी प्रचार अभियान प्रारम्भ किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाराशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के वार्षिक निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ किया है। सितम्बर 1999 से एनबीएफसी के लिए एक पृथक कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश को विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की आपूर्ति

299. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों से इसके विद्युत उत्पादक संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कोयले की कितनी मात्रा की आपूर्ति की जाती है;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के पास वर्ष 1999–2000 में कोयले की आपूर्ति के संबंध में कुल कितनी धनराशि का बकाया है; और

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस शीर्ष में अभी तक कुल कितनी धनराशि बकाया है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में कई विद्युत उत्पादक संयंत्रों को प्रेषित कोयले की वार्षिक अनुमानित मात्रा लगभग 36 मिलियन टन है।

(ग) 1999–2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को की गई आपूर्ति के एवज में 31.1.2000 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 17.71 करोड़ रुपए है।

(घ) 31.1.2000 की स्थिति के अनुसार उ.प्र.रा.वि.बो. की ओर 463.48 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

[हिन्दी]

कालीन बुनाई केन्द्र

300. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कालीन केन्द्रों की स्थापना के लिए मौजूदा नियम क्या हैं;

(ख) देश में राज्य–वार कितने कालीन बुनाई केन्द्र हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कितने केन्द्र खोले गए हैं/खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) निकट भविष्य में राज्य–वार ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) देश में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए आधारभूत नियम, विशिष्ट क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकता, प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता और प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षणार्थियों को खपाने के लिए प्रशिक्षण क्षेत्रों के आस–पास कालीन निर्माण इकाइयों की संख्या पर निर्भर करते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र विभागीय स्तर पर और साथ ही राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों और गैर सरकारी संगठनों जैसी अन्य ऐजेंसियों द्वारा चलाये जाते हैं।

(ख) देश में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य–वार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक कोई भी विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया है और न ही भविष्य में ऐसा कोई नया केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। तथापि, सरकार ने क्रमश. वर्ष 1998–99 और 1999–2000 (अभी तक) के दौरान अन्य ऐजेंसियों के माध्यम से दो कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, एक हिमाचल प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में खोलने की स्वीकृति दे दी है। निकट भविष्य में अन्य एजेंसियों की सहायता से ऐसे केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव क्षेत्र की आवश्यकता और उसकी व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	
		विभागीय	अन्य ऐजेंसियों की सहायता से
1.	उत्तर प्रदेश	90	37
2.	जम्मू व कश्मीर	175	–
3.	बिहार	23	01
4.	पश्चिम बंगाल	03	–
5.	मध्य प्रदेश	15	10
6.	आन्ध्र प्रदेश	14	–
7.	पंजाब	02	14
8.	हिमाचल प्रदेश	01	–
9.	राजस्थान	10	–
10.	हरियाणा	02	–
11.	गुजरात	–	14
12.	उड़ीसा	–	08
13.	सिक्किम	–	05
14.	मणिपुर	–	06
15.	नागालैण्ड	–	01
16.	महाराष्ट्र	–	02
	कुल	335	98

[अनुवाद]

विदेशी चैनल

301. श्री किरीट सोमैया :

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकर का विचार विदेशी चैनलों पर नियंत्रण करने के लिए कानून में संशोधन करने का है क्योंकि ये चैनल स्थानीय संरचना, गैजेटों और डिकोडरों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियां भारत में कर देने के लिए बाध्य हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन विदेशी चैनलों ने केबिल आपरेटरों के माध्यम से सामान्य दर्शकों से कुल कितनी धनराशि एकत्रित की;

(च) क्या सरकार को संसद सदस्यों से विदेशी चैनलों से कर एकत्र करने हेतु सुझाव देने वाला कोई ज्ञापन मिला है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार का प्रसारण के विभिन्न पहलुओं के लिए विनियामक प्रणाली मुहैया कराने के उद्देश्य से संसद के समक्ष एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आकाशवाणी का परभनी केन्द्र

302. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के परभनी केन्द्र को कुछ वर्ष पूर्व आकाशवाणी से पूर्ण–सज्जित केन्द्र का दर्जा प्रदान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या परभनी (महाराष्ट्र) केन्द्र, स्वयं के कार्यक्रम तैयार और प्रसारित करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो परभनी आकाशवाणी केन्द्र को स्वयं के कार्यक्रम तैयार और प्रसारित करने में सक्षम बनाने के लिए उसे आवश्यक कर्मचारी व आधार संरचना प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परभणी स्टूडियो में निर्मित नित्य 65 मिनट के कार्यक्रम का प्रसारण इस केन्द्र से किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लापता कंपनियां

303. श्री समर चौधरी :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना उन प्रवर्तकों, कंपनियों से राशि वसूलने और उन्हें दंडित करने की है जिन्होंने स्टाक मार्केट में आए उछाल का फायदा उठाया और आम जनता तथा वित्तीय संस्थाओं से 25000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि इकट्ठा कर लापता हो गई लेकिन अभी भी कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकांश संचालकों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है;

(ग) उक्त संचालकों के अभी भी कार्य करते रहने के क्या कारण हैं और सरकार का इनसे किस प्रकार से निपटने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार मीडिया के सामने इन कंपनियों का नाम उजागर करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) निधियां जुटाते समय जनता से की गई अपनी प्रतिबद्धताओं में चूक करने वाली अनेक कम्पनियों के विरुद्ध विनियामक अभिकरणों, नामतः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)/भारतीय रिजर्व बैंक/कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। सेबी तथा कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधियों से युक्त एक केन्द्रीय समन्वय तथा निगरानी समिति का गठन किया गया है। समिति ने चूककर्ता कम्पनियों को अभिज्ञात करने तथा संबंधित कानूनों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सात कृतिक बलों का गठन भी किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 129 कम्पनियों को लुप्त कम्पनियों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। ये सभी सूचीबद्ध कम्पनियां थी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सेबी ने 51 कम्पनियों तथा 142 संवर्धकों/निदेशकों को 5 वर्ष की समयावधि के लिए किसी भी पूंजी बाजार गतिविधि के साथ सहबद्ध होने से वंचित करते हुए उनके विरुद्ध आदेश पारित किए हैं; भारतीय रिजर्व बैंक ने 73 गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं; 10 के खिलाफ कारोबार समापन याचिका तथा 17 के खिलाफ अभियोजन कार्यवाहियां शुरू की गई हैं; कम्पनी कार्य विभाग ने 54 कम्पनियों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार मुकदमे दायर किए हैं।

(घ) सूचीबद्ध अपेक्षाओं का पालन न करने वाली तथा अपने पंजीकृत कार्यालय पतों पर न मिलने वाली कम्पनियों के नाम सेबी द्वारा समाचारपत्रों में प्रकाशित किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज

304. श्रीमती रीना चौधरी :

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

श्री भीम दाहाल :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने दिल्ली स्थित सरकारी उपक्रम माडर्न फूड्स इंडस्ट्रीज को हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सरकारी उपक्रम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री और विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लि. में सरकार द्वारा धारित इक्विटी का 74 प्रतिशत हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को 105.45 करोड़ रुपए के मूल्य पर बेचा जा चुका है। यह सरकारी क्षेत्र के गैर–सामारिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक की इक्विटी के विनिवेश की सरकार की नीति के अनुसार किया गया है।

(ग) इस संबंध में समुचित प्रावधान शेयर धारक करार में किए गए हैं।

अनु.जाति/अनु.जनजाति बहुल क्षेत्रों में रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः लाभप्रद बनाना

305. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री प्रभात सामन्तराय :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अनु. जाति/अनु. जनजाति बहुल क्षेत्रों में चल रही मिलों सहित अनेक कपड़ा मिलें पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से रुग्ण चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों का ब्यौरा क्या है तथा इन मिलों का मिल–वार निष्पादन क्या रहा है;

(ग) उन्हें लाभप्रद बनाने तथा उनका उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां प्रदान की गयी हैं;

(घ) इन रुग्ण मिलों को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन आगे की कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें बंद किए जाने की संभावना है तथा उनमें कार्यरत कर्मकारों के पुनर्वास से संबंधित क्या कार्य योजना तैयार की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1996 से 9 सितंबर, 99 की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र राज्य की 27 मिलों सहित 142 मिलें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के पास पंजीकृत हैं।

(ख) दिनांक 9 सितंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार बी आई एफ आर के पास पंजीकृत उपर्युक्त 142 मिलों में से दिनांक 31.12.99 को केवल 17 मिलें बंद थीं। बी आई एफ आर के पास पंजीकृत उपर्युक्त 142 मिलों की स्थिति निम्नानुसार है :

9.9.99 के अनुसार वी आई एफ आर के पास स्थिति	मिलों की संख्या
वी आई एफ आर धारा 18(4) के अधीन स्वीकृत योजना	3
रखरखाव के योग्य नहीं	7
मसौदा योजना	6
बी आई एफ आर धारा 20(1) के अधीन बंद करने की की गयी सिफारिश	2
अन्य	2
बी आई एफ आर के पास बंद करने के जारी किये गये नोटिस	2
जांच के अंतर्गत	118
ए ए आई एफ आर/न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश	2
कुल	142

(ग) और (घ) भारत सरकार ने रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के संबंध में उठाये जाने वाले जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारी उपायों का तेजी से पता लगाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, एस आई सी ए, 1985 बनाया है और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आर एफ आर) की स्थापना की है। बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में विभिन्न उपाय शामिल हैं, जैसे कि पूंजी का पुनर्निर्माण, प्रवर्तकों द्वारा नई निधियों का प्रवेश, अन्य कंपनियों के साथ शामिल हैं, प्रबंधन का परिवर्तन, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी और आवधिक ऋणों की व्यवस्था।

(ङ) मिलों की रुग्णता के बारे में पूर्व निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तथापि, वस्त्र नीति, 1985 के विवरण के अनुसरण में सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में केवल निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों में आंशिक या स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के हितों की रक्षा के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी डब्ल्यू आर एफ एस) स्थापित की है। टी डब्ल्यू आर एफ एस का उद्देश्य पात्र कामगारों को केवल 3 वर्षों की अवधि के लिए टेपरिंग आधार पर मजदूरी का 75 प्रतिशत प्रथम वर्ष में, 50 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में, 25 प्रतिशत तृतीय वर्ष में के बराबर योजना के मानदंडों के अनुसार अंतरित सहायता प्रदान करना है।

सहकारी बैंक

306. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) कृतक बल ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनियमित विदेशी मुद्रा कारोबार

307. श्री आर. एल. भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अनेक विदेशी मिशनरियां अनियमित विदेशी मुद्रा कारोबार में लिप्त पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे भारत में कब से कार्य कर रही हैं तथा उनका संबंध किन देशों से है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

फिल्म 'वाटर' को स्वीकृति

308. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीपा मेहता की फिल्म "वाटर" की शूटिंग की स्वीकृति देते समय "गंगा" और "वाराणसी" से जुड़ी हिन्दू धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखा है;

(ख) धार्मिक नेताओं के विरोध को देखते हुए मूल पटकथा में सरकार और दीपा मेहता के बीच किन-किन परिवर्तनों पर सहमति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इससे जुड़ी धार्मिक संवेदनाओं के दृष्टिगत फिल्म की पटकथा की जांच करते समय हिन्दू विद्वानों से परामर्श किया था और उनको जांच में शामिल किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) वाटर फिल्म की शूटिंग की अनुमति, गृह मंत्रालय जो सुरक्षा और स्थान की दृष्टि से स्वीकृति देता है, के परामर्श से भारत में विदेशियों द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए पटकथा की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी गयी है। विदेशियों द्वारा भारत में फीचर फिल्मों की शूटिंग संबंधी प्रक्रिया का विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वीजा नियमावली में उल्लेख किया गया है। तदनुसार फिल्म की शूटिंग करने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई थी जिसका उल्लेख अनुमति पत्र में कर दिया गया था।

प्रक्रिया के अनुसार, सरकार द्वारा अनुमोदित पटकथा के किसी विषय में परिवर्तन इस मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेकर किया जाना चाहिए। इस शर्त को ध्यान में रखते हुए सुश्री दीपा मेहता ने पटकथा के संशोधित रूपान्तर के साथ इस मंत्रालय से सम्पर्क किया जिसकी विधिवत जांच की गई और मूल अनुमति पत्र में दी गई शर्तों के अधीन 2.2.2000 को इसे अनुमोदित कर दिया गया था।

फिल्म की शूटिंग वीजा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और यह सुनिश्चित करते हुए की जानी अपेक्षित है कि भारत की छवि खराब न हो। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, फिल्म को विश्व में कहीं भी प्रदर्शित करने से पहले इसे भारत में भारत सरकार के प्रतिनिधि को अथवा विदेशों में भारतीय मिशन को दिखाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसके अलावा, भारत में फिल्म को प्रदर्शित करने से पहले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्वीकृति जरूरी है। बोर्ड द्वारा अपनाये जाने वाले मार्ग-निर्देशों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि किसी धर्म के प्रति कोई अपमानजनक चित्रण न हो।

(ग) और (घ) उपरोक्त के दृष्टिगत 'ग' और 'घ' का उत्तर दे दिया गया है।

भारी उद्योगों पर श्वेत पत्र

309. श्री अधीर चौधरी :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारी उद्योगों की वित्तीय स्थिति के बारे में श्वेत पत्र प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों की वित्तीय स्थिति में गिरावट के सही कारण का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए क्या अन्य उपाय करने का विचार रखती है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में व्हाईट पेपर प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

मध्य-प्रदेश में निर्यातोन्मुखी औद्योगिक एकक

310. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा शत् प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदित फर्मों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में ग्यारह निर्यात अभिमुख इकाइयों को अनुमोदित किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में 100% निर्यात अभिमुख इकाइयों की स्थापना हेतु अनुमोदित की गई फर्मों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पता	स्थान	अनुमोदन की तारीख	विनिर्माण की जाने वाली मदें
1	2	3	4	5
1.	गुजरात अंबुजा अंबुजा टावर्स अहमदाबाद	धार	4/2/98	सोयाबीन इत्यादि की तेल रहित खली
2.	जयबाब एग्रो प्रोडक्ट्स, सिविल लाइन्स, रायपुर	रायपुर	4/2/98	गैर–बासमती चावल
3.	शांति लाल सुभाष रोड, रायपुर	रायपुर	29/1/98	गैर–बासमती चावल
4.	ब्रेडिस्टीन शाहपुरा, भोपाल	भोपाल	21/1/98	टायर एवं ट्यूब
5.	सूर्यवंशी स्पिनिंग 105 एसपीपी रोड़ सिकन्दराबाद	छिन्दबाड़ा	28/5/98	बुने हुए फैब्रिक सूती यार्न इत्यादि
6.	निर संस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. वन्दना भवन, रायपुर	रायपुर	28/5/98	उत्तम गुणवत्ता वाला परिष्कृत चावल

1	2	3	4	5
7.	वोलवर्थ इंडिया लि. 3ए, गुरूसाद्य रोड़	रायपुर	19/6/98	ऊन के यार्न इत्यादि
8.	कलरॉन इंडिया प्रा. लि. 35/2/शिलनाथ कैंप इंदौर	इन्दौर	30/3/99	कैनवास इत्यादि
9.	एसआईआई इंडिया लि. 13/न्यू पलासिआ इन्दौर।	म्हो इन्दौर	10/6/99	सूती फैब्रिक
10.	एसआईआई इंडिया लि., सोनवे राउ पिथापुर म्हो इन्दौर	म्हो इन्दौर	4/6/99	सूती यार्न हौजरी
11.	स्टील ट्यूब्स आफ इंडिया स्टील ट्यूब्स, मध्य प्रदेश	पिथामपुर लिंक ईएमपी	22/7/99	सूती यार्न हौजरी

[अनुवाद]

हेरोइन की बरामदगी

311. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने जनवरी, 2000 के अंतिम सप्ताह में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और उनसे हेरोइन बरामद की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राष्ट्रीयता क्या है;

(घ) हेरोइन कहां से लाई गई थी; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी नशीली दवाओं का धन्धा करने वाले लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) जी हां। 28–1–2000 को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकाक की यात्रा कर रहे 11 नेपाली नागरिकों को पकड़ा – इनमें से पांच नागरिकों को आल निप्पन एयरवेज उड़ान एन.एच.–926 और छः को (जिसमें एक महिला भी शामिल है) थाई एयरलाइन्स उड़ान टी. जी–316 द्वारा यात्रा करनी थी। पूछताछ करने के बाद इन सभी ग्यारह यात्रियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने हेरोइन से भरे कैपसूल निगल रखे हैं। 372 कैपसूलों की आरंभिक बरामदगी के बाद, जिनसे 3.2 कि.ग्रा. हेरोइन मिली, 11 नेपाली नागरिकों को अतिरिक्त मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के आदेश से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें 4–2–2000 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कुल मिला कर इन 11 नेपालियों के पेट से 1029 कैपसूल निकाले गए जिनसे 8.820 कि.ग्रा. हेरोइन प्राप्त हुई। इन सभी 11 व्यक्तियों को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए वायु सीमा शुल्क निवारक अधिकारियों ने 30–1–2000 को होटल याक हाउस, मजनू का टीला, दिल्ली में श्री गीतालागा तमांग नामक एक अन्य नेपाली नागरिक के होटल के कमरे से 874 ग्राम हेरोइन का अभिग्रहण किया और उक्त व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

इससे आगे अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए, श्री अनिल कुमार तमांग जिसकी प्रारंभिक जांच पड़ताल में पाकिस्तान में एक गिरोह के मुखिया के रूप में शिनाख्त की गई थी, को 31–1–2000 को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह पाकिस्तान/इंटरनेशनल फ्लाइट पी. के–814 द्वारा लाहौर से इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली पहुंचा। श्री अनिल तमांग द्वारा अपने मलाशय (रैक्टम) में छुपाए हुए दो कैपसूलों में पैक की गई 18 ग्राम हेरोइन को उससे बरामद किया गया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।

(घ) प्रारंभिक जांच पड़ताल से यह पता चला है कि हेरोइन का स्रोत पाकिस्तान था और यह साऊथ वेस्ट एशियन ओरिजन की थी।

(ङ) सभी क्षेत्रीय कार्यालय और सीमा शुल्क एंव केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (राजस्व आसूचना निदेशालय सहित) और महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की आसूचना इकाइयां नशीले पदार्थों की तस्करी/नशीले पदार्थों की बिक्री की रोकथाम के लिए सतर्क हैं। इस संबंध में आसूचना एकत्र करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों, अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों, समुद्री पत्तनों, अर्न्तदेशीय आघान डिपुओं, अटारी रेल और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके। दिल्ली में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जासूसी कुत्तों को भी तैनात किया गया है ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी का पाता लगाया जा सके और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एकजुट प्रयास करने के लिए एक विशेष नार्कोटिंग सेल गठित किया गया है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार नशीले पदार्थों के अवैध व्यापारियों के खिलाफ अभियोजन चला कर विभिन्न प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

खेतड़ी कॉपर काम्पलैक्स

312. श्री सी. के. जाफर शरीफ : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी कॉपर काम्पलैक्स (के.सी.सी.) को जो हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की कॉपर का उत्पादन करने वाली प्रमुख उत्पादक यूनिट है, वित्तीय संकट तथा केन्द्र सरकार द्वारा आयात शुल्क कम करने और गलत नियोजन की वजह से गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) क्या इस इकाई को खेतड़ी कॉपर काम्पलैक्स की मांग को पूरा करने की परवाह किए बिना सस्ती दर पर कॉपर का आयात करने के लिए घोषित उदारीकरण की नीति के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान उत्पादन में कमी और 162 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भारी घाटा उठाना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एच.सी.एल.) के खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स (के.सी.सी.) यूनिट को पिछले तीन वर्षों में, प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों जैसे कॉपर के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (एल.एम.ई.) में अत्यधिक गिरावट, प्राइवेट कॉपर उत्पादक, जिनकी सस्ता आयातित सांद्र प्राप्त करने में पहुंच है, के साथ प्रतिस्पर्धा, खेतड़ी खान के अयस्क का घटिया ग्रेड आदि कारणों से घाटा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एच.सी.एल. आवश्यक प्लांट इनपुट उपलब्ध कराने में असमर्थ हो गया है जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अत्यधिक वित्तीय संकट के बावजूद 1997–98 के दौरान के.सी.सी. ने 26,120 एम.टी. कॉपर कैथोड़ और 1998–99 के दौरान 25,489 एम.टी. कैथोड़ का उत्पादन किया।

एच.सी.एल. के कार्यानिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं :

(i) 31.3.98 की स्थिति के अनुसार 180.73 करोड़ रुपए के बकाया ऋण की राशि को इक्विटी में बदलना और 167.43 करोड़ रुपए की बकाया ब्याज की राशि को माफ करना।

(ii) 1998–99 से 2001–2002 तक के दौरान एच.सी.एल. को 414 करोड़ रुपये के योजनेत्त ऋण की मंजूरी को सिद्धान्त रूप में अनुमोदन ताकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के जरिए अधिशेष कामगारों की संख्या घटाई जा सके। इसमें से 1998–99 के दौरान 60 करोड़ रुपए और 1999–2000 के दौरान 100 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। इस प्रयोजन हेतु 1999–2000 के संशोधित अनुमान में 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।

(iii) अगस्त, 1999 में एच.सी.एल. द्वारा आई.डी.बी.आई. से 75 करोड़ रुपए वर्किंग कैपीटल टर्म ऋण लेने के लिए सरकार ने एच.सी.एल. की गारंटी दी थी। सरकार ने अतिरिक्त राशि के लिए अपनी गारंटी देने के लिए भी सहमति दे दी है ताकि कम्पनी आई.डी.बी.आई. से 75 करोड़ रु. का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सके।

पॉली-यूरेथीन का आयात

313. श्री पी.सी.थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पॉली–यूरेथीन तथा इससे संबंधित वस्तुओं का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार गए आयात का वस्तु–वार तथा देश–वार ब्यौरा क्या है तथा इसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या पॉली–यूरेथीन का उपयोग किए जाने के कारण प्राकृतिक रबड़ का उपयोग प्रभावित हुआ है;

(घ) क्या रबड़ उत्पादकों ने पॉली–यूरेथीन का आयात किए जाने तथा इस पर आयात शुल्क में कमी किए जाने का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में रबड़ उत्पादकों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) पॉली–यूरेथीन का आयात जो एग्जिम कोड सं. 390950.00 या निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के

391690.05 के अधीन वर्गीकरणीय है, मुक्त रूप से होता है। वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 (अप्रैल से फरवरी, 99 तक) में किए गए आयातों के ब्यौरे वर्ष–वार और देश–वार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) पॉली–यूरेथीन के आयात पर रोक लगाने/प्रतिबंधित करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि फोम उद्योग द्वारा खपत की जा रही आयातित पॉली–यूरेथीन की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है, जिससे प्राकृतिक रबड़/लेटैक्स के लिए खतरा पैदा हो जाए, इसलिए पॉली–यूरेथीन के आयात को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा आयात पर से प्रतिबंधों को हटाने संबंधी सरकार की नीति को देखते हुए जिन मदों के लिए मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति पहले ही दे दी गई है सामान्य तौर पर उनके आयात पर पुनः प्रतिबंध नहीं लगाया जाना है।

(च) रबड़ उपजकर्ताओं को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के प्रयोजन से सरकार ने सरकारी खाते से 30,000 मी.टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने के लिए प्राधिकृत किया है। शुल्क छूट योजना के अधीन प्राकृतिक रबड़ के आयात को फरवरी, 99 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 (फरवरी, 99 तक) के दौरान पॉली यूरेथीन (एग्जिम कोड 390950.00) का आयात

मात्रा टन में
मूल्य लाख रुपए में

देश	1996–97		1997–98		1998–99 (अप्रैल–फरवरी 99)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आस्ट्रेलिया	13	33.01	21	50.10	36	96.63
जर्मन संघीय गणराज्य	364	661.20	542	798.15	419	829.34
इटली	212	328.24	199	296.23	198	267.86
जापान	10	42.93	48	122.80	32	109.69
कोरिया गणराज्य	55	46.13	06	7.70	28	10.08
स्पेन	36	60.64	47	74.08	58	99.89
सिंगापुर	73	109.74	20	34.30	22	34.15
यू के	126	173.67	83	148.35	96	199.84
यू एस ए	167	429.51	205	330.66	150	389.19
अन्य	101	174.15	133	178.42	97	167.85
कुल	1157	2059.22	1304	2040.79	1140	2204.52

वर्ष 1996–97, 1997–98, 1998–99 (फरवरी, 99 तक) के दौरान पॉली यूरेथीन (एग्जिम कोड 391690.05) का आयात

मात्रा टन में
मूल्य लाख रुपए में

देश	1996–97		1997–98		1998–99	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
जर्मन संघीय गणराज्य	3	5.7	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
यू के	1	3.8	–	–	–	–
जापान	11	39.55	–	–	–	–
चीनी ताइपेई	0.159	0.75	–	–	0.48	1.20
सिंगापुर	–	–	0.271	0.58	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल	15.159	49.8	0.271	0.58	0.48	1.20

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस

अवैध निर्यात का लाभ

314. श्री एम.वी.एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सीमा शुल्क विभाग की एअर कार्गो यूनिट के निवारक स्कंध ने पांच ऐसे मामलों का पता लगाया है जिसमें कुछ फर्मों द्वारा अवैध रूप से पासबुक छूट योजना (इक्जेम्पशन पासबुक स्कीम) तथा ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम" के अंतर्गत निर्यात का लाभ उठाया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) फर्मों द्वारा अपनाई गई कार्य–विधि क्या थी; और

(घ) सरकार द्वारा इन फर्मों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां। एअर कार्गो यूनिट, दिल्ली कस्टम के निवारक स्कंध ने पांच फर्मों द्वारा पास बुक शुल्क छूट स्कीम तथा शुल्क वापसी स्कीम के तहत अनुचित रूप से ऊंचे निर्यात लाभ लेने के पांच मामलों का पता लगाया है।

(ख) फर्मों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) मै. हिन्दुस्तान ओवरसीज लि., लुधियाना।

(ii) मै. ओरिएन्ट आटो इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली।

(iii) मै. मंजीत ओवरसीज, नई दिल्ली।

(iv) मै. ख्याति इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।

(v) मैं. किस्किनटच इंटरनेशनल, अलीगढ़।

(ग) उपर्युक्त फर्मों द्वारा अपनायी गई कार्य–प्रणाली यह थी कि अनुचित रूप से ऊंची शुल्क वापसी का दावा करने अथवा पासबुक शुल्क छूट (डी ई पी बी) स्कीम के तहत अनुचित रूप से अधिक क्रेडिट की हकदारी के उद्देश्य से घटिया गुणवता वाली वस्तुओं का अनुचित रूप से ऊंचे मूल्यों पर निर्यात करना।

(घ) एक मामले में, जिसमें निर्यातक ने अनुचित रूप से अधिक शुल्क वापसी लाभ का दावा करने का प्रयास किया था, उसमें 32.45 लाख रुपये के घोषित निर्यात मूल्य की वस्तुएं जब्त कर ली गई थीं और निर्यातक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एक दूसरे मामले में, जिसमें निर्यातक ने पास बुक शुल्क छूट स्कीम के तहत अनुचित रूप से अधिक क्रेडिट हकदारी का दावा करने का प्रयास किया था, उस मामले में 6.25 लाख रुपये के घोषित निर्यात मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई थीं। इस मामले में न्याय–निर्णयन पूरा किया जा चुका है और निर्यातक द्वारा दावा की गई 81,000 रुपये की डी ई पी बी क्रेडिट हकदारी नकार दी गई है। निर्यातक पर 75,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। निर्यातक को 40, 000 रुपये छुड़ाने संबंधी जुर्माने के भुगतान पर जब्त की गई वस्तुओं का पुनः प्राप्त करने की अनुमति भी दी गई है।

अन्य तीन मामलों में जिनमें निर्यातकों ने अनुचित रूप से ऊंची डी ई पी बी क्रेडिट हकदारी का दावा करने का प्रयास किया था, उनमें निर्यातकों ने 24.94 लाख रुपये की डी ई पी बी क्रेडिट हकदारी अभ्यर्पित कर दी है। जांच–पड़ताल की जा रही है ताकि कानून के उपबंधों के तहत निर्यातकों के विरुद्ध और आगे कार्रवाई की जा सके।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

315. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषरूप से महाराष्ट्र के पनवेल जिले में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कौन–कौन से हैं;

(ख) महाराष्ट्र में विशेषकर मनवेल जिले में इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कितने किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई;

(ग) प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(घ) क्या सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है। पनवेल तालुक सहित रायगढ़ जिले में जो एकक स्थित हैं/प्रचालन कर रहे हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ख) से (च) इस प्रकार की सूचना एक स्थान पर नहीं रखी जाती है, क्योंकि वे सम्बद्ध परियोजना प्राधिकरणों के विचार–क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

विवरण-I

महाराष्ट्र में पंजीकृत कार्यालय वाले सरकारी उपक्रमों की सूची

क्र.सं.	सरकारी उपक्रम का नाम
1	2
1.	एयर इण्डिया चार्टर्स लि.
2.	एयर इण्डिया लि.
3.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.
4.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
5.	भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम लि.
6.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
7.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
8.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.
9.	भारतीय होटल निगम लि.
10.	इण्डियन ऑयल ब्लैण्डिंग लि.
11.	इण्डियन ऑयल कारपो. लि.
12.	इण्डियन रेअर अर्थ लि.
13.	इण्डो होक्के होटल लि.
14.	लुब्रिझोल इण्डिया लि.
15.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
16.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लि.
17.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.
18.	मझगांव डॉक लि.
19.	खनिज गवेषण निगम लि.
20.	नेशनल बाईसाइकिल कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
21.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
22.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
23.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
24.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
25.	रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लि.
26.	भारतीय नौवहन निगम लि.
27.	विदेश संचार निगम लि.
28.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

विवरण-II

पनवेल तालुक सहित रायगढ़ जिले में स्थित/प्रचालन कर रहे केन्द्रीय सरकारी एककों की सूची

क्र.सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	तहसील
1.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	अलीबाग
2.	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	अलीबाग
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	अलीबाग
4.	इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स लि.	रोहा
5.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	पनवेल
6.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	पनवेल
7.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	उरान
8.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.	उरान
9.	मझगांव डॉक लि.	पनवेल
10.	कॉटन कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	पनवेल
11.	भारतीय खाद्य निगम लि.	पनवेल

राज्यों की वित्तीय स्थिति

316. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्रीमती रानी नरह :
श्री राजो सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति गंभीर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदण्ड के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋणभार को हलका करने के लिए कई राज्य सरकारों ने केन्द्र से ऋण माफ करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार, राज्य सरकारों की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में पिछले कई वर्षों में निरन्तर गिरावट आयी है, जैसा कि उनके निम्नलिखित सकल राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के स्तरों से स्पष्ट है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
1997–98	44200	16333
1998–99 (संशोधित अनुमान)	75256	40491
1999–2000 (बजट अनुमान)	77893	40724

(ग) और (घ) हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने ऋण को माफ करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की विचारणीय शर्तों के अनुसार आयोग 31 मार्च, 1999 तक राज्य सरकारों की यथाविद्यमान ऋण स्थिति का आकलन करेगा तथा केन्द्र व राज्यों दोनों ही के लिए दीर्घ आवधिक सम्पोषण की दृष्टि से यथावश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगा। राज्य ग्यारहवें वित्त अयोग को अपने ज्ञापन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। राज्यों के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है और सुधारात्मक कार्रवाई की पहल सम्बद्ध राज्य सरकारों को ही करनी होगी।

श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार

317. श्री अन्नासाहेब एम. के पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और इस समझौते के अन्तर्गत क्या प्रावधान हैं;

(ग) क्या सरकार कुछ अन्य देशों से इस प्रकार का समझौता करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समझौतों के कब तक होने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। भारत और श्रीलंका के बीच दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 को नई दिल्ली में एक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस करार में निर्धारित समयावधि के भीतर निषेधात्मक सूची की मदों की सीमित संख्या को छोड़कर सभी उत्पादों और संवेदनशील स्वरूप की कुछ अन्य मदों पर से टैरिफ को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की व्यवस्था है। हालांकि, भारत तीन वर्षों की अवधि में टैरिफ समाप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा तथापि, श्रीलंका इस प्रक्रिया को 8 वर्षों में पूरा करेगा। जिन मदों पर टैरिफ रियायतें प्रदान की जाएंगी और जिन मदों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं दी जाएगी, उन मदों की सूचियों का दोनों पक्षों के बीच आदान–प्रदान 2 फरवरी, 2000 को किया गया था। इस करार के अंतर्गत, 35% की घरेलू मूल्यवर्धन संबंधी अन्तर्वस्तु रखने वाले उत्पाद अधिमानी बाजार पहुंच के लिए पात्र होंगे। श्रीलंका के 25% की घरेलू मूल्यवर्धन संबंधी अन्तर्वस्तु रखने वाले निर्यात भी भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए पात्र होंगे, यदि उनमें न्यूनतम 10% भारतीय अन्तर्वस्तु हो।

(ग) से (ङ) सार्क देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए जुलाई, 1998 में कोलम्बो शिखर सम्मेलन के दौरान सभी सार्क सदस्य देशों को प्रधान मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था।

कि इस क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण की गति को तेज करने के लिए भारत उनके साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार करने का इच्छुक होगा। केवल श्रीलंका ने इस प्रस्ताव का सकारात्मक उत्तर दिया है और तदनुसार मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यद्यपि अन्य देशों के साथ नए मुक्त व्यापार करार करने की संभावना के बारे में कोई समय–सीमा तय नहीं है तथापि कोलबो में हुए सार्क शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया था कि सभी सात सार्क देशों के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) के लिए किसी करार अथवा संधि के बारे में वार्ता शुरू करेगी। इस करार में व्यापार को मुक्त करने के लिए बाध्यकारी समयसीमा तय की जाएगी और इसे सन् 2001 तक अंतिम रूप देकर लागू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

लोगों को उदारीकरण का लाभ

318. श्री अरूण कुमार :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रतन लाल कटारिया :

श्री भीम दाहाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उदारीकरण का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) विगत कुछ वर्षों में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का अर्थव्यवस्था के समूचे विकास के त्वरण, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार की सहज स्थिति के निर्माण मुद्रास्फीति की न्यूनतम दर और विदेशी पूंजी के पर्याप्त अन्तर्प्रवाह के रूप में अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

आर्थिक सुधारों का लक्ष्य रोजगार और इक्विटी सहित तीव्रतर विकास करना है। जब तक कि आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में कम–से–कम 7 से 8 प्रतिशत की दर पर वृद्धि नहीं होती, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना कठिन होगा। त्वरित और बहु–क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुधारों की एक सुस्पष्ट नीति का अनुसरण करना आवश्यक है।

निर्यात वृद्धि हेतु योजना

319. **श्री हरिभाई चौधरी :**

श्री मानसिंह पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त योजनाओं की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) निर्यातों का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं : निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना जिसमें रियायती/शून्य शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है, शुल्क छूट योजना जिसमें निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है, रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन योजना, जिसमें रियायती शुल्क पर निविष्टियों के आयात तथा प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाती है, ईओयू/ईपीजैड के तहत विभिन्न इकाइयों की स्थापना की अनुमति देने की योजना तथा निर्यात घराने, व्यापारिक घराने, स्टार व्यापारिक घराने तथा सुपर स्टार व्यापारिक घराने के रूप में प्रतिष्ठित निर्यातकों को मान्यता देने की योजना।

(ख) और (ग) निरन्तर प्रक्रिया के रूप में सरकार विभिन्न व्यापार प्रतिनिधियों के निकायों से प्राप्त सुझावों के संदर्भ में तथा ऐसी योजनाओं के प्रचालन में देखी गई कमियों को दूर करने के लिए इन निर्यात संवर्धन योजनाओं की समीक्षा करती है।

(घ) और (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान धोखा–धड़ी/दुरुपयोग के कोई बडे मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं। तथापि, ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें निर्यातकों ने विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग किया है।

ऐसे निर्यातकों पर वित्तीय दंड लगाने, उन्हें और लाइसेंस न देने, तथा आयातक कोड़ (आईईसी नम्बर) के निलंबन/रद्द करने जैसे सुधारात्मक उपाय ऐसे चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय निवेश केन्द्र को सुदृढ़ बनाना

320. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए भारतीय निवेश केन्द्र को मजबूत बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही करने की पहल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार अनिवासी भारतीय और अन्य विदेशी निवेशकों, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय निवेश केन्द्र की पुनर्संरचना करने और उसे सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

निर्यात में ह्रास

321. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भिन्न–भिन्न देशों को निर्यात किए गए वस्त्र परिधान, जूट उत्पाद और वस्त्र उत्पाद का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में किए गए निर्यात की तुलना में उक्त अवधि में इन उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन सहित परिधान व वस्त्रों के निर्यातों के मूल्य निम्नानुसार हैं :

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

	1996–97	1997–98	1998–99
सिले–सिलाए परिधान	4762.1	4910.7	5268.4
वस्त्र	5288.2	5629.3	5367.3
पटसन	144.8	127.3	149.5
कुल	10195.1	10667.3	10785.2

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के अनुसार, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर कई कदम उठाए गए हैं। विशेष तौर पर वस्त्र क्षेत्र के संबंध में की गयी कुछ महत्त्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं :

1. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण व उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना को लागू की गयी है।

2. स्थायित्व व निरंतरता प्रदान करने और वस्त्र निर्यात में स्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में, 2000–2004 की अवधि के लिए नई निर्यातक हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा की गयी है।

3. भारतीय वस्त्रों के मूल्य वर्द्धित घटक – अपैरल क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने के लिए, कोटा व गैर–कोटा निर्यात को प्रोत्साहन के लिए गैर–कोटा हकदारी (एन क्यू ई) प्रणाली को चालू रखा गया है।

4. कुछ निर्धारित वस्त्र मशीनों के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत सामान (ई पी सी जी) योजना के अंतर्गत प्रारंभिक सीमा को 1 करोड़ रुपए तक घटा दिया जाता है।

5. निर्यातोन्मुख एकक (ई ओ यू)/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र (ई पी जैड)/ई पी सी जी एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात को उदारीकृत किया गया है।

6. कतरनों व अलंकरणों की कुछ विशेष श्रेणियों को शून्य शुल्क आयात की अनुमति दी गयी है।

[अनुवाद]

आयतों पर मात्रात्मक प्रतिबंध

322. श्री सुरेश कुरूप : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे देश कौन–कौन से हैं जिनके साथ भारत ने आयात पर से मात्रात्मक पाबंदी हटाने के लिए समझौते किए हैं; और

(ख) भारत में निर्मित सामानों का तथा हमारे कृषि उत्पादों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारत ने भुगतान सन्तुलन के आधार पर भारत द्वारा आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विटजरलैंड, जापान एवं संयुक्त राज्य अमरीका के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने का भारत में विनिर्मित वस्तुओं एवं हमारे कृषिजन्य उत्पादों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।

आयकर बकाया

323. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 14,444 लोगों पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये का आयकर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन पर 10, 50 और 100 लाख रुपये से अधिक की राशि का आयकर बकाया है;

(ग) समय सीमा के भीतर इस बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) अभी तक इस बकाया–राशि की वसूली न हो पाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार निगम कर और आयकर की कुल सकल बकाया मांग की राशि 47,51,141 मामलों में 44, 638 करोड़ रुपये है। 30 सितम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार ऐसे 12,999 मामले हैं जिनमें 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रुपये से कम राशि बकाया है और 5119 ऐसे मामले हैं जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम में कर संग्रह और वसूली की विधिक प्रक्रिया विहित है। बकाया कर की वसूली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मांग नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद मांग देय

होने पर यह प्रक्रिया आरम्भ होती है। इसके पश्चात् कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा बैंक खातों की कुर्की, ब्याज लगाने, अर्थदण्ड लगाने आदि जैसी कार्रवाई करके स्थगित न की गई मांग के संबंध में कार्रवाई की जाती है। कठिन मामलों में, मामले को कर वसूली अधिकारी को भेज दिया जाता है जो अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री करने, चूककर्ता की गिरफ्तारी करने और कारागार में नजरबंद करने, चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति करने आदि जैसे विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी और कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई वसूली की कार्रवाई पर उच्च आयकर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

इसके अतिरिक्त, दस लाख रुपये और उससे अधिक की बकाया मांग वाले डोजियर मामलों का उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समय–समय पर परिवीक्षण किया जाता है और मांग की वसूली करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किये जाते हैं।

सम्पूर्ण बकाया मांग की वसूली नहीं की जा सकती है। इस धनराशि में वे मांगें भी शामिल हैं जो देय नहीं हुई हैं, मांगों का भुगतान कर दिया गया है, परन्तु उनका सत्यापन नहीं हुआ है, न्यायालयों/समझौता आयोग/अपीलीय न्यायाधिकरणों और आयकर प्राधिकारियों आदि द्वारा स्थगित कर दिया गया है। बकाया की भारी राशि इकट्ठा होने का प्रमुख कारण है विभिन्न कर निर्धारण वर्षों में इसी विषय पर अनेकों मुकदमे किये गए हैं। सरकार अप्राप्त अत्यधिक बकाया राशियों की नियमित रूप से निगरानी तथा विश्लेषण करती है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाती है।

निर्यात निष्पादन

324. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के दौरान सामान्य तौर पर निर्यात का निष्पादन तथा विशेषतौर पर कृषि उत्पादों के निर्यात के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसका रूझान किस तरफ रहा;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में विपुल सम्भावनाओं का उपयोग करने हेतु कोई दीर्घ–कालिक कृषि निर्यात नीति तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो नई कृषि निर्यात नीति की वर्तमान स्थिति क्या है और कृषि निर्यात की संभावना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विस्तार, उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु तैयार की गई रणनीति क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) निर्यात संवर्द्धन एक सतत प्रक्रिया है। सरकार एग्जिम नीति तथा क्रियाविधियों में संशोधनों के जरिए निर्यातों सहित निर्यातों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है जिसमें मुख्य ध्यान निर्यात–प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने तथा मुक्त व्यापारिक वातावरण मुहैया कराने की ओर दिया जाता है।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों का भारतीय निर्यात निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	अमरीकी मिलियन डालर
1996–97	4596
1997–98	4237
1998–99(अ)	3952

(अ) अनन्तिम

(ग) और (घ) कृषि निर्यात नीति का निर्धारण मुख्य रूप से हमारे खाद्य सुरक्षा हितों और कृषि आय को अधिकतम बनाने की बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढाने के लिए हाल ही में किए गए उपायों में शामिल हैं – छोटी व बड़ी पौधाशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना; तकनीकी जानकारी का उन्नयन करना; किसानों को प्रशिक्षण देना; इस क्षेत्र को आधुनिक और प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए सुलभ ऋण प्रदान करना; शीतागार जैसी बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; पुष्पात्पादों एवं चुनिंदा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी और क्रेता विक्रेता बैठकों जैसे संवर्द्धनात्मक प्रचार अभियान आयोजित करना तथा महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करना।

वस्त्र निर्यात

325. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात किए गए वस्त्रों और परिधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल वस्त्र निर्यात में सिले–सिलाए सूती वस्त्रों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए गये/किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों और कपड़ों के निर्यात के मूल्य निम्नानुसार रहे हैं :

वर्ष	अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य
1996–97	10050.3
1997–98	10540.0
1998–99	10635.7

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती परिधानों के निर्यात निम्नानुसार रहे हैं :

वर्ष	अमरीकी मिलियन डालर में मूल्य
1996–97	3418.4
1997–98	3411.4
1998–99	3761.5

(ग) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान दरों पर पूंजी प्रदान करने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना को लागू किया है। इसके अतिरिक्त, नई निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000–2004) में विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम.इ.ई.) और नई निवेशक हकदारी (एन.आई.ई.) प्रणालियों को, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवश्यक अभिज्ञात किए गए संयंत्रों और मशीनों के साथ संबद्ध किया गया है। कुछ निर्धारित वस्त्र मशीनों के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपए करने का उपाय आधुनिक प्रौद्योगिकी को आयात करने में सहायक होगा।

विश्व व्यापार संगठन के साथ प्रतिबद्धतायें

326. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) यूरोपीय संघ ने हाल ही में इस आशय का कोई सामान्य वक्तव्य नहीं दिया है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ के साथ की गई अपनी वचनबद्धताओं का पालन नहीं किया। तथापि, अगर कोई सदस्य देश यह महसूस करता है कि कोई अन्य सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के साथ की गई अपनी वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहा या उसके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जो डब्ल्यूटीओ के दायित्वों के अनुरूप नहीं है, तो उसे ऐसे सदस्य देश की व्यापार नीति की समीक्षा के समय उठाया जा सकता है या डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के तहत विवाद उठाया जा सकता है। यूरोपीय संघ और भारत, दोनों ने समय–समय पर इन तंत्रों का उपयोग किया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में खनिज-भण्डार

327. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विशाल खनिज–भण्डार पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस खनिज–भण्डार का कितने प्रतिशत दोहन हो रहा है;

(ग) सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) राज्य में पाए गए खनिज–भण्डार के इष्टतम उपयोग के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) खनिजों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विवरण क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान में प्रचुर खनिज भण्डार हैं और अधिकांश खननीय खनिज भण्डारों का विदोहन किया जा रहा है।

(ग) अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत् कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को पहले से अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन कर इसमें और अधिक प्रावधान जोड़े गये हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए सतर्कता दल गठित किए हैं जिसमें खनन अभियंता शामिल होते हैं।

(घ) राष्ट्रीय खनिज नीति के अनुरूप, राजस्थान राज्य सरकार ने खनिजों के विदोहन और राज्य में ही तैयार वस्तुओं का उत्पादन अधिकतम करने के लिए बड़ी संख्या में खनिज आधारित उद्योगों को स्थापित करने हेतु निवेशक अनुकूल नीतियां तैयार की हैं। इसके अलावा, खनिज सम्पदा के इष्टतम उपयोग के लिए राज्य सरकार बेहतर आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 में, खनिज भण्डारों के संरक्षण तथा उनके व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास के लिए प्रावधान हैं। खनिज सम्पदा

के संरक्षण के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाकर खनिज बरबादी से बचने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

इस्पात का आयात

328. श्री सुनील खां : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अग्रिम लाइसेंस योजना के ग्राहक को कर रहित स्क्रैप–इस्पात के आयात की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितने रुपये मूल्य के स्क्रैप–इस्पात का आयात किया गया और अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत कितना इस्पात निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। मानक निविष्टि/उत्पादन मानदण्डों में अनेकों ऐसी प्रविष्टियां हैं जिनमें अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन स्क्रैप–इस्पात के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है।

(ख) विभिन्न आयात–उत्पादन मानदंडों के अन्तर्गत आने वाली अलग–अलग निविष्टियों के आयात के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय या वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) में से किसी के द्वारा नहीं रखे जाते हैं। इसलिए प्रश्न के भाग (ख) में मांगी गई सूचना सहज रूप से मुहैया कराना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

329. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवासी – भारतीयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम–वार अब तक किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभाई कथीरिया) : 31–3–1998 की स्थिति की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार विदेशी पक्षों द्वारा सरकारी उद्यमों के ऋण और शेयरों के रूप में निवेश का सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार विवरण 26–2–1999 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1997–98 के खण्ड–1 के विवरण संख्या 17 तथा 18 में दिया गया है। यह एक प्रकाशित दस्तावेज है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ मुक्त-व्यापार समझौता

330. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार ने हाल की इस आशय की मीडिया रिपोर्टों को देखा है कि पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर मुद्दे के समाधान तक भारत के साथ मुक्त व्यापार की संभावना से इनकार किया है। विगत में भी पाकिस्तान की सरकार द्वारा भारत को परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) का दर्जा देने को असम्बद्ध मुद्दों से जोड़ने वाले वक्तव्य यदा–कदा दिए गए हैं। डब्ल्यू टी ओ के तहत अपनी वचनबद्धताओं के विरुद्ध पाकिस्तान ने भारत को परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) का व्यवहार प्रदान नहीं किया है। भारत ने पाकिस्तान की तुलना में अपने व्यापार हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। यह उल्लेखनीय है कि भारत तथा पाकिस्तान सहित सार्क के सदस्य देशों द्वारा सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) के तहत टैरिफ रियायतों का आदान–प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, जुलाई 1998 में कोलम्बो में हुए सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि वर्ष 2001 तक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साप्टा) के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

एम एम टी सी द्वारा निर्यात हेतु खनिजों की खरीद

331. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) ने उड़ीसा के बारबिल–बरजामदा और गंधमरदन क्षेत्र से निर्यात हेतु लौह–अयस्क, बाक्साइट, मैगनीज और अन्य खनिजों की कितनी मात्रा में खरीद की गई;

(ख) क्या इन खनिजों के निर्यात में भारी कमी आई है विशेषकर उड़ीसा की खानों से इनकी खरीद में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बासपानी–बारबिल–बरजामदा और गंधमरदन क्षेत्र से इन खनिजों की खरीद बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) महोदय, एमएमटीसी द्वारा उड़ीसा के बारबिल बरजामदा और गंधमरदन क्षेत्र से लौह–अयस्क की खरीद निर्यात के प्रयोजन से की जाती है। इस क्षेत्र से निर्यात के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गये लौह अयस्क की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा लाख टनों में)

खनन क्षेत्र	1997–98	1998–99	1999–2000 (अनुमानित)
1	2	3	4
बारबिल–बारजामदा	6.00	5.72	7.50
गंधमरदन	0.09	0.10	0.40
देतारी	शून्य	शून्य	0.60
कुल	6.09	5.82	8.50

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन से निर्यात जो मुख्य रूप से समेकित पार्सल के रूप में उड़ीसा और बिहार से हुआ है, निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा लाख टन में
1997–98	9.86
1998–99	6.29
1999–2000 (अनुमानित)	9.00

निर्यात में गिरावट आने का कारण विश्व भर में इस्पात उद्योग में मंदी और आयातक देशों द्वारा कम आयात करना है।

(घ) इस क्षेत्र में वृद्धि के लिए एमएमटीसी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. लौह इस्पात के निर्यात को चालू रखने के लिए एमएमटीसी ने जापानी इस्पात मिल, पोस्को और दक्षिण कोरिया के साथ पंचवर्षीय करार किया है।
2. घरेलू मांग के कारण निर्यात के लिए उपलब्ध लौह अयस्क की श्रेणी में बदलाव के कारण नए बाजारों का पता लगाया गया है अर्थात् निम्न/माध्यम दानेदार और चूर्ण ग्रेड के लिए चीन और उच्च सघनता वाले और सांद्रित लौह आयस्क के लिए मध्य–पूर्व इत्यादि।
3. एमएमटीसी ने पाइप कोटिंग प्रयोजनों के लिए लौह अयस्क चूर्ण के लिए ऐसे नए बाजारों का भी पता लगाया है जहां इकाई मूल्य वसूली अधिक है।
4. क्रसिंग और स्क्रीनिंग प्लांटों की स्थापना करके साइज अयस्क के लिए उपभोक्ता की मांग के अनुरूप उत्पाद रेंज को बढ़ाना।
5. चीन जैसे संभावित और उभरते बाजारों में बाजार हिस्से में सुधार करना।
6. लागत में कटौती करके और गुणवत्ता पर अधिक जोर देकर प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना।
7. उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात के लिए अधिक मात्रात्मक सीमा की मांग करना।
8. निम्न और मध्यम ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात के संवर्द्धन और विकास हेतु उच्च ग्रेड के अयस्क की उत्तोलक शक्ति का उपयोग करना।

[हिन्दी]

इन्टरनेट बैंकिंग सेवा

332. श्री रामपाल सिंह :

डॉ. अशोक पटेल :

श्री तूफानी सरोज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग तथा ई–कामर्स सेवाएं आरंभ करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस सेवा हेतु कुछ विशेष शाखाओं का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस तरह की शाखाओं की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय स्टेट बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी में नीति बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सहायता मिल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि वह फिलहाल विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित इंटरनेट बैंकिंग हल का मूल्यांकन कर रहा है। इस संबंध में होने वाले संभावित खर्च के बारे में इस समय कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य के लिए बैंक का प्रस्ताव है कि वह पहचान किए गए अपनी विदेश स्थित शाखाओं, कम्पनी खाता समूह शाखाओं तथा चुने हुए व्यक्तिगत खण्ड–अभिमुख शाखाओं के करीब 25–30 शाखाओं को शामिल करेगा।

(ङ) और (च) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी योजना के प्रतिपादन में बैंक की सहायता के लिए इसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों का उन्नयन

333. श्री मोइनुल हसन : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों के स्तरोन्नयन के लिए अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) विदेशी मशीनरी, जिसमें विदेशी – प्रौद्योगिकी का आयात भी शामिल है, की खरीद और संस्थापन के लिए कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ग) इस प्रकार के निवेश के परिणामस्वरूप उत्पादन की कितनी अतिरिक्त क्षमता सृजित हुई;

(घ) विदेशी मशीनरीज के संस्थापन के कारण ईस्टर्न कोल लिमिटेड में अब तक कोयला–खनन में कितना वास्तविक उत्पादकता–विचलन हुआ;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी मशीनरीज के आपूर्तिकर्त्ता से क्षति का दावा किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) ई.को.लि. की खानों को अद्यतन किए जाने हेतु सरकार द्वारा 29 02.85 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

(ख) विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात सहित विदेशी मशीनरी की स्थापना तथा खरीद हेतु 905.09 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया है।

(ग) ई.को.लि. की खानों में निवेश के फलस्वरूप 17.12 मि. ट. प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न कर ली गई है।

(घ) 1998–99 के दौरान ई.को.लि. की खानों में विदेशी मशीनरी की स्थापना किए जाने के कारण प्राप्त उत्पादन क्षमता (ओ. एम.एस.) इस प्रकार थी :

राजमहल ओ. का.	–	10.2 टी.ई.
सोनपुर बाजारी ओ.का.	–	5.34 टी. ई.
कोटाडीह भू.ग.	–	0.95 टी. ई.
झांझरा भू.ग.	–	1.59 टी. ई.
चोरा 10 पिट	–	0.74 टी. ई

*जब लांगवाल फेस कार्यशील था तो उत्पादकता 1.61 टन थी।

(ङ) कोटाडीह भू.ग. हेतु आपूर्तिकर्ता से क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है।

(च) मुआवजे हेतु मध्यस्थता के माध्यम से दिसम्बर, 1999 में अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल पेरिस में दावा किया गया है।

गेहूं का निर्यात

334. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ देशों को गेहूं का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन–किन संभावनाओं का पता लगाया गया है;

(ग) क्या रूस भारत से गेहूं का आयात करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो गेहूं के आयात के लिए अनुरोध करने वाले अन्य देशों और रूस को गेहूं का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) एक्जिम नीति के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर घोषित की गई मात्रात्मक उच्चतम सीमाओं के अधीन रहते हुए गेहूं का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है। वर्ष 1999–2000 के लिए एक मिलियन टन गेहूं तथा गेहूं उत्पादों की असीमित मात्रा घोषित की गयी है। हालांकि रूसी प्राधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि इस समय रूसी पक्ष को खाद्य श्रेणी के गेहूं का आयात करने की कोई जरूरत नहीं है, तथापि भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को महामहिम नेपाल सरकार को 50,000 मी.टन भारतीय गेहूं की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा का भण्डार

335. श्री अजित सिंह :

श्री सुकदेव पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा किस समय सर्वाधिक थी तथा यह कितनी थी;

(ग) क्या इस भण्डार में मुद्रा विभिन्न स्रोतों से भी प्राप्त की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो ये स्रोत कौन–कौन से हैं तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक स्रोत से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित

की गई तथा इस भण्डार से किस प्रयोजन हेतु मुद्रा की निकासी की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान अब तक देश के विदेशी मुद्रा भण्डार में सामान्यतः ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति दर्शित हुई है, और नवम्बर, 1999 से भण्डार में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) 11 फरवरी, 2000 तक की अवधि के लिए उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक स्वर्ण और एस. डी. आर. सहित विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च अन्त 1999 में 32490 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में जनवरी, 2000 को 35170 मिलियन अमरीकी डालर के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है।

(ग) और (घ) भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में हुई वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए गए अन्तर्राष्ट्रीय लेन–देन के निवल परिणाम और विदेशी मुद्रा बाज़ार में अधिशेष की स्थितियों को प्रतिबिम्बित करती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाज़ार से निवल क्रय सुगम हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए गए प्रमुख लेन–देनों में सहायता प्राप्तियों का कुछ भाग तथा विदेशी मुद्रा भण्डार के निवेश पर अर्जित ब्याज और बट्टा शामिल हैं। प्रारम्भिक संकेतक ये हैं कि विदेशी मुद्रा बाज़ार ने निर्यातों में तेजी से सुधार, अदृश्य प्राप्तियों में उत्प्लावकता, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेशों में तेजी से वृद्धि तथा अनिवासी भारतीय जमाराशियों में महत्त्वपूर्ण निवल वृद्धि को परिलक्षित करते हुए अधिशेष की स्थितियों को प्रदर्शित किया है।

[अनुवाद]

देश में खनिज

336. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी किन–किन धातुओं का निष्कर्षण किया जा रहा है और किन–किन राज्यों में किन धातुओं का निष्कर्षण किया जा रहा है, अलग–अलग ब्यौरा दें; और

(ख) खनिज–वार और राज्य–वार इन खनिजों पर संबंधित राज्यों को दी जा रही रायल्टी का आधार क्या है और साथ ही रायल्टी की दरें क्या हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) देश में निष्कर्षित खनिजों (पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को छोड़कर) के नाम, राज्य–वार, संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के तहत खनिजों पर रायल्टी उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर से संबोधित राज्य सरकार द्वारा ही एकत्र की जाती है। पट्टाकृत क्षेत्र से निकाले गए या उपभोग किए गए खनिजों पर रायल्टी वसूली उत्पादन की इकाई या यथामूल्य आधार पर की जाती है। रायल्टी की दरें, पश्चिम बंगाल, जहां 5 मई, 1987 से लागू दरें प्रचलन में हैं, को छोड़कर, सभी राज्यों में एक समान हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में, प्रत्येक खनिज पर लागू रायल्टी की दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं। उक्त अधिनियम की, मौजूदा दूसरी अनुसूची को 8.5.1997 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

विवरण

आंध्र प्रदेश : निकाले गए खनिज हैं कोयला, क्रोमाइट, स्वर्ण, लौह अयस्क, सीसा सांद्र, मैग्नीज अयस्क, एपेराइट, एस्बेस्टोस, बाल क्ले, कैल्साइट, क्ले (अन्य), कोरंडम, डोलोमाइट, फैल्स्पर, फायरक्ले, फच–क्वार्टजाइट, गारनेट (एब्रेसिव), ग्रेफाइट आर.ओ.एम. काओलिन, काइनाइट, लेटेराइट, लाइम कंकर, माइमशैल, लाइमस्टोन, अभ्रक (कच्चा), ओकर, पाइरोफिलाइट, क्वार्टज, सैंड (अन्य), शैल, सिलिका सैंड, स्लेट, स्टीटाइट वर्मिकुलाइट।

अरूणाचल प्रदेश : निकाले गए खनिज हैं, चूना पत्थर।

असम : निकाले गए खनिज हैं, कोयला एवं चूनापत्थर।

बिहार : निकाले गए खनिज हैं, कोयला, क्रोमाइट, ताम्र अयस्क, स्वर्ण (उपोत्पाद के रूप में), लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, एस्बेस्टोस, बेराइट्स, बाक्साइट, डोलामाइट, फैलस्पर, फायरक्ले, गारनेट (एब्रेसिव), ग्रेफाइट आर.ओ.एम. काओलिन, काइनाइट, लेटेराइट, चूनापत्थर, अभ्रक (कच्चा), ओकर, पाइराइट, क्वार्टज सैंड (अन्य), सिलिका सेंड, स्टीटाइट।

दिल्ली : निकाले गए खनिज हैं, काओलिन।

गोवा : निकाले गए खनिज हैं, बाक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, सिलिका सैंड।

गुजरात : निकाले गए खनिज हैं, अगेट, लिग्नाइट, ताम्र अयस्क, कैल्साइट, क्ल (अन्य), बाक्साइट, बालक्ले, फैलस्पर, डोलामाइट, फायरक्ले, फलोराइट (सांद्र) फ्लोराइट (ग्रेडिड), ग्रेफाइट आर.ओ.एम, जिप्सम, काओलिन, लैटेराइट, चूनापत्थर, ओकर, परलाइट, क्वार्ट्ज सैंड (अन्य), सिलिका सैंड, स्टीटाइट, वर्मिकुलाइट, चॉक एवं कैल्सेरस सेंड।

हरियाणा : निकाले गए खनिज हैं, लौह अयस्क, डोलोमाइट, फैलस्पर, काओलिन, लाइम कंकर, चूनापत्थर, क्वार्ट्ज, सिलिका सेंड, स्लेट, कैल्साइट।

हिमाचल प्रदेश : निकाले गए खनिज हैं, बेराइट्स, जिप्सम, चूनापत्थर, साल्ट (रॉक) और शैल।

जम्मू और कश्मीर : निकाले गए खनिज हैं, कोयला, बाक्साइट, जिप्सम, काओलिन, क्ले (अन्य), चूनापत्थर और मैग्नेसाइट।

कनार्टक : निकाले गए खनिज हैं, बाक्साइट, क्रोमाइट, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, मैंग्नीज अयस्क, एस्बेस्टोस, क्ले (अन्य),

कोरून्डुंग, डोलोमाइट, डूनाइट, फैलस्पर, फेलसाइट, फायरक्ले, फैच–कवार्टज़ाइट, स्वर्ण, काओलिन, काइनाइट, लाइनशैल, चूनापत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, क्वार्टज, शैल, सिलिका सैंड, स्टीटाइट, वर्मिकुलाइट।

केरल : निकाले गए खनिज हैं, बाल क्ले, बाक्साइट, फायरक्ले, काओलिन, ग्रेफाइट आर.ओ.एम., मैग्नेसाइट लाइमशैल, अभ्रक (कूड), क्वार्टज, सैंड (अन्य), सिलिका सैंड और सिलिमैनाइट।

मध्य प्रदेश : निकाले गए खनिज हैं, कोयला, बाक्साइट, ताबा अयस्क, मैंग्नीज अयस्क, टिन, (सांद्रित) एस्बेस्टोस, बेराइटस, कैलसाइट, क्ले (अन्य), कोरून्ड्म, हीरा, डायस्पोर, डोलामाइट, फैलस्पर, फायरक्ले, काओलिन, लैटाराइट, चूना पत्थर, ओकर फोस्फराइट, पाइरोफिलाइट, क्वार्टज, सैंड (अन्य), सिलिका सैंड, सिलिमैनाइट, स्लेट, स्टीटाइट, वर्मिकुलाइट।

महाराष्ट्र : निकाले गए खनिज हैं, बाक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क, मैग्नीज़ अयस्क, बेराइट्स, कोरून्डुम, डोलोमाइट, फैलस्पर, फायरक्ले, फलूराइट (ग्रेडिड), काओलिन, क्यानाइट, लेटराइट, चूनापत्थर, ओकर, पाइरोफिलाइट, क्वार्टज, सैंड (अन्य), सिलिका सैंड. सिलिमैनाइट, स्टीटाइट और शैल।

मणिपुर : निकाला गया खनिज है, क्रोमाइट।

मेघालय : निकाले गए खनिज हैं, कोयला, फायर क्ले, सिलिमैनाइट और चूनापत्थर।

उड़ीसा : निकाले गए खनिज हैं, कोयला, बाक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क, सीसा सान्द्र, मैग्नीज अयस्क, कोरूंडुम, डोलोमाइट, फायरक्ले, ग्रेफाइट आर.ओ.एम., काओलिन, चूनापत्थर, अभ्रक (कुड), पाइरोफिलाइट क्वार्ट्ज़, सिलिमेनाइट, स्टीटाइट।

राजस्थान : निकाले गए खनिज हैं, तांबा अयस्क, सीसा सांद्र, जस्ता सांद्र, एस्बस्टोस, बाल क्ले, बेराइट्स, कैलसाइट, चॉक, कोरूंडुम, डोलोमाइट, एमरल्ड, फायरक्ले, फैल्सपर, फ्लूराइट (ग्रेडिड), गारनेट (जेम), गारनेट (एब्रेसिव), ग्रेफाइट आर.ओ.एम., जिप्सम, लौह अयस्क, जस्पर, काओलिन, क्यानाइट, लेटराइट, चूनापत्थर, मैग्नेसाइट, अभ्रक (कुड), ओकर, फोसफोराइट, पाइराइट्स, फाइरोफिलाइट, क्वार्ट्ज़, सिलिका सैंड, सिलिमेनाइट, स्लेट, स्टीटाइट, टंगस्टन सांद्र, वर्मिकुलाइट और वोलास्टोनाइट।

सिक्किम : निकाले गए खनिज हैं तांबा अयस्क, सीसा सांद्र और जस्ता सांद्र।

तमिलनाडु : निकाले गए खनिज हैं, लिग्नाइट, बाक्साइट, बाल क्ले, बेराइट्स, क्ले (अन्य), डूनाइट, फैलस्पर, फायरक्ले, गारनेट (एब्रेसिव), ग्रेफाइट आर.ओ.एम., जिप्सम, काओलिन, लेटराइट, लाइम कंकर, लाइमशैल, चूनापत्थर, मैग्नेसाइट, अभ्रक (कुड), क्वार्टज़, सिलिमेनाइट, सिलिका सैंड, स्टीटाइट, वर्मिकुलाइट।

उत्तर प्रदेश : निकाले खनिज हैं, कोयला, डायस्फोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूनापत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, फास्फोराइट, पाइरोफिलाइट, स्टीटाइट, और सिलिका सैंड।

पश्चिम बंगाल : निकाले गए खनिज हैं, कोयला, टंगस्टन सांद्र, एपाटाइट, क्ले (अन्य), डोलोमाइट, फायरक्ले, काओलिन, चूनापत्थर।

आर.ओ.एम-रॉ ओर माइंड

पुरानी टेक्सटाइल मशीनों का आयात

337. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वस्त्र उद्योग से सिले सिलाए वस्त्रों और कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र उद्योग ने पुरानी बुनाई मशीनों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो पुरानी टेक्सटाइल मशीनों के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वस्त्र उद्योग से तैयार वस्त्रों का अर्ध–तैयार वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ङ) सरकार मेड–अप्स और फैब्रिक्स सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर अनेक कदम उठा रही है। विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के संबंध में की गई कुछेक महत्त्वपूर्ण पहल निम्नानुसार है। :

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की गई है ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

(2) स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने तथा वस्त्र निर्यात में स्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में 2000–2004 की अवधि के लिए नई निर्यातक हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा।

(3) कुछ निर्धारित वस्त्र मदों में शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपए करना।

(4) निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई.पी.जैड.)/ई.पी.सी.सी. एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात का उदारीकरण।

(5) ट्रिमिंग और अलंकरण की कुछ श्रेणियों का शून्य शुल्क पर आयात।

(ग) और (घ) पुरानी बुनाई मशीनों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में वस्त्र क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। व्यापार

का उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण होने और उसके फलस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण से वस्त्र क्षेत्र के लिए अपनी प्रौद्योगिकी के स्तर को विश्व श्रेणी के स्तर तक उन्नत बनाना अनिवार्य हो गया है। उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहन देने और पुरानी मशीनों के रूप में अप्रचलित मशीनों के आयात को रोकने के लिए सरकार ने सामान्यतः वस्त्र मशीनों सहित पुराने पूंजीगत माल के आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं।

लौह अयस्क का निर्यात

338. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ देशों के साथ वार्ता की गई है;

(ग) यदि हां, तो आने वाले वर्षों में किन देशों को लौह अयस्क निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विभिन्न लौह अयस्क उत्पादन करने वाले राज्यों से इन देशों को लौह अयस्क की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000–2001 के लिए निर्यात हेतु वार्षिक अनुबंध के नवीनीकरण के लिए मुख्य सरणीयन एजेंसी, एम एम टी सी द्वारा जापान के साथ विचार–विमर्श तय किए गए हैं उसके बाद दक्षिण कोरिया के साथ विचार–विमर्श किए जाएंगे। चूंकि, चीन मुख्यतः तुरंत आधार पर आयात करता है इसलिए इसकी मात्रा वार्षिक/तुरंत आधार पर तय की जाती है।

(ग) वर्तमान में और निकट भविष्य में भी जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीन भारतीय लौह अयस्क के लिए मुख्य बाजार हैं।

(घ) लौह अयस्क के निर्यात की मात्रा अयस्क की विभिन्न श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग–आपूर्ति स्थिति पर निर्भर करती है। वर्ष 2000–2001 के दौरान कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा तथा मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न लौह अयस्क उत्पादक राज्यों से लौह अयस्क का भारतीय निर्यात 30–35 मिलियन टन के बीच होने की संभावना है।

[हिन्दी]

चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

339. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो योजना कब तक लागू हो जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के चमड़ा उद्योग के पुनरुद्धार के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) चर्म क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 18.1.2000 से एक चर्मशोधनालय आधुनिकीकरण योजना आरम्भ की गई है। इस योजना, जो कि प्रारम्भ में 2001–2002 तक चलाई जायेगी, में 30% चर्म शोधनालयों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चर्म उद्योग का पुनर्गठन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(1) नये निवेशों को आकर्षित करके क्षमताओं में वृद्धि करना तथा एकीकृत टैनिंग इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति देना।

(2) वार्षिक बजट प्रक्रियाओं के माध्यम से शुल्क ढांचे का यौक्तिकरण।

(3) जूते, परिधान तथा चर्म–वस्तुओं के डिजाइन तथा विनिर्माण के लिये प्रशिक्षण प्रणाली पद्धति का उन्नयन।

(4) मानवशक्ति प्रशिक्षण की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सांस्थानिक सुविधाओं का सृजन।

(5) संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के बीच संयोजन (लिंकेज) सुदृढ़ करना।

(6) कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में 25 "लांश वसूली तथा उत्पाद उपयोगिता केन्द्रों" की स्थापना।

(7) अच्छे डिजाइन, उपकरण प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर तथा स्वदेशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाकर दस्तकारी क्षेत्र को समर्थन।

(8) प्रमुख प्रशिक्षण समूहों में सामान्य बहिःस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना।

[अनुवाद]

बड़े व्यावसायिक घरानों को ऋण

340. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे बड़े व्यावसायिक घरानों और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) से उन सदस्यों, जो कि अपने बैंक ऋणों को वापस करने में असफल रहे हैं, को उन्हीं बैंकों या अन्य बैंकों से दुबारा नये ऋण प्रदान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो चूककर्ताओं को बार-बार अग्रिम ऋण प्रदान करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन बैंक चूककर्ताओं का, जिन्हें दुबारा ऋण दिये गये, ऋण प्रदान करने के कारणों सहित, सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंकों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1994 में शुरू की गई योजना के अन्तर्गत कुल 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की बकाया राशि वाले बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के उन चूककर्ताओं के बारे में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा उन्हें जानकारी दे रहे हैं जिनके खातों को संदिग्ध या हानिवाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जहां अपनी देयराशियों की वसूली के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं। बैंक और वित्तीय संस्थाएं विद्यमान ग्राहकों तथा नए ग्राहकों के नई व अतिरिक्त ऋण अपेक्षाओं के अनुरोधों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय इन जानकारियों का उपयोग करते हैं। कानून के चालू प्रावधानों के अधीन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रकट करने पर संविधियों के अन्तर्गत वर्णित परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिबंध है।

[हिन्दी]

व्यक्तिगत बैंकिंग योजनाएं

341. डॉ. संजय पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने महानगरों में अपनी चुनिंदा शाखाओं में व्यक्तिगत बैंकिंग योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और किन शाखाओं में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उनके यहां "व्यक्तिगत बैंकिंग योजना" के रूप में अभिकल्पित ऐसी कोई योजना नहीं है जिसे उन्होंने अपनी कुछ महानगरीय शाखाओं में लागू किया हो।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

संगमरमर का खनन

342. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर संगमरमर और ग्रेनाइट का खनन किया गया और संगमरमर और ग्रेनाइट का कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया;

(ख) क्या संगमरमर और ग्रेनाइट का खनन और उत्पादन लगातार कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को संगमरमर और ग्रेनाइट का कुल कितना-कितना निर्यात किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात करने से अलग-अलग कितनी आय अर्जित की गई ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) संगमरमर और ग्रेनाइट, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के तहत् परिभाषित गौण खनिज हैं और इसीलिए इन खनिजों की उत्पादन संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। तथापि, संगमरमर का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य राजस्थान है और इसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार का स्थान आता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं और इनके बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। राजस्थान सरकार की एक स्वायत्तशासी निकाय, सैंटर फॉर डिवलपमेंट ऑफ स्टोन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1995-98 की अवधि में संगमरमर और ग्रेनाइट के उत्पादन आंकड़ों का अनुमान इस प्रकार था :

उत्पादन (हजार टन में)

खनिज	1995-96	1996-97	1997-98
संगमरमर	3186	3712	3622
ग्रेनाइट	4555	4550	4950

(घ) और (ङ) संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात दक्षिणी कोरिया, ताईवान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमरीका सहित अनेक देशों को किया जाता है। वर्ष 1995-98 की अवधि के दौरान इनके निर्यात की मात्रा और मूल्य इस प्रकार थे :

(मात्रा हजार टन में) (मूल्य मिलियन रुपये में)

खनिज	1995-96		1996-97		1997-98	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
संगमरमर	59	899	66	1,080	74	1,301
ग्रेनाइट	1,277	10,827	1172	11,388	708	9,577

आरआईडीएफ-III योजना के अंतर्गत नाबार्ड ऋण

343. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "नाबार्ड" द्वारा आरआईडीएफ–III योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार को ग्रामीण बाजार में किसानों को आधारभूत सुविधाएं और प्रशीतन गृह प्रदान करने के लिए मांगी गई धनराशि की तुलना में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हरियाणा को इस योजनार्थ दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा आगामी वर्ष के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ–III) के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सभी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरआईडीएफ–III के अंतर्गत मंजूर की गई राशि निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
42.09	32.89	–	74.98

नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि ग्रामीण बाजार में शीतागार के लिए हरियाणा राज्य सरकार से आरआईडीएफ–III के अंतर्गत कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ था।

(ख) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने चालू वित्तीय वर्ष और निम्नलिखित वर्षों के लिए आरआईडीएफ–IV तथा आरआईडीएफ–V के अंतर्गत हरियाणा सरकार के प्रयोगार्थ निम्नानुसार राशि स्वीकृत की है :

(रुपए करोड़ में)

1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल
79.81	42.51	15.62	137.94

[अनुवाद]

असम में रुग्ण चाय बागान

344. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम के करीमगंज जिले में भारत सरकार की एक उपक्रम "पथिनि चाय का बागान" की अत्यंत दयनीय स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बागान की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त बागान को किसी निजी कंपनी के हाथ बेचने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या टी टी सी आई श्रमिकों को बोनस, उपदान और मजदूरी देने में असफल रहा है जिसके कारण बागान के श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से तो कुछ ने भुखमरी के कारण दम भी तोड़ दिया है;

(च) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) सरकार का इस बागान को निजी कंपनी के हाथों कब बेचे जाने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (छ) भारतीय चाय व्यापार निगम लि. (टी टी सी आई), जो कि एस टी सी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, पाथिनी चाय बागान सहित पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में 5 चाय बागों के प्रशासन का प्रबंध देखती है। घाटे में चल रही कंपनी होने के कारण यह गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है और वह दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ रही है। 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल देनदारी लगभग 36 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

टी टी सी आई के प्रबंधक वर्ग ने कंपनी को समाप्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। मामला न्यायालय में अनिर्णीत है। टी टी सी आई आर्थिक रुग्णता की स्थिति में है और कंपनी के लिए अपने बागानों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियां जुटाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

सोना भण्डारों का पता लगाने हेतु हवाई सर्वेक्षण

345. श्री मोहन रावले : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं की संभावनाओं का पता लगाने हेतु राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र में 67,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण हेतु अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार के खान विभाग ने, आज तक, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, कैडमियम, बिस्मुथ तथा सहयोगी खनिजों के भण्डारों की संभावनाएं खोजने के लिए राजस्थान, गुजरात उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों के लगभग 90,142 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र पर हवाई सर्वेक्षण हेतु

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 5(1) के तहत्, 65 पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें राजस्थान में, लगभग 73,925 वर्ग किमी. के क्षेत्रफल में विभिन्न कम्पनियों को दिये गए 53 प्रभावी पूर्वेक्षण लाइसैंस शामिल हैं। अभी तक, केवल राजस्थान में हवाई पूर्वेक्षण किया गया है तथा राजस्थान सरकार की सूचना के अनुसार विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा की गई प्रगति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राजस्थान में विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा हवाई पूर्वेक्षण के क्षेत्र में की गई प्रगति।

क. मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा बीएचपी मिनरल्स : मैसर्स हिन्दुस्ताान जिंक लिमिटेडँ तथा बी एच पी मिनरल्स, राज्य में संयुक्त रूप से गवेषण कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। प्रारम्भ में उनके पास लगभग 16315 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए आठ पूर्वेक्षण लाइसेंस थे जिसमें से, प्राथमिक सर्वेक्षण के बाद लगभग 8400 वर्ग किमी. का क्षेत्र छोड़ दिया गया है। उसके बाद, उन्होंने अन्य 11 पूर्वेक्षण लाइसेंसों के तहत लगभग 9255 वर्ग किमी. का अतिरिक्त क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया है।

पूर्वेक्षण लाइसेंस वाले क्षेत्रों में, हवाई भू–भौतिकीय सर्वेक्षण तथा जमीनी अनुवर्ती कार्य किया जा रहा है तथा हवाई सर्वेक्षण द्वारा 242 विसंगतियों की पहचान की गई है। जमीनी सर्वेक्षण में 172 विसंगति स्थलों का मानचित्रण, 114 विसंगति स्थलों का भूभौतिकीय सर्वेक्षण तथा 66 स्थलों का भूरसायनिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 85 बोरहोलों में कुल 9844.30 मी. वेधन कार्य सहित 55 विसंगति क्षेत्रों में आगे वेधन कार्य किया गया है। अधिकांश बोरहोल कम गहरे (90–110 मीटर गहरे) हैं। काकालवार, मालिखेड़ा, रानला, महाखुर्द, लामपिया, मालिखेड़ा, सालारा, आसाहोली, सोमी, लासरिया का खेड़ा, सामोदी, रामपुरा, उरजा, के खेड़ा क्षेत्रों में 50 से 500 पी.पी.एम. ताम्र की रिपोर्ट मिली है।

ख. मैसर्स ए सी सी रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन लिमिटेड : लगभग 2432 वर्ग किमी. के स्वीकृत क्षेत्र में से लगभग 1222 वर्ग किमी. क्षेत्र छोड़ दिया गया है। हवाई सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा रक्षा विभाग से निकासी मिलने पर आंकड़ों का संसाधन किया जाएगा।

ग. मैसर्स मेरिडियन मिनरल्स इंडिया (एमएमआईएल) : एमएमआईएल के पास छः पूर्वेक्षण लाइसेंस हैं जिनमें हवाई सर्वेक्षण, लैंडसेट एमएसएस आकृति(इमेज) अध्ययन, क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक अध्ययन इत्यादि पूरे हो चुके हैं तथा कुल 47 लक्ष्य क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें से 27 क्षेत्रों का अभी तक फील्ड आकलन किया जा चुका है और पांच मुख्य संभावी क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। परिणाम उत्साहवर्धक है तथा सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी मूल्य वाले अनेक विसंगति क्षेत्र देखे गए हैं। प्राथमिक कार्य के बाद लगभग 318 वर्ग किमी. क्षेत्र को छोड़ दिया गया है।

घ. मैसर्स डब्ल्यू एस आई एल मिनरल्स सैंड्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड : मैसर्स डब्ल्यू एस आइ एल मिनरल्स सैंड्स के पास 5 पूर्वेक्षण लाइसैंस हैं। स्वीकृत क्षेत्रों में से उदयपुर, भीलवाड़ा तथा अजमेर जिलों में हवाई सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं। आंकड़ों का भी संसाधन कर लिया गया है लेकिन मैसर्स डब्ल्यू एस. आई एल मिनरल्स सैंड्स ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में हाल ही में स्ट्रीम्स से प्राथमिक नमूनीकरण किया गया है तथा नमूनों को संसाधन के लिए भेजा गया है। 2/3 महीनों में परिणाम मिल जाएंगे। परिणामों के आधार पर आगे हवाई सर्वेक्षण नियोजित किये जाएंगे।

[अनुवाद]

फिल्म समारोह

346. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 2000 को टाइम्स ऑफ इंडिया में "सी हूस फेस्टिवल इज इट ऐनिके" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय समारोह में फिल्मों के प्रवेश के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्देश्य "विश्व के देशों की फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत करने हेतु उनकी चलचित्रिकियों के लिए साझा मंच प्रदान करना, विभिन्न देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आचार–शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में उनकी फिल्म संस्कृतियों को समझने एवं उनकी समालोचना में सहायता करना और विश्व के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना" है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फिल्म समारोह निदेशालय समारोह के दौरान समस्त विश्व से उत्कृष्ट फिल्मों को प्रदर्शित किए जाने का प्रयास करता है। हालांकि समारोह के दौरान कुछ फिल्मों के मामले में फिल्म प्रतिनिधियों को छोड़कर थियेटरों में दर्शकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक नहीं थी तथापि, फिल्म समारोह निदेशालय का अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करने और फिल्म संस्कृति के प्रति बेहतर समझ पैदा करने का प्रयास रहा।

समारोह के प्रतिभागियों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से समारोह के दौरान व्यापार केन्द्र स्थापित किया गया जो

कि विपणन खण्ड का उद्देश्य भी है। जबकि इस खण्ड के स्वरूप में परिवर्तन किया गया, जैसे किराए वाले कोई स्टाल नहीं थे, तथापि व्यापार के संचालन हेतु अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं जिनमें प्रोत्साहक सामग्री प्रदर्शित करना और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित व्यापार बैठकों हेतु सचिवीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल था। उक्त संस्था ने लगभग 27 लाख रुपए का कारोबार किया। उपर्युक्त समारोहों के सबसे अधिक लोकप्रिय खण्डों में से एक मुख्य खण्ड को भारतीय फिल्म परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस समारोह में निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया : अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, शर्मिला टैगोर, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर, सुभाष घई, श्याम बेनेगल, नंदिता दास, अपर्णा सेन, ममूटी, डॉ. मोहन अगाशे, केतन मेहता, डॉ. जब्बार पटेल।

(ग) भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए फिल्मों का चयन किया जाता है। विश्व सिनेमा खण्ड में केवल उन उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों को शामिल किया जाता है जिन्हें अन्य फिल्म समारोहों में शामिल किया गया हो अथवा उनमें पुरस्कृत किया गया हो या वे विलक्षण गुणों वाली हों। यद्यपि भारतीय पेनोरमा खण्ड हेतु फिल्मों का चयन जूरी द्वारा किया जाता है तथापि, मुख्य खण्ड हेतु फिल्में भारतीय फिल्म परिसंघ द्वारा चुनी जाती हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

347. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋणों की वसूली में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के कारण खराब स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच के लिए कोई आयोग गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनः पूंजी लगाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) वर्ष 1994 से, विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए "स्टैण्ड एलोन" के आधार पर पुनर्संरचना योजना के शुरू होने के बाद से अपने वसूली निष्पादन में निरंतर प्रगति दर्शा रहे हैं। आरआरबी का वसूली स्तर जो कि वर्ष 1993–94 के दौरान 46.23% था वह 1997–98 के दौरान बढ़कर 60.54% हो गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आरआरबी द्वारा वसूली में निरंतर वृद्धि के संदर्भ में ऐसे आयोग का गठन किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1994–95 के दौरान आरआरबी की पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था तथा वर्ष 1994–2000 की अवधि के दौरान 187 आरआरबी को 2188.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

निर्यात निष्पादन

348. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डॉलर–मूल्य और विकास–दर के प्रतिशत के संदर्भ में निर्यात–निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) क्या विदेशी प्रत्यक्ष–निवेश मंजूरियों और आगमों में लगातार वृद्धि होती रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष–निवेश मंजूरियों और आगमों को बढ़ाने के लिए कौन से नए उपाए किए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात–निष्पादन कैसा रहा है और आगामी वर्षों के लिए क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डालर मूल्य और वृद्धि–दर के प्रतिशत के संदर्भ में भारत का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार रहा है :

(मूल्य : मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	वृद्धि दर प्रतिशत में)
1996–97	33469.76	5.3
1997–98	35007.85	4.6
1998–99 @	33641.00	3.7
1999–2000@	27419.23	12.9#

@ 1998–99 तथा 1999–2000 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं

\# 1999–2000 के लिए आंकड़े अप्रैल–दिसम्बर, 1999 के लिए हैं और वृद्धि दर 1998 में तदनुरूपी अवधि की तुलना में है।

(ख) और (ग) पिछले तीन कलैंडर वर्षों के दौरान कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) संबंधी अनुमोदनों एवं कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए उसकी प्राप्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(राशि करोड़ रु. में)

कुल अनुमोदन तथा एफ डी आई की प्राप्तियां

अनुमोदित एफ डी आई की राशि			वास्तविक प्राप्तियां		
1997	1998	1999	1997	1998	1999
54891.35	30813.5	28366.53	16425.82	13339.86	16867.81

क्षेत्र-वार ब्यौरे:

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदित एफ डी आई की राशि			वास्तविक प्राप्तियां		
		1997	1998	1999	1997	1998	1999
1.	मेटलर्जीकल उद्योग	2516.72	2219.84	1400.15	101.44	125.9	164.18
2.	ईंधन	26432.61	13891.77	5673.47	1524.59	563.55	748.46
3.	विद्युत उपकरण	2192.99	1427.49	2546.85	1331.24	786.59	703.61
4.	दूरसंचार	7185.6	3100.13	3901.78	1185	1741.02	215.56
5.	परिवहन उद्योग	3790.07	1562.88	6223.7	1513.83	1476.92	1130.2

टिप्पणी : एफ टी डी आई की प्राप्तियां अंतिम और आर बी आई, मुम्बई द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार हैं।

(घ) भारत मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के उपाय करना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सरकार द्वारा और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हाल ही में किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं; एक छोटी निषेधात्मक सूची को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/अनिवासी भारतीय और विदेशी निगमित निकाय निवेश के लिए सभी मदों को आटोमेटिक रूट के अंतर्गत रखना, कुछ मापदंडों के अधीन रहते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों तथा ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी इकाइयों में निवेश के सभी प्रस्तावों के लिए आटोमेटिक रूट उपलब्ध करवाना, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को मानीटरिंग/रिपोर्टिंग हेतु संबद्ध एजेंसी के रूप में बनाए रखना, इत्यादि।

(ङ) वाणिज्य विभाग राज्य–वार निर्यात के ब्यौरे नहीं रखता है।

[हिन्दी]

विदेशों के दौरे

349. डॉ. बलिराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना विदेशों के दौरे करने के कुछ मामलों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन मामलों का पता लगाया गया है उनमें से प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्यमान नियमों का उल्लंघन किए जाने पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों की तस्करी

350. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री पी. आर. खूंटे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक द्रव्यों व अन्य पदार्थों की तस्करी में बेतहाशा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों और वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी घटनाओं की निरंतर पुनरावृत्ति के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई बड़े कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तस्करी एक गुप्त गतिविधि है जिससे अत्यधिक मौद्रिक लाभ होता है। तथापि, प्रवर्तन अभिकरण कड़ी निगरानी रख रहे हैं तथा तस्करी की रोक–थाम हेतु संयुक्त प्रयास कर रहे हैं।

(ङ) और (च) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 क्रमशः औषधि के अवैध व्यापारियों तथा वस्तुओं की तस्करी के लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हैं।

विनिवेश आयोग की सिफारिशें

351. श्री पी. कुमारासामी : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विनिवेश आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से करके सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हानि उठा रहे सरकारी उपक्रमों सें अपना शेयर (हिस्सा) वापस ले लेने अथवा उन्हें बन्द करने का है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न सरकारी उपक्रमों के बोर्डों का पुनर्गठन करने पर भी विचार करेगी जिससे उनमें अनुभवी व्यावसायिकों को शामिल करके उन्हें नए सिरे से गठित किया जा सके जिससे प्रबंधन वर्ग को सही मार्ग–निर्देश मिल सके और उनमें और अधिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) विनिवेश एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इसे सरकारी नीति, बाजार दशाओं, कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है तथा विनिवेश के लिए समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(ख) घाटा उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में विनिवेश की कोई पृथक नीति नहीं है। सरकार की विनिवेश नीति अधिकांश मामलों में सरकार के इक्विटी हिस्से को 26 प्रतिशत तक कम करने की है। तथापि, सरकार सामरिक क्षेत्रों में अधिकांश धारिता बनाए रखना जारी रखेगी।

(ग) और (घ) बाहर से विशेषज्ञों को सन्निविष्ट करके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक–मंडल का व्यावसायीकरण करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

रुग्ण/बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयां

352. श्री बृजलाल खाबरी :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में क्षेत्र–वार कितनी रुग्ण और बंद इकाइयां हैं;

(ख) इन इकाइयों की बैंक एवं वित्तीय संस्थानों पर कुल कितनी धनराशि देय है; और

(ग) क्या इन इकाइयों का पुनरुद्धार करने हेतु कोई उपाय किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्रदत्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 1998 के अंत में, देश में औद्योगिक रुग्णता की स्थिति तथा बकाया बैंकऋण स्थिति इस प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

	श्रेणी	एककों की संख्या	बकाया बैंक ऋण
1.	रुग्ण लघु उद्योग	221536	3856.64
2.	रुग्ण गैर–लघु/कमजोर उद्योग	2476	11825.25
	जोड़	224012	15681.89

वर्ष 1997 से 1999 के दौरान 441 औद्योगिक एककों के बंद हो जाने की सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुद्धार हेतु अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य कदमों के साथ–साथ ये कदम भी शामिल हैं – बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों में विलय, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत् औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय नवीकरण निधि, राष्ट्रीय इक्विटी निधि, इत्यादि।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए रिक्तपद

353. श्री अशोक प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों

में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विभागों और उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रोन्नति प्रदान की गई और नयी नियुक्तियां भी की गईं;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति और प्रोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्रित होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बिहार में आकाशवाणी और एफ. एम. नेटवर्क

354. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विशेषकर सहरसा और सुपौल जिलों में आकाशवाणी और एफ.एम. नेटवर्क के विकास हेतु शुरू की गई और शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गयी स्कीमें तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहरसा और सुपौल जिलों में आकाशवाणी की कोई स्कीम प्रस्तावित नहीं है और इन जिलों को मौजूदा ट्रान्समीटरों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	वर्तमान में स्थिति
1.	विधि भारती सेवाओं के लिए रांची में 6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	परियोजना तकनीकी रूप से तैयार है। स्टाफ की तैनाती का काम चल रहा है।
2.	जमशेदपुर में 6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	परियोजना तैयार है। कहीं और से लेकर स्टाफ की तैनाती का काम चल रहा है।
3.	पटना में 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टीरियो प्लेबैक सुविधाओं की अतिरिक्त एकक का संस्थापन	मौजूदा 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर को बढ़ाकर 6 कि.वा. शक्ति का किया गया है और दिनांक 16.12.98 को चालू किया गया है। स्टीरियो प्लेबैक सुविधा कार्यान्वयनाधीन है।
4.	रांची में 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर	दिनांक 16/9/99 से चालू किया गया।

[अनुवाद]

सहकारी ऋण संस्थाएं

355. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और उन्हें दीर्घावधि में लाभकारी बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिये उन्हें एक कृतिक बल के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संस्थायें किन समस्याओं का सामना कर रही हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को कृतिक बल में प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) देश में सहकारी बैंकों के कार्यकरण के अध्ययन तथा उनके पुनरुज्जीवन/पुनर्संरचना के लिए पैकेज सुझाने हेतु सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उपगर्वनर की अध्यक्षता में एक कृतिक बल का गठन किया है। इस कृतिक बल के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक, वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के संयुक्त सचिव तथा कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव। कृतिक बल के विचारणीय विषय निम्नानुसार हैं :

(i) सहकारी ऋण ढांचे के कार्यकरण की समीक्षा और उपाय सुझाना जो उन्हें सदस्य संचालित व्यवसाय, व्यावसायिक कारोबार उद्यम बनाएगा।

(ii) सहकारी ऋण ढांचे का विभिन्न पंक्तियों में लागत, कीमत लागत अंतर और प्रभावकारिता से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करना तथा उनके युक्तियुक्तकरण तथा सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिश करना।

(iii) सहकारी निकायों के वित्तीय कार्यनिष्पादन का अध्ययन करना तथा उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सिफारिश करना ताकि वे ग्रामीण ऋण वितरण के लिए प्रभावशाली एवं किफायती तंत्र बन सकें।

(iv) सहकारी ऋण संस्थानों के विद्यमान पर्यवेक्षी एवं विनियामक तंत्र की पुनरीक्षा करना और व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय सुझाना।

(ग) से (ङ) इस कृतिक बल में राज्य सरकारों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। तथापि, कृतिक बल ने राज्य सरकारों, सहकारी बैंकों और सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया है।

विदेशी निवेश

356. **श्री कृष्णमराजू :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक सरकार को विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं कितने प्रस्ताव मंजूर किए गये;

(ख) इनमें विदेशी निवेश की कितनी राशि शामिल है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा कितने मामलों को मंजूरी प्रदान की गयी तथा कितने मामले अभी भी लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) जनवरी, 1997 से दिसम्बर, 1999 की अवधि के दौरान 114071.38 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 4583 प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया तथा उन्हें अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) उक्त अवधि के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा 3757 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे। आज तक 19 प्रस्ताव 30 दिन से अधिक समय से एफ. आई. पी. बी. के विचारार्थ लंबित हैं। एफ.आई.पी.बी. मार्ग–निर्देशनों के अनुसार मामलों को 30 दिन की समय–सीमा के भीतर निपटाने का ध्यान रखा जाता है। उपर्युक्त मामलों को निपटाने में विलम्ब नितिगत कारणों, आवेदक से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने, दिनांक 14.12.98 के प्रैस नोट के संदर्भ में बहु–उद्यमों की स्थापना में शामिल मामलों में विस्तृत जांच की जरूरत तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से सिफारिशों के प्राप्त न होने के कारण हुआ है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एल. पी. टी./एच.पी.टी.

357. **श्री पुन्नू लाल मोहले :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री रामानन्द सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थान–वार कितने एल.पी.टी./एच.पी.टी. संस्थापित किए गए हैं/किए जाने हैं;

(ख) कितने एल.पी.टी./एच.पी.टी. पूर्ण नहीं हुए हैं उनका स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनसे प्रसारण कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस राज्य को सुविधाएं प्रदान करने में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में इस समय विभिन्न क्षमता के 88 ट्रान्समीटर कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त राज्य में 20 ट्रांसमीटर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उपरोक्त ट्रान्समीटरों के स्थान अनुबन्ध–I में दर्शाये गए हैं।

(ग) उपरोक्त ट्रान्समीटर परियोजनाओं के 9वीं योजना अवधि के अन्त तक चरणों में पूरी हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रत्येक राज्य के अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन की कवरेज को सुदृढ़ करने के लिए सतत् रूप से प्रयास करते आ रहे हैं। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 20 दूरदर्शन परियोजनाएं और 8 आकाशवाणी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और

इससे पर्याप्त रूप से कवरेज बढ़ने की आशा है।

(च) सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन इस बारे में समय–समय पर स्कीम बनायी और कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में मौजूदा दूरदर्शन ट्रान्समीटर और वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ट्रान्समीटरों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(क) मौजूदा दूरदर्शन ट्रान्समीटर

1. उ.श.ट्रा. (7 सं.)

भोपाल
इन्दौर
ग्वालियर
जबलपुर
जगदलपुर
रायपुर
रायपुर (डी.डी 2)

2. अ.श.ट्रां. (71 सं.)

अलिराजपुर	जावरा	पन्ना
अशोकनगर	झाबुआ	राघोगढ़
अम्बिकापुर	कांकेर	रायगढ़
बैलाडिला	खण्डवा	राजगढ़
बालाघाट	खरगौन	राजहरा झरनडिली
बेतूल	खुराल	रतलाम
भिंड	कोरबा	रीवा
विजयपुर	कुकडेश्वर	सागर
बिलासपुर	कुरसिया	सिरोंज
बुरहानपुर	कुरूवाई	सतना
चन्देरी	लेहार	सिवनी
छत्तरपुर	मलण्जखण्ड	शहडोल
छिंदवाड़ा	मंडला	शाजापुर
दमोह	मंदसौर	शिवपुर
दतिया	महेन्द्रगढ़	शिवपुरी
डूंगरगढ़	मुडवाड़ा	सीधी
गुना	नागदा	सिंगरौली
हर्दा	नरसिम्हपुर	टीकमगढ़
इटारसी	नीमच	उज्जैन
भान्डेर	पंचमढ़ी	केलारस
गडखाड़ा	मैहर	सक्ती
नारायणपुर	बाडा लहेरा	गारोट
पिपरिया	सीतामढ़ी	भानपुरा
पेन्डरा रोड	भोपाल (डी.डी. 2)	

3. अ.अ.श.ट्रां. (10 सं.)

बुधनी
बीजापुर
परसिया
सारनगढ़
कोयलीबेडा
सिंगरौली
डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट
जशपुर नगर
कोंदागांव
पाखनजोर

(ख) कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन ट्रान्समीटर

1. उ.श.ट्रा. (6 सं.)

1. अम्बिकापुर
2 गुना
3. शहडोल
4. भोपाल (डी.डी. 2)
5. इन्दौर (डी.डी. 2)
6. जबलपुर (डी.डी. 2)

2. अ.श.ट्रा. (12 सं.)

बडवानी	करैरा
बरेली	खरोड़
चम्पा	कोंटा

कुकशी	सिंघवा
·'गार	मुलताई
लखनदान	पंडारिया

3. अ.अ.श.ट्रा. (2 सं.)

पाथलगांव

आलोट

कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी ट्रान्समीटर

1. जबलपुर – 10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं स्टूडियो
2. सरायपल्ली – 1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
3. मंडला – 1 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर सहित स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
4. राजगढ़ – 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र
5. भोपाल – 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टीरियो प्लेबैक सुविधाएं।
6. इन्दौर – 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टीरियो प्लेबैक सुविधाएं
7. इन्दौर – 100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर स्थपित करना।
8. अम्बिकापुर – 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर स्थापित करना।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

358. श्री होल खोमांग हौकिप : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेष रूप से मणिपुर में हस्तशिल्प, बिजलीकरघा और हथकरघा क्षेत्र में परम्परागत जुलाहों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय में वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है, जो कि 1.4.1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.3.2004 तक प्रचालन में है। इस योजना के अंतर्गत निधि व्यवस्था की कोई सीमा नहीं है। यह एक अनवरुद्ध योजना है, जो कि उद्योग की बैंक योग्य और तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों में निधियों का प्रयोग करने में उद्योग की क्षमता पर निर्भर है। इस योजना के अंतर्गत नोडिए एजेंसियों/सहयोजित संस्थानों द्वारा उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को उनके निजी संसाधनों से योजना के अनुरूप परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है, सरकार का वित्तपोषण योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% के बिंदु की ब्याज की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है।

(ग) विद्युतकरघा बुनकरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए सरकार ने 43 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। 43 विद्युतकरघा केन्द्रों में से 21 विद्युतकरघा केन्द्रों को उनके करघों का आधुनिकीकरण तथा अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए चुना गया है। सरकार ने डिजाइन विकास, सहायता और विद्युतकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र स्थापित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। अभी तक 12 ऐसे कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों के अंतर्गत पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं।

मणिपुर राज्य सहित देश में कालीन बुनकरों और कारीगरों के परम्परागत कौशल को उन्नत बनाने के लिए उठाए गए कदमों में हस्तशिल्प क्षेत्र की डिजाइन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी, बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता और दिल्ली में क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्रों का उन्नयन करना, मुरादाबाद और दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन केन्द्र की स्थापना करना, डिजाइनिंग, कलर मैचिंग आदि जैसी सुविधाओं के लिए कालीन उद्योग के लिए बहुत जरूरी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना, काष्ठशिल्प, बेंत व बांस और कालीनों की यू.एन.डी.पी. सहायित परियोजना का क्रियान्वयन करना, प्रशिक्षण तथा डिजाइन कार्यशाला आदि का आयोजन करना शामिल है।

विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय हथकरघा क्षेत्र का समग्र विकास करने और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए विकासात्मक और कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार को सहायता प्रदान करता है। बुनकरों के कौशल को उन्नत बनाने, उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाने के प्रयोजन से प्रशिक्षण, करघों की अधिप्राप्ति और आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद, डिजाइनरों को नियुक्त करने, डिजाइन और इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी मदद आदि देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी

359. श्री ब्रज भूषण शरण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेवाकाल के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने पात्र कर्मचारियों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां देने के लिए अपनी स्वयं की योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं सरकारी मार्ग–निर्देशों और उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 मई, 1994 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बनाई/संशोधित की गई हैं। इन योजनाओं की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

* अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति उस बैंक कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य को दी जानी है, जिसका नौकरी पर रहते हुए देहान्त हुआ हो।
* ऐसे बैंक कर्मचारी का आश्रित भी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है, जिसने 55 वर्ष की आयु होने से पहले ही चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति ले ली हो।
* अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां केवल लिपिकीय एवं अधीनस्थ संवर्गों में ही की जाती हैं।
* आवेदक योजना में किए गये प्रावधान के अनुसार सभी दृष्टियों से पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त होना चाहिए।
* अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के अन्दर दिया जाना चाहिए।
* परिवार निर्धन हो तथा उसे वित्तीय अकिंचनता से तत्काल सहायता दी जानी आवश्यक हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इम्प्लायमेंट न्यूज और रोजगार समाचार की कीमत में वृद्धि

360. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 फरवरी, 1999 से "इम्प्लायमेंट न्यूज" और "रोजगार समाचार" की कीमत 3 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो जबकि यह समाचार पत्र मुख्य रूप से बेरोजगार लोगों द्वारा पढ़ा जाता है इसकी कीमत में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन लागत की क्षतिपूर्ति करने के लिए कीमत बढ़ायी गयी है।

बौद्धिक संपदा अधिकार

361. श्री रामशकल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन ने बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में भारत की अपील को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इससे देश में व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस सबंद्ध में केन्द्र सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय ने डब्ल्यू टी ओ के एक विवाद निपटान पैनल के इस आशय के निर्णय का अनुमोदन कर दिया था कि प्रौद्योगिकी के जिन क्षेत्रों में भारत ने अभी तक उत्पाद पेटेंट को संरक्षण नहीं दिया है, उन क्षेत्रों में पेटेंट के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु एक मेल बाक्स रखने और कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को अनन्य विपणन अधिकार (ई एम आर) प्रदान करने के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था के मामले में भारत ने व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है। तदनुसार पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 1999 को संसद के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था और दिनांक 26 मार्च, 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद अधिसूचित कर दिया गया था। तथापि अब तक भारत में ई एम आर के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विनिवेश आयोग की रिपोर्ट

362. श्री वैको :

डॉ. सी. कृष्णन :

श्री भालचन्द्र यादव :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सामान्य सिफारिशें क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके आंशिक/पूर्ण विनिवेश की सिफारिश की गई है;

(घ) शेयरधारिता पैटर्न समेत प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नाम सहित उनमें से कितनों का विनिवेश हो चुका है;

(च) घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम सहित संख्या क्या है;

(छ) क्या लाभ में चलने वाले किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में भी विनिवेश किया गया है;

(ज) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इसके क्या कारण हैं; और

(झ) विनिवेश के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन–पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा निवेश में वृद्धि

363. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में अपने निवेश को बढ़ाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस निवेश को कितना बढ़ाया जाएगा और इसे किन–किन क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने उन परियोजनाओं की पहचान की है जिनमें बढ़े हुए निवेश का उपयोग होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जून 2000 को समाप्त होने वाले चालू राजकोषीय वर्ष में देश में अपना निवेश बढ़ाकर लगभग 200 मिलियन डालर तक करने की योजना बना रहा है। अधिक परंपरागत विनिर्माण क्षेत्रों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की चालू वर्ष में और अगले राजकोषीय वर्ष में विद्युत, आधारभूत ढांचे, वित्तीय, ज्ञान आधारित तथा लघु मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर ध्यान देने की योजना है।

विश्व बैंक समूह का निजी निवेश अंग होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को निजी क्षेत्र से तथा मुख्यतया निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाली परियोजनाओं से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन से भारत द्वारा अपनी सदस्यता वापस लेना

364. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन से अपनी सदस्यता वापिस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो किन दशाओं और परिस्थितियों ने भारत को इस संस्था में पुनः शामिल होने के लिए विवश किया ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत ने 22 अप्रैल, 1998 से अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन (आई.जे. ओ) से सदस्यता वापिस ले ली थी क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यह संगठन अनेक वर्षों से पटसन के विकास के लिए सार्थक ढंग से योगदान देने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ सदस्य राष्ट्र आयातक देशों के पक्ष में तथा संगठन में हमारी भूमिका के संबंध में भारत के हित को क्षति पहुंचाने के लिए आगामी पटसन करार को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखते थे।

(ग) और (घ) जी हां। भारत 23 दिसम्बर, 1999 से अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन में पुनः शामिल हो गया है क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि भारत के बाहर रहने से 11 अप्रैल, 2000 से अंतर्राष्ट्रीय पटसन संगठन परिसमापन की ओर अग्रसर हो सकता है। भारत का पुनः शामिल होना इस अवधारणा पर भी आधारित है कि नए करार में उसकी चिन्ताओं का निवारण हो जाएगा।

कोयला उद्योग को बुनियादी ढांचा वाले उद्योग का दर्जा

365. श्री अनंत गुढे : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में बेहतर और त्वरित वृद्धि हेतु कोयला उद्योग को बुनियादी ढांचे वाले उद्योग का दर्जा प्रदान करने के संबंध में नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयला क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने हेतु संदर्शी कार्य योजना जो विचाराधीन है, का ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं योजना के दौरान कोयला क्षेत्र के लिए उपलब्ध

करायी गई विदेशी निधि/निवेश का ब्यौरा क्या है तथा इसका वास्तविक रूप से कितना उपयोग किया गया तथा नौवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) विदेशी संस्थानों से सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं की अद्यतन कार्य निष्पादन समीक्षा का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें विलंब के, यदि कोई हों तो, क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) तत्कालीन कोयला मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर, 1998 को संरचनात्मक ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति हेतु नोट सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कोयला उद्योग को संरचनात्मक ढांचे का स्तर प्रदान किए जाने तथा पत्तन, दूरसंचार, सड़क तथा विद्युत क्षेत्रों में संरचनात्मक उद्योगों को प्राप्त रियायतें कोयला क्षेत्र को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने अपनी अनुषंगी कंपनियों की 24 ओपनकास्ट खानों में उत्पादकता बढ़ाए जाने के लिए 1697.6 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश हेतु विश्व बैंक से कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है। को.इं.लि. की 5 अनुषंगी कंपनियों की 24 ओपनकास्ट खानें (सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की 3 खानें, महानदी कोलफील्ड्स लि. की 6 खानें, नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की 5 खानें, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की 5 खानें तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की 5 खानें) सी.एस.आर. पी. के अंतर्गत शामिल हैं। इस परियोजना की वित्त-पोषण योजना के अनुसार, 530 मिलियन अमरीकी डालर का वित्त-पोषण इन्टरनेशनल बैंक फार रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट लोन द्वारा किया जा रहा है और इन्टरनेशनल डैवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा 2.0 मिलियन अमरीकी डालर वित्त-पोषित किए जाएंगे। जापान का एक्ज़िम बैंक भी 530 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक सह-वित्त-पोषण कर रहा है। को.इ.लि. का अंशदान 581.6 मिलियन अमरीकी डालर और आपूर्तिकर्ता ऋण 54 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक होगा। सी.एस.आर.पी. के क्रियाकलापों के निष्पादन का नियमित प्रबोधन कोयला परियोजनाओं की निष्पादन समीक्षा की विद्यमान पद्धति के अंतर्गत कोयला विभाग द्वारा किया जा रहा है। को.इं.लि. भी क्रियाकलापों का प्रबोधन करती है। सी.एस.आर.पी. क्रियाकलापों में कोई-प्रत्यक्ष कमी नहीं है।

सरकारी उपक्रमों का विनिवेश

366. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री अनन्त गंगाराम गीते :
श्री सुनील खां :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सहकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों का विनिवेश करने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विनिवेश किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के राज्यवार उद्योग कौन-कौन से हैं;

(ग) विनिवेश के क्या कारण हैं;

(घ) विनिवेश के जरिए कितनी धनराशि प्राप्त की गई अथवा प्राप्त किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) ऐसे सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) 1999-2000 के दौरान, सरकार के पास वी.एस.एन.एल., जी.ए.आई. एल., आई.ओ.सी., एम.टी.एन.एल., आई.पी.सी.एल., माडर्न फूड्स सहित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश करने के प्रस्ताव थे। तथापि, बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कम्पनियों के वित्तीय कार्य निष्पादन, बिक्री शर्तों आदि सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए विनिवेश किया जाता है। इसी प्रकार वर्ष 2000-2001 के लिए सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार और विनिवेश आयोग की सिफारिशों तथा इस संबंध में प्रशासनिक और अन्य संबंधित मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का परिशीलन करेगी। राज्य-वार कोई अलग नीति नहीं है।

(ग) वित्त मंत्री के बजट भाषण में यथा घोषित निम्न सरकारी नीति के अनुसार विनिवेश किया जा रहा है :

> "सामान्यतः मामलों में, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर धारिता कम करके 26 प्रतिशत तक लाई जाएगी। सामरिक महत्त्व की विचारधारणाओं को समाहित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार अधिकांश धारिता को बनाए रखना जारी रखेगी।"

(घ) वर्ष 1999-2000 के लिए 31-1-2000 तक विनिवेश से प्राप्ति का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए था। 1585 करोड़ रुपए की राशि जुटा ली गई है।

(ङ) जैसा कि वर्ष 1998-99 के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट-भाषण में घोषण की थी, सभी मामलों में कामगारों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। इस संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर शेयरधारक करार में विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं।

महाराष्ट्र में कोयला खानें

367. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थान–वार कौन–कौन सी कोयला खानें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ नई कोयला खानें खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राज्य में इस प्रयोजनार्थ कोई सर्वेक्षण कराया गया है या कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में प्रचालित कोयला खानों के नाम के साथ–साथ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कमांड क्षेत्रों के अंतर्गत खान के स्थल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कोयला भंडारों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण, खान के खोले जाने के प्रस्ताव से बहुत पहले ही किए जाते हैं। एक बार संभावित व्यवहार्य भंडारों का पता लगने के बाद परियोजना रिपोर्टों को तैयार किया जाता है, जिनमें कोयले की भावी मांग, निवेश योग्य निधि की उपलब्धता और कुछ अन्य बातों का ध्यान रखा जाता है। किन्तु, परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का अर्थ यह नहीं है कि उसे अंततः कार्यान्यवयन के लिए शुरू कर दिया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए परियोजना का अनुमोदन, कई कारकों, जैसे वित्तीय व्यवहार्यता (आई आर आर), पर्यावरणीय प्रभाव आदि, पर निर्भर करता है।

नौवीं और दसवीं योजना अवधि के दौरान (कोयला विभाग की वार्षिक योजना 2000–2001 के अनुसार) महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित नई खानों को खोलने का प्रस्ताव है :

1. अदासा भू.ग.
2. चिंचाला भू.ग.
3. वघोदा भू.ग.
4. भटडीह ओ.का.
5. भानेगांव ओ.का.
6. धुरवासा ओ.का.
7. गौरी डीप ओ.का.
8. गत्रोहाना ओ.का.
9. जूनाकुंदा ओ.का.
10. कम्पटी ओ.का.
11. कोलगांव ओ.का.
12. मकरधोकरा ओ.का.
13. नवीन कुन्दा विस्तार ओ.का.
14. मुरपार विस्तार भू.ग.
15. नंद– 1 भू.ग.
16. बारंज ओ.का.
17. गौरी/पौनी ओ.का.
18. सस्ती ओ.का.

विवरण

दिनांक 1.2.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत खानों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र/खान का नाम	जिस जिले में स्थित है	भू.ग./ओ.का./मिश्रित	स्थिति कार्यरत/ गैर–कार्यरत
1	2	3	4	5
	चन्द्रपुर क्षेत्र			
1.	एच.लालपेठ खान सं. 1	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
2.	एच.एल.सी. नं. 3 + माणा	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
3.	नंदगांव इन्क्लाइन	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
4.	महाकाली कोलियरी	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
5.	सी. रैयतवारी कोलियरी	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत

1	2	3	4	5
6.	डी. रैयतवारी कोलियरी	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
7.	एच.एल.सी. ओ. का. + एच.एल.सी.ओ.का. विस्तार	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
8.	दुर्गापुर ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
9.	पदमपुर ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
10.	भट्टडीह ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
	बल्लारपुर क्षेत्र			
11.	बल्लारपुर भू.ग.	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
12.	सस्ती भू.ग.	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
13.	विरूर भू.ग. @ चिंचोली	चन्द्रपुर	भू.ग.	* **
14.	बल्लारपुर ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
15.	न्यू घुपताला	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
16.	सस्ती ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
17.	गौरी ओ.का.–I	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
18.	गौरी ओ.का.–II	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
19.	पौनी ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
	माजरी क्षेत्र			
20.	न्यू माजरी ओ.का. सैक्टर–बी	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
21.	कवादी ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
22.	चरगांव ओ.का./सिरना ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
23.	तेलवासा ओ.का.	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
24.	न्यू माजरी भू.ग. सं. 2	चन्द्रपुर	भू.ग.	***
25.	न्यू माज़री भू.ग. सं. 3	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत
	वानी क्षेत्र			
26.	घुघुस	चन्द्रपुर	ओ.का.	कार्यरत
27.	नीलजय साउथ	यवतमल	ओ.का.	कार्यरत
28.	नीलजय	यवतमल	ओ.का.	कार्यरत
29.	नयागांव	यवतमल	ओ.का.	कार्यरत
30.	मुंगोली	यवतमल	ओ.का.	कार्यरत
31.	नकोदा	चन्द्रपुर	भू.ग.	कार्यरत

1	2	3	4	5
	वानी नार्थ क्षेत्र			
32.	उकनी	यवतमाल	ओ.का.	कार्यरत
33.	पिंपलगांव	यवतमाल	ओ.का.	कार्यरत
34.	कोलारपिंपरी	यवतमाल	ओ.का.	कार्यरत
35.	जूनाद पिंपरी	यवतमाल	ओ.का.	कार्यरत
36.	राजूर पिट	यवतमाल	भू.ग.	कार्यरत
37.	भांडेवारा इन्क्लाइन	यवतमाल	भू.ग.	कार्यरत
38.	कुम्बेरखानी	यवतमाल	भू.ग.	कार्यरत
	नागपुर क्षेत्र			
39.	सिलेवारा	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
40.	ए.बी. इन्क्लाइन	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
41.	वलनी	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
42.	पिपला	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
43.	पतनसींगी	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
44.	सोनेर खान सं. 1	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
45.	सोनेर खान सं. 2	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
46.	सोनेर खान सं. 3	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
47.	इन्देर	नागपुर	भू.ग.	कार्यरत
48.	कम्पटी ओ.का.	नागपुर	ओ.का.	कार्यरत
49.	गोंडेगांव ओ.का.	नागपुर	ओ.का.	कार्यरत
50.	कम्पटी भू.ग.	नागपुर	भू.ग.	#
	उमरेर क्षेत्र			
51.	उमरेर ओ.का.	नागपुर	ओ.का.	कार्यरत
52.	मकरधोकरा–II भू.ग.	नागपुर	मिश्रित	कार्यरत
	उमरेर विस्तार ओ.का.	नागपुर		कार्यरत
53.	मुरपार प्रोजेक्ट	चन्द्रपुर	भू.ग.	अपवहन कार्य किया जा रहा है। कोई उत्पादन नहीं।

टिप्पणी : @ विरुर तथा चिंचोली भू.ग. एक ही प्रबंधक के अंतर्गत

* उत्पादन 16.6.1999 से बंद

** उत्पादन मई 1997 से बंद

*** भंडार के समाप्त हो जाने के कारण उत्पादन बंद कर दिया गया।

भू.ग. से ओ.का. खान में बदलने के कारण उत्पादन बंद।

शेयर पूंजी बाजार का वित्तपोषण

368. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों, वित्तीय संस्थानों और म्यूचुअल फंड्स ने प्राथमिक बाजार में उपभोक्ताओं का वित्तपोषण शुरू किया है ताकि पूंजी बाजार का सूचकांक बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सेबी के अनुसार, यह प्रेक्षित किया गया है कि बैंकों ने हाल के सार्वजनिक निर्गमों में भाग लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई कतिपय विवेकाधीन सीमाओं के अध्यधीन शेयरों के राईट्स अथवा नए निर्गमों, शेयरों के प्रति डिबेंचरों/बांडों में अभिदान करने के लिए व्यक्तियों को अग्रिम प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, सेबी (म्यूअुचल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार, म्युचुअल फंडों को किसी भी प्रयोजन के लिए कोई ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिक बाजार में अभिदाताओं के वित्तपोषण का स्टॉक बाजार सूचकांकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे सूचकांक द्वितीयक बाजार गतिविधि का प्रतिबिम्ब अधिक होते हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

369. श्री रामदास आठवले : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मजदूर संघों ने सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को तहस नहस करने का प्रयास करने और उसकी अवपीड़ित आर्थिक नीतियों के विरोध में देश भर में 2 फरवरी, 2000 को सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इन मजदूर संघों से उनकी मांगों के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन अखिल भारतीय मजदूर संघों की मांगों को मानने के संबंध में कोई कदम उठा रही है अथवा कोई कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) कुछेक सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों ने तीन केन्द्रीय मजदूर संघों, अर्थात अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ केन्द्र तथा हिन्द मजदूर सभा के आह्वान पर 2 फरवरी, 2000 को एक दिन की हड़ताल की थी। श्रमिक संघों की यह हड़ताल सभी प्रकार के निजीकरण तथा विनिवेश, रुग्ण सरकारी उपक्रमों का पुनरुद्धार न करने तथा बन्दीकरण, अनेक सरकारी उपक्रमों में मजूरी का भुगतान न होने, मजूरी संशोधन के सम्बन्ध में लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों, श्रमिक संघों के अधिकारों तथा श्रमिक कानूनों पर कथित हमले के विरुद्ध थी। केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए मंत्रियों का एक दल पुनः गठित किया गया है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता

370. श्री आर.एल. भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो दी गई सहायता धनराशि कितनी थी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सहायता राशि का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए वह दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) किसी क्षेत्र की योजना और विकास तथा उस उद्देश्य के लिए धन का आबंटन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि पर्वतीय विकास कार्यक्रम और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर योजना आयोग राज्य सरकारों के इस प्रयास में अनुपूरक सहायता प्रदान करता है। पंजाब के सीमावर्ती ब्लाकों को विशेष केन्द्रीय सहायता, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के तहत उपलब्ध कराई गई है। पिछले तीन सालों के दौरान जारी की गई राशि निम्नवत् है :

	(करोड़ रुपये में)
1996–97	8.54
1997–98	8.54
1998–99	7.72

बी.ए.डी.पी. के तहत अलग–अलग स्कीमों के चयन का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा राज्य स्तर पर किया जाता है। राज्य सरकारों ने अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट में जांच समिति द्वारा अनुमोदित व्यय को दर्शाया गया है जो कि कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों के अनुसार है।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

371. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में इस समय राज्य–वार कितनी निर्यातोन्मुखी इकाइयां कार्यरत हैं;

(ख) कितनी निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा अपनी निर्यात संबंधी प्रतिबद्धताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) कितनी इकाइयों ने अपनी निर्यात संबंधी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन इकाइयों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा अपनी निर्यात संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने तथा इन इकाइयों पर निगरानी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिनांक 22.2.2000 की स्थिति के अनुसार देश में 1348 निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ई ओ यू) कार्य कर रही थीं। राज्य–वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। जनजातीय इलाकों में निर्यातोन्मुखी इकाइयों के स्थान के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) निर्यातोन्मुखी इकाइयों के पास अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि होती है। तथापि, उनके द्वारा उत्पादन का एक वर्ष अथवा उससे अधिक का समय पूरा कर लेने पर उनके कार्य निष्पादन की वार्षिक एवं संचयी आधार पर निगरानी की जाती है। तदनुसार, 31 मार्च, 98 की स्थिति के अनुसार ऐसी 846 इकाइयों के निर्यात निष्पादन की निगरानी की गयी थी जिन्होंने उत्पादन का एक वर्ष अथवा उससे अधिक का समय पूरा कर लिया है, जिससे यह पता चलता है कि 443 इकाइयों ने या तो निर्यात बचनबद्धता पूरी कर ली है अथवा उनके मामले में आंशिक कमी रही है। 134 इकाइयों के मामले में निर्यात निष्पादन में कमी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं थी तथा निष्पादन पर निगरानी रखी गयी थी। 269 इकाइयों के मामले में निर्यात निष्पादन में कमी 10 प्रतिशत से अधिक थी और इन मामलों को दिशा–निर्देशानुसार विदेश व्यापार महानिदेशक के पास भेजा गया था। खराब निष्पादन के कारण थे–बाजारों का अभाव तथा वित्तीय अथवा प्रबंधन समस्याओं का होना।

(घ) इन इकाइयों के सामने आ रही समस्याओं में शामिल हैं– पर्याप्त बाजारों का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय दरों पर सावधि वित्त, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं और वस्तुओं की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता।

(ङ) निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास आयुक्तों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा वार्षिक रूप से निर्यातोमुखी इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है। चूंकि इन इकाइयों के पास इस योजना के अंतर्गत अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए कम–से–कम पांच वर्ष की अवधि होती है इसलिए आंशिक कमी के मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा नजर रखी जाती है जबकि गंभीर चूक के मामलों को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार महानिदेशक के पास भेजा जाता है।

विवरण

प्रचालनरत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के राज्य–वार ब्यौरे :

(दिनांक 22–2–2000 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रचालनरत ई.ओ.यू
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	157
2.	असम	1
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	139
5.	हरियाणा	49
6.	हिमाचल प्रदेश	7
7.	जम्मू और कश्मीर	0
8.	कर्नाटक	193
9.	केरल	29
10.	मध्य प्रदेश	34
11.	महाराष्ट्र	202
12.	मेघालय	0
13.	उड़ीसा	12
14.	पंजाब	37
15.	राजस्थान	46
16.	सिक्किम	3
17.	तमिलनाडु	256
18.	त्रिपुरा	0
19.	उत्तर प्रदेश	61
20.	पश्चिम बंगाल	47

1	2	3
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
22.	चंडीगढ़	1
23.	दादरा एवं नागर हवेली	9
24.	देहली	27
25.	गोवा, दमन और दीव	20
26.	पांडिचेरी	9
27.	भारतीय ई.ई.जेड	1
	कुल	1348

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा अपवंचन

372. श्री नरेश पुगलिया :

श्री रामजी मांझी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत–सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों/निगमित संगठनों ने आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य करों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में कर की कितनी धनराशि का अपवंचन किया गया;

(ग) क्या आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों आदि ने इस संबंध में कोई छापे मारे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) उनके द्वारा भुगतान न किये गये आयकर को वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उन पर कितना जुर्माना लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) से (ङ) महोदय, सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सीसीएल/बीसीसीएल में सीसीसीटी मशीनें

373. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में क्रॉस कन्ट्री कन्वेयर ट्रांसपोर्टेशन मशीनों की कुल संख्या कितनी है और साथ ही किन–किन स्थानों पर इन मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) उक्त कंपनियों में खराब पड़ी मशीनों का स्थान–वार और संख्या–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीसीसीटी मशीनों के द्वारा अर्जित किए गए लाभ और इनके बंद रहने के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन स्थानों पर सीसीसीटी मशीनों को स्थापित किये जाने के पीछे क्या औचित्य है जहां ये मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और साथ ही अप्रयुक्त पड़ी मशीनों को किस तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) स्थल–वार क्रॉस कंट्री कन्वेयर परिवहन मशीन (सी.सी.सी.टी) की कुल संख्या निम्नलिखित है :

कंपनी और वाशरी का नाम	सी.सी.सी.टी. मशीनों की संख्या	स्थिति
से.को.लि. – कारगली वाशरी	1	उपयोग में नहीं है और उसके पुर्जों को अलग किया जा रहा है।
भा.को.को.लि. – मधुवन वाशरी	2	एक प्रचालन में है और अन्य प्रारंभ किए जाने की प्रक्रियान्तर्गत है।

(ग) और (घ) चूंकि संयोजित खानों से वाशरी को कोयले की आपूर्ति करने के लिए सी.सी.सी.टी. क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कोककर कोयला उपलब्ध था, अतः वर्ष 1986 में 4 करोड़ रुपए की लागत से कारगली वाशरी में सी.सी.सी.टी. की स्थापना की गई और उसे चालू किया गया।

कोककर कोयला के संयोजित स्रोतों के समाप्त हो जाने के कारण 1.6.1999 से वाशरी को अकोककर कोयला वाशरी में बदल दिया गया।

वाशरी अब अन्य स्रोतों से अकोककर कोयला प्राप्त कर रही है, फलस्वरूप सी.सी.सी.टी. का उपयोग अनावश्यक हो गया है।

1998–99 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकोककर कोयला की वर्तमान 28.28 रुपए प्रति टन लागत के एवज में सी.सी.सी.टी. के माध्यम से प्राप्त कोयले की परिवहन लागत निर्धारित समय में 44.76 रुपए प्रति टन थी।

कन्वेयर के ढांचे और सी.सी.सी.टी. के अन्य भाग किए जाने की

प्रक्रियान्तर्गत हैं और कंपनी में उन्हें यथापेक्षित उपयुक्त स्थलों पर उपयोग में लाया जाएगा।

कारगली में सी.सी.सी.टी. के अलग–अलग किए जाने के साथ ही, इस ढांचे से अवरोधित कोककर कोयले के खनन के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि ढांचे बोकारो ओ.का.प. के खनन योग्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

[अनुवाद]

कृत्रिम रबड़ का आयात

374. श्री पी.सी.थामस : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्य–वार कितनी मात्रा में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन किया गया; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मद–वार और देश–वार कितनी मात्रा में कृत्रिम रबड़ का आयात किया गया और इनका मूल्य क्या रहा ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सीमेंट निगम पर छापा

375. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

क्या भारी **उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1999 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रेड आन् सीमेंट कारपोरेशन आन इंडिया एलिसिट्स एविडेन्स आन् एक्स चीफ फिनान्सियल बंगलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत प्रकाशित समाचारों के तथ्य क्या हैं;

(ग) भारतीय सीमेंट निगम की कितनी इकाइयों पर छापे मारे गए;

(घ) उन छापों के क्या परिणाम रहे;

(ङ) जांच दल द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट दे देने की आशा है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) इस विभाग में मैसर्स सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट और इसके पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के खिलाफ बहुत शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के संबंध में तथ्यों को जानने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, कोयला नियंत्रक के प्रतिनिधियों और भारी उद्योग विभाग के एक प्रतिनिधि की एक जांच समिति बनाई गई थी। दल ने तांदूर, नयागांव, अकलतारा, दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिटों और मुख्यालय का दौरा किया था। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी आदेशों तक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामला न्यायालय के अधीन है।

रुग्ण वस्त्र मिलों का पुनरुद्धार

376. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए बड़ी विदेशी वस्त्र–कंपनियों को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नई वस्त्र नीति

377. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री बी.वी.एन. रेड्डी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई वस्त्र नीति की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस नीति को तैयार करने से पूर्व सभी राज्य सरकारों से सलाह ली जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) अन्य बातों के साथ–साथ मौजूदा वस्त्र नीति के प्रभाव की पुनरीक्षा करने तथा समग्र व्यापार सुधारों के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उद्योग के लिए नीतिपरक उपाय सुझाने के लिए श्री एस.आर. सत्यम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने राज्य सरकारों सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थानों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श

करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें अधिकांशतः उत्पादन और निर्यात योग्य बेशी में उत्तरोत्तर वृद्धि करने, अप्रचलित प्रौद्योगिकियों को समाप्त करने, वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धी ढांचे को सुदृढ़ बनाने, परिहार्य विनियमों को समाप्त करने और उद्योग को बाजारोन्मुख प्रगतिशील उद्योग में परिवर्तित करने को सुकर बनाने संबंधी उपायों पर संकेद्रित हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नई वस्त्र नीति अभी भी विचाराधीन है तथा इसको अंतिम रूप देने में कुछ और समय लग सकता है।

"पैन" (स्थाई खाता संख्या)

378. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कतिपय सीमाओं तक होने वाले वित्तीय कारोबारों के संबंध में "पैन" संख्या उल्लिखित करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "पैन" संख्या आज तक सभी आवेदकों को आबंटित कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार आयकर विभाग के पास कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(च) सभी आवेदकों को "पैन" संख्या कब तक आबंटित कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) स्थाई खाता संख्या निम्नलिखित लेन–देनों के लिए अनिवार्य बनाया गया है :

(i) बैंकों में खाता खोलने के लिए आवेदन;

(ii) दूरभाष लगाने के लिए आवेदन (सेल्यूलर दूरभाष सहित);

(iii) मोटर वाहन के खरीदने अथवा बेचने से संबंधित दस्तावेज;

(iv) पांच लाख रुपये अथवा इससे अधिक की अचल संपत्ति के खरीदने अथवा बेचने से संबंधित दस्तावेज;

(v) बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की मियादी जमा से संबंधित दस्तावेज;

(vi) डाकघर बचत बैंक के किसी खाते में 50,000 रुपये से अधिक के निक्षेपों से संबंधित दस्तावेज;

(vii) दस लाख रुपये से अधिक के मूल्य की प्रतिभूतियों (शेयर, ऋणपत्रों आदि) के विक्रय अथवा क्रय की संविदा से संबंधित दस्तावेज;

(viii) होटल और रेस्टोरेंट को उनके बिलों का किसी एक समय में 25,000 रुपए से अधिक की रकम का भुगतान।

(ग) से (च) स्थाई खाता संख्या (पैन) के आबंटन के लिए दिनांक 31.01.2000 तक प्राप्त हुए। 1,86,41,245 आवेदनों में से दिनांक 31.01.2000 तक 1,67,67,937 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। और 1,54,37,157 स्थाई खाता संख्या आबंटित की गई हैं।

मुख्यतया प्रार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों में अधूरी सूचना के कारण शेष आवेदनों के आबंटन में देरी हुई है। इससे त्रुटियों के संबंध में पत्र जारी करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार के सभी मामलों में, आयकर दाताओं द्वारा कमियों को दूर करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, हाल के महीनों में अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर पैन आबंटित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आवेदन कर्ताओं को स्थाई खाता संख्या आबंटित करने का कार्य पूरे जोरों पर है और स्थाई खाता संख्या शीघ्र आबंटित करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा प्रचार माध्यमों से भी इस विषय में आवेदकों को त्रुटिपत्रों के उत्तर विभाग को शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

379. श्री अरूण कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर 1999 के बाद से देश की औद्योगिक विकास की दर में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर 1999 में औद्योगिक विकास की दर कितनी थी;

(ग) जनवरी, 2000 के अन्त तक औद्योगिक विकास की अनुमानित दर कितनी होगी;

(घ) औद्योगिक विकास की दर में ऐसी गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) औसत औद्योगिक विकास की दर से पिछड़ने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर जारी किये गये अद्यतन आंकड़ों से यह पता

चलता है कि नवम्बर तथा दिसम्बर, 1999 में औद्योगिक विकास दर क्रमशः 3.2% तथा 5.2% है

(ग) सरकार ने जनवरी 2000 के अन्त तक औद्योगिक विकास दर का कोई अनुमान नहीं लगाया है।

(घ) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एन.आई.सी वर्गीकरण के द्विअंक स्तर पर, अप्रैल–दिसम्बर, 1999 के दौरान औसत औद्योगिक विकास दर से पीछे चलने वाले उद्योग निम्नलिखित हैं :

खाद्य उत्पाद,

सूती वस्त्र,

जूट तथा अन्य वनस्पति फाइबर वस्त्र, वस्त्र उत्पाद (पहनने के परिधान सहित)

काष्ठ तथा काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर तथा फिकचर्स,

कगज तथा कागज उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन तथा सहायक उद्योग,

रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद,

मूल धातु तथा मिश्रित धातु उद्योग,

धातु उत्पाद तथा पुर्जे, मशीन तथा उपकरण छोड़कर

परिवहन उपकरण तथा पुर्जे

अन्य विनिर्माण उद्योग।

छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा

380. श्री हरिभाई चौधरी :

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

श्री सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और निजी निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाले वैधानिक और प्रशासनिक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं और ये कदम पहले उठाए गए कदमों से किस प्रकार अलग हैं; और

(ग) इस संबंध में "सेबी" द्वारा किए गए प्रयासों के ब्यौरे सहित "सेबी" की भूमिका क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) पूंजी बाजार में सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने वाली कम्पनियां भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक बाजार में, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए सेबी ने तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से कम–से–कम तीन वर्षों के लिए एक वितरण योग्य लाभों के ट्रैक रिकार्ड तथा पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से तीन वर्षों में एक करोड़ रु. के निर्गम पूर्व निवल मूल्य की अपेक्षा की शुरुआत की है। सामूहिक निवेश योजनाओं के लिए सेबी के विनियम हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। द्वितीयक बाजार में, सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी निवेश संरक्षण निधियों को बढ़ाने तथा व्यापार गारंटी/निपटान गारंटी निधियां स्थापित करने की सलाह दी है। सेबी द्वारा किए गए अन्य उपायों में मार्जिन प्रणाली, सर्किट फिल्टरों का कार्यान्वयन, स्टॉक ब्रोकरों के लिए पूंजी पर्याप्तता से जुड़ी सकल प्रतिपादन सीमाएं तथा प्रतिभूतियों का विद्रव्यीकरण शामिल है।

जनता से जमाराशियां लेने वाली कम्पनियां कंपनी कार्य विभाग द्वारा विनियमित की जाती हैं। कंपनी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि लघु निवेशकों से जमा राशियां स्वीकार करने वाली प्रत्येक कंपनी ऐसी जमाराशियों के पुनर्भुगतान में इसके द्वारा की गई किसी चूक के बारे में कंपनी विधि बोर्ड को सूचित करेगी, अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए कंपनी के निदेशकों को उत्तरदायी ठहराएगी तथा यह व्यवस्था करेगी कि लघु शेयरधारकों को सरकारी कंपनियों में कम–से–कम एक निदेशक चुनने का अधिकार हो। वर्तमान में यह विधेयक संसद के समक्ष है।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को अनिवार्य पंजीकरण तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है।

[अनुवाद]

भेल द्वारा विद्युत संयंत्र की स्थापना

381. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने भारतीय तेल निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 'टर्न–की' आधार पर एक ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल दक्ष ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव से भारतीय तेल निगम के कितने संयंत्र लाभान्वित होंगे ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. बल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने हाल ही में पानीपत और बरौनी में अपनी रिफाइनरियों के लिए टर्नकी आधार पर किफायती उर्जा और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भेल को ठेका दिया है। पानीपत में स्थापित किए जाने

वाले गैस टरबाइन जनरेटर की क्षमता 30 मेगावाट है और इसकी हीट रिकवरी वायलर की क्षमता 125 टीपीएच है। बरौनी में स्थापित किए जाने वाले गैस टरबाइन जनरेटर की क्षमता 40 मेगावाट है और हीट रिकवरी वायलर की क्षमता 96 टीपीएच है।

लैटिन अमरिका को हस्तशिल्प का निर्यात

382. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लैटिन अमेरिका/कनाडा में हस्तशिल्प के निर्यात के लिए काफी संम्भावनाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अपने उत्पादों को इन देशों में निर्यात करने में उद्यमियों की मदद के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लैटिन अमरिका/कनाडा को अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए उद्यमियों की सहायता के लिए किए गए/किए जाने वाले उपायों में बिक्री–सह–अध्ययन दल प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेंलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन, सेमिनार तथा कार्यशालाओं का संचालन, विदेशों में प्रचार एवं सूचीपत्रों का प्रकाशन, हस्तशिल्प प्रतिनिधिमण्डल का 2000–2001 के अर्जेन्टीना तथा ब्राजील का दौरा, अर्जेन्टीना में रेगाला गिफ्ट शो में भाग लेना एवं वार्षिक कार्यक्रम के रूप में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला तथा भारतीय कालीन एक्सपो का आयोजन शामिल है।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीविजन प्रसारण केन्द्र

383. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने टेलीविजन प्रसारण केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा कितने प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) प्रसारण शुरू किए जाने हेतु तैयार प्रसारण केन्द्रों को चालू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को बंद किए गए प्रसारण केन्द्रों को पुनः चालू करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रसारण केन्द्रों को कब तक पूर्णतया सुसज्जित कर दिये जाने तथा शुरू करने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) राजस्थान में नीचे दर्शाए अनुसार विभिनन क्षमताओं के 89 ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं :

1. 10 कि.वा. क्षमता के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर – 4
2. 1 कि.वा. क्षमता का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर – 1
3. 300 वाट/100 वाट क्षमता के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर – 61
4. 2x10 वा. क्षमता के अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर –15
5. 10 वा. क्षमता के ट्रांसपोजर –2

पांच अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों और एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को छोड़कर उपरोक्त सभी ट्रांसमीटर चालू कर दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त, राजस्थान में 21 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। स्वीकृत पूंजीगत लागत सहित ऐसी परियोजनाओं के स्थानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अपेक्षित स्टाफ का उपलब्ध न होना।

(घ) से (च) चालू किए गए रिले केन्द्रों में से कोई भी बन्द नहीं किया गया है। तकनीकी रूप से तैयार केन्द्रों में स्टाफ तैनात करने की कार्रवाई पहले ही चालू है और अपेक्षित स्टाफ मिलते ही इन रिले केन्द्रों को चालू कर दिया जाएगा।

विवरण

परियोजना का नाम		पूंजीगत लागत (लाख रु. में)
1		2
क.	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि.वा.)**	
1.	अजमेर	391.60
2.	बाड़मेर (स्थायी स्थापित)	1720.58
3.	जयपुर (डी.डी.–2)	574.00
4.	जोधपुर (डी.डी.–2)	494.00
ख.	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	
1.	पिरावा	76.00
2.	नागर	76.00
3.	नसीराबाद	76.00

	1	2
4.	भिनमल	76.00
5.	सोजाट	76.00
6.	बाली	76.00
7.	संचर	76.00
8.	किशनगढ़ (जिला–अजमेर)	76.00
9.	विजयनगर	96.00
10.	कुशलगढ़	76.00
11.	तारानगर	76.00
12.	सागवाड़ा	76.00
13.	मकराना	100.70
14.	नवलगढ़	76.00
ग.	**अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**	
1.	तीबी	77.65
2.	लक्ष्मणगढ़	70.81
3.	कोटरा	59.20

[अनुवाद]

ई.सी.एल. में उत्पादन बंद करना

384. श्री सुनील खां : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई.सी.एल. की विभिन्न कोयला खानों, विशेषकर मधेपुर कोयला खान में उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन अन्य कोयला खानों के नाम क्या हैं जहां उत्पादन बंद किए जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सरकारी स्तर पर इस प्रकार को कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी ओर कोल इंडिया लि. ने व्यावसायिक परामर्शदाताओं के एक दल, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि. (आई.सी.आई.सी.आई.) को.ई.को.लि. के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किए जाने हेतु नियोजित किया है। इस पैकेज में ई.को.लि. के पुनरुद्धार हेतु कई प्रकार के उपाय किए गए हैं, जिनमें उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, पूंजी के निवेश की आवश्यकता, पं. बंगाल सरकार द्वारा प्रभारित उपकर में कमी, श्रमशक्ति में कमी तथा अत्यधिक अनुत्पादी खानों को बंद किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

यौन शिक्षा पर कार्यक्रम

385. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रमों के नाम से चलाए जाने वाले यौन संबंधी कार्यक्रमों की संख्या बढ़ रही है जिससे प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से युवा वर्ग प्रभावित हुआ है; और

(ख) सैंसर बोर्ड द्वारा यौन शिक्षा के नाम पर गलत संदेश प्रसारित करने के प्रति ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय जिलों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर/उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर

386. श्री अनन्त नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के जनजातीय जिलों विशेषकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में लगाये गए कम शक्ति वाले और उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार जनजातीय क्षेत्रों में आकाशवाणी और टी.वी. नेटवर्क का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो नौवीं योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों और उड़ीसा के पिछड़े जिलों के लिए बनाए गए नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जनजातीय जिलों में कार्य कर रहे ट्रांसमीटरों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

राज्य	टी.वी.	रेडियो
उड़ीसा	55	08
मध्य प्रदेश	47	11
बिहार	15	05
समस्त भारत	366	93

(ख) जी, हां।

(ग) नौवीं योजना के दौरान, उड़ीसा के जनजातीय जिलों में नौ दूरदर्शन ट्रांसमीटर और दो स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में व्यापार वार्ता

387. श्री मोइनुल हसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन में नए व्यापार वार्ता के विचार हेतु दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राज्य ने ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ग) क्या भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में व्यापार वार्ता में विकसित देशों के दबाव का प्रतिकार करने हेतु अपने पक्ष में अन्य विकासशील देशों को लाने का प्रयास कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) यद्यपि भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के सिएटल मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में वार्ताओं की असफलता से निराशा हुई है, तथापि उसका यह दृष्टिकोण है कि गैर–व्यापार से संबंधित विवादास्पद मुद्दों को हटाने और मौजूदा डब्ल्यू टी ओ करारों को लागू करने के बारे में विकासशील देशों की चिंताओं पर विचार करने समेत प्रमुख मुद्दों पर डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों द्वारा एक व्यापक आम सहमति पर पहुंचने के बाद ही दूसरे मंत्रीस्तरीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। डब्ल्यू टी ओ के तीसरी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष, जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार प्रतिनिधि भी हैं, ने डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक को यह काम सौंपा था कि वह स्थगित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को पुनः आयोजित करने का मार्ग तैयार करने हेतु डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के बीच आम सहमति बनाएं।

(ग) और (घ) भारत की कार्य नीति समान विचार धारा वाले विकासशील देशों के साथ एकात्मकता बनाए रखना है ताकि डब्ल्यू टी ओ वार्ताओं में विकासशील देशों के सापेक्ष महत्त्वपूर्ण हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके। सिएटल वार्ता के बाद इस बारे में प्रमुख पहल बैंकाक में अंकटाड–x सम्मेलन (12–19 फरवरी, 2000) के दौरान की गई है जब 77 विकासशील देशों के समूह (जी–77) जिसका भारत एक सदस्य है, में एक ऐसी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वचनबद्धता के लिए अंकटाड की कार्य योजना में अनुकूल सिफारिशें प्राप्त करने के लिए कार्य किया था जो समग्र विकास परक उद्देश्यों के अधिक अनुरूप हो और जो विकासशील देशों के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के तौर तरीकों का समर्थन करती हो कि व्यापार का गरीबी उन्मूलन में अपेक्षाकृत अधिक निर्णायक योगदान है।

[हिन्दी]

स्पेयर पार्ट्स का विनिर्माण

388. श्री अजित सिंह :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार विनिर्माताओं को भारत में अनुमति देते समय देश में ही स्पेयर पार्ट्स के विनिर्माण की शर्त रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त शर्त को फिलहाल हटाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में कारों के उत्पादन और विक्रय में लगातार वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) देश में अनुमति देते समय कार विनिर्माताओं पर इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा, मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कारों के विनिर्माण के लिए दिए गए विदेशी सहयोग संबंधी अनुमोदन लामांश सन्तुलन की शर्त के अधीन रखे गए थे और ऑटो संघटकों/स्पेयर पार्टों के विनिर्माण के लिए कोई विशिष्ट शर्त नहीं लगाई गई थी।

(ङ) और (च) वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान देश में कारों के उत्पादन एवं बिक्री में लगातार कोई वृद्धि नहीं हुई है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अग्रिम भुगतान

389. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त वर्ष के आरंभ में राज्य सरकारों को बजट आबंटन का 2.5 प्रतिशत अग्रिम देने की व्यवस्था है, ताकि लागत वृद्धि न हो और परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्य सरकारों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश को अग्रिम दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशों में सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कई दावे सरकार के पास लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(च) इन दावों पर कब तक विचार किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :

(क) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने की सामान्य प्रक्रिया प्रतिपूर्ति के आधार पर है। तथापि, सहायता उपयोग को प्रभावी बनाने में राज्यों को सहायता देने के माध्यम से अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करने की व्यवस्था आरम्भ की गयी है। अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि हर वर्ष बदलती रहती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 670.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इसमें से, 10.14 करोड़ रुपए की राशि बिहार को और 120.26 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को जारी की गई थी।

(घ) से (च) दि. 17.02.2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में 72.86 करोड़ रुपये की राशि के दावों को संबंधित दाताओं के पास प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। दाता देश से संवितरण प्राप्त होने के बाद ही इनके संबंध में राशियां जारी किए जाने हेतु देय होंगी। बिहार में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में कोई दावा लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

कच्चे रेशम की मांग और उपलब्धता

390. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे रेशम का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में कच्चे रेशम की अनुमानित वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) क्या देश में कच्चे रेशम की उपलब्धता और मांग के बीच अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अपरिष्कृत रेशम का वार्षिक उत्पादन और अनुमानित मांग नीचे निर्दिष्ट हैं :

(टन में)

वर्ष	उत्पादन	मांग
1997–98	15236	18,500
1998–99	15544	20,000
1999–2000	16190(अनुमानित)	22,000

(ग) और (घ) मांग की तुलना में अपरिष्कृत रेशम की घरेलू उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने आयात की अनुमति दी है। इस समय सरकार ने शुल्क मुक्त योजना (डी. इ.एस.) के अंतर्गत आयात की अनुमति दी है जिसमें निर्यातकों को निर्यात दायित्व से संबद्ध शुल्क मुक्त अपरिष्कृत रेशम को लाने की अनुमति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट किस्म की शहतूती अपरिष्कृत रेशम की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एच.एच.ई.सी.), राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) तथा हथकरघा/विद्युतकरघा और रेशम का कार्य करने वाले अन्य राज्य निगमों के सरणीकरण द्वारा ग्रेड 2ए और उससे अधिक ग्रेड की शहतूती अपरिष्कृत रेशम को आयात करने की अनुमति दी है।

इसके अतिरिक्त, राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास को बढ़ावा देने संबंधी अनेक योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इनमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड के एककों के नेटवर्क द्वारा अनुसंधान व विकास का विस्तार, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्र को विस्तार सहायता देने संबंधी योजनाओं के साथ–साथ उत्कृष्ट रेशम का उत्पादन करने के लिए आधुनिक रेशम उत्पादन संबंधी प्रक्रियाओं को अपनाने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विकासात्मक/प्रोत्साहनजनक/वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है।

बी.आई.एफ.आर. का पुनर्गठन

391. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) से बीआईएफआर को बंद करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बीआईएफआर के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) रुग्णता की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटाने तथा बीआईएफआर के परिचालन पर निर्णय लेने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) की पुनरीक्षा प्रस्तावित है।

वस्त्र उद्योग का विविधीकरण

392. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की दृष्टि से वस्त्र उद्योग का विविधीकरण करने का है;

(ख) क्या वस्त्र उद्योग को इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) वस्त्र उद्योग द्वारा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसके विविधीकरण हेतु क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार विश्व बाजार में अत्यधिक स्थान प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से समय–समय पर अनेक कदम उठाती रही है। विशेषकर वस्त्र क्षेत्र के संबंध में की गई कुछ मुख्य पहल निम्नानुसार हैं :

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की गई है।

(2) स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने तथा वस्त्र निर्यात में स्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में 2000–2004 की अवधि के लिए नई निर्यातक हकदारी (कोटा) नीति की घोषणा।

(3) नई निर्यात हकदारी (कोटा) नीति में विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम.इ.ई.) और नई निवेशक हकदारी (एन.आई.ई.) प्रणालियों के अंतर्गत नए निवेश के लिए कोटे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवश्यक अभिज्ञात किए गए संयंत्रों और मशीनों के साथ संबद्ध कर दिए गए हैं।

(4) भारतीय वस्त्रों के अपैरल क्षेत्र – मूल्यवर्द्धित क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोटा और गैर–कोटा देशों को गैर–कोटा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए गैर–कोटा हकदारी (एन.क्यू.इ.) प्रणाली को बनाए रखा गया है।

(5) कुछ निर्धारित वस्त्र मशीनरी के संबंध में शून्य शुल्क निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना की प्रारंभिक सीमा को घटाकर 1 करोड़ रुपए करना।

(6) निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ई.पी.जैड.)/ई.पी.सी.जी. एककों द्वारा सूती यार्न के निर्यात का उदारीकरण किया गया है।

(7) ट्रिमिंग और अलंकरण की कुछ श्रेणियों का शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई है।

(8) भारत सरकार ने एक सांविधिक निकाय, पटसन विनिर्माण विकास परिषद् (जे.एम.डी.सी.) ने विदेशों में महत्त्वपूर्ण मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता द्वारा विविधीकृत पटसन उत्पादों के बारे में सूचना प्रसारित की है तथा बाजार अनुसंधान शुरू किया है।

सीसे और जिंक की कमी

393. डॉ. संजय पासवान : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीसे और जिंक की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सीसे और जिंक की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सीसे और जिंक का उपयोग करने वाले प्रमुख उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन उद्योगों द्वारा सीसे और जिंक की कुल कितनी खपत की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार सीसे और जिंक के स्क्रैपों का आयात करने का है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीसे और जिंक का आयात पारिस्थितिकीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो इनका आयात करने का क्या कारण है ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां। देश में उत्पादित सीसे और जिंक की कमी है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीसे और जिंक के आयात समेत इसकी आपूर्ति का ब्यौरा निम्नवत् है :

(टन में)

	सीसा	जिंक
1996–97	91,810	2,11,149
1997–98	1,02,626	2,42,592
1998–99	1,08,912	2,43,958

खपत के ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण यह माना गया है कि सीसे और जिंक की पूरी आपूर्ति की खपत की गई। स्वदेशी उत्पादन की कमी को आयात द्वारा पूरा किया गया।

गालवेनाइज्ड स्टील उत्पाद, ड्राई बैटरीज, आक्साइड और केमिकल्स, एलाय और डाई–कास्ट ऐसे मुख्य उद्योग हैं जो जिंक का उपभोग करते हैं। सीसे के मामले में लैड–एसिड बैटरीज, आक्साइड (इसकी अधिकांश मात्रा बैटरी के उत्पादन में लगती है) एलाय, गालवेनाइजिंग एवं अन्य तथा केबल्स ऐसे मुख्य उद्योग हैं जो सीसा का उपयोग करते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नाबार्ड ऋण

394. **श्री अजय सिंह चौटाला :**

श्री चन्द्र विजय सिंह :

श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने शीत–भण्डारण गृहों के निर्माण और विस्तार और अन्य विकास गतिविधियों के लिए राज–सहायता देने की कोई ऋण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य विशेषकर उत्तर प्रदेश को इस प्रयोजनार्थ कितनी राजसहायता उपलब्ध कराई गई और 1999–2000 के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुमान है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया, साथ ही राज्य सरकारों के पास कितनी निधि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कृषि मंत्रालय का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के साथ 175 करोड़ रुपए की लागत से 1999–2000 से प्रारम्भ हो रही नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में (शीतागार और बागवानी उत्पाद के लिए भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु "पूंजी निवेश सब्सिडी योजना" नामक नई योजना कार्यान्वित कर रहा है। सहकारी समितियां, कंपनियां, निगम, भागीदार एवं स्वामित्व वाली फर्में, कृषि उत्पाद विपणन समितियां/बोर्ड, कृषि–उद्योग निगम एवं उत्पादक संघ इस योजना के तहत ऋण/सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अन्य सहकारी ऋण संस्थाएं, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, वे इस योजना के तहत पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र शीतागार के लिए किरायों का संचालन/नियंत्रण नहीं करते हैं, उन्हें परियोजना लागत के 25% तक पूंजी निवेश उपदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी उच्चतम सीमा प्रति योजना 50 लाख रुपए तक होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं को परियोजना की 33.3% की दर पर अपेक्षाकृत अधिक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी उच्चतम सीमा 60 लाख रुपए होगी। नाबार्ड 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण राशि के 90% की दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा। वापसी अदायगी अवधि नकदी प्रवाह पर निर्भर होगी तथा 2 वर्ष की रियायत अवधि सहित 9 वर्ष तक होगी।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय द्वारा सब्सिडी के लिए कोई राज्य–वार आबंटन नहीं किया गया है। चूंकि यह योजना जनवरी, 2000 से ही संचालन में आई है, अतः पहले तीन वर्षों के लिए सूचना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) योजना की प्रगति पर निगरानी रखेगा। वित्तपोषण करने वाले बैंकों द्वारा प्राप्त योजना शुरू करने संबंधी प्रमाण–पत्र एनएचबी को भेजे जाने के लिए नाबार्ड को भेजे जाएंगे। नाबार्ड/एनएचबी, जहां कहीं आवश्यक हो, वित्तपोषक बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर परियोजना–स्थल का क्षेत्र–द्वारा करके शीतागारों/भंडारों के निर्माण संचालन आदि के संबंध में प्रगति की निगरानी करेगा। इन परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्टों की राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों/जिला स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों में पुनरीक्षा की जाएगी।

उड़ीसा को विश्व बैंक ऋण

395. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा तूफान पीड़ितों के राहत और पुनर्वास तथा उनकी अर्थव्यवस्था को पुनः बहाल करने के लिए विश्व बैंक से कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करने हेतु संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की प्रतिक्रिया, ऋण की शर्तें तथा विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत शर्तों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर, उड़ीसा में चक्रवात के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने तथा आपदाओं का उपशमन करने हेतु विश्व बैंक से ऋण सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। विश्व बैंक ने इस संबंध में तीन–चरणीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है। पहले चरण में लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर की राशि विद्युत सिंचाई, अन्य आधारभूत ढांचों, आवासन आदि के क्षेत्रों में तात्कालिक प्रकृति के कार्यों निष्पादित करने के लिए उपयोग में लायी जा सकेगी। दूसरे चरण में उपर्युक्त क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना शामिल होगा। तीसरे चरण में भविष्य में ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने में राज्य की क्षमता को सुधारने के लिए दीर्घकालिक आपदा–उपशमन कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकेगा। अंतिम ऋण/उधार की राशि, निबंधन और शर्तें आदि जैसे ब्यौरे बातचीत पूरी होने और विश्व बैंक से परियोजनाएं अनुमोदित होने के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेंगे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश से पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

396. डॉ. बलिराम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1997 से जनवरी, 2000 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिन दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक और अन्य पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विज्ञापनों के लिए उनमें से प्रत्येक को कितनी–कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि छोटे और मझौले स्तर के समाचार–पत्रों को कम और अपेक्षाकृत निम्न दरों वाले विज्ञापन दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से प्रकाशित और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों के समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को स्थान और राशि के रूप में जारी विज्ञापानों की मात्रा को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) समय–समय पर इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं कि लघु एवं मझौले समाचारपत्रों का बड़े समाचार पत्रों की अपेक्षा कम विज्ञापन दिए जाते हैं। वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 (31.01.2000 तक) के दौरान लघु एवं मझौले समाचार पत्रों को जारी विज्ञापनों की संख्या क्रमशः 1,13,322, 1,02,926 और 86,573 थी। पिछले तीन वर्षों में बड़े समाचार पत्रों के संगत आंकड़े क्रमशः 44,151, 53021 और 54,972 थे। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा किसी भी विज्ञापन के लिए भुगतान की जाने वाली राशि, समाचार पत्रों के प्रसार आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए दर ढांचे पर निर्भर करती है।

विवरण-I

वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य से भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत किए गए समाचार पत्रों के श्रेणी–वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण।

आवधिकता	1997	1998	1999	कुल
दैनिक	19	20	15	54
साप्ताहिक	252	169	151	572
पाक्षिक	37	26	20	83
मासिक	21	13	38	72
अन्य	12	12	16	40
कुल	341	240	240	821

विवरण-II

वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान उत्तर प्रदेश से प्रकाशित और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीबद्ध समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को स्थान एवं राशि के रूप में जारी किए गए विज्ञापनों की मात्रा के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष 1997-98

आवधिकता	सूचीबद्ध समाचार पत्रों की संख्या	स्थान (कॉलम से.मी. में)	राशि (रुपयों में)
दैनिक	365	8,09,419	2,83,90,546
साप्ताहिक	1606	8,16,763	1,39,26,265
पाक्षिक	264	1,36,840	24,54,288
मासिक	73	30,427	7,80,103
अन्य	47	21,791	4,66,869
कुल	2355	18,15,240	4,60,18,071

वर्ष 1998-99

आवधिकता	सूचीबद्ध समाचार पत्रों की संख्या	स्थान (कॉलम से.मी. में)	राशि (रुपयों में)
दैनिक	356	9,14,912	3,93,46,743
साप्ताहिक	1645	6,49,625	1,32,81,092
पाक्षिक	273	1,06,620	21,92,089
मासिक	68	20,217	5,14,706
अन्य	47	14,911	4,02,722
कुल	2389	17,06,285	5,57,37,352

वर्ष 1999-2000 (31.01.2000 तक)

आवधिकता	सूचीबद्ध समाचारपत्रों की संख्या	स्थान (कॉलम से.मी. में)	राशि (रुपयों में)
दैनिक	297	7,05,775	4,04,79,935
साप्ताहिक	1335	3,87,647	92,91,916
पाक्षिक	217	63,956	15,88,544
मासिक	51	11,481	3,62,649
अन्य	43	10,530	3,53,222
कुल	1943	11,79,389	5,20,76,266

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर शराब और तम्बाकू का विज्ञापन

397. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर शराब और तम्बाकू के विज्ञापनों के प्रसारण पर लगी रोक को हटाने का है;

(ख) क्या सरकार को शराब के अग्रणी उत्पादक वाले बेचने और तम्बाकू का उत्पादन करने वाली बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में ऐसा कदम उठाने के बारे में विचार करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप युवकों और स्कूल जाने वाले बच्चों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) दूरदर्शन की विद्यमान विज्ञापन संहिताओं के अनुसार, दूरदर्शन चैनलों पर शराब तथा तम्बाकू के विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाती है। भारतीय उपग्रह चैनलों जिन्हें भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई है, द्वारा भी समान संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। तथापि, भारत के बाहर से अपलिंक किए जाने वाले उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर शराब तथा तम्बाकू के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। भारत से अपलिंक किए जाने वाले प्रच्छन्न टेलीविजन चैनलों द्वारा केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन किया जाना अपेक्षित है। इन संहिताओं के अनुसार, शराब और तम्बाकू के विज्ञापनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दिन के समय तथा अधिकतम दर्शकों वाले समय (प्राइम टाइम) जब बच्चों द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम देखे जाने की अधिकतम संभावना होती है, के दौरान शराब एवं तम्बाकू के विज्ञापनों को निषेध करने और ऐसे विज्ञापनों को केवल रात्रि में 11 बजे के बाद तथा अगले दिन प्रातः छह बजे से पहले तक दिखाने की अनुमति देने के उद्देश्य से दूरदर्शन और देश के बाहर से अपलिंक किए जाने वाले प्रच्छन्न उपग्रह टेलीविजन चैनलों की विज्ञापन संहिताओं में एकरूपता लाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

वाहनों के जाली कलपुर्जों का धंधा

398. श्री सुबोध मोहिते : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों के जाली कलपुर्जों के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक रिसर्च परिषद की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार को तीन सौ करोड़ रुपए और राज्य सरकारों को एक सौ साठ करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वाहनों के जाली कलपुर्जों का व्यापार रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) भारतीय आटोमोटिव संघटक विनिर्माण एसोसिएशन (ए सी एम ए) द्वारा राष्ट्रीय आधार पर जाली कल–पुर्जों पर अध्ययन करने का कार्य 1999 में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को सौंपा गया था। नकली आटो संघटकों के उत्पादन पर किये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने यह आकलन किया है कि 1997–98 में 12 विनिर्दिष्ट आटोमोबाइल संघटकों के उत्पादन का मूल्य 1459 करोड़ रुपये था। इस आधार पर कुछ विशेष धारणाओं के आधार पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने यह आकलन किया है कि केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा कार्पोरेट आय–कर के रूप में 300 करोड़ रुपये की राजस्व हानि तथा राज्य सरकारों को केन्द्रीय/राज्य बिक्री–कर तथा चुंगी/प्रवेश शुल्क के रूप में 165 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

व्यापार तथा पण्य वस्तु अधिनियम, 1958 में व्यापार चिन्हों की नकल तथा उनका मिथ्या उपयोग करने तथा मिथ्या व्यापार विवरणों के विरुद्ध उपबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 बनाया गया है, जिसमें नकली सामान के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था की गयी है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निजीकरण

399. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विनिवेश पर्यटन विकास निगम के होटलों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन–कौन से होटल हैं जिनका निजीकरण किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी अधिकारियों के उपयोग हेतु कुछ होटलों को अपने नियंत्रण में रखने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी पार्टियों की संख्या क्या है जिन्होंने अपनी निविदाएं भेजी हैं और सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं; और

(च) ऐसी कौन–कौन सी पार्टी हैं जिन्होंने इस पर अपनी सहमति जतायी है और होटल व्यवसाय में उनका अनुभव क्या रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) इस संबंध में सरकार ने विनिवेश आयोग की निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार की हैं :–

1. दिल्ली और बंगलौर जैसे मुख्य स्थानों में स्थित होटलों के संबंध में इन्हें पट्टा व प्रबन्धन आधार पर दीर्घावधिक संरचित संविदा पर चलाने के लिए प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से संस्थापित होटल शृंखला को सौंप दिया जाए। इससे मुख्यतः पट्टा धारित भूमि के मामले में, जिन पर होटल स्थित हैं, सम्पत्ति के अन्तरण की समस्याएं हल हो जाएंगी। यह अभीष्ट होगा यदि प्रत्येक मामले में आई.टी.डी.सी. मजदूर यूनियनों और संबंधित पक्षों के बीच एक त्रिपक्षीय करार किया जाए ताकि श्रमिक के हितों की रक्षा की जा सके। वित्तीय सलाहकारों और परामर्शदाताओं की सहायता से एस. ई.जी. द्वारा प्रतियोगी बोली के लिए संविदा शर्तों और प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। संविदा का एक अपफ्रंट शुल्क तथा वार्षिक संशोधनों के लिए अन्तर्निर्मित इंडेक्सेशन सहित वार्षिक शुल्क होगा। ऐसे शुल्क प्रत्येक होटल के लाभों के वर्तमान स्तर से काफी अधिक होने चाहिए। अप–फ्रन्ट शुल्क और वार्षिक शुल्क से होने वाली वसूली सरकार को करों और लाभांशों के रूप में उपर्जित होगी।
2. अन्य होटलों को अलग कारपोरेट संस्थाओं में अविलयित कर दिया जाए। इन कम्पनियों में शेयर सरकार और अन्य शेयर धारकों यदि कोई हो, को आई. टी.डी.सी. शेयरों के बदले जारी किए जाएंगे। नई कम्पनियों में विनिवेश उनमें 100 प्रतिशत सरकारी शेयरधारिता की बिक्री के माध्यम से किया जाएगा। उचित मूल्यांकन और प्रतियोगी बोली की शर्तों के लिए एस.ई.जी. वित्तीय सलाहकारों की सहायता से यह प्रक्रिया पुनः जारी रखी जाएगी।
3. आई.टी.डी.सी. शुल्क मुक्त दुकानों और यात्रा और पर्यटन कारोबार को प्रचालनों की व्यवहार्यता के अधीन प्रचालित करना जारी रखेगा। इसका निर्णय कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(ङ) और (च) बिक्री के लिए बोलियां अभी मांगी नहीं गई हैं।

[हिन्दी]

कागज का उत्पादन

400. श्री रामशकल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज और अन्य कागज का आयात बढ़ रहा है जबकि घरेलू उत्पादन कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू उत्पादन की तुलना में अखबारी कागज और अन्य कागज कितना आयात हुआ और कितना घरेलू उत्पादन हुआ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पेपर मिलों की उत्पादन क्षमता में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो आयात बढ़ने और तैयार उत्पादन की तुलना में आयातित कच्चे माल पर लगाए जा रहे अत्यधिक शुल्क की सीमा सहित उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने घरेलू कागज उद्योग की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज तथा गत्ता और अखबारी कागज के उत्पादन तथा आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(लाख मीटर)

वर्ष	कागज तथा गत्ता		अखबारी कगज	
	उत्पादन	आयात	उत्पादन	आयात
1996–97	27.69	1.82	3.00	5.47
1997–98	29.22	3.05	4.00	4.98
1998–99	31.38	2.71	5.25	4.27

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने घरेलू कागज उद्योग की सहायता करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(i) कागज तथा अखबारी कागज उद्योगों को स्थापना–स्थल–नीति की शर्त पर पूर्णतः लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ii) अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(iii) 75% से अधिक गैर–परम्परागत कच्चे माल से विनिर्मित कागज पर 8% की दर पर रियायती उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(iv) काष्ठ आधारित कागज तथा गत्ते पर उत्पाद शुल्क को 1999–2000 के दौरान 18% से कम करके 16% कर दिया गया है।

(v) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए लुगदी के आयात पर कोई सीमा–शुल्क नहीं है। तथापि, कागज तथा गत्ते पर मूल आयात कर तथा अपशिष्ट कागज पर आयात कर इस समय 5% है।

(vi) घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित कागज पर मूल सीमा शुल्क 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

401. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सार्वजनिक उद्यमों की विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने का विचार व्यक्त किया है और क्या इसने सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए विनिवेश से अर्जित आय से "विनिवेश निधि" की स्थापना का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस उद्देश्य से कि अपनी कॉरपोरेट स्वतंत्रता के द्वारा सार्वजनिक उद्यम स्वावलम्बी हो और बाजार प्रतिस्पर्धा का दक्षतापूर्वक सामना कर सके, बनायी गई नयी कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक हितों की रक्षा और सार्वजनिक उद्यमों के दक्ष कार्य निष्पादन के लिए प्रस्तावित उपयुक्त विनियामक तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभी तक लागू की गई नीति की समीक्षा और अगले पांच वर्षों के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

संगमरमर खनन उद्योग

402. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संगमरमर खनन उद्योग असंगठित स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास संगमरमर उद्योग को संगठित करने और उसमें व्यावसायिकता पैदा करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) संगमरमर, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 3 (ङ) के तहत् परिभाषित एक गौण खनिज है। उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत् राज्य सरकारों को गौण खनिजों के संबंध में अपनी गौण खनिज रियायत नियमावली बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। इनके तहत् वे गौण खनिजों के खनन/खदान पट्टों की मंजूरी की विनियम करते हैं। इसीलिए संगमरमर के लिए खनिज रियायतों की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले नियमों में एकरूपता नहीं है और वे प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हैं।

(ख) और (ग) हाल ही में, केन्द्र सरकार ने संगमरमर विकास पर ग्रुप (जी एम डी) गठित किया है जो ग्रेनाइट विकास परिषद् (जी डी सी) के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। इसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ संगमरमर खदानों की स्थिति का आवधिक रूप से आकलन और पुनर्विलोकन करना, खदानों में प्रयुक्त खनिज प्रौद्योगिकी के शीघ्र विकास हेतु उपाय करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और वैज्ञानिक विदोहन के लिए उपाय करना, संगमरमर उत्पादों और इसके निर्यात के मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी के लिए उपाय करना शमिल है। जी एम डी के गठन से देश के संगमरमर उद्योग को दीर्घावधि में लाभ मिलने की आशा है।

वाहनों के लिए मूल्यह्रास मानदण्ड

403. श्री अनंत गुढे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटर वाहन और संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ट्रकों/व्यापारिक वाहनों और अन्य मदों के लिए मूल्यह्रास मानदण्डों में छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में लिए गए निर्णयों और अर्थव्यवस्था में मंदी से उबरने हेतु विचाराधीन/प्रस्तावित अन्य आर्थिक प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) सरकार प्रत्यक्ष कर उपबन्धों के विभिन्न पहलुओं पर वार्षिक बजट अभ्यास के रूप में विचार करती है। इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया, यदि कोई होगी, तो उसे वर्ष 2000-2001 के वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा।

(ख) से (घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भाग (ख), (ग) और (घ) के प्रश्न नहीं उठते।

रबड़ का आयात

404. श्री कोडीकुनील सुरेश :

श्री के. मुरलीधरन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के आयात का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी प्राकृतिक रबड़ आयात की गई ?

(ग) क्या सरकार को रबड़ आयात बंद करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्राकृतिक रबड़ के आयात को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है और आज तक की स्थिति के अनुसार केवल लाइसेंस पर ही इसके आयात की अनुमति दी जाती है। अप्रैल-नवम्बर 1999 के दौरान 13149 टन प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत 20.2.1999 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आवासीय ऋण

405. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवासीय ऋण पर ब्याज दर 10 प्रतिशत से कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि आवास ऋणों पर ब्याज-दर को घटाकर 10 प्रतिशत से कम कर दिया जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन के लिए नया विनियामक तंत्र

406. श्री किरीट सोमैया :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन तथा देश में चल रहे विभिन्न विदेशी चैनलों और केबल आपरेटरों के लिए कोई नया विनियामक तंत्र गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई के केबल आपरेटरों के किसी प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से आग्रह किया है कि विदेशी चैनलों के एकाधिकारवादी शोषण से बचने के लिए उनकी सहायता की जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या दूरदर्शन को एक प्रमुख लोक सेवा प्रसारण माध्यम के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) प्रसारण के विभिन्न पहलुओं के लिए एक विनियामक तंत्र की व्यवस्था करने की दृष्टि से सरकार द्वारा संसद में एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ऑल इंडिया केबल आपरेटर्स एसोसिएशन तथा ब्रिस्का, मुम्बई ने अपने दिनांक 26 जनवरी, 2000 के अभ्यावेदन में केबल आपरेटरों के साथ विदेशी उपग्रह चैनलों के पारस्परिक संबंध को विनियमित करने का अनुरोध किया है। प्रसारण के संबंध में प्रस्तावित विधान को अंतिम रूप देते समय इस मुद्दे तथा केबल टेलीविजन नियमन संबंधी अन्य मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा।

(च) और (छ) हमारे देश में प्रसार भारती (दूरदर्शन तथा आकाशवाणी) एकमात्र लोक सेवा प्रसारक है। सरकार इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। प्रसार भारती के कार्यकरण का अध्ययन करने और प्रसार भारती में गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसके संगठनात्मक स्वरूप, प्रणालियों एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु एक समिति भी गठित की गई है।

बर्लिन में हुआ जी-20 शिखर सम्मेलन

407. श्री आर.एल. भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बर्लिन में दिसम्बर, 1999 के तीसरे सप्ताह में हुए जी–20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न देशों में बार–बार आने वाले वित्तीय संकट को कम करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु उपायों पर चर्चा की गई थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को और अधिक स्थिर बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रियों और जी–20 के सेन्ट्रल बैंक गवर्नरों ने अपने–अपने देशों की अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के समक्ष आ रही प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा की। यह स्वीकारते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के निर्माण के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय नीतियों का होना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, उन्होंने अप्रत्याशित झटकों से बचाव के रूप में राष्ट्रीय तुलन पत्रों को सुदृढ़ करने के महत्त्व पर भी ध्यान दिया। उन्होंने प्रभुसत्तात्मक ऋण प्रबंधन को मजबूत करने के उपायों का प्रोत्साहित किया और यह स्वीकार किया कि अवहनीय विनिमय दर प्रणालियां आर्थिक कमजोरी का महत्त्वपूर्ण स्रोत है और यह भी कहा कि सुसंगत विनिमय दर और मौद्रिक नीति अत्यावश्यक है। उन्होंने वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए घरेलू नीति से संबंधित संभावित अनेकानेक तरीकों पर विचार–विमर्श किया और संकटों के समक्ष प्रकट होने वाली कमजोरी को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के संबंध में विचारों का आदान–प्रदान किया। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि पारदर्शिता, आंकड़ों के प्रचार और वित्तीय क्षेत्र की नीति सहित प्रमुख क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संहिताओं और मानकों के अधिक व्यापक कार्यान्वयन से अधिक समृद्ध घरेलू अर्थव्यवस्था तथा अधिक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र उभरेगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

408. श्री नरेश पुगलिया :

श्री राधा मोहन सिंह :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

डॉ. संजय पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अंतिम रूप दिया है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना (सीआरएस) पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक–वार कितने कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है; और

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क), जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कारगली धोवनशाला में सीसीसीटी मशीन का प्रतिस्थापन

409. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या खान और खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. की कारगली धोवनशाला के क्रास कंट्री कन्वेयर ट्रांसपोर्टेशन मशीन कब लगाई गई थी और उसकी लागत कितनी है;

(ख) क्रास कंट्री कन्वेयर ट्रांसपोर्टेशन मशीन को प्रतिस्थापित करने के बाद कोयले का परिवहन करने से कितना वार्षिक घाटा हुआ/मुनाफा कमाया गया और 1.6.1999 से इस मशीन का इस्तेमाल बंद करने के बाद कोयले का परिवहन करने से कितना घाटा हुआ/मुनाफा कमाया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस मशीन को बेच दिया है अथवा बेचने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) सितम्बर, 1986 में कारगली वाशरी में 4 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश से क्रॉस कंट्री कन्वेयर परिवहन मशीन (सी.सी.सी.टी.) की स्थापना की गई थी;

(ख) चूंकि सी.सी.सी.टी. कारगली वाशरी का एक भाग था, अतः इसके लिए अलग से कोई लेखा नहीं रखा गया। किन्तु एक दल द्वारा वर्ष 1998–99 के किए गए अध्ययन के अनुसार सी.सी.सी.टी. से उस समय उपलब्ध कोयले की प्रति टन परिवहन लागत 44.76 रुपए प्रति टन थी, जबकि सी.सी.सी.टी. के बंद किए जाने के बाद अकोककर कोयले के लिए वर्तमान परिवहन लागत 28.28 प्रति टन है।

(ग) से (ङ) कन्वेयर ढांचा और सी.सी.सी.टी. के अन्य भागों को अलग किया जा रहा है और उन्हें कंपनी में यथापेक्षित उपयुक्त स्थलों पर उपयोग में लाया जाएगा। सी.सी.सी.टी. कन्वेयर प्रणाली के उपयोग पर से.को.लि. द्वारा गठित एक समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए :

(i) योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए बोकारो ओ.का.प. को बढ़ाने के लिए सी.सी.सी.टी. को हटाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ढांचा योग्य क्षेत्र में गिर रहा है।

(ii) दामोदर नदी विपथन परियोजना के पूरे होने और पर्याप्त मात्रा में कारगली वाशरी के लिए कोककर कोयले की उपलब्धता के बाद, कारगली वाशरी के विभिन्न विभागों में कोककर कोयले के परिवहन किए जाने के लिए सी.सी.सी.टी. को नई आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है।

रबड़ की खरीद

410. श्री पी. सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रबड़ का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों से रबड़ खरीदी है;

(ग) यदि हां, तो एक फरवरी 2000 तक कुल कितनी रबड़ खरीदी गई है;

(घ) क्या इस प्रकार खरीदी गई कुछ रबड़ जारी की गई अथवा बेची गई अथवा उसका अन्यथा निपटान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का इरादा और रबड़ खरीदने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1999–2000 के दौरान 6.25 लाख टन प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

(ख) से (ङ) भारत सरकार ने एसटीसी के जरिए 1 फरवरी, 2000 तक रूबको, रबड़ मार्क और रबड़ डीलरों से 29,427 मी.टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। इसमें से अभी तक 26,096 मी.टन की मात्रा बेची/निर्यात कर दी गई है।

(च) और (छ) एस टी सी का यह आदेश है कि वह प्राकृतिक रबड़ की खरीद जारी रखे और अग्रिम लाइसेंस धारकों को उनके द्वारा की गई मांग पर उसकी आपूर्ति करे।

मोदी टेलीफाइवर्स का तुलन-पत्र

411. श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीआईएफआर ने ऋणदाताओं द्वारा खातों में हेराफेरी के आरोपों के बाद पंजाब नेशनल बैंक से मोदी टेलीफाइबर्स से तुलन–पत्र की जांच करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो जांच से निकले निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खातों में उक्त हेराफेरी करने के लिए सरकार द्वारा मोदी टेलीफाइबर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपड़ा मिलों के उत्पादन में कमी

412. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा, विद्युतकरघा और मिलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण ये सभी क्षेत्र घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1994–95 और 1995–96 की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान मिलों में कपड़े के उत्पादन में भी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सभी क्षेत्रों में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं या करने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 को छोड़कर, जबकि वस्त्र उद्योग के समस्त क्षेत्रों में कपड़े के उत्पादन पर प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हथरकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र में फैब्रिकों के उत्पादन की वृद्धि इन क्षेत्रों का विकास दर्शाती है। तथापि, मिल क्षेत्र में फैब्रिकों के उत्पादन में निरंतर गिरावट रही है। पिछले पांच वर्षों में हथकरघा, विद्युतकरघा और मिल क्षेत्र द्वारा निर्मित कपड़े के उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	मिल क्षेत्र	हथकरघा क्षेत्र	विद्युतकरघा क्षेत्र
1994–95	2271	6180	15976
1995–96	2019	7202	17201
1996–97	1957	7456	19352
1997–98	1948	7603	20951
1998–99	1785	6792	20690
1999–2000(अ) अप्रैल–दिसंबर	1261	5500	16998

(ग) और (घ) मिल क्षेत्र में स्पन यार्न और फिलामेंट यार्न का उत्पादन पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, लेकिन कपड़े के उत्पादन में गिरावट आ रही है। संगठित क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन में गिरावट आने की प्रवृत्ति का कारण मुख्यतः विद्युतकरघों की अत्यधिक लागत प्रभारिता के कारण क्षेत्र के अवस्थापना संबंधी परिवर्तन के फलस्वरूप मिलों की करघा क्षमता में गिरावट आना रहा है।

(ङ) वस्त्र उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(1) सरकार हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इनमें प्रोजेक्ट पैकेज योजना, कार्यशाला–सह–आवास योजना, बचत निधि योजना, सामूहिक बीमा योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना, स्वतंत्र डिजाइनर योजना, निर्यात विकास योजना, विकेन्द्रीकृत बुनकर प्रशिक्षण योजना, मिल गेट कीमत पर यार्न की आपूर्ति की योजना और हैंक यार्न दायित्व योजना आदि शामिल हैं।

(2) उचित कीमतों पर उत्कृष्ट कपास की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है ताकि कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(3) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए उसके प्रौद्योगिकी स्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने 1.4.1999 से 31.3.2004 तक के पांच वर्षों के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है। योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना के लिए ऋणदात्री एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% बिंदु की प्रतिपूर्ति की योजना में व्यवस्था होगी।

वस्त्र आयात के संबंध में यूरोपियन कमीशन के साथ मतभेद

413. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय कमीशन के बीच एक वर्ष पुराना वस्त्र व्यापार संबंधी मतभेद समाप्त हो गया है;

(ख) इस निर्णय से वस्त्र आयात में किस हद तक सहायता पहुंची है;

(ग) यदि हां, तो कौन–कौन से मुख्य निर्णयों पर सहमति हुई है; और

(घ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) वर्ष 1994 में भारत और यूरोपीय कमीशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2 के अनुसार भारत ने समझौता ज्ञापन में उल्लिखित मदों पर प्रभार बाध्यताएं अधिसूचित की हैं। विशिष्ट रियायतें प्रदान करने संबंधी मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

बाध्यताओं को अभी भी व्यावहारिक रूप दिया जाना है और इसीलिए आयात पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है।

चर्म शोधशालाओं का आधुनिकीकरण

414. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य–वार कुल कितनी चर्म शोधशालाएं काम कर रही हैं और इनकी उत्पादन क्षमता, वास्तविक उत्पाद और इनमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) चर्म शोधन उद्योग के सामने आ रही प्रमुख समस्याएं क्या हैं;

(ग) इन समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित/चालू आधुनिकीकरण कार्यक्रम और वैश्विक रूझान के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए किए गए निवेश/प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मूर्ति समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.12.99 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 2091 चर्म शोधनशालाएं थी। भारत में तैयार चमड़े का वार्षिक उत्पादन लगभग 1800 मिलियन वर्ग फुट है जिसमें 40 मिलियन खालें 110 मिलियन हाइड्स त्वचा (स्किन) हैं। चर्म शोधनशालाओं के संगठित क्षेत्र में अनुमानित रोजगार निम्न प्रकार हैं :

तमिलनाडु	36719
उत्तर प्रदेश	16926
पश्चिम बंगाल	8403
पंजाब	1942
आंध्र प्रदेश	1906
महाराष्ट्र	1114
कर्नाटक	1026
अन्य	4364
जोड़	72400

(ख) चर्मशोधन उद्योग द्वारा, विशेषकर लघु क्षेत्र में जिन प्रमुख समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनमें वे शामिल हैं : सीमित संसाधन और पूंजी तक पहुंच, स्वदेशी कच्चे माल को विशिष्ट गुणवत्ता वाले तैयार चमड़े में परिवर्तित करने की अक्षमता पुरानी व सीमित अवसंरचना के कारण उत्पादकता का धीमा स्तर और गुणवत्ता में अस्थिरता।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम, भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम और चमड़ा प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत चर्म शोधनशालाओं के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) विकेन्द्रीकृत चर्म शोधन शालाओं का प्रौद्योगिकीय उन्नयन।

(2) चर्म शोधनशालाओं के बहिःस्राव की समस्या से निपटने के लिए उद्योग द्वारा आरम्भ किये जा रहे उपाय।

(3) प्रमुख चर्म शोधन समूहों में सामान्य बहिःस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना और चर्म शोधकों द्वारा स्वयं व्यक्तिगत उपचार संयंत्रों की स्थापना करना।

(4) चर्म शोधनशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(घ) सरकार ने चर्म शोधनशालाओं को नितांत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 18.1.2000 से चर्म शोधनशाला आधुनिकीकरण योजना आरम्भ की है ताकि ये अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर सकें और अपनी क्षमता में सुधार कर सकें। इस योजना के अंतर्गत अनुमानित कुल परिव्यय की राशि 40.75 करोड़ रुपये है जिसमें 9.45 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता राशि भी शामिल है।

(ङ) मूर्ति समिति की रिपोर्ट के निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की गई है :

(1) चर्म शोधन शालाओं द्वारा प्रौद्योगिकीय उन्नयन पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी प्रौद्योगिकियों, प्रक्रिया नियंत्रण व ऑटोमेशन का लक्ष्य हासिल करने में सहायता देने के लिए चर्म शोधनशाला आधुनिकीकरण योजना शुरू करना।

(2) पूंजीगत वस्तुओं संघटकों और उपभोज्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना।

(3) भारतीय चमड़े और संबद्ध उत्पादों की निर्यात संभाव्यता का मूल्याकंन करने और नये बाजारों का पता लगाने के लिए आयातक देशों में व्यापार शिष्टमंडलों को भेजना।

(4) कच्चे माल की स्वदेशी उपलब्धता को बढ़ाना।

फिक्की के सुझाव

415. **श्री. ए. नरेन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिक्की ने सरकार से भविष्य निधि की दरों में कटौती करने और आयकर अधिनियम 1961 में उपयुक्त परिवर्तन कर विक्रय और अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने सरकार से भविष्य निधि पर ब्याज दरों में कटौती करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने बजट–पूर्व ज्ञापन में कम्पनी पुनर्गठन हेतु अनेक सुझाव भी दिए हैं, जिनके लिए आय कर अधिनियम, 1961 में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित होगा।

(ग) सामान्य भविष्य निधि तथा कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दरों की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है और इन्हें अधिसूचित किया जाता है। वर्ष 2000–2001 के लिए ब्याज दरें निर्धारित किया जाना अभी शेष है। दूसरे, कम्पनी पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्त विधेयक 2000 में शामिल होगी।

[हिन्दी]

एच.एम.टी. अजमेर

416. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की अजमेर इकाई के उन्नयन, पुनरुद्धार और विस्तार तथा इसे लाभ कमाने योग्य बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) इस इकाई को हो रहे घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त इकाई के कितने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त किया गया है;

(घ) क्या उन्हें सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए गए;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) मौजूदा परिस्थितियों में एचएमटी को और ज्यादा प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए एक टर्नअराउन्ड प्लान, जिसमें वित्तीय, संगठनात्मक और कामगारों का युक्तिकरण करना परिकल्पित किया गया है, विचाराधीन है। यह प्लान इसकी अजमेर यूनिट कंपनी की लाभप्रदत्ता को बेहतर करेगा।

(ख) अजमेर इकाई के घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

- इस इकाई के उत्पादन कार्य में मुख्य रूप से ग्राइंडिंग मशीने हैं जो देश/विदेश, दोनों में ही, बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्द्धात्मक हैं।
- बाजार स्वयं ही मंदी में है।
- कामगारों का अधिक होना उच्च कार्मिक लागतों का परिणाम है।
- उच्च ब्याज भार।

(ग) अक्टूबर 1992 से अजमेर इकाई के जिन कर्मचारियों ने वीआरएस ली है उनकी संख्या 249 है।

(घ) अजमेर इकाई के उन कर्मचारियों जिन्होंने वीआरएस ली है, को अनुग्रहपूर्वक (Ex. gratia), ग्रेज्युटी, भविष्य निधि और छुट्टी भुनाना इत्यादि का भुगतान कर दिया गया है। 1.1.1992 से वेतन में संशोधन होने के परिणामस्वरूप देय राशि का भुगतान कंपनी के न तो कार्यरत और सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को किया गया है।

(ङ) से (छ) 1.1.1992 से वेतन में हुए संशोधन के फलस्वरूप बकाया का भुगतान न करने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि 1.1.1992 से वेतन में संशोधन के फलस्वरूप बकाया के भुगतान को, जैसा कि कर्मचारियों ने सहमति जताई है, कंपनी की स्थिति सुधरने तक टाल दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम

417. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों विशेषकर बिहार के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम हेतु कितने गांवों को अपनाया गया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार कितने गांवों को अपनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इन क्षेत्रों के आदिवासियों को कौन–कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) ये मुद्दे सारे देश में राज्य और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित है। इन पहलुओं के सम्बन्ध में ब्यौरा सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उद्यम की परिधि के भीतर आता है और सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

मंहगाई भत्ते की किस्त

418. श्री अनन्त नायक :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी मूल्य सूचकांक में तीव्र वृद्धि होने के कारण मंहगाई भत्ते की एक और किश्त के हकदार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों को कितने प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई को किया जाता है तथा जिसका भुगतान क्रमशः मार्च एवं सितम्बर माह के वेतन के साथ किया जाता है। पहली जनवरी से दी जाने वाली किस्त सामान्यतः मार्च महीने के वेतन के साथ देय होती है जिसका भुगतान अप्रैल माह में किया जाता है तथा 1.1.2000 से देय मंहगाई भत्ते की दरों में संशोधन संबंधी निर्णय इसके देय होने से पहले–पहले कर लिया जाएगा।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ब्याज दर योजना

419. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने परिवर्तनशील ब्याज दर योजना लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी छः नयी योजनाओं को आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि वह "अस्थिर ब्याज दर योजना" को लागू करने पर विचार कर रहा है जिसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। आईडीबीआई कुछ नई योजनाएं चलाने पर भी विचार कर रहा है जो इस समय तैयार की जा रही हैं।

(ङ) और (च) इस समय सरकार के पास आईडीबीआई अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशी निगमों द्वारा भारतीय करेंसी का मुद्रण

420. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में भारतीय करेंसी छापने के लिए विदेशी निगमों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति देने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लोक उद्यमों को बजटीय सहायता

421. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक उद्यमों को बजटीय सहायता में 1990–91 से भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ लोक उद्यमों को विश्व जमा प्राप्तियों जैसे साधनों के माध्यम से संसाधन बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश में नए उद्यमों ने अपनी योजनाओं जिन्हें ग्रामीण विकास और जिला उद्योग विभागों द्वारा स्वीकृति दी गई थी, को वित्तपोषित न करने के लिए एस.बी.आई. के विरुद्ध आंदोलन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और नए उद्यमियों का ब्यौरा क्या है और 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान उन्हें कितनी अग्रिम धनराशि दी गई ?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों को दी जाने वाली बजटीय सहायता वर्ष –दर – वर्ष भिन्न–भिन्न होती है, जो उद्यमों की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होती है। वर्ष 1990–91 एवं 1997–98 तक दी गई बजटीय सहायता का ब्यौरा उपलब्ध है और उनका विवरण 26.2.1999 को संसद में प्रस्तुत लोक

उद्यम सर्वेक्षण, 1997–98 के खण्ड –I की तालिका 1.22 में दिया गया है। उक्त सर्वेक्षण एक प्रकाशित दस्तावेज है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जी. डी.आर./ए.डी.आर./एफ.सी.सी.बी. आदि के माध्यम से संसाधन जुटाने से रोका नहीं गया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उपक्रम स्थापित नहीं किया गया है।

भारतीय व्यापार केन्द्र

422. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रेरित करने और उसे सारणीबद्ध करने के लिए विदेशों में भारतीय व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो व्यापार केन्द्रों के संक्षिप्त उद्देश्य क्या हैं;

(ग) देश–वार अब तक कितने व्यापार केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं; और

(घ) कितने और केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : (क) से (ग) भारतीय व्यापार केन्द्र (आई.टी.सी) की स्थापना फरवरी 1980 में ब्रुस्सेल्स में की गई थी। केन्द्र के कार्यकलाप विवेकपूर्ण विपणन, विभिन्न वाणिज्यिक पहलुओं और पैकेजिंग संबंधी आवश्यकताओं की सूचना, व्यापार मेला भागीदारी में सहायता, क्रेता–विक्रेताओं की बैठकों और कार्यशालाओं/संगोष्ठियों संबंधी सूचनाएं एकत्र करने पर केन्द्रित है। अक्टूबर, 1995 में भारत सरकार ने भारतीय व्यापार केन्द्र का वित्त–पोषण करना बंद कर दिया था और इसे ब्रुसेल्स स्थित भारतीय दूतावास के साथ विलयित कर दिया था।

भारतीय व्यवसाय केन्द्र की स्थापना भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से दिसंबर, 1997 में ताशकंद में की गयी थी जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों तथा उनके निर्यात संवर्धन प्रयासों में मदम करना था।

भारत सरकार ने सितम्बर, 1999 में ताशकन्द स्थित भारतीय व्यवसाय केन्द्र को वित्त–पोषण करना बंद कर दिया था। यह केन्द्र भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा चलाया जा रहा है।

(घ) कोई और व्यापार केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बुनाई केन्द्रों की स्थापना

423. डॉ. बलिराम :

श्री पुन्नूलाल मोहले :

श्री पी.आर. खूंटे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में वस्त्र उद्योगों और बुनाई केन्द्रों की स्थापना करने हेतु अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ नए बुनाई केन्द्र भविष्य में खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 1991 में उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा करने और कुछ मदों के लिए कुछ शर्तों के अंतर्गत लाईसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में केवल एक "औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन" प्रस्तुत करने पर क्षमता सृजन पर प्रतिबंधों के बिना बुनाई एककों सहित वस्त्र एकक स्थापित किए जा रहे हैं। उपर्युक्त उदारीकृत उपायों से उद्यमियों को अपने निजी वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने के प्रति सक्रिय रूप से प्रोत्साहन मिला है।

(ग) से (ङ) बुनाई एककों की स्थापना द्वारा बुनाई की क्षमता में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है। चूंकि ऐसा निजी पहल से किया जाता है, इसलिए इसके राज्य–वार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

पोलियस्टर स्टेपल फाइबर को डम्प किया जाना

424. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आयोग ने पोलियस्टर स्टेपल फाइबर की डम्पिंग के लिए कुछ भारतीय कंपनियों के विरुद्ध जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पोलियस्टर स्टेपल फाइबर के भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) यूरोपीय आयोग ने पोलियस्टर स्टेपल फाइबर के विनिर्माण में लगी पांच भारतीय कंपनियों नामतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल), इंडो रामा सिंथैटिक्स, इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (आई ओ सी), जे सी टी फाइबर्स और जे.के. कारपोरेशन के विरुद्ध 21 दिसम्बर, 1999 से इस आरोप के आधार पर पाटन–रोधी जांच आरंभ की है, कि भारत से पोलियस्टर स्टेपल फाइबर के आयातों की मात्रा में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है, पाटन का अत्यधिक उच्च मार्जिन है आदि। यूरोपीय आयोग द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18, फरवरी 2000 थी।

(ग) वस्त्र मंत्रालय सिंथैटिक और रेयान टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल (एस आर टी ई पी सी) के जरिए पोलियस्टर स्टेपल फाइबर के भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, जिसे भारतीय कंपनियों की रक्षा करने और वकील करने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने और भारतीय दूतावास, ब्रुसेल्स के जरिए यूरोपीय आयोग के साथ पारस्परिक समन्वय करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

बाल कलाकारों के लिए योजना

425. श्री रामशकल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल कलाकारों के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बाल कलाकारों को कौन–कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं तथा इन सुविधाओं को प्रदान करने के मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कितने बाल कलाकारों की भर्ती की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) स्वर परीक्षा के बाद विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अनुबंध/समनुदेशन के आधार पर बाल कलाकार बुक किए जाते हैं। उन्हें निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाता है।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में किसी बाल कलाकार की भर्ती नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग द्वारा निर्यात

426. श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लघु उद्योग एककों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) नई योजनाएं शुरू किए जाने पर लघु उद्योग एककों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राज्य और जिला स्तर संगठन के माध्यम से लघु उद्योग के लिए उपलब्ध नेटवर्क/संस्थागत सूचना संबंधी सुविधाओं और निर्यात संवर्धन योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा विशेष रूप से निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है।

(घ) इस समय सरकार दो निर्यात संवर्धन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, नामतः (क) अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी और (ख) निर्यात हेतु पैकेजिंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये योजनाएं देश–भर में फैले 28 क्षेत्रीय कार्यालयों, जो लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस आई एस आई) कहलाते हैं, के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य स्तर पर एस एस आई इकाइयों के लाभ के लिए ये नामतः योजनाएं उपर्युक्त एस आई एस आई के जरिए प्रचालित की जाती हैं।

अपराह्न 12.08 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) प्रेस परिषद (सदस्यों के नामनिर्देशन की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1999 जो 18 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रेस परिषद (संशोधन) नियम, 2000 जो 24 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1294/2000]

(2) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1295/2000]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) ऑफथैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑफथैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1296/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 27(अ) जो भारत के राजपत्र में 10 जनवरी, 2000 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आइसो ब्यूटाइल बेंजीन पर और छह महीनों के लिए प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 33(अ) जो भारत के राजपत्र में 12 जनवरी, 2000 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताइवान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलिक फाइवर जिसमें टो और टॉप्स शामिल है, पर अंनतिम रूप से प्रति–पाटन शुल्क लगाना है, जब उनका निर्यात कंपनी या उसमें बताये गये निर्यातक द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 39(अ) जो भारत के राजपत्र में 13 जनवरी, 2000 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डाइसोडियम कार्बोनेट पर अनंतिम प्रति–पाटन शुल्क प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुझाए गए दरों पर लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 68(अ) जो भारत के राजपत्र में 27 जनवरी, 2000 का प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एसीटोन पर दो वर्ष और छः महीने की अवधि के लिए सुरक्षा शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 69(अ) जो भारत के राजपत्र में 27 जनवरी, 2000 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन देशों या क्षेत्रों से उद्भूत या निर्यातित ऑक्सो–अल्कोहल्स पर उनमें बताई गई दरों पर अनंतिम प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 819(अ) जो भारत के राजपत्र में 24 अक्टूबर, 1999 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय समीक्षा की समाप्ति तक मैसर्स फर्स्ट इंटर कन्टीनेंटल कारपोरेशन, यू.एस.ए. द्वारा निर्यातित बिस्फेनोल–ए को अनुमति देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 824(अ) जो भारत के राजपत्र में 27 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में बताई गई दरों

पर यू.एस.ए., चेक गणराज्य, यूरोपीय समुदाय और कोरिया गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित सोडियम साइनाइड पर प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 828(अ) जो भारत के राजपत्र में 29 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में बताए गए अनुसार उद्भूत या निर्यातित और भारत में आयातित विनिर्दिष्ट ग्रेड के सीमलेसपाइप्स/ट्यूब्स पर अनंतिम प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 830(अ) जो भारत के राजपत्र में 29 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित और भारत में आयातित ऑप्टिकल फाइवर पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 839(अ) जो भारत के राजपत्र में 30 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूस से उद्भूत या वहां से निर्यातित पीटीएफई पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम शुल्क से ज्यादा दर पर उस तिथि से लगाना जिस तिथि को प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 840(अ) जो भारत के राजपत्र में 30 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या 83/99–सी.शु. को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 101(अ) जो भारत के राजपत्र में 9 फरवरी, 2000 को प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन करना है जिससे कि आयातित चीनी पर मूल सीमा शुल्क बढ़कर साठ प्रतिशत हो जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1297/2000]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 823 (अ) जो 27 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 3/89–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 836(अ) जो 30 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत से पहले निर्यातित कॉपर एनोड स्लाइम के विदेश के टॉल स्मेल्टिंग अथवा टॉल प्रोसेसिंग से प्राप्त सोने और चांदी को उतने शुल्क से छूट देना है जो उस राशि से अधिक है जो उस स्थिति में उद्ग्रहणीय होती यदि उक्त सोने और चांदी का मूल्य टॉल स्मेल्टिंग और टाल प्रोसेसिंग भाड़े और बीमा और दोनों ओर के माल भाड़े के बराबर होता तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 837(अ) जो 30 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 20/99–सी.शु. में संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 838(अ) जो 30 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 22/99–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 67(अ) जो 27 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 78(अ) जो 31 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 102(अ) जो 9 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 मई, 1999 की अधिसूचना संख्या 58/99–सी.शु. में संशोधन करना है जिससे आयातित चीनी पर अधिभार को उदग्रहण से छूट मिल सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 785(अ) जो 27 सितम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के प्रयोजन के कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 786(अ) जो 27 सितंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 1048(अ) जो 26 अक्टूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं मे संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है और उसका एक शुद्धिपत्र जो 28 अक्टूबर, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1057(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 1049(अ) जो 26 अक्टूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 1069(अ) जो 25 नवंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 1170(अ) जो 25 नवंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 1303(अ) जो 28 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 1304(अ) जो 28 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजन से कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 825(अ) जो 27 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनका आशय 16 दिसंबर, 1996 की अधिसूचना संख्या 94/96–सी.शु. में संशोधन किए गए हैं तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 5 जनवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 15(अ) जो 5 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 34/97–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 59(अ) जो 21 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 34/97–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 74(अ) जो 28 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें वर्णित 8 अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 75(अ) जो 28 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें वर्णित 3 अधिसूचनाओं

में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1298/2000]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 818(अ) जो 24 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 9/96–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 815(अ) जो 23 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 5/99–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 829(अ) जो 29 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 5/99–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 843(अ) जो 31 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें वर्णित 2 अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 49(अ) जो 17 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें वर्णित 2 अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 79(अ) जो 31 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाट रि–रोलिंग मिल्स और इण्डक्शन फर्नेस यूनिट्स, जो उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आधार पर शुल्क अदा कर रही हैं, द्वारा अगस्त, 1997 के दौरान विनिर्मित और निकासी किए गए गैर मिश्रित इस्पात के हाट रि–रोल्ड उत्पादों और पिंडों और छड़ों को उतने उत्पाद शुल्क से छूट देना है जितना क्रमशः 300/600 रुपये प्रति मीट्रिक टन से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 100(अ) जो 9 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 33/99–के.उ.शु. में संशोधन करना है ताकि नुमालीगढ़ तेलशोधक कारखाने से निकासी किए गए माल को छूट के दायरे में लाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 73(अ) जो 28 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें वर्णित 4 अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.–1299/2000]

(4) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) दि पोस्ट आफिस टाइम डिपोजिट (अमेंडमेंट) रूल्स, 2000 जो 15 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि पोस्ट आफिस रिकरिंग डिपोजिट (अमेंडमेंट) रूल्स, 2000 जो 15 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूना संख्या सा.का.नि. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दि पोस्ट आफिस (मंथली इन्कम अकाउंट) अमेंडमेंट रूल्स, 2000 जो 15 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दि नेशनल सेविंग स्कीम (अमेंडमेंट) रूल्स, 2000 जो 15 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दि पोस्ट आफिस (मंथली इन्कम एकाउंट) अमेंडमेंट रूल्स, 2000 जो 1 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 80(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1300/2000]

(5) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन)

नियम, 2000 जो 15 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2000 जो 15 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1301/2000]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98(अ) जो 9 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय राजस्थान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को सामान्य बीमा कारोबार के संबंध में प्रदान की गई कराधेय सेवा को उस पर उदग्रहणीय पूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1302/2000]

(7) संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 28 दिसंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1299 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 557(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि 11वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सके।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1303/2000]

(8) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1999 के 29वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी 1304/2000]

(9) 31 मार्च, 1999 के समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण संबंधी समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए एल.टी. 1305/2000]

(10) (एक) इंस्टीट्यूट फार सोशल एंड इकनोमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार सोशल एंड इकनोमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1306/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1307/2000]

अपराह्न 12.09 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 28 फरवरी, 2000 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।
4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक

संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

5. वर्ष 2000–2001 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अनेकता में एकता समेटे गोरखपुर महानगरी में नवम्बर, 1984 में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। अपनी स्थापना काल से ही यह केन्द्र किराये के भवन पर चल रहा है। इस दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सन्त कबीर नगर के अतिरिक्त दक्षिणवर्ती नेपाल सीमा, पश्चिमी बिहार के पूर्वी चम्पारन के कुछ भाग में दिखाई देता है।

सन् 1984 में 84 लाख की लागत से लगभग पांच एकड़ जमीन राप्तीनगर में क्रय की गई थी। 1 जुलाई, 1988 को केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के द्वारा दूरदर्शन केन्द्र का शिलान्यास कार्यक्रम भी सम्पन्न हो चुका है। किन्तु अभी तक काफी प्रतीक्षा के बावजूद स्टूडियो भवन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अतः मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब गोरखपुर दूरदर्शन के स्टूडियों का कार्य प्रारम्भ कराएं।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने की कृपा करें :

(1) भारत में आई एस आई एजेंटों की आंतकवादी और राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों में हो रही वृद्धि।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय सम्मिलित किया जाए :

1. देश भर में विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में जो मतदाताओं की संख्या को लेकर असमानताएं हैं, उसके कारण संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य तुरंत आरम्भ किया जाना चाहिए।

2. देश भर में आतंकवाद को देखते हुए एवं सुरक्षा के खतरों को देखते हुए सरकार एक वर्ष के लिए प्रत्येक युवा के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने की कृपा करें :

1. देश के महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल तीर्थराज पुष्कर (राज.) में सरोवर में भरी हुई रेत और मिट्टी को निकलवा कर उसके प्राकृतिक स्रोतों की खुदाई कर उसमें लाखों तीर्थ यात्रियों के लिए शुद्ध स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

2. ब्यावर जिला अजमेर में स्थित एन.टी.सी. की दो मिलों महालक्ष्मी तथा एडवर्ड मिल में मजदूरों में व्याप्त असंतोष को दूर करने हेतु उनमें क्षमतानुसार उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर उन्हें सुसंचालित करने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.10 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उप–नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उप–नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001

तक की अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) **भारतीय पुनर्वास परिषद**

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 3(3) (ज) और 4(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 3(3) (ज) और 4(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

रेल बजट, 2000—2001

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 16 – बजट (रेल) लेंगे। कुमारी ममता बनर्जी।

(व्यवधान)

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं यहां पर सभी विपक्षी सदस्यों का स्वागत करती हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सादर अभिवादन करती हूं। मैं विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और विपक्षी नेताओं और सभी माननीय सदस्यों का भी सादर अभिवादन करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय रेल के 2000–2001 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रही हूं।

प्रस्तावना

मेरे लिए यह बड़े गौरव का अवसर है कि मैं नई सहस्राब्दि का पहला रेल बजट प्रस्तुत कर रही हूं। मैं रेल परिवार तथा अपनी ओर से आपको और इस सम्मानीय सदन के माननीय सदस्यों को नयी सहस्राब्दि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।

सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी का उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करती हूं। मुझे देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, भारतीय रेल की जिम्मेदारी संभाले अभी चार महीने से थोड़ा ही अधिक समय हुआ है। चार महीने का समय शायद काफी कम है, लेकिन मैं महसूस करती हूं कि किसी भी संगठन की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए यह समय काफी है।

महोदय, मैं नई शताब्दी की शुरुआत पर भारतीय रेलों की वर्तमान स्थिति का संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगी। प्रारंभ से ही रेलों ने देश के आर्थिक और में सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान दिया है। भारतीय रेल 62,800 मार्ग किलोमीटर की प्रणाली होने के नाते एकल प्रबंध के अधीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेलों में 16 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जो प्रतिदिन 8,000 यात्री गाड़ियां और 5,500 माल गाड़ियां चलाते हैं तथा हर रोज 1.36 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं और 12 लाख टन माल की ढुलाई करते हैं। रेलों को सच ही **"देश की जीवन-रेखा"** कहा जाता है। बहरहाल, रेलें आज अपने इतिहास के दोराहे पर आन खड़ी हैं। जहां एक तरफ निष्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित करने की संभावनाएं मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर निष्पादन में गिरावट के खतरे की भी आशंका बनी हुई है।

महोदय, यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो मैं उसके लिए

क्षमा चाहूंगी। महोदय, इस विशाल और वैभवशाली संगठन का सामरिक महत्व की दृष्टि से सशस्त्र सेनाओं के बाद दूसरा स्थान है और इसे, जो कि अभी भी राष्ट्र की परिवहन अवसंरचना का महत्त्वपूर्ण अंग है, पिछले तीन दशकों से अपने हाल पर छोड़ रखा है, महोदय, आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की छोटी सी दूरी पर 16 अप्रैल, 1853 को चली थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश में लगभग 54,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क मौजूद था। आज 25 फरवरी, 2000 को इस नेटवर्क की लंबाई 62,800 मार्ग किलोमीटर है। महोदय, देश में उपनिवेशी राज्य के 94 वर्षों के दौरान जितनी रेल लाइनें बिछाई गई थीं, आजादी के बाद भारत में इन 53 वर्षों के दौरान उसकी एक चौथाई से भी कम लाइनें ही बिछाई जा सकी हैं।

महोदय, सामान्य राजकोष से रेलों को दी जाने वाली पूंजी सहायता, जो पांचवीं योजना में 75% के स्तर तक थी उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्राथमिकताओं में अचानक बदलाव आ गया था। छठी योजना में यह घटकर 58% और सातवीं योजना में 42% हो गयी और अब आठवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में यह 18% के अत्यधिक निम्न स्तर तक आ गयी है। इस कमी को पूरा करने के लिए रेलों को बड़ी मात्रा में बाजार से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लम्बे अर्से तक पर्याप्त निवेश न हो पाने के कारण माल यातायात संचालन में रेलों की भागीदारी 1950–51 के 89% से घटकर अब लगभग 40% ही रह गई है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं इसी से मेल खाती एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी। हालांकि यह दुखद घटना है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलों ने आजादी के आंदोलन और राष्ट्रीय एकता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। वास्तव में, हम यह नहीं भूले हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा भी दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे प्लेटफार्म से ही शुरू हुई थी जब उन्हें एक गाड़ी से इसलिए जबरन उतार दिया गया था कि वह पहले दर्जे में यात्रा कर रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि आजादी के बाद की यात्रा के दौरान भारतीय रेलों को भी इसी प्रकार विकास की गाड़ी से उतार दिया गया है। यह इसलिए हुआ कि एक के बाद एक सरकारों ने रेलों को इस लायक नहीं समझा कि वह देश के विकास की गाड़ी में सर्वोच्च स्थान की हकदार है। बहरहाल, महोदय, मैं इस सदन से अनुरोध करूंगी वह इस बात को ध्यान में रखे कि जब महात्मा गांधी को रेल के डिब्बे से उतार बाहर किया गया था तभी वह राष्ट्रपिता बन सके। महोदय, मुझे पक्का विश्वास है कि भारतीय रेलें भी उसी तरह राष्ट्रीय विकास के परिदृश्य में अपना सही स्थान पाने के लिए संघर्षरत रहेंगी।

महोदय, अब समय आ गया है कि रेलों को नई सहस्राब्दि के शुरू में विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण खोजना होगा। इन चार महीनों की छोटी सी अवधि के दौरान हमने यह दृष्टिकोण तैयार किया है, जिससे अल्पकालीन लक्ष्यों की अपेक्षा दीर्घकालिक लक्ष्यों पर हमारा ध्यान केन्द्रित होगा। मैं अपने भाषण के दौरान रेल परिचालन के प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में इस दृष्टिकोण के बारे में उल्लेख करूंगी। इस देश में 16 लाख रेल कर्मचारियों के साथ मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इस नए दृष्टिकोण के साथ भारतीय रेलें तेजी से विकास और पुनरुत्थान के मार्ग पर चल निकलेंगी। रेलें नई सहस्राब्दि में न केवल यात्रियों और माल का लदान ही करेंगी जैसा कि वे पारंपरिक तौर पर करती आई हैं, बल्कि नई तकनीक के सहारे अपनी उपलब्धियों से देश के भीतर और बाहर दुनिया को अवगत कराएंगी। इस सबके लिए हमें अपनी मानसिकता, अपनी प्रवृत्तियों तथा अपने मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में अत्यधिक परिवर्तन लाना होगा। हमारे नये दृष्टिकोण के आधार चिरप्रतीक्षित सुधार, पुनर्गठन तथा हमारी विकासात्मक योजनाओं के वित्तपोषण के लिए नए तौर–तरीके होंगे।

1998-99 के दौरान वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

महोदय, वर्ष 1998–99 का समय भारतीय रेलों के लिए बहुत कठिन समय रहा है। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय भी उसी वर्ष तथा चालू वर्ष में लागू किए गए थे जिससे कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों पर होने वाले खर्च में वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में मंदी के रूझान के परिणामस्वरूप रेलों के माल यातायात में लक्ष्य की तुलना में 29 मिलियन टन की कमी आई और पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में भी यह 9 मिलियन टन कम रहा। आमदनी में समग्र कमी और यातायात बकायों में हुई वृद्धि के कारण सकल यातायात प्राप्तियां 30,416 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से घटकर 29,619 करोड़ रुपए ही हुईं। कुल संचालन व्यय, बजट अनुमान के 28,411 करोड़ रुपए की तुलना में 27,835 करोड़ रुपए रहा। लेकिन, पेंशन संबंधी दायिताएं 3,830 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में बढ़कर 4,144 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष के अंत में निधि अधिशेष से निकासी 2313 करोड़ रुपये की रही, जबकि संशोधित अनुमान में इसके 1313 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। आंतरिक संसाधनों में कमी को देखते हुए योजनागत खर्च 9500 करोड़ रुपए के बजट स्तर की तुलना में 8,857 करोड़ रुपए तक सीमित रहा। बहरहाल, बाजार से लिया जाने वाला ऋण 2900 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़कर 3217 करोड़ रुपए हो गया।

चालू वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

महोदय, सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि अर्थव्यवस्था में अब तेजी आने से हम माल भाड़े के लदान के 450 मिलियन टन के लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। इसके बावजूद माल ढुलाई की गमन दूरियों में कमी और लदान की जाने वाली वस्तुओं के मिश्र में परिवर्तन के कारण माल भाड़े से होने वाली आमदनी 250 करोड़ रुपए के लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। दूसरी ओर, यात्री यातायात से होने वाली आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो जनवरी, 2000 के अंत तक 7,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से 850 करोड़ रुपये अधिक है। अन्य कोचिंग और फुटकर आमदनी में होने वाली वृद्धि उत्साहवर्धक रही है और इससे रेलों का

माल यातायात से होने वाली आमदनी में कमी को आंशिक रूप से संतुलित करने में मदद मिलेगी। 1999–2000 के बजट अनुमान में राज्य बिजली बोर्डों/बिजली घरों द्वारा रेलों को देय बकाया राशि की वसूली का लक्ष्य 200 करोड़ रुपए रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश यह बकाया राशि नवंबर, 1999 मे बढ़कर 1,491 करोड़ रुपए हो गई है। रेलों द्वारा उच्चतम स्तरों पर किए गए भरपूर प्रयासों के बावजूद बिजली घरों से इन बकाया देय राशियों का कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तदनुसार, वसूली के लक्ष्य को घटाकर 75 करोड़ रुपए करना पड़ा था। अतः सकल यातायात प्राप्तियों को 33,311 करोड़ रुपए से कम करके 33,096 करोड़ रुपए किया गया है।

डीजल तेल पर उपकर लगाने तथा डीजल तेल के मूल्यों में वृद्धि जैसे बजट से भिन्न कारणों की वजह से रेलों के ईंधन बिलों में अप्रत्यक्ष बढ़ोत्तरी हुई है। इसके साथ–साथ कुछ बिजली बोर्डों द्वारा बिजली दरों में पूर्वव्यापी संशोधन करने, कारखाना कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन–बोनस की उच्चतर दरों, परिवार नियोजन भत्ते में संशोधन, उड़ीसा में आए चक्रवात के कारण रेल संपत्ति को हुई क्षति आदि के कारण हमारे ऊपर लगभग 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ पड़ा है।

महोदय, जब मैंने रेल मंत्रालय में अपना पदभार संभाला तो कठिन वित्तीय स्थिति मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। टैगोर जी के शब्दों में मैंने महसूस किया – **"मैं खाली हाथ और मन में आस लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं"** इन अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए कार्यालय संभालने के तत्काल बाद मैंने मितव्ययिता के संबंध में कड़े उपाय अपनाने का निर्णय लिया था जिसमें किफायत तथा मितव्ययिता संबंधी अन्य उपायों के जरिए खर्च में कटौती करना शामिल है। आदर सत्कार, प्रचार, विज्ञापन, उद्घाटन समारोहों, सेमिनारों, यात्राओं तथा कार्यालय संबंधी खर्च के क्षेत्रों में मितव्ययिता संबंधी उपाय किए गए हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इन उपायों से हमें लगभग 850 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय बचत हुई है। इन उपायों से रेलों को अतिरिक्त आवश्यकताओं को मौजूदा अनुदान के भीतर ही रखने में सहायता मिली है। इसमें केवल 50 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि हुई है। तदनुसार, 1999–2000 के बजट अनुमानों में साधारण संचालन व्यय के लिए प्रक्षेपित 25,740 करोड़ रुपए को अब 25,790 करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया है। पेंशन संबंधी दायिताएं भी 3,300 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में बढ़कर 4,094 करोड़ रुपए निर्धारित होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी वजह से रेलों के आंतरिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और तदनुसार, योजना खर्च को पुनर्निर्धारित करके इसे 9,700 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 8,965 करोड़ रुपये किया गया है। मैं सम्माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगी कि योजना खर्च में कटौती करने के कारण संरक्षा संबंधी कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजस्व के गैर-परंपरागत स्रोत

महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, रेलें अत्यधिक वित्तीय कठिनाई के दौर से गुजर रही हैं। दिन–प्रतिदिन के परिचालनों और अनुरक्षण विस्तार संबंधी जरूरतों तथा संरक्षा आवश्यकताओं के लिए खर्च में होने वाली वृद्धि के अनुरूप आमदनियों में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। बाजार ऋणों के मंहगा होने के कारण एक सीमा से अधिक ऋण नहीं लिया जा सकता। यद्यपि रेलों ने, आंतरिक स्रोतों में वृद्धि करने के लिए आमदनी बढ़ाने तथा खर्च में कटौती करने के लिए कई उपाय किए हैं तथापि, वे राजस्व के गैर–परंपरागत स्रोतों का भी पता लगाने की इच्छुक हैं, जैसा कि विश्व की अन्य रेलों में किया जा रहा है। महोदय, इस संबंध में मैंने एक कार्यबल का गठन किया था जिसमें रेलवे और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्यबल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कार्यबल की सिफारिशों को अब समयबद्ध आधार पर कार्यान्वित करने का विचार है। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :

* भूमि और ऊपरी स्थान का वाणिज्यिक उपयोग।
* यात्री गाड़ियों और स्टेशनों, दोनों में, वाणिज्यिक प्रचार।
* मालडिब्बों पर वाणिज्यिक प्रचार।
* समपार फाटकों पर होर्डिंग और बिलबोर्ड लगाना।
* टिकटों तथा गाड़ियों में सप्लाई की जाने वाली छोटी–छोटी मदों जैसी विविध मदों पर वाणिज्यिक प्रचार।
* रेलपथ के साथ–साथ ग्रामीण विपणन के लिए होर्डिंग लगाना।

भारतीय रेलें फालतू पड़ी वाणिज्यिक भूमि का इस्तेमाल करके विभिन्न रेलवे स्टेशनों के नज़दीक एक सौ बजट होटलों और विपणन परिसरों के निर्माण के लिए योजना बना रही हैं।

महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रेल ने हाल ही में आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें परस्पर सहयोग के कई क्षेत्र शामिल हैं। हुडको द्वारा शुरू की जाने वाली एक महत्वपूर्ण गतिविधि, कुछ गलियारों में रेलवे की फालतू भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करना होगी। इससे रेलों को अपनी विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त अतिरिक्त निधियां होंगी। इस संबंध में, इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित गलियारों की पहले ही पहचान कर ली गई है :

(i) दिल्ली–पानीपत

(ii) कानपुर–लखनऊ

(iii) बेंगलूरु–मैसूर

(iv) सियालदह–कल्याणी

(v) चण्डीगढ़–लुधियाना

(vi) बड़ौदा–अहमदाबाद

(vii) विशाखापत्तनम–राजामुन्द्री

महोदय, आप जानते ही हैं कि भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। निःसन्देह हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को एक प्रेरणादायक नारा दिया है। उन्होंने आई. टी. को "इंडिया टुमारो" अर्थात "कल का भारत" के रूप में परिभाषित किया है। उनकी इस दूरदृष्टि के ही अनुरूप अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में हमने ऑप्टिक फाइबर केबुल (ओएफसी) बिछाकर राष्ट्रव्यापी ब्रॉड बैंड दूरसंचार तथा मल्टीमीडिया नेटवर्क का निर्माण करने के लिए सात हजार से अधिक स्टेशनों से गुजरने वाले अपने बासठ हजार किलोमीटर "मार्गाधिकार" का दोहन करने का विनिश्चय किया है। इससे न केवल रेलों की अपनी दूरसंचार अवसंरचना का तेजी से आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी अपितु विभिन्न दूरसंचार ऑपरेटरों तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आई.एस.पी.) के लिए अत्यधिक जरूरी समानान्तर राष्ट्रव्यापी दूरसंचार अवसंरचना की भी व्यवस्था होगी। रेलों को एक विशिष्ट लाभ यह भी है कि हमारा नेटवर्क इस विशाल देश के दूर–दराज के सभी कोनों को जोड़ता है और अधिकांशतः उन ग्रामीण, पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों को कवर करता है जो दूरसंचार की अच्छी सेवाओं से अभी तक वंचित है। भारतीय रेलें पहले ही एक आकर्षक व्यापार योजना का विकास करने के लिए कार्रवाई कर रही है और वे इस परियोजना को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित निगम के माध्यम से किसी उपयुक्त साझेदार के सहयोग से कार्यान्वित करेंगी। इस परियोजना की संकल्पना में पूरे विश्व को एक देश के रूप में माना जाएगा। महोदय, उस संबंध में हमारे प्रयासों से रेलों के लिए अपनी जरूरी विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व भी जुटाया जा सकेगा। इस प्रयोजन के लिए बजट में उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

संरक्षा

महोदय, आज भारतीय रेल जिस बड़ी चुनौती का सामना कर रही है वह है यात्रियों तथा माल यातायात के लिए भी सुरक्षित पारगमन उपलब्ध कराया जाना। मैं इस सम्मानीय सदन के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि रेल परिचालनों में संरक्षा को तथा इसमें यथासंभव अधिकतम निवेशों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायमूर्ति एच. आर.खन्ना की अध्यक्षता वाली रेल संरक्षा सुरक्षा समिति ने गतायु परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन तथा गाड़ी चालन से जुड़े परिचालन कर्मचारियों को पर्याप्त प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

महोदय, संसाधनों की तंगी के बावजूद इन क्षेत्रों में यथासंभव अधिकतम सीमा तथा निवेश बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। मैं अगले वर्ष में रेलों के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने के लिए योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की आभारी हूं। बहरहाल, विशिष्ट रूप से संरक्षा से संबंधित अनुदान की हमारी जरूरत इससे पूरी नहीं हो सकी है जिसकी रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने सिफारिश की है। इसके अलावा, रेलों द्वारा निरंतर निर्वहन की जा रही सामाजिक दायित्व की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हुई है।

महोदय, मैं रेलों द्वारा संरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए कुछेक विशेष उपायों का संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगी। इनमें ड्राइवरों और गार्डों के लिए वॉकी–टॉकी सेट की व्यवस्था, मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलपथ परिपथन, सचल गाड़ी रेडियो प्रणाली के माध्यम से ड्राइवर, गार्ड और निकटतम स्टेशनों के बीच बेहतर दूरसंचार, धुरा काउंटरों द्वारा ब्लाक जांच, रंगीन प्रकाश वाले सिगनल, पैनल अंतर्पाशन, सॉलिड स्टेट अंतर्पाशन और रूट रिले अंतर्पाशन जैसी आधुनिक सिगनल प्रणालियों द्वारा मौजूदा यांत्रिक सिगनल प्रणालियों का बदलाव शामिल है। इनके साथ–साथ, परिचालन से सीधे जुड़े कर्मचारियों की संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का विशिष्ट लक्ष्य रखने वाला एक गहन प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास कार्यक्रम भी आरंभ किया गया है।

महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी होती है कि कोंकण रेल निगम ने एक नया टक्कर–रोधी संरक्षा उपकरण विकसित किया है। जब यह उपकरण इंजनों तथा दूसरे नाजुक स्थलों, ब्रेकयानों, स्टेशनों तथा समपारों पर संस्थापित हो जाएगा तो गाड़ियों की संभावित टक्कर से इस प्रणाली का व्यापक परीक्षण करने के उद्देश्य से अब पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक पायलट परियोजना आरंभ की जा रही है। मेरे विचार से श्री संतोष मोहन देव इससे खुश होंगे। इस पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर सभी क्षेत्रीय रेलों पर इस उपकरण को प्रयोग में लाया जाएगा।

बड़ी संख्या में बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारे प्रयासों में सहायक होने के लिए, मैं माननीय सदस्यों से "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलाड)" के अंतर्गत बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने की सिफरिश करने की भी अपील करती हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, संरक्षा की सबसे पहली शर्त है अच्छे रेलपथ का होना। इसलिए रेलपथ नवीकरण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद रेलपथ नवीकरण के लिए परिव्यय बढ़ाने का हमारा प्रस्ताव है जो आगामी वर्ष के बजट में 2000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा और जो चालू वर्ष में संशोधित परिव्यय की तुलना में लगभग 37% की वृद्धि का द्योतक है।

सिगनल और दूरसंचार की व्यवस्था भी संरक्षा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। महोदय, मुझे सिगनल व्यवस्था और दूरसंचार घटक के लिए परिव्यय में चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय की तुलना में आगामी

वर्ष के बजट में लगभग 26% की वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है।

डीज़ल उपकर का एक हिस्सा अब विशिष्ट रूप से रेल संरक्षा कार्यों पर खर्च के लिए उपलब्ध है। महोदय, हमें आगामी वर्ष इस उपकर से 300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की आशा है जिसे हम पूर्णतः बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने, ऊपरी सड़क पुलों तथा निचले सड़क पुलों के निर्माण पर खर्च करने का प्रस्ताव करते हैं। इससे रेलों पर संरक्षा को और बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, संरक्षा में कभी ढील नहीं दी जा सकती। मैंने दिसंबर, 1999 में अनुदान की पूरक मांगों पर बहस का उत्तर देते हुए वचन दिया था कि संरक्षा हमारी सर्वोपरि चिंता होगी। मुझे खुशी है कि ये बढ़े हुए परिव्यय लाखों यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे।

सुरक्षा

रेल यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा, राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस (रा.रे.पु.), जो संबंधित राज्य के पुलिस दल का ही हिस्सा होती है, के माध्यम से कानून एवं व्यवस्था के कारगर रख–रखाव पर निर्भर करती है। महोदय, रेलों पर सुरक्षा का माहौल सामान्यतः कानून और व्यवस्था की स्थिति का प्रतिबिम्ब होता है।

हाल ही में, इस स्थिति में एक नया और खतरनाक आयाम जुड़ा है और वह है आतंकवादी समूहों द्वारा की जाने वाली हिंसा, भीड़–भाड़ वाले रेलवे स्टेशन तथा पुल, रेलपथ आदि जैसी दूसरी संवेदनशील संस्थापनाएं बम विस्फोटों का लक्ष्य बनी हैं। मैं हाल ही में ऐसी घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करती हूं। महोदय, रेलें आतंकवादी दलों के आक्रोश का आसानी से शिकार बन जाती हैं। हमारे रेल मार्ग की लम्बाई 62,800 मार्ग किलोमीटर है। इन मार्गों पर हम देश के चारों ओर लगभग 13,500 गाड़ियां प्रतिदिन चलाते हैं। ऐसे व्यापक विस्तार के बावजूद हम इस बुराई से निपटने और अपने यात्रियों एवं संस्थापनाओं की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। मैंने हाल ही में सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों के साथ एक बैठक बुलायी थी। गाड़ियों और रेलवे परिसरों में अपराधों की रोकथाम करने के लिए राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल की कारगरता बेहतर बनाने के उपाय तथा तरीके सुझाने के लिए रेलवे तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है।

मालभाड़ा नीति

महोदय, भारतीय रेलों की दूसरी बड़ी चिंता बाजार में अपनी हिस्सेदारी को हाथ से निकलने से बचाना तथा इसमें सुधार करना है। मेरा उद्देश्य है कि नई सहस्राब्दि के पहले दशक के दौरान इसे वर्तमान 40% से बढ़ाकर 50% तक किया जाए। मेरा विश्वास है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें न केवल "संतृप्त–घनत्व वाले नेटवर्क" पर पर्याप्त मात्रा में और समयबद्ध आधार पर लाइन और टर्मिनल क्षमता ही बढ़ानी होगी बल्कि एक बहुमुखी भाड़ा नीति भी बनानी होगी। नई भाड़ा नीति में निम्नलिखित तत्त्व होंगे :–

- उपयुक्त विपणन नीतियों के माध्यमों से गैर–थोक उच्च मूल्य यातायात को रेलों के पास वापिस लाना।
- "वाल्यूम डिस्काउंट योजना" जैसे प्रोत्साहन देना।
- लोकप्रिय मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों पर सामान यान (एसएलआर) में माल अग्रेषकों के लिए लीजिंग मार्ग की पेशकश करना।
- यातायात को आकर्षित करने वाले एक विपणन साधन के रूप में मौजूदा रेल टर्मिनलों तथा निजी तौर पर परिचालित माल भाड़ा टर्मिनलों पर गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराना।
- द्वार से द्वार तक माल इकट्ठा करने और इसकी सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए सपाट मालडिब्बों पर ट्रकों में माल ढुलाई की नई संकल्पना का विस्तार जिसे रॉल–ऑन–रॉल–ऑफ (आरओ–आरओ) भी कहा जाता है, इसे कोंकण रेलवे पर सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।
- निर्धारित समय अनुसूची वाली मालगाड़ियां चलाना और टर्मिनल परिचालन निष्पादित करना।
- सभी क्षेत्रीय रेलों पर स्थापित किए जाने वाले ग्राहक सेवा कक्षों के जरिए उपभोक्ताओं को माल परेषणों की बुकिंग, संचलन और सुपुर्दगी के संबंध में रियल टाइम आधार पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु "माल यातायात परिचालन सूचना प्रणाली" (एफ ओ आई एस) शुरू करना।
- माल यातायात के तीव्र संचलन के लिए तेज रफ्तार वाली सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के पीछे बनने वाले छाया–पथ का उपयोग करना। यह भी एक महत्त्वपूर्ण चीज है। इसके लिए नश्य वस्तुओं सहित उच्च मूल्य वाली चुनिंदा वस्तुओं का तीव्र पारवहन सुनिश्चित करने के लिए संरक्षा संबंधी पर्याप्त पूर्वोपायों के साथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों का अनुसरण करने हेतु तेज रफ्तार वाली मालगाड़ियां निर्धारित की गई हैं।

यात्री सेवाएं

अध्यक्ष महोदय, मैं निःसंकोच यह कह सकती हूं कि रेलें, देश में समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वाधिक वाजिब कीमतों पर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती हैं ये विश्व की अन्य रेलों की तुलना में भी सबसे अधिक सस्ती हैं। देश के चारों ओर आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में बढ़ रही गतिविधियों के साथ–साथ नई यात्री सेवाओं के लिए

निरंतर बढ़ती हुई मांग मौजूद रहती है। इस संबंध में मुझे आम जनता तथा उनके प्रतिनिधियों से हजारों अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

मैं तो चाहूंगी कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए लेकिन, संसाधनों की तंगी और तकनीकी सीमाओं के कारण मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूं, रेलपथ क्षमता, टर्मिनल सुविधाओं तथा सवारी डिब्बों के निरीक्षण के लिए अनुरक्षण लाइन की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। इन सब बातों के मद्देनजर, मुझे निम्नलिखित नई सेवाओं का प्रस्ताव करते हुए प्रसन्नता है :

नई गाड़ियां

मुम्बई–मदुरै एक्सप्रेस

लखनऊ–भोपाल एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

बेंगलूरू–शिमोगा रात्रिकालीन एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

तिरूपति–नागरकोइल (कन्याकुमारी) एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

जोधपुर–बेंगलूरू एक्सप्रेस बरास्ता हुबली, अहमदाबाद (साप्ताहिक)

हावाड़–पुरुलिया एक्सप्रेस (प्रतिदिन)

अजमेर–बेंगलूरू एक्सप्रेस बरास्ता हुबली, अहमदाबाद (साप्ताहिक)

सियालदह–न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)

भागलपुर–रांची वनांचल एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन)

ओखा–देहरादून उत्तरांचल एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(द्वारका, अहमदाबाद, जयपुर और हरिद्वारा के बीच यात्रा करने के लिए)

शालीमार–बांकुड़ा एक्सप्रेस

काकीनाडा–विशाखापत्तनम–नागरसोल लिंक एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

अहमदाबाद–नागपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

सियालदह–अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया पटना साहिब (साप्ताहिक)

बांद्रा टर्मिनस–गांधीधाम एक्सप्रेस (2963/64 बांद्रा–वडोदरा सायाजीनगरी एक्सप्रेस और 9103/04 वडोदरा–गांधीधाम इंटरसिटी एक्सप्रेस को आपस में मिलाकर)

लखनऊ–बलिया–छपरा एक्सप्रेस

वाराणसी–बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

बीकानेर–सूरतगढ़ सेवा

बेंगलूरू–पुट्टापार्ती सेवा

अध्यक्ष महोदय, भारतीय गणतंत्र के 50वें वर्ष में उन तीन स्थानों को सम्मान देने के लिए, जहां स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, अर्थात् बलिया, तामलुक और सितारा को अन्य स्थानों से जोड़ने के लिए जोधपुर–बेंगलूरू एक्सप्रेस, अजमेर–बेंगलूरू एक्सप्रेस, हावड़ा–दीघा एक्सप्रेस (तामलुक और दीघा के बीच नई लाइन के पूरा हो जाने, जिसका इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, इस गाड़ी को चलाया जाएगा) और लखनऊ–बलिया एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं।

महोदय, मुझे यह सूचित करते हुए भी हर्ष है कि मैं अपने पूर्ववर्ती द्वारा पिछले बजट में निजामुद्दीन से कोयम्बटूर (साप्ताहिक) के लिए एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के संबंध में किए गए वायदे को पूरा करने जा रही हूं। यह गाड़ी मार्च, 2000 से चलाई जाएगी। कुछ परिचालनिक कठिनाइयों की वजह से यह गाड़ी पहले नहीं चलाई जा सकी।

फेरों में वृद्धि

(i) सप्ताह में 8563/8564 विशाखापत्तनम–बेंगलूरू : सप्ताह में 4 दिन से प्रतिदिन

(ii) 2951/2952 मुंबई राजधानी : सप्ताह में 6 दिन से प्रतिदिन

(iii) 2953/2954 अगस्त क्रान्ति राजधानी : सप्ताह में 6 दिन से प्रतिदिन

(iv) 1029/1030 पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस : सप्ताह में दो दिन से तीन दिन

(v) 9263/9264 पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस : सप्ताह में एक दिन से सप्ताह में दो दिन

चालन क्षेत्र में विस्तार, गाड़ियों को मेल प्रदान करना, गाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ाना।

(i) 6635/6636 कुर्ला–एर्णाकुलम–नेत्रावती एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक चलाया जाएगा

(इसमें 22 सवारी डिब्बे लगाकर प्रतिदिन 280 शायिकाओं की क्षमता बढ़ाना)

(ii) 5011/5012 गोरखपुर–कोचीन राप्तीसागर एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक चलाया जाएगा

(iii) 7057/7058 बिलासपुर–कोचीन एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक चलाया जाएगा।

(iv) 7081/7082 इंदौर–कोचीन एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक चलाया जाएगा

(v) 6731/6732 बेंगलूरू–मुंबई एक्सप्रेस को तूतीकोरिन तक चलाया जाएगा

(vi) 3287ए/88ए पटना–राउरकेला लिंक एक्सप्रेस को बिलासपुर तक चलाया जाएगा

(vii) 6333/6334 त्रिवेन्द्रम–राजकोट एक्सप्रेस को हापा तक चलाया जाएगा

(viii) 6803/04 हावड़ा–त्रिची एक्सप्रेस को कन्याकुमारी तक (सप्ताह में एक दिन) चलाया जाएगा

(ix) 1095/1096 पुणे–अहमदाबाद अहिंसा एक्सप्रेस को गांधीधाम तक (सप्ताह में एक दिन) चलाया जाएगा

(x) 2475/2476 जम्मू तवी–राजकोट एक्सप्रेस को हापा तक चलाया जाएगा

(xi) 1269/1270 राजकोट–भोपाल एक्सप्रेस को जबलपुर तक (सप्ताह में दो दिन) चलाया जाएगा।

महोदय, मुझे यह घोषित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे पूर्ववर्ती द्वारा किए गए एक और वायदे को पूरा करने का भी मेरा प्रस्ताव है जो 5207/5208 अमृतसर–बरौनी एक्सप्रेस का कटिहार तक तथा 3163/3164 सियालदह–कटिहार एक्सप्रेस का बरौनी तक विस्तार करने के बारे में है। ये दोनों विस्तार मार्च के महीने से शुरू होंगे। कुछ परिचालनिक कठिनाइयों के कारण यह कार्य पहले नहीं शुरू किया जा सका।

हावड़ा और पुरी के बीच अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 201/202 हावड़ा–पुरी पैसेंजर गाड़ी के समयक्रम में परिवर्तन करके 2821/2822 धौली एक्सप्रेस को भुवनेश्वर में मेल प्रदान किया जा रहा है।

जसीडीह और पटना के बीच अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8621/8622 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में धनबाद से सात सवारी डिब्बे जोड़े जाएंगे।

आमान परिवर्तन और नई लाइनों के पूरा हो जाने के बाद शुरू की जाने वाली नई सेवाएं/गाड़ियों के विस्तार

(i) 9031/32 मुंबई सेंट्रल–गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस का भुज तक विस्तार किया जाएगा।

(ii) गांधीधाम और भुज के बीच एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी सेवा चलाई जाएगी।

(iii) मोडासा तक नादियाड और कपडवंज के बीच रेल बस सेवा का विस्तार किया जाएगा।

(iv) पेद्दापल्ली–करीमनगर खंड पर एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी सेवा चलाई जाएगी।

एम.ई.एम.यू. सेवाएं

(i) पटना–मोकाम खंड

(ii) शालीमार–बांकुड़ा खंड

(iii) चेन्नई–अरक्कोणम–रेणिगुंटा खंड

(iv) लखनऊ–कानपुर खंड

(v) श्रीकाकुलम–विशाखापत्तनम खंड

(vi) कट्टपाडि–जोलारपेट्टै खंड

डी.एम.यू. सेवाएं

(i) अमृतसर–पठानकोट खंड

(ii) रांची–गुलबर्गा खंड

(iii) इरोड–त्रिची खंड

श्री पी. सी. थामस (मुवन्तुपुजा) : महोदय मंत्री जी केरल राज्य को भूल गई हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, मैं यहां धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए ... *(व्यवधान)*

यात्री सुविधाएं

महोदय, रेलों की छवि आम तौर पर इसकी यात्री सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हमारा यह निरंतर प्रयास होगा कि हम अपने सम्मानित ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएं। हम जानते हैं कि हम अपने भरसक प्रयासों के बावजूद जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते, ऐसी कुछ समस्याएं हैं, जो उपयुक्त प्रबंधन और "सेवा प्रदान करने की इच्छा" के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही निश्चित रूप से हल की जा सकती हैं। इस विषय में अपने प्रयासों को कई गुणा बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है।

यात्री सुविधाओं में सुधार पर विचार करते समय संसाधनों का अभाव अकसर एक प्रमुख बाधा साबित होता है। दुर्लभ संसाधनों की स्पर्धात्मक मांगों के कारण सभी सीमाओं के बावजूद, यात्री सुविधाओं के लिए मुझे 2000-2001 में 200 करोड़ रुपए के बढ़े हुए आबंटन का प्रस्ताव करते हुए खुशी हो रही है, जो चालू वर्ष की तुलना में 52% वृद्धि का परिचायक है।

उपभोक्ता संपर्क क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए "आदर्श स्टेशन" योजना में इस समय 114 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें से 91 श्रेणी "ए" स्टेशन हैं। मैं अब अगले वर्ष के दौरान सभी 150 "ए" श्रेणी स्टेशनों को आदर्श स्टेशन की परिधि में लाने का प्रस्ताव करती हूं। जिनमें एक वाणिज्यिक परिसर में अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे स्थानीय जनता के लिए रोजगार के काफी अवसर सृजित होंगे। सफाई में सुधार लाने के लिए महत्त्वपूर्ण जंक्शन स्टेशनों और गाड़ियों में सफाई का काम मशीनों द्वारा किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इन प्रयासों में, तकनीकी जानकारी तथा पूंजी निवेश करने वाले निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं।

मेरा प्रस्ताव ग्राहकों के प्रत्यक्ष संपर्क वाले क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पहल करने का भी है। जिन क्षेत्रों में इसे शुरू किया जा रहा है वे निम्नलिखित हैं :

- गाड़ी समय–सारणी तथा यात्री आरक्षण की स्थिति से संबंधित सूचना के लिए इंटरनेट पर आधारित पूछताछ प्रणाली पहल ही कार्य कर रही है।
- यात्री गाड़ियों के चालन के संबंध में रियल टाइम सूचना देने के लिए एक राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) का विकास किया जा रहा है और उसे जल्द ही कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है।
- टेली–बुकिंग शुरू करने के लिए पायलट परियोजना दिल्ली में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है और इसे मुबंई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलूरू, हैदराबाद तथा अहमदाबाद तक भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

मैं सुपरफास्ट रेलगाड़ी की गति से पढ़ रही हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कोई दिक्कत नहीं है।

- रेल यात्री एजेंरों के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनल/इंटरनेट का उपयोग करके आरक्षित स्थान की बुकिंग सुविधाओं का विस्तार।
- स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इंटरनेट पर बुकिंग सुविधा शीघ्र ही आरंभ की जाएगी। संसद पर साइबर कानून पारित किए जाने के बाद क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल से इंटरनेट आधारित आरक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी के जरिए कार्ड टिकटों तथा मासिक सीजन टिकटों को कंप्यूटर आधारित स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों (एस पी टी एम) से बदलने की एक पायलट परियोजना भी शुरू की जाएगी।

महोदय, कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा को अधिकाधिक सुलभ बनाने के लिए प्रमुख उपाय के रूप में मैंने समूचे देश के स्टेशनों में से 80 और स्टेशनों को कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की परिधि में लाने का निर्णय लिया है।

अनेक संसद सदस्यों ने मुझसे अनुरोध किया है।

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय रेलों के इतिहास में पहली बार, आज से, अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन विशेस समय–सारणी जारी की जा रही है। इससे यात्रियों को, सभी महत्त्वपूर्ण मार्गों में से अपने विकल्प चुनने में अत्यधिक सहायता मिलेगी तथा मार्गवर्ती स्टेशनों के यात्रियों को इन गाड़ियों की सटीक समयानुसूची जानने में भी मदद मिलेगी।

चिकित्सा सुविधाएं

जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, आदर्श स्टेशन के रूप में चुने गए 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर अब दवाइयों की एक दुकान भी होगी। ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है कि दवाइयों की इन दुकानों पर यातायात की व्यस्त अवधियों के दौरान इनके स्वयं के डॉक्टर होना भी शामिल है। बेहतर जागरूकता के लिए इस योजना का व्यापक प्रचार किया जाएगा। महोदय, अधिक आपातकालीन दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए लम्बी दूरी की गाड़ियों की सभी 162 जोड़ियों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं को भी मैं अपग्रेड कर रही हूं। रेल मार्गों के साथ स्थित सभी बड़े स्टेशनों और जंक्शनों पर उपलब्ध सभी सरकारी तथा निजी चिकित्सा सुविधाओं का कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस पहले ही तैयार किया जा रहा है। इससे चलती गाड़ियों में आपातकाल के मामले में पूर्व निर्धारित स्थलों से चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने में रेलों को सहायता मिलेगी।

पर्यटन तथा खान-पान संबंधी सेवाएं

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यूनेस्को ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान की है। यह विश्व की दूसरी रेलवे है जिसे यह रुतबा हासिल हुआ है। महोदय, इस अद्वितीय विशिष्टता के अनुरूप तथा घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेरा इस खंड पर सेवाओं और सुविधाओं को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। हम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को दो नए रंगीन डीज़ल रेल इंजन भी दे रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूगी कि भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हो गई है और इसके 1 अप्रैल, 2000 से कार्य शुरू कर देने की संभावना है। इस निगम का कार्य रेल यात्रियों के लिए खान–पान की बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना, घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए पर्यटन की सार्थक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

महोदय, वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण यान जिन्हें आम तौर पर "सैलून" कहा जाता है, भी चर्चा के विषय रहे हैं। यह भी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और मेरे विचार से सदस्य इसे पसंद करेंगे। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन यानों का उपयोग दूर–दराज के क्षेत्रों में निरीक्षण करने तथा दुर्घटना स्थलों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तथापि, कुछ माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि धीरे–धीरे इन सैलूनों का उपयोग वाणिज्यिक और पर्यटन के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भुगतान के आधार पर जनता को ऐसे सैलूनों की उपलब्धता के बारे में व्यापक प्रचार किया जाएगा। महोदय, भारत में पयर्टन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटक दलों की मांग को पूरा करने के लिए ऐसे कुछ सैलूनों का उपयोग वैभवशाली पर्यटक गाड़ियों के रूप में करने का भी मेरा प्रस्ताव है। रेलें, इन सवारी डिब्बों का वाणिज्यिक रूप से उपयोग करके राजस्व तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेंगी।

मुंबई – रत्नागिरी – सिंधुदुर्ग – गोवा – कोल्हापुर – पुणे – अजन्ता – एलोरा – नासिक मार्ग से मुंबई तक "पैलेस ऑन व्हील्स" किस्म की एक नई गाड़ी चलाने का भी प्रस्ताव है। यह रेलवे तथा महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त प्रयास होगा। इसका परिचालनिक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। रेलें, अन्य राज्य सरकारों तथा निजी संगठनों से ऐसे संयुक्त उद्यम प्रस्तावों का स्वागत करेंगी।

उड़ीसा में महा चक्रवात

महोदय, उड़ीसा में महा चक्रवात के बाद राहत तथा पुनर्स्थापन कार्यों में रेलों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका से सदन अवगत है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि कारगिल से प्रभावित सैनिकों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में रेल परिवार की ओर से 21.78 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया है। उड़ीसा चक्रवात राहत कोष में भी 6.58 करोड़ रुपए की दूसरी राशि का अंशदान किया गया है।

"जब घायल हुए थे कारगिल खतरे में पड़ी आजादी
जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी,
संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।"

महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि रेलों ने कारगिल में ऑपरेशन विजय–1999 में शहीद सैनिकों के परिवार जनों के लिए अनन्य रूप से रोजगार के एक हजार अवसर सुलभ कराने का निर्णय किया है। ऐसी नौकरियों के लिए पात्र परिवारों के चयन के तौर तरीके रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उनकी सिफारिश की जाएगी।

अनुसंधान कार्यक्रम

अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर डी एस ओ) जो भारतीय रेल का अनुसंधान एवं अभिकल्प स्कंध है, ने गुणवत्ता प्रबंधन बढ़ाने तथा कार्यविधियों में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए हाल ही में आई एस ओ–9001 प्रमाण–पत्र हासिल किया है। आगामी वर्ष में इस संगठन के कामकाज की संपूर्ण समीक्षा करने का प्रस्ताव है ताकि सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सके। अ.अ.मा. सं. तथा अकादमी/अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर पारस्परिक प्रभाव प्राप्त करने के उद्देश्य से दो विशिष्ट क्षेत्रों में आई आई टी/कानपुर में एक रेल प्रौद्योगिकी कोष्ठ की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

कोंकण रेल निगम लिमिटेड

अपने परिचालन के दो वर्षों में यह निगम उतना ही राजस्व जुटा पाया है, जो इसके परिचालनिक खर्चों को पूरा करने के लिए ही बमुश्किल पर्याप्त है। निगम को अपनी राजस्व अर्जन क्षमता बढ़ाने तथा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि यह आत्मनिर्भर बन सके। बहरहाल, इस दौरान कोंकण रेल निगम को मुख्यतः ऋण अदायगी दायिता का निर्वाह करने के लिए रेलों की सहायता करना आवश्यक है।

महानगर परिवहन परियोजनाएं

मुंबई की उपनगरीय परिवहन प्रणाली बड़ी संख्या में दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। रेलें इसकी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करती रही हैं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि बेलापुर–पणवेल लाइन का दोहरीकरण परियोजना के इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है। इससे निकट भविष्य में और अधिक गाड़ियां चलाने की सुविधा होगी। सांताक्रुज और बोरीवली के बीच पांचवीं लाइन, बोरीवली–विरार खंड का चौहरीकरण तथा कुर्ला और ठाणे के बीच पांचवीं और छठी लाइन जैसी अन्य परियोजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कलकत्ता महानगर की जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण इस शहर की उपनगरीय परिवहन प्रणाली पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कलकत्ता मेट्रो रेल का टालीगंज से गरिया तक विस्तार संबंधी परियोजना जो पिछले वर्ष ही शुरू की गई थी, को शीघ्र पूरा करने के लिए निधियों का आबंटन बढ़ाकर इसके कार्य में तेजी लाई जाएगी। मैं पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे लागत में अपनी हिस्सेदारी मुहैया कराएं ताकि कलकत्ता के लोग इस सुविधा का शीघ्रतिशीघ्र लाभ उठा सकें। सर्कुलर रेलवे को प्रिंसेपघाट से माजेरहट तक बढ़ाने का कार्य पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। सर्कुलर रेल प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा दैनिक यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मौजूदा सर्कुलर रेलवे को हवाई अड्डे से जोड़ने तथा ताला से प्रिंसेपघाट तक इसको विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया गया है। यह दमदम–ताला खंड के विद्युतीकरण के क्रम में ही होगा जो पहले ही प्रगति पर है। इससे सर्कुलर रेलवे पर ई एम यू सेवाएं चलाना सुसाध्य हो जाएगा। इन भागों पर कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चेन्नई में तिरुमलै से वेलाचेरी तक द्रुत पारगमन प्रणाली के चरण II का कार्य तेजी से मार्च, 2002 में अपने समापन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस संबंध में मैं तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने इस परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि पर बसे लोगों को शीघ्रता से वहां से हटाकर भूमि को खाली कराने में मदद की है जिससे परियोजना निष्पादन में आ रही रुकावट समाप्त हो गई है। चेन्नै बीच –ताम्बरम–चेंगलपट्टु उपनगरीय खंड के आमान परिवर्तन को भी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं और इसका काम शुरू कर दिया गया है।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में मल्टी–मोडल परिवहन सेवाओं का विकास करने के लिए एक संयुक्त उद्यम के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। महोदय, आप

इससे बहुत खुश होंगे। इस उद्यम में रेलों, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्रों की भागीदारी होने की संभावना है।

बेंगलूरू में एक इंटर–मोडल प्रणाली का विकास करने के लिए कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव अभी प्राप्त हुआ है जो इस परियोजना की दो तिहाई लागत भी वहन करने को तैयार हो गई है। भारतीय रेलें इस प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

मुझे हाल ही में चेन्नई सेंट्रल स्टेशन को चेन्नई एग्मौर स्टेशन के साथ जोड़ने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके लिए राज्य सरकार आंशिक रूप से वित्त पोषण करने को तैयार है। इस प्रस्ताव के पूरे फलितार्थों का अध्ययन किया जाना होगा।

मैं आपके माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगी कि सामाजिक दृष्टि से वांछनीय रेल परियोजनाओं के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार से रेलों द्वारा बचाए गए धन को उन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के काम में लगाया जा सकेगा।

उत्पादन कारखाने

वर्ष 1998–99 के दौरान सभी उत्पादन कारखानों अर्थात् चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना/वाराणसी, सवारी डिब्बा कारखाना/पेरम्बूर, रेल कोच फैक्टरी/कपूरथला, डीजल रेल इंजन कारखाना/पटियाला, पहिया एवं धुरा संयंत्र/बेंगलूरू ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए खुशी है कि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन ने स्वदेशी तकनीक से तीन फेज वाले 6000 हार्स पावर के अत्याधुनिक माल गाड़ी रेल इंजन **"नवयुग"** का निर्माण किया गया है। इसी के साथ चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना देश में ऐसे इंजन का निर्माण करने वाला विकासशील देशों में पहला तथा एशिया में दूसरा तथा विश्व में पांचवा कारखाना बन गया है। हमें इस पर गर्व है। डीज़ल कलपुर्जा कारखाना तथा रेल कोच फैक्टरी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त करने के दौर में है और शीघ्र ही आधुनिक डीज़ल रेल इंजन तथा सवारी डिब्बों का उत्पादन करने में समर्थ हो जाएंगे। डीज़ल कलपुर्जा कारखाना ने भी मलेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू आदि जैसे विभिन्न देशों को 1.35 करोड़ रुपए के रेल इंजन कलपुर्जों का निर्यात किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 1998–99 के दौरान रेलों के सार्वजनिक उपक्रमों का निष्पादन संतोषजनक रहा है। वर्ष 1998–99 में **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** ने 413 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 56 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। इसने 11 करोड़ रुपए के लाभांस का भुगतान किया। **रेल इंडिया टैक्निकल एंड इकॉनॉमिक सर्विसेज़ (राइट्स)** ने वर्ष 1998–99 के दौरान 142 रुपए का अपना अब तक का सबसे ज्यादा कारोबार किया, और इसने 10 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया तथा 2 करोड़ रुपए के लाभांस का भुगतान किया। **कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)** ने 685 करोड़ रुपए का कारोबार किया, 141 करोड़ रुपए का लाभ कमाया तथा लाभांस के रूप में 29 करोड़ रुपए का भुगतान किया। **भारतीय रेल वित्त निगम** ने 326 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। इसने भारतीय रेलों के योजनागत संसाधनों की पूर्ति करने के लिए 1998–99 में बाजार से 2,955 करोड़ रुपए जुटाए। इस निगम ने 65 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया।

वार्षिक योजना 2000-2001

महोदय, संसाधनों की अत्यधिक तंगियों के बावजूद हम वर्ष 2000–2001 के लिए योजना परिव्यय 11,000 करोड़ रुपए रखने में सफल हुए हैं जो चालू वर्ष के लिए 8,965 करोड़ रुपए के संशोधित योजना परिव्यय लगभग 23% अधिक है। सामान्य राजकोष से 3,540 करोड़ रुपए की तुलना में पिछले वर्ष से लगभग 40% अधिक है। यह एक ऐसी वृद्धि है जो हाल ही के वर्षों में बहुत अपूर्व है। बाजार से 3,668 करोड़ रुपए का ऋण लेने का प्रस्ताव है। शेष 3,792 करोड़ रुपए को सामान्य आंतरिक संसाधनों और राजस्व के गैर पारम्परिक स्रोतों के मिश्रण तथा रेल संरक्षा निर्माण कार्य के लिए सामान्य राजस्व से किए जाने वाले अंशदान से पूरा किया जाएगा।

इस वार्षिक योजना में क्षमता में वृद्धि और यात्री सुविधाओं में सुधार करने के साथ–साथ संरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। मैं संरक्षा से संबंधित शीर्षों के लिए पहले ही बढ़े हुए परिव्यय का उल्लेख कर चुकी हूं। लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए दोहरीकरण निर्माण कार्यों के लिए आंबटन, संशोधित अनुमान के 552 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 655 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एक आमान योजना शीर्ष के अंतर्गत संशोधित अनुमान में 529 करोड़ रुपए की तुलना में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

नई लाइनें

महोदय, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि मैंने अगले वर्ष में नई लाइनों में किए जाने वाले निवेश में पर्याप्त वृद्धि की है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान में 514 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़ाकर 825 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि 61% की वृद्धि का द्योतक है। इसका उद्देश्य लंबित परियोजनाओं विशेष तौर पर एक दशक से भी अधिक पुरानी कुछेक परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाना है। यह जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई लाइनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भी है। अब मैं उन नई परियोजनाओं का उल्लेख करूंगी, जिन्हें वर्ष 2000–2001 में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी है कि इन सभी परियोजनाओं को आवश्यक मंजूरियां लेने के बाद ही शामिल किया जा रहा है। सर, फाउंडेशन स्टोन लगाकर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों ने क्लियरेंस लेकर एनाउंस किया है।

(i) कोटिपल्ली–नरसापुर

(ii) जोगीघपा–मायनगपुरी

(iii) रामगंज मंडी–भोपाल

(iv) आरामबाग के रास्ते तारकेश्वर–बिशनुपुर

(v) सुल्तानगंज–देवगढ़

(vi) अजमेर–पुष्कर

(vii) गांधीनगर–अद्राज मोती–कलोल

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आपने 54,000 करोड़ रुपये के निवेश का वायदा किया है। गोल्डन क्वाड्रैंगल ...*(व्यवधान)* आपको अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

चालू नई रेल लाइन खंड जो मार्च, 2000 से पहले पूरे किए जाएंगे :

(i) बोगांव–पेट्रापोल

(ii) गोलपारा–कामाख्या

(iii) पेद्दापल्ली–करीम नगर

2000–2001 में पूरा किए जाने के लिए लक्ष्यबद्धघ परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

(i) कपड़वंज–मोडासा

(ii) काशीनगर–काकद्वीप

(iii) एकलाखी–गैजोल

(iv) पुट्टापारथी–पेनूकोंडा

(v) बड़गछिया–मुंशीरहाट

(vi) तामलुक–दीघा

(vii) जोरूरी–बांसपानी

आमान परिवर्तन

निम्नलिखित आमान परिवर्तन परियोजनाओं को बजट में शामिल किया जा रहा है :

(i) काटपाडि–विषुपुरम

(ii) तिरुच्चिरापल्ली–मानामदुरै

(iii) पूर्णा–अकोला–खंडवा

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : ललितपुर – खजुराहो सिगरेनी रेल लाइन का क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी है। ...*(व्यवधान)*

वे खंड जिनका आमान परिवर्तन मार्च, 2000 के पहले पूरा किया जाएगा :

(i) पंढरपुर–कुर्डूवाडि

(ii) काशीपुर–लालकुआं

(iii) अरक्कोणम–चेंगलपट्टू

(iv) यलहंका–यशवंतपुर

(v) मोरबी–मलिया मियाणा

वर्ष 2000–01 के दौरान निम्नलिखित खंडों का आमान परिवर्तन पूरा करने की रेलों की योजना है :

(i) नोनेरा–भिंड, गुना–ईटावा परियोजना का भाग

(ii) रक्सौल–बीरगंज

(iii) माकुम–डांगरी

(iv) आमगुडी–तुली

(v) मैसूर–हसन लाइन पर लक्ष्मणतीर्थ पुल का मार्ग परिवर्तन

(vi) मुदखेड़–अदिलाबाद (बोल्ट)

(vii) वांकानेर–मोरबी

(viii) गांधीधाम–भुज

(ix) धांगधरा–कुडा

दोहरीकरण

चालू वर्ष के दौरान 220 किलोमीटर का दोहरीकरण पूरा किया जायेगा, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए 300 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित नए दोहरीकरण कार्यों को बजट में शामिल किया जा रहा है :

(i) खोरधा रोड–पुरी, चरण–I (खोरधा रोड–देलांग)

(ii) जरवाल रोड–बरहवल (कहीं–कहीं दोहरीकरण)

(iii) सोनापुर से कैनिंग, चरण–I (सोनारपुर–घुटियारी शरीफ)

(iv) पणवेल–वसाई–जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

(v) बारीयुपुर से लक्ष्मीकांतपुर, चरण–I (बरियपुर–दक्षिण बारासत)

(vi) गूटी–रेणीगुंटा खंड (बालापल्ले–पुलमपेट खंड)

(vii) तारकेश्वर से शेवड़ाफुली, चरण–I (शेवड़ा फुली–नालीकुल)

(viii) जाफराबाद–उत्तरेतिया खंड (जाफराबाद–श्रीकृष्णानगर (चरण–II)

(ix) पांसकुरा से हल्दिया, चरण–I (पांसकुरा–रजगोड़ा)

(x) सूरत–कोसम्बा, वडोदरा और विरार के बीच तीसरी लाइन के चरण–I के रूप में

(xi) बोलपुर–अहमदपुर

(xii) अमरोहा–कणकठेर

(xiii) कालीनारायणपुर–कृष्णानगर

(xiv) मानिकपुर–छिवकी चरण–I (मानिकपुर–काट्याडंडी)

(xv) बारासत–हसनाबाद, विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण, चरण–I (बारासत–सोनदलिया)

महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने कुछेक चालू परियोजनाओं के भाग के रूप में निम्नलिखित कार्यों का विस्तार करने का निर्णय लिया है :

(i) कटिहार–जोगबनी परियोजना के विस्तार के रूप में कटिहार–बारसोई–राधिकापुर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन

(ii) कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे नेटवर्क का दमदम हवाई अड्डे तक विस्तार। इससे श्री प्रियरंजन दासमुंशी बहुत खुश होंगे।

(iii) बाकुड़ा–दामोदर रेलवे का मुकुटमोनीपुर तक विस्तार

(iv) श्यामसुंदरनगर से चेचई तक परिवर्तित बीडीआर लाइन का संपर्क

महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान हवड़ा और सियालदह स्टेशनों के बीच संपर्क स्थापित किया जाएगा।

महोदय, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के एक सम्मेलन में वचन दिया था कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में छांजराबंधा–मालबाजार मीटर लाइन (इस समय परिचालित नहीं है) को दोबारा खोला जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वचन आगामी वित्त वर्ष पूरा कर दिया जाएगा।

सर्वेक्षण

माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों से प्राप्त हुए अनुरोधों के आधार पर मैंने अगले वित्त वर्ष के दौरान कई सर्वेक्षण आरंभ करने का निर्णय लिया है।

नई लाइन सर्वेक्षण

(i) उल्टाडांगा में सर्कुलर रेलवे के लिए जंक्शन व्यवस्था के साथ टीटागढ़ से सोनारपुर

(ii) बेहरामपुर–कांडी

(iii) जहीराबाद से सिकंदराबाद

(iv) भावनगर से तारापुर

(v) जींद से सोनीपत

(vi) कोहिमा से दीमापुर

(vii) पोंदूरू–रजाम

(viii) दांकुणी से चम्पाडांगा बरास्ता सीखाला और फरफुराह शरीफ तथा सीखाला से बड़गछिया को जोड़ते हुए

(ix) जग्गयापेट से मिरियलगुडा

(x) पेत्तनचेरू से जोगीपेट

(xi) झुनझुन से पिलानी

(xii) माजेरहाट से ठाकुरपुर (सर्कुलर रेलवे)

(xiii) पोर्ट ब्लेयर से दिग्लीपुर के लिए अद्यतन सर्वेक्षण

(xiv) रायपुर से झारसुगुड़ा बरास्ता खरोटापालन, बलोडा बाजार और भटगांव, सरनगढ़

(xv) पांडुरंग से भ्रदाचलम

(xvi) कृष्ण नगर से करीमपुर

(xvii) पणकी से मंघाना

(xviii) मेड़ता रोड़ से ब्यावर

(xix) काटपाडि से चेन्नई बरास्ता गिंदी, पुन्नामल्ली और कांचीपुरम से तिंडीवरम

(xx) झालौर से फालना

(xxi) कोडरमा से तलैया

(xxii) बांका–नवाडा–जमुई

(xxiii) शिरपुर–मौह

(xxiv) सरना–माधोपुर

(xxv) बाडोवाल–साहनेवाल

आमान परिवर्तन सर्वेक्षण

शांतिपुर–नबाद्वीपघाट के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण का अद्यतन किया जा रहा है।

दोहरीकरण सर्वेक्षण

मौजूदा लाइनों के दोहरीकरण के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण बजट में शामिल किए गए हैं :

(i) उधना–जलगांव

(ii) जयपुर से मेड़ता रोड

(iii) राजपुरा से बठिंडा

(iv) तिरुवालूर से अरक्कोणम तक तीसरी लाइन

(v) रामनगरम–मैसूर

रेलवे विद्युतीकरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रेलों ने 2,300 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण की योजना बनाई है। पहले दो वर्षों के दौरान इसमें से 1062 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। चालू वर्ष में 435 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण की संकल्पना है तथा आगामी एक वर्ष में 500 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित परियोजनाओं को मार्च, 2000 से पहले पूरा किए जाने का लक्ष्य है :

(i) ईरोड–एर्णाकुलम

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : महोदय, यह पहले से है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आप लोगों की बात सुनूंगी। पहले मुझे अपना भाषण समाप्त करने दें ...*(व्यवधान)* यह इस साल पूरा हो जाएगा। ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें।

(ii) आद्रा–मिदनापुर

(iii) कानपुर–लखनऊ

महोदय, अगले वित्त वर्ष में पूर्व रेलवे के कृष्ण नगर–लालगोला खंड पर एक नई रेल विद्युतीकरण परियोजना का काम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

महोदय, विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा रेलों से वसूल किया जा रहा उच्च बिजली टैरिफ रेल उपयोगकर्ताओं पर अनुचित बोझ डालता है। मैंने हाल ही में राज्य सरकारों के साथ यह मामला उठाया था लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अधिक उत्साहजनक नहीं थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि बिजली के 15% अनाबंटित केन्द्रीय हिस्से से अधिक बिजली हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने के अलावा भारतीय रेलें सार्वजनिक/निजी विद्युत कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से विशिष्ट विद्युत क्रय समझौते करने पर भी विचार करेंगी बशर्ते टैरिफ की पेशकश आकर्षक हो।

मानव संसाधन विकास

स्थायी वार्ता तंत्र (पीएनएम), संयुक्त वार्ता तंत्र (जेसीएम) और प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (पीआरईएम) संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं सोलह लाख कर्मचारियों के साथ अपने सामने मौजूद विशालकाय कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रेलों पर औद्योगिक सामंजस्य बनाए रखने में सहायता करने में, उनकी सकारात्मक भूमिका के लिए दिल से सराहना करती हूं।

श्री ए.सी.जोसी (त्रिचूर) : महोदय, केरल राज्य की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया, मेरी बात सुनिए ...*(व्यवधान)* यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं वायदा कर सकती हूँ ...*(व्यवधान)*

अपराह्न् 1.18 बजे

(इस समय श्री रमेश चेन्नितला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दें। कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने आप सभी लोगों को इतनी सारी चीजें दी हैं। कृपया मेरी बात सुनिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आप एक गलत पूर्वोदाहरण स्थापित कर रहे हैं। यह सही नहीं है। यदि आपको कुछ कहना है तो आप मंत्री जी से बाद में मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केरल के सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे मेरी बात सुनें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर बात पर आप सभा के बीचोंबीच आ जाते हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइए।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने कर्मचारी क्वार्टरों के लिए परिव्यय के लिए चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 20% वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी सुविधाओं के लिए अगले वर्ष के प्रस्तावित परिव्यय में भी चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 18% की वृद्धि की गई है।

कर्मचारी कल्याण

हम रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम का वित्तपोषण करने के लिए हुडको के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रहे हैं ताकि केन्द्रीय सरकार नियमों के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध आवास निर्माण अग्रिम की पूर्ति हो सके।

महोदय, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने **"इंटरनेट पर पेंशनभोगियों की सहायता-लाइन"** नाम एक वैबसाइट तैयार किया है जिससे पेंशनभोगी कार्यालय आए बिना किसी भी स्थान से वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शासन (ई–शासन) की दिशा में यह एक और कदम है।

रेलें विभिन्न स्थानों पर रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है। खड़गपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे से एक प्रस्ताव मिला है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग

सांविधिक उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग वे शारीरिक रूप से विकलांग को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। मैंने देखा है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में बकाया मौजूद है। महोदय, हम यह सुनिश्चित करने के लिए हरेक प्रयास करेंगे कि उनकी सभी रिक्तियों को यथासंभव कम समय में भरा जाए।

रेल भर्ती बोर्ड

रेल भर्ती बोर्डों की कार्य प्रणाली विभिन्न मंचों पर बहस का विषय रही है। हालांकि कुछ सुधार किए गए हैं, माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प समुदायों के प्रतिनिधि शामिल करके इन बोर्डों का आधार और व्यापक बनाने के लिए अनेक सुझाव भेजे हैं। इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में अत्यधिक शिकायतें रही हैं। ऐसे परिवारों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों पर विचार करते हुए नए निवेश जारी किए जा रहे हैं ताकि ऐसी नियुक्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

खेलकूद

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रेलवे ने इस वर्ष के दौरान अब तक 14 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। अनेक रिलवे खिलाड़ियों ने काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के एशियाई फेडरेशन खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है तथा देश को गौरव दिलाया है। यह भी अत्यधिक गर्व का विषय है कि चौथे एशियाई महिला हॉकी कप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली 16 महिला हॉकी खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी रेलों की थीं। रेलों के दो भारोत्तोलकों ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक भी जीते हैं।

महोदय, खेलकूद कोटे के अंतर्गत महिलाओं की भर्ती की प्रक्रिया में कतिपय महत्त्वपूर्ण खेल जैसे फुटबाल, कुश्ती तथा एक्वैक्टिश (गोताखोरी को छोड़कर) शामिल नहीं है। अब देश में महिलाएं किसी भी खेल में पीछे नहीं हैं। इसलिए, मैं महिलाओं के लिए इन खेलों को भी शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। महोदय, पुरुष और महिला, दोनों के लिए दो नए खेलों अर्थात् तीरंदाजी और कराटे को भी उस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। जिसके अंतर्गत रेलें खिलाड़ियों की भर्ती करती हैं।

अपराह्न 1.22 बजे

(इस समय श्री रमेश चेन्नितला और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, केरल बहुत सुन्दर राज्य है ...*(व्यवधान)* पिछले वर्ष अनुपूरक अनुदानों की मांगों में हमने केरल को एक नई रेलगाड़ी दी थी। ...*(व्यवधान)* मैं केरल को कुछ और रेलगाड़ियां देना चाहती हूं ...*(व्यवधान)* जो भी वे कहेंगे मैं उस पर विचार करूंगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जनसंख्या के आधार पर घोषणा की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

महोदय, भारतीय रेलें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ (यूआईसी), पेरिस की एक सक्रिय सदस्य हैं। हम रेलों के बीच सहयोग और विश्व स्तर पर रेल परिवहन के विकास को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। भारतीय रेलें ट्रांस–एशियाई रेलवे के विकास में केंद्रीय भूमिका अदा कर रही हैं जो चीन, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से गुजरती हुई यूरोप की ओर जाएगी। महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आगामी वर्ष में माल यातायात के लिए बांग्लादेश और नेपाल के साथ हमारा रेल संपर्क बहाल हो जाएगा। हम यात्री सेवाएं भी शीघ्र बहाल करने का प्रयास करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : उत्तर प्रदेश को कई चीजें दी गई हैं। कृपया मुझे अपना भाषण पूरा करने दें ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.23 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.25 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।)

महोदय, रेलें एशियाई विकास बैंक से 3800 करोड़ रुपए ऋण लेने की बातचीत कर रही हैं। इस राशि का क्षमता में वृद्धि तथा संरक्षा आदि जैसे पहलुओं को कवर करने वाले रेल क्षेत्र की सुधार परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

उच्च गति रेल परिवहन

उच्च गति यात्री पारगमन जो पहले कुछेक देशों तक सीमित था, अब विशेषतौर पर यूरोपीय संघ के देशों में अधिक आम होता जा रहा है। इस नई सहस्राब्दि के दौरान भारतीय रेलों के लिए मेरी दृष्टि में हमारे देश में उच्च गति अंतर्शहरी परिवहन के लिए निश्चित तौर पर गुंजाइश मौजूद है। मैं उच्च गति के लिए मार्गों के चयन हेतु आवश्यक अध्ययन करने का प्रस्ताव करती हूं।

सुधार और पुनर्संरचना

महोदय, भारतीय रेलें डेढ़ सौ साल पुरानी प्रणाली है। जिसने अभी तक लोगों को सफलतापूर्वक सेवा प्रदान की है। लेकिन उभर रही नई प्रौद्योगिकियों तथा वित्तपोषण संभावनाओं के तेजी से बदल रहे आज के विश्व में नई वास्तविकताओं के अनुरूप अपने आपको बदलना रेलों के लिए अनिवार्य है। बदल रहे परिदृश्य में पुरानी संगठनात्मक संरचनाओं, नियामक व्यवस्थाओं, कार्य प्रणाली के तौर–तरीकों तथा सर्वोपरि, इनके द्वारा अदा की गई भूमिका पर नए सिरे से नजर डालने की आवश्यकता है। महोदय, भारतीय रेलों ने विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों को शामिल करके **"रेल विशेषज्ञ दल"** का गठन किया था। यह दल अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2000 तक प्रस्तुत करेगा। यहां मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगी कि रेल कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यह बजट पूर्णतः केरल विरोधी है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। अतः, हम विरोध स्वरूप बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 1.26 बजे

(इस समय श्री ए.सी. जोस और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा गमन से बाहर चले गए।)

पारदर्शिता तथा जवाबदेही

महोदय, मेरा मानना है कि प्रतिदिन हमारे कम–से–कम 1.5 करोड़ नागरिकों के जीवन को प्रतिदिन छूने वाली प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। यद्यपि मैं हमारे संगठन की मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सराहना करती हूं जो पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। तथापि मैं महसूस करती हूं कि बदलते समय में, हमें अपने लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। रेलें, सर्वाधिक खरीद करने वाले सरकारी संगठनों में से एक है। इसलिए मेरा इरादा, रेलों की उन समूची खरीद प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने का है, जहां बड़े सुधार करने की आवश्यकता है। मैंने यह भी निर्णय लिया है कि अगले वित्त वर्ष से भारतीय रेलों की खरीद का पूरा कैलेंडर तैयार किया जाएगा और इसे इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। जन शिकायतों से निपटने के तौर–तरीकों की भी पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। महोदय, बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रेलों में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को भी सुचारु बनाने का प्रस्ताव है।

महोदय, मैं स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे नेतृत्व में भारतीय रेल में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से कड़ाई से और पूरी दृढ़ता से निपटा जाएगा। महोदय, मैं अपने उन 16 लाख कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हूं जो ईमानदार और समर्पित हैं, परन्तु मैं निस्संकोच बताना चाहती हूं कि भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए भारतीय रेल में कोई स्थान नहीं है, भले वे कितने ही बड़े अथवा कितने ही छोटे पद पर हों। महोदय, मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों से प्रेरणा लेना चाहूंगी जिन्होंने कहा था, **"मुझे कुछ ऐसे पुरुष और महिलाएं दीजिए जो सच्चे और निःस्वार्थ भाव वाले हों, और मैं दुनिया को हिला दूंगा।"**

[हिन्दी]

श्री राजबब्बर (आगरा) : रेल बजट में उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।

अपराह्न 1.27 बजे

(इस समय श्री राज बब्बर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइए। यह सही नहीं है।

अपराह्न 1.29 बजे

(इस समय श्री राजबब्बर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

2000–2001 के बजट अनुमान

महोदय, अब मैं 2000–2001 के बजट अनुमानों पर चर्चा करूंगी।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : रेल बजट में बिहार के साथ अन्याय किया गया है इसलिए मैं रेल बजट का बहिष्कार करता हूं।

अपराह्न 1.30 बजे

(इस समय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गये।)

[अनुवाद]

देश की अर्थव्यवस्था में दो वर्ष की लंबी मंदी के पश्चात् अब चालू वर्ष में कुछ सुधार दिखाई दिया है। मौजूदा संकेत विकास प्रक्रिया में और सुधार की ओर इशारा करते हैं। कई मायनों में वृहत आर्थिक

आधार मज़बूत हैं, क्योंकि देश नई सहस्राब्दि में प्रवेश कर गया है। आधारभूत अवसंरचना उद्योगों के साथ–साथ कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के रुझान उत्साहवर्धक हैं। इसे देखते हुए माल यातायात का लक्ष्य 475 मिलियन टन रखा गया है जो चालू वर्ष के 450 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 25 मिलियन टन अधिक है। लक्ष्य को कुछ अधिक ऊंचा रखा गया है जो अर्थव्यवस्था में उछाल तथा रेलों द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रयासों, जो अब दिखाई देते हैं, का सूचक है। माल यातायात के संचालन के लिए पर्याप्त चल स्टॉक उपलब्ध कराने हेतु भारतीय रेल ने अगले वर्ष के लिए 23,000 माल डिब्बों की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इससे सामान्यतः माल डिब्बा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा जो अपर्याप्त क्रयादेशों के कारण अपनी क्षमता का कम उपयोग कर रहे हैं।

यात्री यातायात में दीर्घकालीन वृद्धि को देखते हुए यात्री यातायात के लिए 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन अनुमानों के आधार पर माल यातायात से होने वाली आमदनी 23,038 करोड़ रुपए तथा यात्री यातायात से होने वाली आमदनी 10,148 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।

पार्सल व्यापार में 5% की सामान्य वृद्धि के अलावा 100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए अन्य कोचिंग से होने वाली आमदनी 826 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अन्य फुटकर आमदनी को 1,417 करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया है जिसमें 5% की सामान्य वृद्धि के अलावा ऑप्टिक फाइबर केबल के लिए मार्गाधिकार पट्टे पर देने से प्राप्त होने वाले 500 करोड़ रुपए, रेल भूमि और ऊपरी क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त होने वाले 150 करोड़ रुपए तथा रेल परिसरों और चल स्टॉक पर वाणिज्यिक प्रचार से प्राप्त होने वाले अन्य 100 करोड़ रुपए शामिल हैं।

महोदय, यातायात उचंत में सर्वाधिक बकाया राशि बिजली घरों, विशेषकर बदरपुर ताप बिजली की ओर से देय है। इन देय राशियों के उल्लेखनीय निपटान होने की प्रत्याशा में 500 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इनको ध्यान में रखते हुए 35,929 करोड़ रुपए की सकल यातायात प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

साधारण संचालन व्यय को, चालू वर्ष की तुलना में मामूली रूप से बढ़ाकर 28,115 करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप इसमें 1999–2000 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल 9% की कमीबेशी हुई है। पेंशन निधि में विनियोग को 4,966 करोड़ तथा मूल्याह्रास आरक्षित निधि में विनियोग 2,441 करोड़ रुपए के स्तर पर रखा गया है जो योजनागत संसाधनों की वास्तविक आवश्यकता पर आधारित है।

इस प्रकार कुल संचालन व्यय की राशि 35,552 करोड़ रुपए बनती है जिसके कारण शुद्ध यातायात प्राप्तियां 377 करोड़ रुपए आंकलित होती है। शुद्ध विविध प्राप्तियां 815 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें 300 करोड़ रुपए की उस राशि को भी हिसाब में लिया गया है जिसे रेल संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए सामान्य राजस्व से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। अतः इस प्रकार शुद्ध राजस्व 1,192 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचता है।

जैसा कि 1999–2000 रेल अभिसमय समिति ने सिफारिश की है, सामान्य राजस्व को लाभांस ब्याज देय पूंजी के 7% की दर से आंकलित किया गया है। 2000–2001 के लिए ज्ञापन समिति को प्रस्तुत किया जा रहा है। 2000–2001 के बजट अनुमानों में 2,115 करोड़ रुपये के लाभांश का अनुमान लगाया है लेकिन योजना आवश्यकताओं के लिए आंतरिक संसाधनों में कमी होने के दृष्टिगत सामान्य राजस्व को केवल 615 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान करने तथा 1,500 करोड़ रुपए की शेष राशि को आस्थागित लाभांश दायिता लेखे में डालने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : प्रधानमंत्री जी का झुंझुना पहना कर यू.पी. को बर्बाद कर दिया। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.31 बजे

(इस समय श्री मुलायम सिंह यादव सभाभवन से बाहर चले गए)

कुमारी ममता बनर्जी : आपने जो दिया है वह इसमें है। ... *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : मैंने पिछली बार भी कहा था। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आपने जो दिया है इसमें पूरा है। आप पहले इसे देख लीजिए।

उपर्युक्त अनुमानों के आधार पर, 2000–2001 में खर्च की तुलना में प्राप्तियों का "आधिक्य" 576 करोड़ रुपए आता है जो विकास निधि तथा पूंजी निधि से लिए जाने वाले कुल 1,421 करोड़ के योजना खर्च की आवश्यकताओं से कम होता है। 3,540 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता से पूंजी निधि के लिए 249 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इसके बाद 600 करोड रुपए का अंतर शेष रहता है जिसे अतिरिक्त रूप से जुटाए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, दो वर्षों के बाद अब अर्थव्यवस्था में उच्चतर विकास की संभावना दिखाई देती है। रेलें चालू वर्ष के लिए लदान के लक्ष्य को आसानी से हासिल करने की स्थिति में हैं। वर्ष 1998–99 के दौरान माल भाड़े की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, रेलों की साधन सामग्री लागतों में भारी बृद्धि हुई है और हाल ही में डीजल के मूल्यों में हुई बढ़ोत्तरी से रेलों के वित्त पर अतिरिक्त बोझ आन पड़ा है। इसलिए माल भाड़े की दरों को बढ़ाकर युक्तियुक्त बनाना अपरिहार्य हो गया है। अतः मैं अगले वर्ष के दौरान टैरिफ तथा कतिपय पण्यों के वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप से युक्तियुक्त बनाने का प्रस्ताव करती हूं :

* खाद्यान्नों, चीनी, खाने के नमक, खाद्य तेल, मिट्टी का

तेल, फल और सब्जियों, घरेलू गैस आदि जैसे अनिवार्य पण्यों की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

* महोदय, इन अनिवार्य पण्यों को अलग रखकर मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि आम आदमी पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

* उपरोल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की दरों में 5% की सामान्य वृद्धि की जाएगी।

* उच्चतर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की जरूरत को-देखते हुए मैं महत्त्वपूर्ण (कोर) क्षेत्र में कुछ वस्तुओं पर और अधिक बोझ नहीं डालना चाहती हूं। इसलिए मैं कुछ वस्तुओं के वर्गीकरण को घटाकर उनकी दरों में 5% से कम की वृद्धि करने का प्रस्ताव करती हूं। इनका ब्यौरा ज्ञापन में दिया गया है। ये वस्तुएं हैं कोयला (घरेलू खपत से प्रयोजनार्थ नहीं), लोहा और इस्पात (डिवीजन ए/बी/सी), सीमेन्ट, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट तथा कुछ पेट्रोलियम उत्पाद।

* रेलें, विगत में रासायनिक खादों के लिए रियायती दरें वसूल कर रही हैं। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि इनके मूल्य सरकार द्वारा शासित होते हैं। मेरा प्रस्ताव, इनके वर्गीकरण को उपयुक्त रूप से अपग्रेड करके जैसा कि ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है, इस विसंगति को ठीक करने का है। बहरहाल, यूरिया को इस वृद्धि से संपूर्णतः छूट दी जाएगी। इसी तरह, पशुधन तथा तिलहनों की ढुलाई को और अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए इनके माल भाड़ा प्रभारों में भी उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाएगी। संशोधित वर्गीकरणों का उल्लेख ज्ञापन में किया गया है। इन पण्यों की माल भाड़ा दरों में औसत वृद्धि 5% की सामान्य वृद्धि से अधिक होगी।

* महोदय, मैं मोटर कार की दरों सहित पार्सल और सामान की स्केल दरों में 7% की वृद्धि का प्रस्ताव करती हूं। बहरहाल, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा दवाइयों की दरों को इस वृद्धि से छूट दी जाएगी और इनके लिए मौजूदा दरें बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेंगी।

माल यातायात तथा पार्सल और सामान, दोनों की दरों में समायोजन से संबंधित उपयुक्त प्रस्तावों से प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए जुटाए जाने का अनुमान है। दरों तथा वर्गीकरणों में उपयुक्त परिवर्तन 1 अप्रैल, 2000 को लागू होंगे।

महोदय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए रियायती मासिक सीजन टिकट योजना को जारी रखने के अलावा मुझे निम्नलिखित रियायतों की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है जिसे दिसंबर, 1999 में अनुदान की पूरक मांगों के समय सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था :

* भारतीय गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को राजधानी अथवा शताब्दी गाड़ियों द्वारा अपनी पसंद के किसी भी एक स्टेशन से किसी भी एक गंतव्य तक और वहां से वापसी की एक बार यात्रा करने के लिए सहस्राब्दि उपहार दिया जाएगा। यह केवल सहस्राब्दि वर्ष के लिए ही वैध है।

* 10,000/– रुपए का भुगतान करने पर किसी भी यात्री को एक सहस्राब्दि कार्ड जारी किया जाएगा जो एक वर्ष के लिए वैध होगा और जिसके द्वारा वर्ष भर में भारतीय रेलों की किसी भी गाड़ी के प्रथम वातानुकूल तथा द्वितीय वातानुकूल श्रेणियों में उसे पुष्टिशुदा आरक्षण उपलब्ध होगा।

* पिछली बार दिसंबर में अनुदान की पूरक मांगें प्रस्तुत करते समय दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की थी। बारहवीं कक्षा तक की केवल छात्राओं को उनके घर से स्कूल/कालेज और वापसी यात्रा के लिए छूट प्रदान करके इसके दायरे को और बढ़ाया जा रहा है।

* 1999 के दौरान कारगिल में "आपरेशन विजय" के शहीदों की विधवाएं दूसरी श्रेणी तथा शयनयान श्रेणी में यात्रा करने के लिए 75% रियायत पाने की पात्र होंगी।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, बजट प्रस्तावों में हमने कुछ किया है। किंतु केरल के मेरे माननीय मित्रों ने मुझे गलत समझा है। राज्य में पहले से परियोजनाएं चल रही हैं। हम बजट भाषण में धन के आबंटन को नहीं बता सकते हैं। यह बजट में है। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे पुस्तिका को देखें। हमने किसी भी राज्य के लिए एक पैसे की भी कटौती नहीं की है अपितु हमने आबंटन में वृद्धि की है। यदि कोई बात है तो मैं उस पर चर्चा करूंगी। वे मेरे से बात कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकती हूं। अपनी सीमाओं के भीतर मैंने भरसक कोशिश की है। यदि कोई संसद सदस्य ऐसा महसूस करता है कि वह आहत हुआ है तो मेरा उससे अनुरोध है कि वह मेरे से बात करे। हम इस पर संशोधित अनुमानों में विचार कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रत्येक राज्य को अपने परिवार का अंग मानते हैं, मैं सभा को आश्वासन दे सकती हूं कि यदि कुछ रह गया है तो हम इसे करेंगे।

महोदय, यात्री किरायों के संबंध में, यह आम धारणा है कि भारतीय रेलों से यात्रियों को कई तरह से गुणवत्ता वाली सेवा नहीं मिल पाती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, गंभीर वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद मैं यात्री सुविधाओं के परिव्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव करने में समर्थ हुई हूं जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 54% अधिक है। महोदय, मैं पहले गाड़ियों में और प्लेटफार्मों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हूं। सेवाओं के प्रति यात्रियों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाना मेरे लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता है और मैं ठोस सुधार देखना चाहती हूं। इस दौरान मैं यात्रियों पर बोझ नहीं डालना चाहती। हम भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए, महोदय, मैं, किसी भी श्रेणी के यात्री किराए में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं।

निष्कर्ष

अंत में, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री का, उनके प्रोत्साहन और समर्थन के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं सभी रेल कर्मचारियों का भी, उनके मेहनती कार्य तथा ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने रेलों को उनका कार्य सफलतापूर्वक करने में सहायता की है। मैं रेल उपयोगकर्त्ताओं की भी आभारी हूं जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी वर्षों में भी वे सहयोग करना जारी रखेंगे तथा रेलवे कार्य प्रणाली में समग्र सुधार लाने के लिए अपने रचनात्मक सुझावों से हमारे प्रयासों को समृद्ध बनाते रहेंगे।

महोदय, मुझे गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर जी के शब्द जो बजट विवरण पूरा करते समय मेरे दिल में उमड़ रहे हैं के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करने की अनुमति दें। इस शब्दों का आशय कुछ इस प्रकार है कि "प्रातः के सूर्योदय के साथ आशा रूपी किरणें अपने प्रकाश से जग को आलोकित करेंगी और निराशा रूपी अंधकार का विनाश होगा।"

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी सदन में नहीं हैं, वे सदन से बाहर चले गए हैं। उन्होंने मुझे दो प्रोजेक्ट्स दिए थे, जो इन्कल्युड कर दिए हैं। ये आन–गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उनको पता नहीं है। हमने किया है, लेकिन हमने कहा नहीं है, जो प्रोजेक्ट्स भेजे थे, वे हमने कर दिए हैं। रेलवे की स्थिति तो अच्छी नहीं है लेकिन इसे सुधारने के लिए हमें विश्वास और आशा है। बजट भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहती हूं .

"रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी।
गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।"

[अनुवाद]

महोदय मैंने किसी राज्य को वंचित नहीं किया है, मैंने हर राज्य की सहायता करने का प्रयास किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य सभी राजनीतिक दलों के प्रति आभारी हूं। मैं उनके प्रति दिल से आभारी हूं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं 2000–2001 के रेलवे बजट को सदन में संस्तुत करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.41 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.51 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.51 बजे पुनः समवेत हुई।)

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, आज सवेरे एडजर्नमेंट मोशन के बारे में चर्चा हुई थी। मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूं। बहस सोमवार करवाने का फैसला लिया गया है लेकिन यह किस नियम के तहत की जायेगी, बहस का क्या रूप होगा और इसके लिये कितना समय दिया जायेगा तथा यह कब शुरू की जायेगी ? आप हमें ये सब बता दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : किस वक्त ? चर्चा कब आरंभ होगी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह काम आप अध्यक्ष महोदय पर मत छोड़िए। सभा की अध्यक्षता इस समय आप कर रही हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, हमने प्रश्नकाल स्थगित करने के साथ–साथ स्थगन प्रस्ताव सभा पटल पर रखा था। हमारे स्थगन प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना विनिर्णय दिया। परन्तु हमें यह नहीं बताया गया कि इस पर चर्चा कब, किस रूप में या किस नियम के अंतर्गत होगी।

सभापति महोदय : इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति करेगी। क्या यही नहीं है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं।

सभापति महोदय : आप सब उनसे मिलिए और उस समय इस बारे में निर्णय कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज नहीं होगी ? वह कब होगी ? ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर, अब अध्यक्ष महोदय को यह बताना चाहिए कि हम इस मामले को किस रूप में उठाएं।

सभापति महोदय : मैं अध्यक्ष महोदय से परामर्श करूंगी, और तत्पश्चात् इसके बारे में एक घोषणा की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : वे यहीं थे। उन्होंने निर्णय लेना चाहिए था और हम अब यह जानना चाहते हैं कि ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम आज शाम जा रहे हैं। हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाऐंगे। हम सोमवार ही वापस आएंगे। इसलिए हमें इस संबंध में सूचना मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : क्या ससंदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : जहां तक हमारा सवाल है, हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं। अध्यक्ष महोदय की ओर से यह निर्णय नहीं ले सकता कि किस नियम के अंतर्गत इसे उठाया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप नियम 184 के अधीन इसे उठाने का विरोध नहीं करेंगे, तो ठीक है।

सभापति महोदय : क्या आप कम–से–कम एक घंटे के भीतर अध्यक्ष से विचार–विमर्श करना चाहेंगे ? फिर आप पता कीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : मैं आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय से आज इस बारे में परामर्श करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, हम यह डिस्कशन नियम 193 के अधीन नहीं चाहेंगे। अगर बहस होगी तो नियम 184 के तहत होगी।

सभापति महोदय : आपने नोटिस दिया हुआ है ?

श्री मुलायम सिंह यादव : हम नोटिस दे चुके हैं।

सभापति महोदय : मुझे एक बात करने दें। पर्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से रिक्वैस्ट किया है कि जरा हमें बता दें कि क्या करना है ?

[अनुवाद]

हम सब वकीलों की हड़ताल से क्षुब्ध हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, मैं यह मामला उठा रहा हूं।

सभापति महोदय : इस संबंध में कुछ बातचीत हुई है। मंत्री जी कुछ वक्तव्य लेकर आए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अभी। क्या यह आपका स्वतः दिए जाने वाला वक्तव्य है ?

सभापति महोदय : जी हां, वकीलों की हड़ताल पर यह मेरा स्वतः दिए जाने वाला वक्तव्य है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन इससे पूर्व, हमें अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। मंत्री के वक्तव्य देने से पूर्व, हमें अपना निवेदन करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : निवेदन किस बात पर ?

श्री बसुदेव आचार्य : कल जो कुछ हुआ हमें उस पर अपनी बात कहनी है कि कैसे वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें पीटा गया।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने इस पर स्वतः वक्तव्य दिया है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदया, श्री बसुदेव आचार्य जी को यह पता ही नहीं कि वक्तव्य दिया गया था। अगर उन्हें इतनी ही चिन्ता होती तो वे ऐसा नहीं कहते।

अब मैं कह रहा हूं कि सरकार वक्तव्य देगी, उन्हें बात की जानकारी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) मैंने सुबह एक सूचना दी थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुद्दे पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के मुद्दे का निपटान करने के बाद, पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए अमानुषिक और हिंसक अत्याचार के मामले को सभा में उठाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। यह पहले ही नोटिस में है। मैंने इसे जानबूझ कर नहीं उठाया क्योंकि मैं समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष राष्ट्रीय संघ सेवक के मुद्दे पर, जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है काफी चिन्तित है।

सभापति महोदय : वे इस बारे में वक्तव्य देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम मंत्रीजी द्वारा दिए गए स्वतः वक्तव्य पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। यह मंत्रीयों का अधिकार है। हमने कभी आपत्ति नहीं उठाई। परन्तु जब माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह सूचना है कि अधिवक्ताओं पर हुई हिंसा संबंधी मामले को सभा में उठाया जाए–और आज की सूचना के विशेष शब्द हैं –"कार्यालय मदद करे" – स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के मुद्दे को निपटाने के बाद, इस मामले को लिया जाना चाहिए था। श्री बसुदेव आचार्य सही कहते हैं कि स्वतः वक्तव्य लिए जाने से पूर्व सभा की बात सुनी जानी चाहिए थी।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें अपना निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : आप किस संबंध में निवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं ? हड़ताल समाप्त हो गयी है, एक समझौता हुआ है, इसलिए मंत्री सभा को सूचित करना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वकीलों को पुलिस द्वारा बेदर्दी से पीटा गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मामले पर खेद प्रकट करेंगे और पुलिस के अत्याचार की निन्दा करेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे लगता है आपको मंत्री जी का वक्तव्य सुनना चाहिए, यदि आपको कुछ कहना है और आप संतुष्ट नहीं हैं, तब आप मामला उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : मैडम यह बहुत गंभीर मामला है। इस देश के लॉयर्स, इंटलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों के साथ जिस बर्बरता के साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या उसके ऊपर यह हाउस डिस्कशन नहीं करेगा ? इसके लिए पहले से नोटिस दिया हुआ है, इसलिए मेरा अनुरोध है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जो वह बोलने वाले हैं, पहले उन्हें बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* स्ट्राइक तो खत्म हो गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जबरदस्ती कराई गई है। यह क्या हो रहा है ? ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। इसलिए इन्हें दुःख हो रहा है। ये समस्या को पैदा करना चाहते हैं। जब समस्या समाप्त हो गई तो मामला अपने आप खत्म हो गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : तकलीफ तो आपको हो रही है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जब हमने नोटिस दिया हुआ है, तो पहले हमें उसके बारे में बताया जाये।

श्री प्रमोद महाजन : यह किसी चर्चा को रोकने का मुद्दा नही है। हम आप पर इसका निर्णय छोड़ते हैं। लेकिन दासमुंशी जी ने शायद सूचना दी होगी।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : नोटिस के पूर्ववर्ती वक्तव्य नहीं दिया जा सकता वक्तव्य को सूचना से श्रेष्ठतर नहीं माना जा सकता।

श्री प्रमोद महाजन : मुझे नहीं पता कि किस नियम को उद्धृत किया गया है, किस प्रकार की सूचना दी गयी है, सभापति किस बात की अनुमति देंगे। केवल माननीय अध्यक्ष जानते हैं कि किस प्रकार की सूचना दी गई।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप एक मिनट बैठिये। उनकी बात सुनने के बाद बोलिये।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : हमें वास्तव में पता नहीं कि किस प्रकार की सूचना दी गई थी इसलिए, हमें नहीं पता कि इस सूचना को किस प्रकार स्वतः दिए जाने वाले वक्तव्य से पहले लिया जाएगा, यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तभी माननीय अध्यक्ष महोदय कोई निर्णय ले सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना होती कि अमुक मुद्दे पर शून्य काल में चर्चा की जाए तो, हम उस पर आज चर्चा नहीं कर सकते थे क्योंकि यह रेलवे बजट का समय है। दोपहर में 3.30 बजे पश्चात् हम गैर सदस्यों के विधेयक लेंगे। अतः इन परिस्थितियों में साधारणतः स्वतः दिया गया वक्तव्य ही प्रस्तुत किया जाता है और हमें विषय की जानकारी है, स्वतः दिए जाने वाला वक्तव्य किस बारे में है। जैसा कि आपने ठीक कहा, हड़ताल समाप्त हो चुकी है, फिर भी यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं यह आपके निर्णय पर छोड़ता हूं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : वकील वर्ग के प्रतिनिधि आज माननीय प्रधानमंत्री जी से केबिनेट के अन्य सदस्यों के समक्ष मिले और अंततः एक वक्तव्य जो मेरा दूसरे सदन में देने का विचार था तैयार किया गया यह वक्तव्य सभा में दे दिया जाता लेकिन सभा कल और आज सुबह स्थगित हो गई। तैयार किए गए वक्तव्य पर चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि यह संतोषजनक वक्तव्य है। इसके आधार पर इस मामले को कमोवेश निपटा लिया गया माना गया इस वक्तव्य को देने के पश्चात् इस वक्तव्य को देने के बाद मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वकील सहमत हो गए हैं किंतु अब उनके द्वारा हड़ताल वापस लेने की पूरी संभावना है।

अपराह्न 3.00 बजे

वक्तव्य देने के बाद यदि माननीय सदस्य चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी हड़ताल टूटी नहीं है, सिर्फ संभावना है।

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी : क्या मुझे सभा को बताने या विश्वास में लेने का अधिकार नहीं है कि क्या हुआ है ?

सभापति महोदय : उन्हें वक्तव्य देने दो।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री को उत्तर देना चाहता हूं। यह सत्य है कि आज शून्यकाल नहीं है। मेरी सूचना बिल्कुल स्पष्ट है, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के मामले के निपटान के बाद यह मुद्दा लिया जाना चाहिए। हड़ताल का आह्वान 'भारतीय बार काउंसिल' नामक संस्था ने किया था ...*(व्यवधान)* मंत्री जी वक्तव्य दें मैं मंत्री जी को नहीं रोक रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे बताइएं कि आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, यदि आप सहमत हों तो मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देने के बाद क्या आप हमें प्रश्न पूछने और निवेदन करने की अनुमति देंगी।

सभापति महोदय : मैं वैसा करूंगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ठीक है।

सभापति महोदय : मेरा सुझाव है कि मंत्री जी को वक्तव्य देने दो और यदि आप मंत्री जी से कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : नए पूर्वोदाहरण स्थापित न करें ...*(व्यवधान)* इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया : इस मद के पूरा होने पर हम जानना चाहेंगे कि सोमवार को चर्चा किस रूप में होगी।

सभापति महोदय : संसदीय कार्यमंत्री जी इस बीच आप अध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : हां, महोदया।

सभापति महोदय : वे अध्यक्ष से परामर्श करेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वकीलों के ऊपर लाठी चलवा कर और पांच साल के अंदर उनके लाइसेंस का नवीनीकरण करवा कर व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है।

अपराह्न 5.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अधिवक्ताओं की हड़ताल

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदया, मुझे वक्तव्य देने की अनुमति देने के लिए आपको और माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

कल संसद के समीप एक अत्यंत खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें अनेक वकील और पुलिस कर्मी घायल हुए हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। मैंने कल माननीय राज्य सभा में जांच करवाने के पश्चात् एक कथन करने का वादा किया था किन्तु दुर्भाग्य से सदन स्थगित हो गया।

अब मैं पहले इस वक्तव्य के अंतिम पैरा पढ़ने और फिर पहले भाग पर आने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

मुझे प्रसन्नता है कि बार के जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने आज दोपहर बाद माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की है। इस कथन के आधार पर बातचीत आरंभ करने का विनिश्चय किया है।

वकीलों के विभिन्नों संगठनों ने 24 फरवरी, बृहस्पतिवार के लिए नियत न्यायालयीन कार्य से हड़ताल पर जाने की अग्रिम सूचना दी थी। दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और उनके कुछ साथियों ने बुधवार तारीख 23 जनवरी को पुलिस से भेंट की और प्रस्तावित जुलूस तथा प्रदर्शन के बारे में मार्ग और समय नियत कर लिया था। किसी अप्रिय घटना की आशा नहीं थी। प्रत्येक को यह विश्वास था कि यह एक शांतिपूर्ण जुलूस होगा जो आमतौर पर रास्तों पर लगाई गई रोकों पर चुनिंदा वकीलों के द्वारा अभ्यावेदन देने के साथ समाप्त हो जाएगा।

दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका और वहां लगाई गई रोकों पर या उनके पास अनेक हिंसात्मक घटनाएं हो गईं।

महोदया, अगला पैरा बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हम उस न्यायिक जांच के बारे में पहले से निर्णय देना नहीं चाहते हैं जिसका हम वायदा कर रहे हैं और जिसके लिए हम सहमत हुए हैं।

वहां हुई घटना के बारे में वकीलों और पुलिस के बयानों में विरोधाभास है। वकीलों का दावा है कि उन पर पुलिस का हमला कतई बिना उकसावे के और नृशंसता की सीमा तक ज्यादतीपूर्ण था। वे वास्तव में उनके हुए अपमान और उन्हें पहुंची चोटों के कारण भड़क उठे। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि वकीलों के अव्यवस्थित आचरण की तुलना में उन्होंने अनपेक्षित संयम से काम लिया और अपने कष्टकर कर्त्तव्यों का पालन करते हुए नियमतः कार्य किया। पुलिस यह मानती है कि उसने पानी की मार, अश्रु गैस और लाठी चार्ज किया।

इन विरोधाभासपूर्ण बयानों की पूर्णतया निष्पक्ष और पूरी जांच कराए जाने की अपेक्षा की जाती है। कल ही दोपहर में मैंने बार के नेताओं के साथ किसी भी स्तर पर तत्काल जांच कराने की सरकार की इच्छा व्यक्त की थी। कुछ राजनीतिक नेताओं जिसमें विपक्ष की गणमान्य नेता भी शामिल हैं, जिनका बयान मैंने आज सुबह पढ़ा तथा बार के नेताओं के सार्वजनिक बयानों को देखते हुए इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जांच कराना सर्वथा उपयुक्त होगा। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस जांच के लिए अपने एक सहयोगी की सेवाएं उपलब्ध कराएं। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश से उनके एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश की सेवाएं लेने के लिए मिलना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आयोग का तत्काल गठन किया जाएगा। मीडिया द्वारा प्रमुख घटनाओं के चित्र लेने और पुलिस द्वारा आरंभ से अंत तक पूरे जलूस का विडियो टेप बनाने से जांच में काफी सहायता मिलेगी।

सरकार सभी राजनीतिक और अन्य नेताओं के प्रयासों की सराहना करती है जिसमें सरकार के विधि अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जो घायल वकीलों से अस्पताल में मिलने गए और उन्हें न्याय दिलाने और दोषियों को दंड तथा निर्दोष घायलों को प्रतिकर दिलाने का आश्वासन दिया ।

मैंने वकीलों से उपयोगी बातचीत आरंभ करने की अपील की है। मैंने बार–बार यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सरकार के पास भारत में विदेशी वकीलों के अनिर्बंधित प्रवेश या व्यवसायी वकीलों के लिए आवधिक परीक्षाओं के लिए सुझाव के रूप में भी कोई प्रस्ताव नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम को प्रवृत्त होने के लिए अधिसूचित होने की तारीख नियत नहीं की गई है। सरकार वकीलों से यह अपील करती है कि वे ऐसे कानूनी विलंबों को, जिनके कारण विधिक प्रणाली पर धब्बा लगा हुआ है, कम करने में संसद का सहयोग करें। संसद् भारत के संप्रभु जन की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। विधि और विधिक प्रणाली का अस्तित्व केवल उनकी भलाई के लिए है। आइए हम विगत पर अधिक बात न करें। यही समय है कि हम एक गौरवपूर्ण भविष्य पर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

अब मैं अंतिम तीन पंक्तियों की पुनरावृत्ति करता हूं। जिन्हें मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ :

> मुझे प्रसन्नता है कि बार में जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने आज दोपहर बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भेंट की है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हड़ताल समाप्त होने वाली है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : महोदया, खाना–पीना और बैठकें करना किसे बुरा लगेगा !

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदया, मंत्री जी द्वारा "अनिर्बंधित प्रवेश" शब्द का प्रयोग किया है ...*(व्यवधान)* किन्तु भारतीय वकीलों को उन देशों में व्यवसाय करने के लिए कोई पारस्परिक समझौता नहीं किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अब सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया है। मैं इस मुद्दे पर पूर्व निर्णय नहीं दे रहा हूं। स्वाभाविक रूप से कोई भी नहीं दे सकता है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री राम जेठमलानी : धन्यवाद, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा मानना है वह स्पष्ट है। यदि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाती है तो मैं निश्चित तया इसे स्वीकार करूंगा। किंतु प्रश्न यह है कि जब तक सरकार ऐसा दृष्टिकोण न अपनाए जो पुलिस को प्रोत्साहित करे पुलिस ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है ? यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आप इस मुद्दे पर पूर्व निर्णय नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण का प्रश्न है।

श्री राम जेठमलानी : महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे कोई ऐसी बात न कहें जिसका इस मुद्दे पर ऐसा प्रभाव पड़े कि इसके बारे में किसी–न–किसी रूप में पूर्व निर्णय दिया जा रहा है और अनावश्यक रूप से एक या दूसरे पक्षकार का पक्ष लिया जा रहा है। यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं पूर्व–निर्णय नहीं दे रहा हूं। माननीय विधि मंत्री को प्रेस में यह कहते उद्धृत किया गया है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम के लागू होने के प्रश्न पर विचार नहीं करेगी।

श्री राम जेठमलानी : वह सही नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह खबर छपी है और सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है।

श्री राम जेठमलानी : वह सही नहीं है। प्रेस में तरह–तरह की खबरें छप रही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किंतु आपने इसका कभी–कभी खंडन नहीं किया है।

श्री राम जेठमलानी : मैंने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया है। 4 फरवरी का 'बार' के प्रतिनिधि मुझसे मिले और अपने प्रत्येक सार्वजनिक बयान में मैंने कहा है कि आओ विचार–विमर्श करें और हड़ताल समाप्त करो ...*(व्यवधान)* तथापि हमें अनावश्यक रूप से अपने स्वार्थ के लिए कठिन समय का उपयोग नहीं करना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बार काउंसिल ने केवल एक दिन की हड़ताल का निर्णय किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय बार एक सप्ताह से हड़ताल पर है। सोमवार से आज शुक्रवार तक वह हड़ताल पर है। बार काउंसिल ने कल हड़ताल करने का निर्णय किया था फिर उसने इसे आज जारी रखने का निर्णय किया और न जाने उनका आगे क्या निर्णय होता है। किंतु प्रमुख मुद्दों पर लगता है सरकार को कुछ नहीं कहना है। वे कहते हैं कि कोई तारीख नियत नहीं की गई है। किंतु वे क्या कर रहे हैं। क्या वे इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं।

दूसरा सावधानी से चुने गए "अनिर्बंधित प्रवेश नहीं" शब्द सारी बातों को खुला रखते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : यह महत्त्वपूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप किस प्रकार के निर्बंधित प्रवेश के बारे में सोच रहे हैं ? ये मूल मुद्दे हैं ...*(व्यवधान)* सरकार यह नहीं कह सकती है कि वह सोच–समझ कर कार्य नहीं करती है ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : यह मात्र एक विधिक दस्तावेज है जिसे विधि आयोग ने तैयार किया है तथा जिसे भविष्य में वाद–विवाद के लिए राष्ट्र के समक्ष रखा जायेगा। मुझे हैरानी है कि सरकार के समक्ष किसी भी प्रकार का प्रस्ताव न होने के बावजूद ऐसी गलतफहमी व्याप्त है।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि यह मात्र एक विधिक दस्तावेज है जिसे चर्चा और राय जानने के लिए परिचालित किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न यह है कि हम पाते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी व्यवसाय को खोला जा रहा है, वकालत को खोला जा रहा है। इस देश में प्रत्येक व्यवसाय को खोला जा रहा है।

अतः लोग चिन्ता व्यक्त क्यों न करें ? यदि चिन्ता व्यक्त की गई तो आप विधि आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं। क्या सरकार इस देश में केवल विधि आयोग को मान रही है ? ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप इस व्यवसाय को विदेशियों के लिए खोल रहे हैं ...*(व्यवधान)* भारतीय वकीलों को भारतीय न्यायालयों में पेश होने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में परीक्षा क्यों देनी पड़ी जबकि बाहरी वकील कभी भी आकर यहां व्यवसाय कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदया, इस मामले में तीन मुद्दे शामिल हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया महिला सदस्य को बोलने दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पहला मुद्दा लाठी चार्ज आदि का है, दूसरा विदेशी वकीलों के प्रवेश के बारे में है।

श्री पवन कुमार बंसल : यह पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था के बिना किया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हां, तीसरा मुद्दा बहुत महत्त्वपूर्ण है। मुद्दा यह है कि सभी रिट याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में आएंगी जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जिन लोगों को रिट याचिका दाखिल करनी हों उन्हें दिल्ली आना होगा ? दिल्ली से बाहर के वकील क्या करेंगे ? इसलिए इन तीनों मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। सरकार को रिट याचिकाओं के बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे हर चीज को विदेशियों के प्रवेश के लिए खोल रहे हैं – चाहे मीडिया हो या वकील।

सभापति महोदय : भगवान का शुक्र है कि संसद को विदेशियों के प्रवेश के लिए नहीं खोला जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम नहीं जानते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उन्हें उत्तर देना चाहते हैं अथवा आश्वासन देना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : मैडम, मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है चूंकि यह बंगाल से उठाया गया है। मैंने कलकत्ता के वकीलों से भेंट की है। वे मुझसे मिले हैं। मैं स्वयं कलकत्ता भी गया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैडम, कृपया उन्हें सभी बातों का इकट्ठा जवाब देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : मैं स्वयं कलकत्ता गया था उनके साथ इस पर बातचीत भी की थी उन्हें कहा था कि इस एक अपील जिसमें इस मुकदमेबाजी में 7-8 वर्ष लग रहे हैं, के स्थान पर यह बेहतर होगा कि इन मामलों पर पहली बार में खण्डपीठ द्वारा ही सुनवाई करने दीजिए आरम्भ में मामला दर्ज होने की अवस्था में उन्हें एक न्यायाधीश द्वारा निपटाया जाने दीजिए और बाद में खण्डपीठ द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी और तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय में अपील की जाएगी ...*(व्यवधान)* श्री दासमुंशी कृपया मुझे बोलने दीजिए। यह गम्भीर मामला है जिसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है।

प्रत्येक सम्मेलन, जो न्याय में विलम्ब सम्बन्धी विषय पर संयुक्त रूप से अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों का हुआ है, में इस पर चर्चा की गई और पहला सुझाव जो दिया गया है और जिस पर किसी ने भी मतभेद व्यक्त नहीं किया वह है कि कई अपीलों में से कम-से-कम एक अपील को समाप्त किया जाना चाहिए।

यह विधेयक इस सरकार का कार्य नहीं है। यह न्यायाधीश मालीमय समिति संसदीय समिति द्वारा विधि मंत्रियों के सम्मेलन में संस्तुत किया गया था और तत्पश्चात् यह विधेयक 1997 में पुरः स्थापित किया गया था और जब हम तस्वीर में भी नहीं थे तो राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 1997 में यह विधेयक पारित नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय लोक सभा बार-बार भंग हो रही थी। जब मैं विधि मंत्री बना तो मैंने बिखरे धागों को जोड़ा जो जहां टूट गए थे और मैंने इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया। इस सभा के माननीय सदस्य सब उपस्थित थे। मैं नहीं जानता श्री सोमनाथ चटर्जी क्यों अनुपस्थित थे। यदि वह अधिवक्ताओं के लिए इतने चिन्तित थे तो उन्हें उपस्थित होना चाहिए था। यह विधेयक चर्चा के उपरान्त दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्पति से पारित किया गया था और कोई भी इसके विरुद्ध नहीं था। यहां तक श्री बंसल ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये थे ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मैं उस पर डटा रहा जो मैंने कहा था। मेरा प्रश्न भिन्न है यदि आप मुझे इसे कहने की अनुमति दें तो मैं इसे कहता हूं। वह दूसरी चीज है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ।

श्री राम जेठमलानी : हम एक प्रश्न का समाधान करेंगे तत्पश्चात् हम भिन्न चीजों पर जाएंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : आज अधिवक्ताओं को एक चीज चुभ रही है कि आप एक शर्त लगा रहे हैं कि उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् एक परीक्षा पास करनी होगी जो किसी के द्वारा निर्धारित की जाएगी ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : हे भगवान ! मुझे क्षमा करें। मैं पिछले दो महीनों से बार-बार कह रहा हूं कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : अतः आप उनसे बात कर सकते थे ...*(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : यह राष्ट्रीय चर्चा के लिए विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत केवल अनन्तिम दस्तावेज है। यदि वकीलों को समझ नहीं आया तो मुझे खेद है कि मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब इस संसद में स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, संभवतः वे किसी बात पर आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन क्या लाठी चार्ज अथवा पानी की बौछार उसका जवाब है ?

सभापति महोदय : श्री बंसल, उन्होंने अत्याचारों की छान–बीन करने के लिए आयोग गठित किया है।

श्री राम जेठमलानी : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निर्णय करने दीजिए कि कौन दोषी है और दोषी को इतनी गम्भीरता से सजा दी जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : सी पी सी पर मेरे अपने विचार हैं। मैं उन पर असहमत नहीं हूं। मैंने माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री जी से अधिक मनाने की कोशिश की है।

श्री राम जेठमलानी : धन्यवाद।

श्री पवन कुमार बंसल : जहां तक हमारे प्रश्न का सम्बन्ध है यह वकीलों को निसन्देह रूप से उत्तेजित करता है आप उस व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकते जो कल वकीलों के साथ किया गया है।

सभापति महोदय : श्री बंसल, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी छानबीन की जाएगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदया, मैंने माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुना है जो 'बार' के विद्वान सदस्य हैं उनके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है भारत की बार परिषद, वकीलों की निर्वाचित शीर्षस्थ निकाय पिछले कई महीनों से इन मामलों पर बहस कर रही है और भारत की बार परिषद ने सरकार, सांसदों, राजनीतिक दलों को 15 दिन पहले भुवनेश्वर में हुई उनकी बैठक के पश्चात् जारी अपने पत्र में कहा था कि वे इन मुद्दों पर हड़ताल करने वाले हैं सी पी सी पर संशोधनों पर उनकी शंकाओं के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

मंत्री जी ने वक्तव्य में स्पष्ट नहीं किया था कि क्या वह उनके विचारों पर विचार कर रहे हैं। दूसरा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के संशाधनों पर उनकी सम्भावित शंकाओं के संबंध में इस मामले के साथ मैं स्वयं को ईमानदारी से भावनात्मक रूप से सम्बद्ध करता हूं मैडम क्योंकि जब मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि कॉलेज का विद्यार्थी था हमने इस अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ दिनों के लिए भूख हड़ताल की थी। उन दिनों के दौरान मैं एक विद्यार्थी था अब भारत की बार परिषद ने शंका जताई है उन्होंने इस पर मत व्यक्त किया है कि उनके व्यवसाय के कार्य क्षेत्र में विदेशी वकीलों का अप्रतिबाधित प्रवेश ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जहां हमारे वकीलों को उचित चिन्ता होगी। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं मैं कल के पुलिस अत्याचारों का वर्णन नहीं कर रहा हूं। आप उसकी जांच आयोग द्वारा करवा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। देखिए इसका नतीजा क्या होता है।

लेकिन आपने कहा कि आपने उन्हें कहा कि वे आए और आपसे भेंट करें और वे आपके पास नहीं आए। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं क्या सरकारी तौर पर हड़ताल में पहले आपने उन्हें आमंत्रित किया था कि भारत की बार परिषद आपके पास आए, विधि मंत्रालय के साथ अपने ज्ञापन पर विचार–विमर्श करे और फिर आप उन्हें बतायेंगे। क्या अधिकारिक तौर पर आपने ऐसा किया था ? इस पर सार्वजनिक अपील का प्रश्न ही नहीं है विद्वान वकील के रूप में जब आपने अपील की तो विधि का छात्र होने के नाते हम सम्मानपूर्वक आपकी बात सुनने गए क्योंकि कई चीजों पर आपने हमें आलोकित किया है लेकिन विधि मंत्री के रूप में क्या आपने बार कांउसिल से उनकी हड़ताल के सम्बन्ध में अधिकारिक तौर पर बातचीत की। हड़ताल की उनकी सूचना इन मामलों की थी और आप उन मामलों पर चर्चा कर इससे पहले कि वे हड़ताल पर जाएं निपटान करना चाहते हैं।

श्री राम जेठमलानी : इसका उत्तर सकारात्मक है। यही नहीं कि भारत की बार काउंसिल के सदस्य लगभग स्वभावतः और नियमित रूप से मुझसे मिलते थे चेयरमैन हमेशा बंगलौर नेशनल लॉ स्कूल में जहां मैं पढ़ाता था, मुझसे मिलते हैं और बैठकों के लिए भी वह आते हैं। मैंने पूरे देश का भ्रमण किया। उन्होंने मुझ से भेंट की और 4 फरवरी की तिथि भेंट के लिए निर्धारित कर दी। 4 फरवरी को भारत की बार काउंसिल के 3 विद्वान सदस्य मेरे पास आए। मैंने सिविल प्रक्रिया संहिता के सभी संशोधनों पर उनके साथ चर्चा की।

अब जहां, विभेद है और मैं अनावश्यक रूप से समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं वहां गलतफहमी है। मैं तो इसे गलतफहमी ही कहूंगा। मैं समझता था कि तीनों सदस्य उन स्पष्टीकरणों से सन्तुष्ट होकर गए जो मैंने उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के संशोधनों की प्रकृति के बारे में उन्हें दिये थे। अब वह कह रहे हैं कि वे असंतुष्ट हैं। यदि वे सन्तुष्ट नहीं थे तो उन्हें 4 फरवरी से 24 फरवरी के बीच कम–से–कम एक पत्र तो मुझे यह कहते हुए लिखना ही चाहिए था कि श्री जेठमलानी हमने आपसे भेंट की लेकिन हम आपकी कही गई बातों पर संतुष्ट नहीं हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।

अब हमने वार्त्ता शुरू की है और हम इस पर विचार करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस समस्या को समाप्त हो जाने दीजिए, पिछले घावों को सूखने दीजिए। तब सब बातें ठीक हो जाएगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा कहना है कि यह मामला समाप्त हो गया है। अब मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

अब हम मद संख्या 6 पर जाएंगे। श्री नारायण दत्त तिवारी लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : हम जानना चाहते हैं वास्तव में क्या हुआ था।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अध्यक्ष के पास यह पता लगाने गए हैं कि क्या किया जाए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कुछ समय बाद गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ हो जाएगा। इस प्रकार हम कैसे जान पाएंगे ? हमें इस बात का पता इसी समय लगाना चाहिए। हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य में व्यवधान नहीं डाल सकते हैं। यह सरकार की प्रतिक्रिया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय चले गए हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य में व्यवधान डाल सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.18 बजे

लोक लेखा समिति

पहला प्रतिवेदन

[*अनुवाद*]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 6 पर आएंगे। श्री नारायण दत्त तिवारी लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं लोक लेखा समिति (1999–2000) का "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क – समान उत्पादों के लिए अलग–अलग वर्गीकरण" संबंधी पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.19 बजे

(चार) समितियों के लिए निर्वाचन

लोक लेखा समिति

[*अनुवाद*]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम, 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2000 से 20 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2000 से 30 अप्रैल, 2001 तक की अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.21 बजे

कॉफी (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉफी अधिनियम, 1942 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उमर अब्दुल्ला : विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, अब संसदीय कार्य मंत्री आ गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदया, आपने मुझे अध्यक्ष के पास जाने के लिए कहा। जब मैं वहां गया तो वे एक शिष्टमंडल के साथ वार्त्ता में व्यस्त थे।

सभापति महोदय : कौन सा शिष्टमंडल।

श्री प्रमोद महाजन : मैं नहीं जानता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : इसे इतने सामान्य ढंग से नहीं लिया जा सकता है।

श्री प्रमोद महाजन : माधवराव जी, कृपया मेरे ऊपर ऐसा उत्तरदायित्व तो न डालिए जो कि मेरा कार्य न हो।

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने नहीं अपितु सभापति महोदया ने आपको उत्तरदायित्व सौंपा था और आपने तत्परता से स्वीकार भी किया था।

श्री प्रमोद महाजन : हां, मैंने तत्परता से सहमति दी थी और मैं तत्परता से माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में भी गया था। माधवरावजी, आप एक मिनट के लिए मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? एक संसदीय कार्य मंत्री के नाते इस पर किस नियम के अंतर्गत चर्चा करनी है, इस बात का निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं। इस बात का निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना है।

सभापति महोदय : हम दस मिनट के लिए सभा को स्थगित करते हैं और इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से पता करते हैं। इसके बाद गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जा सकता है। क्या यह सही है ?

श्री प्रमोद महाजन : वे अध्यक्षपीठ पर हैं और वे अध्यक्ष महोदय से पता कर सकती हैं परन्तु आप वह जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : जब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था तब आपने तत्परता से सहमति दी थी। इसलिए हमने आपसे पूछा था। अन्यथा हम उनसे पूछते।

श्री प्रमोद महाजन : इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं उनके

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–दो, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

कक्ष में गया भी था परन्तु वे किसी शिष्टमंडल के साथ व्यस्त थे।

सभापति महोदय : हम अपराह्न 3.30 बजे तक सभा को स्थगित करते हैं। हम पुनः समवेत होकर गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य पर चर्चा करेंगें। इस बीच मैं स्वयं अध्यक्ष महोदय के पास जाकर पता लगाऊँगी कि क्या किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.38 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.38 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं।*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 20 पर आते हैं : गैर सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य... विधेयकों का पुरःस्थापन।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदया, स्थगन प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया ?

सभापति महोदय : मैं अभी–अभी अध्यक्ष के कक्ष में उनसे मिलने के लिए गई थी और ,उन्होंने कहा कि उन्हें सोमवार सुबह तक का समय चाहिए। सोमवार सुबह वे विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : क्या शनिवार और रविवार भी कार्यदिवस है !

सभापति महोदय : ये छुट्टी के दिन हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : समस्या यह है कि बहुत से मैम्बर्स अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आज जाएंगे और सोमवार को लौट कर आएंगे। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस रूप में इस पर चर्चा होगी।

सभापति महोदय : वे सोमवार को तैयार होकर आएंगे। सोमवार को दस बजे लीडर्स बैठकर डिसकस करेंगे।

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति को समय का आबंटन और अन्य सभी कार्य करने हैं। इसलिए आपके नेतागण वहां पर होंगे और इस संबंध में चर्चा करेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : इस प्रकार हम इस पर सोमवार को चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर अपना विनिर्णय देंगे।

सभापति महोदय : वे सभी मुद्दों की जांच कर रहे हैं। मैं केवल उनसे मिलने ही गई थी तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई मत होने की वजह से उन्हें सोमवार सुबह तक का समय चाहिए।

इसलिए हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। यह हमारा कार्य है।

श्री जी. एम. बनातवाला : क्या मैं यह समझूं कि जो कार्यसूची हम सोमवार के लिए प्राप्त करेंगे अर्थात् कल या परसों, उसमें इस मुद्दे के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि इस बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा सोमवार को ही निर्णय लिया जाएगा कि हम इस पर किस रूप में और कब चर्चा करेंगे ? इस प्रकार कैसे कार्य हो सकता है ? यह निर्णय पहले लिया जाना होगा क्योंकि कार्यसूची परिचालित होती है। आप कार्यसूची को परिचालित कैसे करेंगे ?

सभापति महोदय : मैं केवल यही कर सकता हूँ कि अध्यक्ष के पास जाऊं। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय को कोई निर्णय लेना होगा। मैंने केवल वही बताया जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप उनसे यह क्या सूचना लाए हैं ? यह मात्र एक मजाक हो गया है।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : हम आपसे संतोषजनक उत्तर चाहते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : हम सभा की बैठक पुनः स्थगित करें। आप जाकर यह पता लगाइए कि इस मुद्दे को कार्यसूची में किस तरह सम्मिलित किया जाएगा।

सभापति महोदय : श्री जी. एम. बनातवाला, मैं स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय के पास गया था।

श्री जी. एम. बनातवाला : आप उनसे बहुत उपहासजनक सूचना लाए।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि उन्हें इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सोमवार तक का समय चाहिए। उन्हें ये देखना होगा कि इसे किस निर्णय के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है और इसके लिए कितना समय आबंटित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, "मुझे सोमवार तक का समय चाहिए।"

श्री जी. एम. बनातवाला : कार्यसूची अब जारी की जाएगी।

सभापति महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला, आप भी माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलकर उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ : यह प्रक्रियागत नहीं है। इस बारे में आपको निर्णय लेना होगा।

सभापति महोदय : मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि इस पर किस रूप में और कैसे चर्चा की जाएगी।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हमें लगता है कि आप इसका निर्णय नहीं करेंगे। समस्या यह है कि आज सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम इस मुद्दे पर सोमवार को चर्चा करेंगे। जहां तक हमें दिए गए आश्वासन का संबंध है यह चर्चा सोमवार को की जानी है। हम नहीं जानते कि किस उपबंध के अंतर्गत यह चर्चा की जाएगी।

सभापति महोदय : जब आप सोमवार को सभा में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इसे कार्यसूची में किस तरह शामिल किया जाएगा ? इसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है ?

सभापति महोदय : आप बहुत ही अनुभवी सांसद है। इस मुद्दे पर चाहे किसी भी रूप में चर्चा करनी हो, आपकी तैयारी इस तरह रहेगी कि आप उसी रूप में बोल लेंगे। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।

अपराह्न 3.40 बजे

(एक) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40½ बजे

(दो) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश विधेयक*, (अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बीरसिंह महतो : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(तीन) विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता–पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बीर सिंह महतो : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

[अनुवाद]

(चार) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक*

श्री विलास मुतेमवार (नागपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले सभी व्यक्तियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समर्थ शरीर वाले सभी व्यक्तियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(पांच) कबाड़ बीनने वाले और अन्य निस्सहाय-निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कबाड़ बीनने वाले और निस्सहाय–निराश्रित बालकों हेतु, जो अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक कूड़ा–करकट के ढेर और अन्य स्थानों के लिए अपशिष्ट सामग्री इकट्ठी करके और उसे बेच कर जीवन निर्वाह करते हैं, संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने के लिए कल्याणकारी उपायों और शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा तथा मार्गदर्शन के जरिए उनके पुर्नवास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कबाड़ बीनने वाले और निस्सहाय–निराश्रित बालकों हेतु, जो अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक कूड़ा–करकट के ढेर और अन्य स्थानों से अपशिष्ट सामग्री इकट्ठी करके और उसे बेच कर जीवन निर्वाह करते हैं, संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने के लिए कल्याणकारी उपायों और शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा तथा मार्गदर्शन के जरिए और उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(छः) चलचित्र (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 के स्थान पर नई धारा आदि का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

(सात) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महादेय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि भिक्षावृति के उत्सादन और उससे सम्बंधित और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

(आठ) एक समान विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समस्त देश में एक समान शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समस्त देश में एक समान शिक्षा प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.47 बजे

(नौ) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का आरक्षण)विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पदों तथा सेवाओं में तथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से धन प्राप्त कर रहे सभी सांविधिक प्राधिकरणों तथा स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने तथा आरक्षण नीति और उससे संबद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उल्लंघन करने पर दंड का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पदों तथा सेवाओं में तथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से धन प्राप्त कर रहे सभी सांविधिक प्राधिकरणों तथा स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने तथा आरक्षण नीति और उससे संबद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उल्लंघन करने पर दंड का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

(दस) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "देश में बेराजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में बेराजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.48½ बजे

(ग्यारह) केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) (संशोधन) विधेयक*

(धारा 5 और 6 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.49 बजे

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक*

(धारा 4 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.50 बजे

(तेरह) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण) विधेयक*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित सभी अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) (विविध कार्यवाहियों को वापस लेना) विधेयक - जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा पुरःस्थापित किये गए विधेयक पर आगे चर्चा करेगी। श्री रमेश चेन्नितला खड़े हैं और वह अब जारी रखेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री जी.एम. बनातवाला ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है और मैं इस विधेयक के पीछे छुपी भावना का समर्थन कर रहा हूं।

"टाडा" अधिनियम समाप्त हो गया है और फिर भी कुछ लोग, जिन पर "टाडा" के अन्तर्गत मामले चल रहे थे, अभी भी कानूनी कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं। वे जेल में हैं और वे कठिनाइयों को झेल रहे हैं। श्री जी.एम. बनातवाला चाहते हैं कि सभी इन मामलों को वापस लिया जाए और उन लोगों को मुक्त किया जाए। हम मुख्य मुद्दे के साथ–साथ आंतकवाद के परिणामों और इससे उत्पन्न खतरों पर भी विचार कर रहे थे। गम्भीर समस्या यह है कि हम सभी इस विधेयक में छिपी भावना के साथ सहमत है। हम सभी स्वीकार कर रहे हैं कि "टाडा" अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है और पुलिस द्वारा कई निर्दोष लोगों को हिरासत में रखा गया है और उन्हें परेशान किया गया है इस का पूरा उद्देश्य अथवा इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य उन निर्दोष लोगों को बचाना है जिन्हें टाडा अधिनियम के अन्तर्गत परेशान किया जा रहा था।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैंने पहले ही इन सभी बातों का वर्णन कर दिया है अतः आज मैं कहना चाहूंगा कि आतंकवाद सार्वभौमिक समस्या है और इस पर अकुंश लगाया जाना चाहिए। विश्व में प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस संकट पर अंकुश लगाए। भारत सरकार को सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने को अधिक महत्त्व देना चाहिए। हम देख सकते हैं कि इस्लामी कट्टरवादी इसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है अब यह हमारे देश के इर्द–गिर्द राष्ट्रों के समक्ष गम्भीर समस्या बन गई है। हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और इसके बारे में हमें सोचना होगा। हमें सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कुछ रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत अन्य राष्ट्रों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है एक तरीके से हमें इसमें सफलता भी मिली है अर्थात हम इन मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार को अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी रूप से इस मामले को उठाने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए ताकि हमें विदेशों से अधिकतम समर्थन प्राप्त हो सके।

अब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान इस प्रकार के आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान हमारे देश में इन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। अतः केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि आतंकवाद का मुकाबला करने में अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करे और आतंकवाद के इन मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए ताकि हम इन देशों को अलग–थलग कर सकें जो हमारे देश में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस विधेयक की भावना, जिसे श्री जी.एम. बनातवाला जी द्वारा पुरःस्थापित किया गया है, से सहमत हूं। इस के साथ–साथ उन लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए जो इन अपराधों में संलिप्त हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : श्री बनातवाला जी ने यहां जो बिल प्रस्तुत किया है, उस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस दिन अपने बिल का प्रस्तुतीकरण करते हुए जिस प्रकार का चित्र खींचा उस चित्र के खींचने से ऐसा प्रतीत होता था कि टाडा एक्ट बहुत जुल्म ढा रहा है, अत्याचार ढा रहा है और वह भी समाज के वर्ग विशेष पर। ऐसा उनके भावों से कुछ झलक रहा था। मैं समझता हूं कि टाडा एक्ट जब लागू हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी। 1987 के अंदर टाडा एक्ट लागू हुआ था और हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इस प्रकार के कानूनों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब–जब देश के अंदर इस प्रकार की संकटमय परिस्थितियां पैदा हुईं, जब–जब कोई प्रायोजित आतंकवाद चाहे सीमावर्ती देशों से हुई हों, आतंकवाद विद्रोह हो या इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हों, तब देश की जो भी सरकारें थीं उन्हें कठोर कदम उठाना पड़ा और राष्ट्र के हित में उठाना भी चाहिए। क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर कहा गया है "दंडेन शास्त्रिक प्रजाम्" इसका पर्याय यह है कि शासन थोड़ा सख्त होना चाहिए। क्योंकि पांचों अंगुलियां एक तरह की नहीं होती। अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन कुछ असामाजिक तत्त्व भी होते हैं जो अच्छे लोगों का जीना हराम कर देते हैं। कानून और व्यवस्था का तकाजा है और समाज के अंदर जो रहते हैं, 'जासु राज प्रजा दुखारी', जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुःखी रहती है, तो उस राजा को शासन करने का वास्तव में अधिकार नहीं है। इसलिए

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2 दिनांक 25.2.2000 में प्रकाशित।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

प्रजा को सुखी रखने के लिए और असामाजिक तत्त्वों को, आतंकवादी तत्त्वों को, विध्वंसकारी तत्त्वों का ... *(व्यवधान)* इसलिए इस प्रकार के कानून बनाने अत्यंत आवश्यक थे। शायद आप भूले नहीं होंगे कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थीं तब उन्होंने मीसा लागू किया था। आप मीसा की बात भी थोड़ी याद रखें। इसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बना था। उसके बाद 1987 के अंदर टाडा आया। उसके साथ–साथ प्रीवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो 1950 से 1969 तक लागू हुआ। इसी प्रकार के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 से 1971 तक लागू हुआ। तो जब–जब देश में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं या देश की जो सुरक्षा है, कानून और व्यवस्था खतरे में पड़ती हे तो हमें इस प्रकार के सख्त कानूनों को लाने की आवश्यकता है। ठीक है, टाडा अपनी मौत आप मर गया। 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुसार टाडा की जो समयावधि थी, वह समाप्त हो गई और टाडा लैप्स हो गया। लेकिन टाडा के अंदर जितने गिरफ्तार किये हुए लोग थे, उनमें से लगभग 23,901 लोगों को, जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए या और कोई कारण से उनको छोड़ दिया गया। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार केवल 22 लोग शायद ऐसे बचे हैं जिन्होंने हीनियस क्रिमिनल क्राइम्स किये हैं। जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति बड़ा घोर अपराध किया है या बमकाण्ड करके सैंकड़ों लोगों की जानें लीं हैं, ऐसे लोगों को भी अगर छोड़ देने की बात कहते हैं तो उनकी बुद्धि पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है। आज हम देख रहे हैं कि कारगिल पर विजयश्री प्राप्त करने के बाद पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों को, विदेशी भाड़े के लोगों को कश्मीर की घाटी के अंदर भेजकर कितना लहू–लुहान दृश्य उपस्थित कर रहा है। सैंकड़ों निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

हमारे सुरक्षा बलों पर आक्रमण हो रहा है, सुरक्षा बलों के कैम्पों पर आक्रमण हो रहा है। यही नहीं, जो लोग नक्सलवादी हैं, आंध्र प्रदेश में और अभी मध्य प्रदेश के बक्सर जिले में, उन्होंने माइनिंग वगैरह बिछाकर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों को मौत के घाट उतरवा दिया। देश के उत्तर–पूर्वी इलाकों में जिस प्रकार की उग्रवादी गतिविधियां हो रही हैं, जो सैवन सिस्टर्स कहलाती हैं, विशेषकर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, क्या इस प्रकार की गतिविधियों को देश सहन करता रहेगा। इसलिए जहां टाडा कानून खत्म हुआ लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, विधि मंत्री यहां विराजमान हैं, देश में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए, समाज विरोधी ताकतों का दमन करने के लिए और जो लोग कानून की व्यवस्था को चौपट करने पर तले हुए हैं, साम्प्रादायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं या उग्रवाद फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए और आम जनता को सुख और शांति पहुंचाने के लिए कड़ा कानून बनाना अत्यन्त आवश्यक है, बनाया जाना चाहिए।

इस विषय में सरकार ने तय किया था, पहले राज्य सभा में क्रिमिनल लॉ अमैंडमैंट, 1995 में एक बिल 'दू कम्बेट टेररोटोरिस्म' भी आया था लेकिन शायद वह किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाया। अब देश में जिस प्रकार से आई.एस.आई. का जाल फैलता जा रहा है, जैसे 500 रुपये और 100 रुपये के नोट छापकर हिन्दुस्तान में भेजे जा रहे हैं, यहां की आर्थिक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने के लिए जैसे तस्करों द्वारा मादक पदार्थों का हिन्दुस्तान में अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है, सबसे अधिक सीमाओं पर छंब में जो युद्ध लड़ा जा रहा है या नक्सलवाद, की समस्या पैदा हो रही है, देश में उग्रवाद का वातावरण पैदा हो रहा है, इन सारी परिस्थितियों में इसे करना अत्यन्त आवश्यक है। भारत सरकार ने जो विधि आयोग बनाया है, उनकी भी अनुशंसा है कि टाडा के स्थान पर नया प्रभावी आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोधक कानून तैयार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि विधि आयोग ने जो अनुशंसा की है, सरकार वह कानून इस सदन में जल्दी लाए नहीं तो हमारे देश में योजनाबद्ध ढंग से अपराधों में जो प्रभावी वृद्धि हो रही है, उसे रोकने में सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

विधि आयोग के अध्यक्ष श्री वी.पी. जीवन रैड्डी, श्री बनातवाला ने भावना प्रकट की है कि अगर किसी के ऊपर वास्तव में जुल्म हुआ है, अगर टाडा के अंदर निर्दोष लोगों को फंसाया गया और जान–बूझकर उनको डिटैन्शन में रखा गया, यदि ऐसे लोगों पर ज्यादती हो तो उसका निराकरण किया जाना चाहिए। वास्तव में जो ज्यादती करने वाले लोग हैं या जिन्होंने जनता के साथ जुल्म किया है, जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनके विरुद्ध सख्ती का व्यवहार होना चाहिए अन्यथा आम लोगों की निगाह में कानून की इज्जत नहीं रह जाएगी। जब कानून की इज्जत नहीं रहेगी तो सारे समाज में अराजकता का वातावरण पैदा हो जाएगा। विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि प्रस्तावित आपराधिक कानून संशोधन विधेयक में न तो टाडा जैसे सख्त प्रावधान होंगे और न ही नियम बहुत कठोर होंगे। वे पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रभावी कानून बनाने की बात सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उनकी शंकाओं का भी समाधान करेगा। इसमें टाडा जैसे सख्त कानून भी नहीं होंगे और नियम वगैरह में सुरक्षात्मक उपाय होंगे, अपील करने का अधिकार होगा। पहले तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील होती थी लेकिन अब उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करने का उपाय किया गया है ताकि निर्दोष लोगों को नहीं सताया जाए।

एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आज इस देश में छद्म धर्मनिर्पेक्षता के नाम पर, तथाकथित सैकुलरिज़्म के नाम पर समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो, यह होना चाहिए कि जो भी वर्ग गलती करता है, उसे स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। 'मीठा–मीठा हप, कड़वा–कड़वा थू', जो उनके अनुकूल प्रतीत होते हैं, चाहें वे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, मुम्बई में जो कांड हुआ, बारह जगह बम विस्फोट हुए और सैंकड़ों निर्दोष लोगों की जानें गईं। या और भी कश्मीर के अन्दर या अन्यत्र जहां भी होता है तो सब लोग ऐसा मान लेते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है। नहीं, हमारा कानून है, हमारा संविधान है। इस देश में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सब कानून की निगाह में एक समान हैं। जो भी कानून को तोड़ने वाला है, जो भी जनजीवन को खतरे में डालने वाला है, जो भी भारत के विरुद्ध इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने वाला है, वह कानून की नजरों में दोषी माना जायेगा। आपने बहुत शेरो–शायरी पढ़ी है,

मैं भी एक शेर के अन्दर अपनी बात कहना चाहूंगा :

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,

वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

इसलिए जो आपराधिक गतिविधियां करने वाले आतंकवादी आज कैसी–कैसी घटनाएं कर रहे हैं, कभी वे बारातों पर और जो अच्छे समारोह हो रहे हैं, वहां झुंड के झुंड, 30–30, 40–40 लोगों को मारकर चले जाते हैं, कभी उनकी भी निन्दा करें कि वास्तव में यह देश के हितों के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय देश की स्थिति बहुत असाधारण रूप से खराब हो रही है, क्योंकि जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी हम देखते हैं कि वहां कठोर कानून बने हुए हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए हमने अमेरिका को बहुत कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाये, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैसे बंदरिया अपने बच्चे को चिपकाये रखती है, ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान को चिपकाये हुए है। वह हमारी भावना को समझ नहीं रहा है, लेकिन जब से लादेन अफगानिस्तान के अन्दर के बैठा हुए अमेरिका के दूतावासों के अन्दर बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं, तब से अमेरिका की आंखें खुली हैं और अब वह कह रहा है कि हां, पाकिस्तान आतंकवादियों की शरणस्थली बन गया है। मैं समझता हूं कि अमेरिका को हमारे देश की भावना को समझना चाहिए और हमें विश्व में जनमत पैदा करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भारत का आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का ही एक हिस्सा है और जहां–जहां भी इस प्रकार के कई देशों के अन्दर इस प्रकार की आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं तो मैं समझता हूं कि टाडा कानून तो गया और उसके अन्दर जो निर्दोष लोग अभी हैं, वैसे मैं सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, जिसके द्वारा समाधान हो जाना चाहिए। वास्तव में इस समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार भी निरन्तर चिन्तित है और प्रयत्नशील है। इन्होंने कहा है कि अब 22 लोग रह गये हैं और स्टेट्स को कहा गया है कि वे रिव्यू करें और रिव्यू करके जो भी निर्दोष लोग हैं, उनको भी जल्दी छोड़ा जाये। जिन्होंने अपराध किये हैं, कानून की धाराओं के अनुसार उनको जो भी सजा देनी है, वह दी जाये।

मैं अन्त में सरकार से एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार के हाथ मजबूत होने चाहिए। सरकार के हाथ निर्दोषों को दबाने के लिए नहीं, निर्दोषों की रक्षा करने के लिए, आम जनता को अमन और चैन पहुंचाने के लिए, कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है ताकि आतंकवादी गतिविधियों में सीमा पार के आतंकवाद से और कश्मीर व उत्तर पूर्व में होने वाली नित नई घटनाओं से और नक्सलवाद और बिहार के अन्दर होने वाली घटनाओं से निबटा जा सके।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदया, मैं अपने माननीय मित्र द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस देश में उपलब्ध कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूं। अब सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक "टाडा" विधि संग्रह का अंग बना रहेगा तब तक यह मामला गम्भीर चिन्ता का विषय बना रहेगा। इसे विधि संग्रह में किस प्रकार बनाए रखा गया है? इसे विधि संग्रह में बहुत पहले हटा लिया जाना चाहिए था। यह मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। भारत उन देशों में से एक है जिसने संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किये हैं। इस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने के पश्चात् भी इस कानून को विधि संग्रह में बनाए रखना रहस्यमयी और हास्यास्पद है। अब इसने अत्यन्त गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह सरकार संबंधित मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने की इच्छुक है। वे सभी मामलों को तुरन्त निपटाना चाहते हैं।

अपराह्न 4.10 बजे

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

उस प्रयोजन के लिए हमारे विद्वान मित्र सिविल प्रक्रिया संहिता में एक नया संशोधन लेकर आए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में पूरा अधिवक्ता समुदाय उनके खिलाफ हो गया है। कल उन पर बेदर्दी से लाठीचार्ज किया गया था। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी एक वकील हूं और वह भी एक वकील है हमारी आंखें के सामने उन पर बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया। किस प्रयोजन के लिए ? यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी मामलों को शीघ्रता से निपटाना होगा लेकिन यह ऐसा मामला है जिसने हमारी आंखें खोल दी हैं–टाडा पुराना हो गया है इसके उपबन्ध आज के समयानुकूल नहीं हैं। अमानवीय हैं, बेरहम हैं और इसे विधि संग्रह से हटा दिया जाना चाहिए। क्या इस बारे में उन्होंने कोई कार्यवाही की ?

उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि यह अनुपयुक्त है और कि यह मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। कृपया विधि मंत्री जी की सोच तो देखिए। एक अधिवक्ता अधिनियम है। वहां भी आप देखिए कि वहां भी विलम्ब है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रेक्टिस का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। उन्होंने इसे कार्यान्वित नहीं किया है लेकिन अब वे कुछ और कार्यान्वित कर रहे है। अब उन्हें और मुझे प्रत्येक 5 वर्षों में परीक्षा में बैठना होगा। यह अत्यन्त हास्यास्पद और अति हानिकारक है। विद्यमान सरकार द्वारा ऐसी प्रवृत्ति दर्शायी गई है।

हमें यही प्रवृत्ति यहां भी दिखाई देती है कि "टाडा" को बनाए रखा गया है किसके हित के लिए ? मुकदमें वर्षों तक चलते रहते हैं। आज की विभिन्न राज्यों की जेलों में विचाराधीन कैदी पड़े हुए हैं। यह विधान है जिसका बारम्बार दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस उद्देश्य के लिए इसे पारित किया गया था उसके लिए इसका उपयोग कभी भी नहीं किया गया। इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों की पिटाई के लिए राजनीति विरोधियों को जेल में रखने हेतु और वह भी अनिश्चित काल के लिए प्रयोग किया गया।

हमने अपने संविधान की स्वर्ण जयंती मनाई। इसका क्या परिणाम निकला ? जैसा कि हाल ही में मेरे विद्वान मित्र ने कहा था कि सैकड़ों हजारों विचाराधीन कैदी मात्र इस बहाने से कि वे "टाडा" अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन कैदी हैं जेलों में बन्द हैं। क्या यह अधिनियम हमारे विद्वान मित्र श्री राम जेठमलानी के लिए शर्म की बात

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

नहीं है। क्या भारत में उभर रही ऐसी स्थिति के लिए वे शर्म महसूस नहीं करते हैं ? वे हमेशा मामलों के शीघ्र निपटान की बात करते हैं वह स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करने की बात करते है और वह इस प्रयोजन के लिए विधि आयोग नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं ?

लेकिन यह अत्यन्त मूलभूत मुद्दा है–जेल में कोई व्यक्ति बिना मुकदमा/अभियोग के रहे। हालांकि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार या बन्दी बनाया जाता है, 24 घन्टों के भीतर मेजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाए। विश्व में कहीं भी आपको ऐसी प्रक्रिया नहीं मिलेगी क्योंकि यह प्रक्रियात्मक मामला है। जब कभी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसे न्यायिक अदालत में पेश किया जाना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है लेकिन भारत में ऐसा लिखा गया है क्योंकि साम्राज्यवादी ताकतों ने बिना अभियोग के वर्षों तक हमारे लोगों को बन्दी बनाकर रखा था ऐसे अनर्थ से बचने के लिए हमने संविधान में मौलिक अधिकारों में इसे स्थान दिया है हमने ऐसा क्यों किया ? यह इसलिए किया गया कि इसका दुरुपयोग न किया जा सके लेकिन हमने उस प्रावधान का दुरुपयोग विधान पारित करके किया है और लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में बन्द रखा है कुछ लोग जेल में बन्द पड़े हैं क्या यह नियति की विडम्बना नहीं है ? आप एक मिनट के लिए सोचिए क्या यह हमारे राष्ट्र के लिए शर्मनाक नहीं है ? 21वीं शताब्दी में यह शर्मनाक है कि लोगों को बिना किसी इस मूर्खतापूर्ण आधार पर जेल में बन्द किया जा रहा है कि वे आतंकवादी हो सकते हैं ?

हम आतंकवाद को रोक नहीं सकते। माननीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा सीमा पार आतंकवाद की बात करते हैं जब हम सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं तो इन निर्दोष लोगों को जेल में बन्द क्यों किया जा रहा है ? इसका क्या औचित्य है ? अतः मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करता हूं कि वे इसे वापस ले अथवा इसे अतिशीघ्र हमारे विधिसंग्रह से हटा लें और हमारे राष्ट्र के गौरव की रक्षा करें अन्यथा हम उपहास के पात्र बन जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, मुक्ति और तर्क की दृष्टि से जब किसी विधि को संसद में निरस्त कर दिया जाता है तो उस विधि के अंतर्गत लंबित सभी मामलों को स्वतः और नैतिक दृष्टि से वापस ले लिया जाना चाहिए। इसलिए उस संदर्भ में मैं श्री बनातवाला के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। फिर भी मुझे एक आपत्ति है। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें गम्भीर आरोप लगे हों। ऐसे आरोप आपराधिक षड्यंत्र या हिंसा या गम्भीर अपराध या नृशंस अपराध के हो सकते हैं। मैं ऐसे मामलों को वापस लेने की सिफारिश नहीं करता हूं परन्तु "टाडा" के अन्तर्गत बन्धक बनाए गए व्यक्तिओं के मामलों में, मैं उनके मामलों को वापस लिए जाने से संबंधित वर्तमान प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सभापति महोदय, मैं मुख्तसर अल्फाज़ में अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं इस बिल को मुकम्मल तौर से सपोर्ट करता हूं। हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद कुछ कानून ऐसे हुए जिनका इन्तहाई गलत इस्तेमाल हुआ और टाडा कानून इस मुल्क का एक ऐसा ही कानून था जिसका इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा गलत हुआ। कितने बेगुनाह लोगों को टाडा के अंदर बंद कर दिया गया और कितने खानदान के खानदान तबाह कर दिये गये और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है।

अभी मेरे कुलीग ने कहा कि तेईस हजार से ज्यादा लोग टाडा में बंद किये गये थे, उन्हें छोड़ दिया गया, चूंकि उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वे बेगुनाह थे। यह खुद अपने आपमें एक पूरी कहानी कह रहा है कि तेईस हजार लोगों पर मुकदमा चला, उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। कितना गलत इस्तेमाल टाडा का हुआ। क्या यह उन तेईस हजार खानदानों को कम्पनसेशन दे पाएगा ? मैं कांग्रेस के लोगों को भी यह कहना चाहूंगा जिन्होंने यह कानून बनाया था और उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो आज सरकार के अंदर हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि जब–जब जो सरकार में आता है, वह हमेशा एक जुबान बोलने लग जाता है और जब अपोजीशन में आता है तो अपनी जुबान बदल देता है। कानून टैरेरिस्ट लोगों के लिए जरूर होना चाहिए, टैरेरिस्ट लोगों के लिए सख्त–से–सख्त कानून होना चाहिए लेकिन टैरेरिस्ट लोगों के लिए कानून बनाकर हिन्दुस्तान के मुसलमान के खिलाफ इस कानून के तहत गलत कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। टाडा के अंदर सबसे ज्यादा अकलियत के लोगों को परेशान किया गया। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा मैंने जातीय तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा लड़ा था जिसमें जिस आदमी की सजा भी खत्म हो गई लेकिन वह उसके बावजूद जेल में पड़ा हुआ है और उसकी उम्र 70–75 साल की है। लेकिन पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके खिलाफ एक ऐसा केस बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहना पड़ा कि हमें अफसोस है और हमें सहानुभूति है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं मालूमात कि आज वह जेल में है कि नहीं है। लेकिन क्या कानून का मतलब यह है कि बेगुनाह लोगों को इस तरीके से सजा दी जाए ? टैरेरिज्म के नाम पर सजा दी जाए ? इस मुल्क के अंदर जब भी कोई ऐसा वाक्या होता है, उसे आई.एस.आई. के नाम चढ़ा दिया जाता है। मैं सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इतनी इंकम्पीटेंट सरकार है कि इस देश के अंदर जो भी गलत काम हो रहा है, वह पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, वह आई.एस.आई. एजेंट्स कर रहे हैं ? अगर यह सरकार ऐसा कहती है कि जितने गलत काम ऐसे हुए हैं और ये पाकिस्तान कर रहा है या आई.एस.आई. एजेंट्स कर रहे हैं तो यह इंकम्पीटेंट सरकार है, इसे हट जाना चाहिए, इसे सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक कानून बना है मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, कब्रिस्तान में टेंट लगाकर कोई भी अल्लाह का नाम लेना चाहें तो उसे सरकार से इज़ाजत लेनी पड़ेगी। किस लिए बनाया है? मुख्यमंत्री का कहना है कि बॉर्डर पर जितने मदारिस हैं और जिन पर कुरान का पाठ पढ़ाया जाता है, उनमें आई.

एस.आई. के एजेंट्स ने रहना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने एक भी वाकया ऐसा कोट नहीं किया कि बॉर्डर पर कौन सा ऐसा मदरसा है जहां मुख्यमंत्री गए और वहां आई.एस.आई. के एजेंट रहते थे, टैररिस्ट रहते थे। यह देश को बताना चाहिए कि इस मदरसे में इतने टैररिस्ट्स पकड़े गए और इन टैररिस्ट्स की वजह से यह कानून बनाना पड़ा। इस मुल्क में अल्लाह का नाम लेने के लिए क्या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी, सरकार से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी? क्या यह सैकुलरिज्म है? क्या इसलिए इस देश को सैकुलर देश कहा जाता है? मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार की नीयत गलत है। बेगुनाह लोगों को फौरन छोड़ना चाहिए। गुनहगार लोग खुल्लम–खुल्ला छूट गए हैं और बेगुनाह लोग टाडा में बंद हैं। श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट के अन्तर्गत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे सरकार में बैठे हैं और मंत्री बने हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि इन्हीं क्वानीन से टैररिज्म बढ़ता है। जब–जब किसी के मजहबी जजबात के साथ खिलवाड़ होगी, टैररिज्म बढ़ेगा। गोल्डन टैम्पल की बेहूरमती करोगे, भिंडरावाला पैदा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बाबरी मस्जिद को तोड़ोगे तो मुम्बई में मैनन पैदा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अपनी नीति और नीयत बदलो। तब देश ठीक से चलेगा।

मैं अपनी बात लम्बी न करते हुए इतना अर्ज करना चाहूंगा कि उन तमाम लोगों को जो टाडा में बंद हैं, उन्हें फौरन छोड़ना चाहिए। टाडा के खिलाफ आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, यह तो वही बात हुई :–

करके खून मीर का जा बैठे हैं घर के अन्दर,

और फिर पूछते हैं कि दर पे है हू हां कैसी ?

कत्ल करके बैठ गए और अब पूछ रहे हैं कि शोर कैसे मच रहा है? यह सारा शोर आपका दिया है।

श्रीमती जयश्री बनर्जी (जबलपुर) : आप इस तरफ देख कर क्यों कह रहे हैं?

श्री राशिद अल्वी : मैं दोनों तरफ देख रहा हूं। मैं डिसक्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए उधर देख रहा हूं कि आप सरकार में हैं।

श्री जयश्री बनर्जी : क्या हम गुनहगार हैं, इसलिए हमें हाथ दिखा कर कह रहे हो।

श्री राशिद अल्वी : खून में दोनों के हाथ रंगे हैं। कोई साफ नहीं है? दाएं और बाएं दोनों तरफ वालों का इसमें हाथ है। सच बात पर बुरा नहीं मानना चाहिए। जब किसी के जख्मों पर खुरंड के साथ उखाड़ने की कोशिश की जाती है तो तकलीफ होती है। वहां खून भी बहता है और पीप भी निकलती है। बहते हुए पीप और खून को न आप और न हम देख सकते हैं लेकिन उन लोगों की पीप का क्या होगा जो आज भी जेल में हैं। बेगुनाह लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यह बिल पेश करने के लिए बनातावाला जी को मुबारकवाद देता हूं। वह इसके लिए काबिले मुबारकवाद हैं। मेरी राय है कि उन तमाम लोगो को फौरन रिहा किया जाए। मैं मुकम्मल तौर पर इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस हाउस में बोलने का इस बिल के माध्यम से पहली बार समय मिला है। मैं बनातवाला जी द्वारा पेश इस बिल का विरोध करता हूं। टाडा के माध्यम से जिन लोगों की जिस समय गिरफ्तारी हुई, वह उस समय की आवश्यकता थी। जैसे–जैसे सभी बातें और तथ्य सामने आए, बड़े पैमाने पर लोगों को रिहा किया गया। अब केवल ऐसे 209 लोग बचे हैं जो टाडा में बंद हैं। टाडा द्वारा महाराष्ट्र में सबसे अधिक लोग गिरफ्तार हुए। वे क्यों गिरफ्तार हुए? महाराष्ट्र जो कि शांति का राज्य माना जाता है, उसका कारण यह है कि जैसा शासन महाराष्ट्र में रहा, उसके पीछे टाडा सबॉर्डिनेट आधार था।

आज देश में सुख शान्ति की चर्चा करते हैं। हर आदमी को शान्ति चाहिये, समाधान चाहिये लेकिन कानून की तरफ से जो बर्ताव होना चाहिये, उसके बर्ताव का लोग विरोध करते हैं। 1975 में देश के अंदर एमरजेंसी नहीं आई होती जिसमें बेगुनाह राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था जब कि टाडा में कुछ–न–कुछ गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया था। 1975 में तो बेगुनाह लोग 2–2 साल तक जेल में रहे लेकिन टाडा में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वे गुनहगार हैं। ऐसे लोगों को छोड़े जाने की आज बात की जा रही है। आज समाज के वे लोग टाडा में हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि रिवाल्वर, बारूद पकड़ा जा रहा है। इन सब में वे लोग शामिल हैं जो आपके सामने आयेंगे। ऐसे ही जाली नोट बनाने वाले लोग हैं। उस काम में जो लोग शामिल हैं, वे पकड़े जाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

यहां श्री रावत ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, वह सही है कि जब देश में लोग शान्ति चाहते हैं तो उसके लिये कड़ा–से–कड़ा कानून होना चाहिये। यदि एक बुरा आदमी देश के लिये कोई गलत काम करता है तो उसके लिये कानून सख्त होना चाहिये ताकि देश में शान्ति बनी रहे। ऐसा विद्रोह करने वाले व्यक्ति तभी तैयार होते हैं जब उसके पीछे राजनैतिक सपोर्ट होती है। इसलिये वह तैयार हुआ है। आज लोग महाराष्ट्र के लिये और गुजरात के लिये लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ है लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लिये चर्चा होती है। हम सब लोग यहां सभागृह में बैठकर चर्चा कर लेते हैं। असम में देखिये कि किस प्रकार उलफा के लोग रोज लोगों का मार रहे हैं। उस समय की सरकार को जिस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये थी, वह नहीं की गई और इसलिये असम गर्त में आ गया। इसके लिये कड़े–से–कड़े कानून की आवश्यकता है जिसके माध्यम से शान्तिप्रिय लोग आराम से रह सकते हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में किया गया। हमारी सरकार होते हुये भी कुछ नहीं हो सका। उस समय जिस प्रकार की सत्ता मिली, उसका उपयोग इस देश में अलग–अलग वाद निर्माण करने में किया गया जिसका परिणाम भारतवर्ष को भोगना पड़ रहा है। आपने जो गलतियां की हैं, उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि टाडा से भी बढ़कर कड़ा कानून बनाना चाहिये जिसके माध्यम से आम जनता शान्ति से रह सके। यदि ऐसा बुरा आदमी गिरफ्तार होता है तो देश में शान्ति पैदा

[श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी]

होती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सरकार के हाथ में कानून है और उसके माध्यम से समाज में शान्ति का निर्माण होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि टाडा के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुये हैं, उन पर कड़ी–से–कड़ी कार्यवाही करके आम जनता को राहत दिलायें और वे लोग छोड़े न जायें।

सभापति महोदय : जितना समय इस बिल के लिये आबंटित था, वह पूरा हो गया है लेकिन कुछ माननीय सदस्य अभी बोलने के लिये अधिक रुचि रख रहे हैं। यदि सभा की सहमति हो तो इसको एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री अली मोहम्मद नाईक (अनंतनाग) : जनाब चेयरमैन साहब, आज टाडा कानून के बारे में यहां बात हो रही है। जहां तक मरकजी सरकार का ताल्लुक है, यह सरकार टॉडा कानून लागू करने की जिम्मेदार नहीं है और न ही इस सरकार ने कानून बनाया है।

इस सरकार से पहले जो सरकार थी उन्होंने 80 की दहाई में यह कानून बनाया और इसके तहत कार्रवाई की गई। जहां तक इस कानून के तहत गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, मैं यह मानने को तैयार हूं कि इस कानून का काफी हद तक मिसयूज किया गया। इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो जहां–जहां लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में इसे मिसयूज किया गया, मैं कल ही अखबार पढ़ रहा था, उससे यह पता चला कि मुम्बई में एक शख्स था जो कारखाना चलाता था, वहां से पुलिस ने एक हथियार पकड़कर उसे टाडा में फंसा दिया और उसकी फैमिली को 15 दिन थाने में रखा। अब वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय और मानवाधिकार आयोग चला गया है। ह्यूमैन राइट्स कमीशन ने सरकार को यह आदेश दिया कि इस शख्स को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और ह्यूमैन राइट्स कमीशन ने माना है कि इस शख्स को बहुत जलील किया गया। इस ऐवान के जो ऑनरेबल मैम्बरान हैं वे इस बात से बाखबर हैं कि हिन्दुस्तान के मशहूर फिल्म एक्टर और इस ऐवान के जो सदस्य रहे हैं, उनके फरजंद को भी टाडा में घसीटा गया। ये ऐसे कई मसले हैं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बता दूं कि इसका कहां–कहां गलत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस वक्त टाडा का जो कानून है नाफिज–उल–अमल नहीं, यह अपनी मौत खुद मर गया। लेकिन इसका दफा में यह दर्ज है कि जिस दिन से यह मरा उस दिन से अगर इस टाडा के तहत एफ.आई. आर. लागू हो या प्रोसीडिंग्स चल रही हो तब तक जब तक कि उनका आखिरी फैसला नहीं होगा। इन्हें 'टाडा' के अन्तर्गत चल रही कार्रवाई माना जाएगा। यह उस कानून में लिखा है। इसमें दो चीजें हैं – एक तो इसका जो मिसयूज हुआ है उसका आप इसमें इलाज नहीं करा सकते हैं क्योंकि कानून खत्म हुआ है और लोग ह्यूमैन राइट्स कमीशन में जाकर अपनी तकलीफ का इजाला कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि कुछ लोग दस सालों से टाडा केसिज में पकड़े हुए हैं, यहां तक कि जम्मू–कश्मीर में भी ऐसा है। लेकिन दस सालों में भी लगभग कोई शहादत उनके खिलाफ नहीं लाई गई और वे दस सालों से कोर्ट में हैं। हिंदुस्तान एक जम्हूरी मुल्क है, हमारा एक जम्हूरी आईन है। हम यह कभी नहीं कहते कि जिसने जुल्म किया है उसे आप छोड़ दें। विलंबित न्याय अन्याय के समान है। यह भी आपको देखना है।

मैं लॉ मिनिस्टर साहब से दो बातों का जवाब जानना चाहता हूं। यही नहीं कि सिर्फ मुम्बई में टाडा में ऐसा है, वर्चुअली हिंदुस्तान की हर रियासत में टाडा में लोग पकड़े गये, उनमें कुछ लोग जमानत पर चले गये और केसिज चल रहे हैं। लेकिन ऐसे केसिज भी हैं, मैं अपनी स्टेट की बात करता हूं जहां कोई शहादत नहीं आ रही है और प्रोसीक्यूशन की तरफ से ऐसा किया गया कि पंजाब और रियासत जम्मू–कश्मीर के कुछ लोग जिन्हें टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया उनमें से कुछ लोगों को जम्मू में रखा और कुछ लोगों को मुम्बई में रखा और उन्हें तारीखों पर नहीं लाया गया।

[अनुवाद]

इसके परिणामस्वरूप नौ वर्ष बीत गए हैं और कार्यवाही का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस वाद–विवाद का उत्तर देते समय देश में दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या भी हमें बताएं। वे हमें ऐसे मामलों की संख्या भी बताएं जिसमें पिछले दस वर्षों से किसी भी गवाह का बयान रिकार्ड नहीं किया गया है।

मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष निवेदन करता हूं कि सरकार को इस संबंध में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनके खिलाफ किसी की भी गवाही लिए बिना लोग क्यों कारावास में बन्द हैं ? सरकार को ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। जहां तक हमारा संबंध है, हम इस पक्ष में नहीं हैं कोई, जो कि अपराध करता है, जो बिना दण्ड पाये छूट जाए। परन्तु भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, किसी को भी अपनी बात कहने का अवसर दिए बगैर जेल में बन्द नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

महोदय, हमें उनको अपनी डिफेंस का कोई मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कानून मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जब वे इस बिल की बहस का जवाब दें तो वे यह बताएं कि कितने केसेज हैं जिनमें कोई शहादत नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पिछले नौ वर्षों से आरोपी जेल में बन्द हैं। मैं जानता हूं कि 'टाडा' को पारित करने के लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है। यह अधिनियम इस समय प्रचलन में नहीं है। यह पहले ही समाप्त हो चुका है यदि भारत के लोगों के साथ अन्याय होता है सरकार चाहे किसी भी दल की हो उसका यह कर्त्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि यह अन्याय समाप्त हो। इन शब्दों के साथ, मैं श्री बनातवाला जी से सिद्धान्त रूप में पूरी तरह सहमत हूं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल में बन्द नहीं रखा जाना चाहिए। परन्तु दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

جناب علی محمد نائک (اننت ناگ) : جناب چیئر مین صاحب، آج ٹاڈا قانون کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک مرکزی سرکار کا تعلق ہے، یہ سرکار ٹاڈا قانون لاگو کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے اور نہ ہی اس سرکار نے قانون بنایا ہے۔ اس سرکار سے پہلے جو سرکار تھی انہوں نے ۱۹۸۰ء کی دہائی میں یہ قانون بنایا اور اس کے تحت کاروائی کی گئی۔ جہاں تک اس قانون کے تحت گرفتاریوں کا تعلق ہے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس قانون کا کافی حد تک غلط استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال اگر میں دوں تو جہاں لاء اینڈ آرڈر مشینری میں اسے غلط استعمال کیا گیا، میں کل ہی اخبار پڑھ رہا تھا، اس سے یہ پتا چلا کہ ممبئی میں ایک شخص تھا جو کارخانہ چلاتا تھا، وہاں سے پولیس نے ایک ہتھیار پکڑ کر اسے ٹاڈا میں پھنسا دیا اور اس کی فیملی کو ۱۵ دن تھانے میں رکھا۔ Now the man has gone before the Supreme Court and the Human Rights Commission. ہیومن رائیٹز کمیشن نے سرکار کو یہ حکم دیا کہ اس شخص کو پانچ لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے اور ہیومن رائیٹز کمیشن نے مانا ہے کہ اس شخص کو بہت ذلیل کیا گیا۔ اس ایوان کے جو معزز ممبران ہیں وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ ہندوستان کے مشہور فلم ایکٹر اور اس ایوان کے جو ممبر رہے ہیں، ان کے فرزند کو بھی ٹاڈا میں گھسیٹا گیا۔ یہ اسے کئی مسئلے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بتادوں کہ اس کا کہاں کہاں غلط استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت ٹاڈا کا جو قانون ہے نافذ العمل نہیں، یہ اپنی موت خود مر گیا۔ لیکن اس کی دفعہ میں یہ درج ہے کہ جس دن سے یہ مرا اس دن سے اگر اس ٹاڈا کے تحت ایف۔ آئی۔ آر لاگو ہو یا پروسیڈینگس چل رہی ہو۔ تب تک جب تک کہ ان کا آخری فیصلہ نہیں ہوگا۔ These will be treated as proceedings under TADA. یہ اس قانون میں لکھا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اس کا جو غلط استعمال ہوا ہے اس کا آپ اس میں علاج نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ قانون ختم ہوا ہے اور لوگ ہیومن رائیٹز کمیشن میں جا کر اپنی تکلیف کا علاج کر سکتے ہیں۔

دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ دس سالوں سے ٹاڈا مقدمات میں پکڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جموں و کشمیر میں ایسا ہے۔ لیکن دس سالوں میں بھی لگ بھگ کوئی شہادت ان کے خلاف نہیں لائی گئی اور وہ دس سال سے کورٹ میں ہیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہمارا ایک جمہوری آئین ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ جس نے ظلم کیا ہے اسے آپ چھوڑ دیں۔ Justice delayed amounts to justice denied. یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔

میں لاء منسٹر صاحب سے دو باتوں کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف ممبئی میں ٹاڈا ایسا ہے، ورچوئلی ہندوستان کی ہر ریاست میں ٹاڈا میں لوگ پکڑے گئے، ان میں کچھ لوگ ضمانت پر چلے گئے اور مقدمات چل رہے ہیں۔ لیکن ایسے مقدمات بھی ہیں، میں اپنی اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں جہاں کوئی شہادت نہیں آرہی ہے اور پراسیکیوشن کی طرف سے ایسا کیا گیا کہ پنجاب اور ریاستِ جموں و کشمیر کے کچھ لوگ جنہیں ٹاڈا کے تحت گرفتار کیا گیا ان میں سے کچھ لوگوں کو جموں میں رکھا اور کچھ لوگوں کو ممبئی میں رکھا اور انہیں تاریخوں پر نہیں لایا گیا۔

With the result that nine years have passed and there is no conclusion of the proceedings. I will request the Law Minister that when he replies to this debate he should give us the total number of cases registered in the country and the total number of cases pending in various courts. He should also give us the number of cases where no witness has been recorded for the last ten years.

I must submit before this hon. House that the Government should take a sympathetic view in this regard. Why are people behind the bars without recording any witness against them? The Government should review all such cases. As far as we are concerned, we are not in favour that anybody, who commits a crime, should go scot-free.

جناب، ہمیں اس کو اپنی ڈیفینس کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ اس لئے میں قانون منتری جی سے گذارش کرونگا کہ جب وہ اس بل کی بحث کا جواب دیں تو وہ یہ بتائیں کہ کتنے مقدمات ہیں جن میں کوئی شہادت نہیں ہے۔

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति महोदय, श्री जी.एम. बनातवाला जी के बिल पर बोलने के लिए आपके द्वारा मुझे अवसर दिया गया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने इस बात को कई बार दोहराया है कि टाडा का गलत इस्तेमाल हुआ है। खाली टाडा ही नहीं, जितने भी स्पेशल एक्ट हैं, उन सबका इस्तेमाल होता है। अभी भी हो रहा है। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने कोट किया था कि 21,000 के आसपास ऐसे मामले थे जिनमें अभियोजन पक्ष को सुबूत ही नहीं मिले कि वे साबित कर पाते कि जो मुलजिम बन्द किए गए हैं वे वाकई गुनेहगार थे। हालांकि कुछ मामले अभी पड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह सोचने का है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में आखिर आज यह स्थिति क्यों आई है कि हमारी कार्यपालिका को परिणाम देने के लिए हर कदम पर स्पेशल एक्ट की जरूरत पड़ती है।

सभापति महोदय, यह बड़ी गहराई से सोचने की बात है कि हमने लोक तंत्र के 50 वर्षों का एक लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन इतने समय के बाद आज ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां पर कि कार्यपालिका को जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, उसको बार–बार यह बोध होता है कि बिना विशेष शक्तियों को हाथ में लिए हुए जो प्रशासनिक उद्देश्य हैं, जो विधि और व्यवस्था के लक्ष्य हैं, उनको वे पूरा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं एक मामले पर यहां पहले भी बता चुका हूं कि जब इस बात पर गौर हो रहा था और टाडा जैसे स्पेशल एक्ट को खत्म किया जा रहा है और जो मुलजिम बनाए गए हैं इस पर गौर करना चाहिए कि उन्हें छोड़ दिया जाए। इस बात पर गौर होना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं कि बगावत का माहौल बना और हालात इस स्तर तक पहुंचे।

महोदय, मैं यह बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर हम यह देखें जैसे हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने बताया कि विशेष कानून की जरूरत क्यों हैं और सख्त कानून की जरूरत क्यों है, तो मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन के अंदर जो संवेदनहीनता व्याप्त हो गई है, सवेदनशून्यता व्याप्त हो गई है, उसको दूर किया जाए भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। हम तो उत्तर प्रदेश का केस जानते हैं कि किस तरीके से सत्ता के इशारे पर पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बेगुनाहों को बन्द किया जा रहा है। अभी हमारे पूर्ववक्ता भी बता रहे थे मैं भी उन्हीं की बात को बल देना चाहता हूं कि हमारी सरकारी मशीनरी इतनी कमजोर हो गई है और इतनी संवेदनशून्य है कि बेगुनाहों पर जुल्म कर रही है, हम उन बेगुनाहों को नहीं बचा सकते हैं, हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उस मशीनरी को जिसकी परफारमेंस दिखाई पड़ रही है, लगातार गिरावट दिखाई पड रही है, उसको हम रोजाना, नित नए कानूनों से लैस करना चाहते हैं।

माननीय सभापति जी, कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ समस्यायें ऐसी हैं जो सत्ता की मानसिकता से पैदा हुई हैं। आज जबकि पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि जितने स्पेशल एक्ट बनते हैं या इस्तेमाल किये जा रहे हैं, वे सिविलयन के राइट्स पर इनक्रोचमैंट हैं। ऐसे समय में जब ये बातें सत्ता में रहने वालों के द्वारा उठाई जाती हैं कि परिणाम देने के लिए, विधि और व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए हमें अधिक सख्त कानून चाहिए, तो बात कुछ समझ में नहीं आती। हमने इस बात को देखा है कि जब आदमी डरा हुआ होता है, जब आदमी अन्याय का शिकार हुआ होता है तब उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हम कितनी भी विकास की बात कर लें, कितनी भी लोकतंत्र की बात कर लें, जब हम अपनी व्यवस्था के अंदर, आम आदमी के अंदर अन्याय की भावना दूर नहीं कर सकते तो निश्चित सी बात है कि जो प्रशासनिक प्रणाली है, जो मशीनरी है, वह अपनी हताशा में इससे और सख्त कानून की मांग करती है और सरकार बेतहाशा एक के बाद एक सख्त कानून बनाती चली जाती है लेकिन रिजल्ट वही रहता है। सच्चाई यह है कि जितने स्पेशल एक्ट बने हैं, उन सबका उपयोग कम हुआ है और दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। टाडा कानून इससे कोई अलग नहीं है।

सभापति जी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिन दिनों पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, उन दिनों उत्तर प्रदेश में, हमारे जनपद में कई बेगुनाह सिखों के ऊपर टाडा लगाया गया था और टाडा ही नहीं लगाया गया बल्कि उन बेगुनाहों को बार–बार बंद करके उन्हें बड़ा अपराधी भी बनाया गया। उसकी मानसिकता केवल यह थी कि भ्रष्ट कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी टाडा कानून के मार्फत हमारे सिख भाइयों से सिर्फ पैसा उगाहने के लिए जाते थे। जहां से पैसा मिल जाता था, उन्हें छोड़ दिया जाता था और जहां से पैसा नहीं मिलता था, उन सबको अपराधी बना दिया जाता था। हमारे हिन्दुस्तान के अंदर अलग–अलग राज्यों में इन उदाहरणों को बहुत गहराई से देखा गया है, महसूस किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री बनातवाला जी, जो विधेयक लाये हैं, मैं उनसे सहमत हूं और इस बात को पुनः कहना चाहता हूं कि हमारे ट्रैजरी बैंचिज में बैठे हुए साथी जब इस बात की मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान सौ करोड़ की आबादी का लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए स्पेशल कानून नहीं बल्कि समाज के अंदर प्रशासन में संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार निवारण उससे कहीं अधिक आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : क्या मैं आधे मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं ? भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों पर अपराधियों को आश्रय प्रदान करने के आरोप लग रहे हैं। 'टाडा' के बनने के पहले अपराधियों को आश्रय प्रदान करने और ऐसे मामलों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 52 (क) के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती थी। भारतीय दण्ड संहिता में दर्शाए गए अनुसार अपराधियों को आश्रय दिये जाने के मामले में 'टाडा' विचार करता है। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, यहां पर जो विषय चल रहा है उसमें टाडा के तहत जो बिहाइंड दि बार्स हैं उन्हें छोड़ने की बात चल रही है। मैं समझता हूं कि उन्हें छोड़ने की बात नहीं है, यह सिर्फ दो प्वाइंट प्रोग्राम हैं। पहला प्वाइंट यह है, जैसा अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भविष्य में इस देश में शांति चाहिए या अशांति चाहिए, इसका फैसला हम करने जा रहे हैं।

दूसरा प्वाइंट है कि इस देश में उन लोगों को छोड़ने के बाद इस देश का कानून कौन चलाने वाला है। इस देश का कानून सरकार चलाने वाली है या गुनाहगार लोग चलाने वाले हैं, इसका फैसला आज हम इस बिल के तौर पर करने जा रहे हैं। इसलिए दो प्वाइंट पर प्रकाश डाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि रावत जी ने दो प्वाइंट प्रोग्राम बनाकर बहुत जबर्दस्त बात कही है।

मेरे दिल में एक सवाल आया है। हमारे मित्र ने कहा कि दो सौ लोग जेलों में बन्द हैं। श्री बनातवाला ने बिल लाकर बहुत अच्छा काम किया। मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि सब लोग क्रिमिनल हैं। कुछ सज्जन लोग भी होंगे जिन पर ज्यादती करके उनको अंदर किया गया है। मैं समझता हूं कि 201 में से 200 लोग बहुत अच्छे हैं। उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन यदि 201 में से एक आदमी भी क्रिमिनल होगा और वह बाहर आ गया, उसने सौ खून कर दिए तो उसकी गारंटी कौन लेने वाला है, यह मेरा सवाल है। इसलिए जो आईडियोलॉजी यहां पेश की जा रही है, मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर उसकी छानबीन की जानी चाहिए क्योंकि एक आदमी सौ खून कर सकता है, दो खून कर सकता है, 201 में से एक आदमी का सवाल है। 200 लोग ईमानदार हैं लेकिन यदि एक बेईमान निकला तो उसे सौ जानें लेने की मोहलत दी जा रही है, मैं ऐसा समझता हूं।

आप जानते हैं, मुम्बई मैट्रोपोलीटन सिटी में पांच मिनट में 1200 लोगों की जानें गई थीं। कई जवान पत्नियां विधवा हो गईं, कई के माथे का सिंदूर निकल गया, कई के मां–बाप ने अपने कमाते हुए बच्चे गंवा दिए, कई बूढ़े मां–बाप शॉक से मर गए क्योंकि उनका जवान बेटा मर गया, कई जवान लोग हैंडीकैप्ड हो गए। इसलिए गुनाहगार लोगों के दिल में जो डर बना हुआ था, वह हट गया है। लेकिन हम उससे भी ऊपर जा रहे हैं। हम अपराधियों को सरंक्षण प्रदान कर रहे हैं। कोई लीगल इन्क्वारी नहीं होगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए एक का मामला बहुत गंभीर है। मैं समझता हूं कि कारगिल में जो लोग शहीद हुए, जिन नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं, उनका हौसला बढ़ाना हिन्दुस्तान के लोगों का काम है। यदि हम यह मैसेज देते हैं कि आप कुछ भी काम करें, एक–दो साल अंदर रहिए और बाइज्जत बरी हो जाइए, तो उनका हौसला कैसे बढ़ेगा। उन्हें लगेगा कि हम देश के लिए मरते हैं, आप गुनाह करिए और छूट जाइए। इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए कार्यवाही बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं।

मैंने कहा कि यदि 200 लोगों में से एक भी व्यक्ति क्रिमिनल होगा तो कया होगा। उस क्रिमिनल ने यदि किसी एक्स का खून किया, और यदि उसका भाई जिन्दा होगा, उसे जब पता लगेगा कि जिसने मेरे भाई का खून किया था, वह आदमी बाहर आ गया है तो मुझे लगता है कि खून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह वैसे ही मर जाएगा। उसे मालूम है कि यह बहुत बड़ा गुंडा है, इसने मेरे भाई का खून किया है। इसलिए जो बेसिस ढूंढा गया है, वह बहुत गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं।

आपने सुना होगा, महाभारत में अर्जुन ने जब श्रीकृष्ण से सवाल किया कि भारत में बहुत अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का नाश हो रहा है तो श्रीकृष्ण ने कहा – 'यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः'। जब–जब देश में अधर्म बढ़ेगा, जब–जब देश में ज्यादा जुल्म होगा, जब–जब देश में जुल्मी कार्यवाही होगी, गरीब लोग मरते जाएंगे, तब–तब मैं जन्म लूंगा। यह महाभारत की बात है। लेकिन कलियुग में ऐसा नहीं हो रहा, कोई श्रीकृष्ण पैदा नहीं हो रहा है। गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें रोकना आपके और हमारे हाथ में है, देश की जनता के हाथ में है। श्रीकृष्ण की बात महाभारत तक सीमित है। अगर कलियुग की बात की जाए तो इसमें ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं।

हिन्दुस्तान में पैदा हुए एक आदमी का नाम दाउद इब्राहिम है। हिन्दुस्तान उसकी मातृभूमि है लेकिन वह अरेबियन कंट्री में बैठा है। वहां से आदेश देता है कि मुम्बई के इस–इस एरिया में पांच लोग हैं, शाम तक उनको खत्म करना है। उनके बगैर यहां आये, बगैर कोई हथियार भेजे पांच लोग मर जाते हैं। उनको इंडिया के कानून का कोई डर नहीं है, ऐसे–ऐसे एग्जाम्पल है। पांच लोगों का तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसलिए कानून को जितना ज्यादा सख्त किया जाये, उतना अच्छा है। आज सख्त कानून की देश में जरूरत है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब से टाडा कानून रद्द किया गया है, तब से हिन्दुस्तान में 640 करोड़ रुपये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेनटेन करने के लिए खर्च हुआ है। यह 20 साल के अन्दर हाइएस्ट फीगर है, यह हिन्दुस्तान में खर्च हुआ है।

आज आपको मालूम है कि बेराजगारी बहुत है। एक बेराजगार आदमी, एक नौजवान, आदमी, बी.ए., एम.ए. की क्वालिफिकेशन लेता है, डिग्री लेता है और डिग्री लेने के बाद डिग्री को पुंगली करता है और नौकरी ढूंढने के लिए जाता है। वह देहात में से शहर में आता है और हर आफिस में जाकर अपनी डिग्री दिखाता है कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे एम्प्लायमेंट चाहिए। उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है, ऊपर से उसके ऊपर उम्र का भूत सवार रहता है। फिर उसको वहां कोई क्रिमिनल मिल जाता है। वह उसको सबसे पहले तो अय्याशी के समन्दर में डाल देता है, वह उसे हर तरह की अय्याशी कराता है और उसके लिए जो भी पैसा लगता है, वह उसे देता है। मुम्बई में यह फैक्ट है। फिर वह उसे बोलता है कि अब सब कुछ हो गया, अब तुम्हें हमारे लिए एक छोटा–सा काम करना है, उस आदमी का जाकर खून करना है। उस वक्त वह लड़का अपने होशो–हवास में नहीं रहता। मैं तो सोचता हूं कि 18–20 साल के जो लड़के हैं, वे

[श्री सुबोध मोहिते]

मेच्योर नहीं हैं। वह खून कर देता है और जेल के अन्दर चला जाता है। बेराजगारी की वजह से भी आज गुनहगारी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। इसलिए जो कन्सैप्ट लाया गया है कि ये सब–के–सब निर्दोष हैं, मैं मानता हूं कि 200 लोग निर्दोष हैं, मैं भी इस बात से आपसे सहमत हूं, लेकिन आप एक गलत आदमी का क्या करोगे, उस एक आदमी की गारण्टी कौन लेगा ? यह सवाल यहां हाउस में उठाया गया है।

यह ठीक है कि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता और आपके आदेश का पालन करता हूं लेकिन बनातवाला जी ने दो बातें रखी हैं। इन्होंने पहले रखा है कि जब से टाडा कानून लाया गया, तब से इसमें अत्यधिक दुरुपयोग किया गया। ठीक है कि अत्यधिक दुरुपयोग किया गया होगा, इसलिए कुछ लोग अन्दर भी हो गये होंगे, कुछ के ऊपर अन्याय भी हुआ होगा। दूसरा इन्होंने जो मुद्दा यहां पर रखा है कि मुकदमा चल रहा और भारी संख्या में मुकदमें पैंडिंग हैं तो यह सवाल ज्यूडीशियरी का आ गया है कि ज्यूडीशियरी पर रोक कैसे लगाई जाये। या जो निर्दोष लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी कैसे छोड़ा जाये, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर जो रिप्लाई दिया है

[अनुवाद]

यह एक स्पष्ट उत्तर है। इसमें कहा गया है "न्यायपालिका के लिए इस विशेष मामले पर जांच करने और परिणाम देने के लिए एक 'निश्चित कालावधि' है।" मैंने आपके सामने सारी बातों का शॉर्ट में ब्यौरा दिया है। इस विशेष मामले में कठोर कदम उठाना अत्यधिक आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, व्यवस्था बिगाड़ने वाला आदमी, गुंडागर्दी करने वाला आदमी हिन्दू, मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं होता। यह तो प्रवृत्ति का सवाल है। यह प्रवृत्ति दूर करने के लिए कोई भी सरकार हो, उसके हाथ मजबूत करने जरूरी हैं। इसके लिए कड़ा कानून बनाने की जरूरत है।

सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने इसके लिए मीसा का कानून बनाया। इसमें 25,000 से कम होकर अभी 200 लोग हैं। बाकी लोग निरपराध हैं। यह निरपराध लोगों के लिए कानून है कि अपराधी लोगों के लिए है। मुझे लगता है कि यह कानून गलत है। जो लोग निरपराध हैं, जो लोग इज्जतदार हैं, उनको राजनीति और पुलिस के लोग जान–बूझकर पैसे के लिए तकलीफ देते हैं, पैसे की वजह से उनकी इज्जत लूटते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि यह कानून गलत है, लेकिन इसके लिए कड़ा कानून, अलग कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि गुंडागर्दी रोकना जरूरी है।

मेरी आपके माध्यम से यही प्रार्थना है, आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कानून को जानने वाले हैं इसलिए आप इसमें संशोधन करें। जैसा अभी मेरे सहयोगियों ने कहा कि न्यायपालिका में भी संशोधन की जरूरत है, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, उस पर भी विचार करें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव बनातवाला साहब ने रखा है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है। आतंकवाद का सामना तो हम सभी लोग करने के लिए तैयार हैं, यह कोई पार्टी या जाति–धर्म का सवाल नहीं है, यह तो राष्ट्रीय एकात्मता का सवाल है। भारत को खोखला बनाने वाली जो भी शक्तियां हैं, उनका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, उसको हमें खत्म करना है। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जो हक दिए हैं, कानून के माध्यम से रक्षा करने की बात कही गई है। अगर पुलिस के माध्यम से उस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बेगुनाह को गुनाहगार समझकर अरेस्ट करते हैं और टाडा में बंद कर देते हैं और पुलिस के द्वारा यंत्रणा दी जाती है, वह काम इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। यहां विधि मंत्री जी बैठे हैं। आपकी नई–नई सरकार है, आप क्या करते हैं, यह भी हमें देखना है। सरकार कोई भी हो आतंकवाद को हमें खत्म करना है। मुझे जानकारी है कि जब मुम्बई में बम विस्फोट हुआ था तो उस सिलसिले में कई गुनाहगार लोगों को अरेस्ट किया गया था, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। पाकिस्तान से जिनका सम्बन्ध है, उनको अरेस्ट किया जाता है तो वह बात समझी जा सकती है। लेकिन जिनका सम्बन्ध पाकिस्तान से नहीं है, जो मुसलमान भारत–पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत में रहे, उनका भी सम्बन्ध पाकिस्तान से बताकर पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है और उन पर टाडा लगा रही है। हम लोगों की जानकारी के अनुसार ऐसे लोग बेकसूर हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप सोचें और जो बेगुनाह हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन बेगुनाहों को छोड़ते वक्त गुनाहगारों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पुलिस में काफी भ्रष्टाचार है, यह एक अलग विषय है, लेकिन कई बार ये लोग पैसा लेकर गुनाहगारों को भी छोड़ देते हैं और उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। इस पर भी हमें गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

नई सरकार गम्भीरता से इस बारे में सोचे, नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार सही ढंग से नहीं सोचती तो हमें सरकार चलानी पड़ेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : आप इधर आ जाएं।

श्री रामदास आठवले : जब आप इधर आएंगे तो हम उधर चले जाएंगे। टाडा कानून के बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। बनातवाला साहब के इस प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में बिल लाना चाहिए, हम उसका समर्थन करेंगे, जिससे बेगुनाह लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जा सके।

हमारे देश में कोई भी दंगा–फसाद होता है तो सरकार कह देती है कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है। इसलिए हर विषय पर आई.एस.आई को जोड़ना ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हम

सब लोग मिलकर ऐसे आतंकवाद का सामना करेंगे और बनातवाला जी के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय : माननीय कानून मंत्री जी इंटरवीन कर रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, यह विरोधाभास है कि जब यह विधेयक निष्प्रभावी हो रहा था और सरकार इस विधेयक की कालावधि को बढ़ाना चाहती थी तब मैंने इस विधेयक की कालावधि को बढ़ाने का जोरदार विरोध किया था। मैं सभी 'ड्रेकोनियन' कानूनों का विरोधी हूं। इस विधेयक के विरोध में राज्य सभा में मेरे द्वारा दिया गया भाषण रिकार्ड में दर्ज है। मैं नहीं जानता माननीय श्री बनातवाला ने इसे पढ़ा है या नहीं।

महोदय, मैंने न केवल इसके विरोध में संघर्ष किया है अपितु, मैंने न्यायालयों में भी युद्ध किया है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय में मेरे प्रयासों के परिणास्वरूप, एक न्यायिक निर्णय के द्वारा, इस अधिनियम को मानव हितैषी बनाया गया। मेरे मित्र, जो कि एक अधिवक्ता है, वे इस बात को मानेंगे।

परन्तु महोदय, अधिनियम में एक उपबन्ध है जो कि सामान्य है। जब एक अधिनियम को निरस्त् किया जाता है तो सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 तुरन्त प्रभावी हो जाती है जिसमें यह उल्लिखित है कि जब अधिनियम को निरस्त किया जाता है तो सभी लंबित अभियोजन, सभी लंबित अपराध जानकारी में आने व नहीं आने वाले, सभी प्रकार की जांच इस तरह जारी रहेंगी जैसे कि अधिनियम निरस्त नहीं हुआ हो। यह देश की सामान्य विधि है। चूंकि इस विधेयक की अवधि को समाप्त होने दिया गया और इसे औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया गया इसलिए धारा 6 लागू नहीं हुई होगी। परन्तु उन्होंने अधिनियम में एक विशेष धारा लगाई है जिसमें उल्लिखित है कि इस विधेयक की अवधि समाप्त होने पर सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 लागू होगी। इसका परिणाम यह हुआ कि मई, 1995 में, जब 'टाडा' की अवधि समाप्त हुई थी, चल रहे ऐसे सभी अभियोजन में पुरानी विधि द्वारा इस प्रकार कार्यवाही की गई मानो कि 'टाडा' की अवधि समाप्त न हुई हो।

जैसा कि मैं कह चुका हूं ऐसा मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ परन्तु इसमे एक अच्छी बात यह है कि इस समय प्रवर्त्तित 'टाडा' मानवहितैषी टाडा है जिसे आंशिक रूप से विधान द्वारा मानव हितैषी बनाया गया। साथ ही उच्चतम न्यायालय की आलोचना और हमारी आलोचना के कारण भी ऐसा किया गया यहां तक कि विधानसभा ने भी इसमें कुछ परिवर्तन किए और इसके मूल क्रूर और ड्रेकोनियन स्वरूप में कमी लायी।

महोदय, मेरे इस व्यक्तिगत इतिहास के अलावा, आज मैं श्री बनातवाला के विधेयक का विरोध करता हूं और मैं मेरी पूरी जानकारी के साथ इसका विरोध करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि यह विधेयक असंवैधानिक है और यह कुछ लोगों के लिए पक्षपातपूर्ण है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण है और इसके अनिष्टकारी परिणाम होंगे। यह विधेयक क्या कहता है ? यह विधेयक कहता है कि 'टाडा' के अंतर्गत सभी लंबित अभियोजन समाप्त हो जाएंगे और सभी आरोपी जिन पर मुकद्दमा चल रहा है उन्हें निरपराध ठहराया जाएगा, उन्हें बरी कर दिया या छोड़ दिया जाएगा।

महोदय, सबसे पहले मैं असंवैधानिक भाग की चर्चा करता हूं। यह भारत के संविधान के मूल भावना में सीधा हस्तक्षेप है। भारत के संविधान की मूल भावना यह है कि न्यायपालिका अपराधियों पर मुकद्दमा चलाती है और उन्हें न्यायिक निर्णय के अनुसार अन्ततः निरपराध या दोषी ठहराया जाता है। इस सभा को न्यायिक कृत्यों को अपने हाथ में लेने और विधि द्वारा यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है कि सभी लंबित अभियोजन समाप्त हो जाएंगे।

हाल ही के महीनों के दौरान हमें संविधान की मूल भावना में हस्तक्षेप नहीं करने के बारे में लम्बे भाषण सुनने पड़े हैं जबकि हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं थे। हमने ऐसे इरादों का खण्डन किया था और हम अपनी बात पर अडिग हैं। परन्तु आज एक विधेयक लाया गया है जिसमें इस सम्माननीय सभा से कहा गया है कि यह न्यायालय में लंबित सभी अभियोजनों को समाप्त कर दें, जो कि 'टाडा' के समाप्त होने के समय से या पहले से विभिन्न कारणों से लंबित पड़ें है। मैं चाहता हूं सभा उस भारी गलती को समझे जो कि उसे करने के लिए कहा जा रहा है। सभी मामलों को भूल जाइए। मेरे मित्र कुछ आंकड़े चाह रहे थे – मेरे पास एकदम सही आंकड़े नहीं हैं परन्तु फिर भी मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा।

बम विस्फोटों के मामले को लीजिए जिसमें एक गहरी साजिश के परिणामस्वरूप सैंकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई थीं, जो कि भारत में होने वाले अपराध का सर्वाधिक नृशंस षड्यंत्र था। यदि श्री बनातवाला का विधेयक स्वीकार किया जाता है तो इसका परिणाम यह होगा कि सभी आरोपी निरपराध सिद्ध हो जाएंगे। वे यह भी नहीं कहते हैं कि इन विशेष 'टाडा' न्यायालयों में से इन कार्यवाहियों को सामान्य न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाए और सामान्य विधि के अनुसार मुकदमा चलाया जाए। 'टाडा' की धारा 3 क्या है ? टाडा की धारा 3 कतिपय आग्नेय अस्त्रों और घातक हथियारों के प्रयोग द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का अपराध करने का षड्यंत्र और इत्यादि ही है। 'टाडा' के अंतर्गत जो अपराध है वह सामान्य विधि के अंतर्गत भी अपराध है। यदि श्री बनातवाला अपने विधेयक में यह कहते कि यह सभी मामले सामान्य न्यायालयों में स्थानान्तरित हो जाएंगे और यह सभी अभियोजन सामान्य विधि के अनुसरण में चलेंगे तो मैं श्री बनातवाला के विधेयक पर हानि पहुंचाने वाला विधेयक का आरोप तो नहीं लगाता। यदि आज हम कहते हैं कि संसद ने निर्णय किया है कि मुम्बई में बम विस्फोट के मामले समाप्त हो गए हैं और इसमें संलिप्त सभी लोग मुक्त हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि भारत के लोग हमें देश की सड़कों पर चलने की अनुमति देंगे। इससे एक ऐसी परिस्थिति

[श्री राम जेठमलानी]

उत्पन्न हो जाएगी जिसमें संसद सदस्य राष्ट्र का विश्वास खो देंगे और महोदय, मैं इसमें भागीदार नहीं बनने वाला हूं। मैं आज बोलने वाले व्यक्तियों की सूची में नहीं हूं क्योंकि यह मामला गृह मंत्रालय का है, परन्तु महोदय, मेरा खून खौल जाता है जब मैं एक ऐसी बात को होते हुए देखता हूं कि सामान्य विधि को लागू करने का अनुरोध किए बगैर हमसे विधिवत् रूप से सभी अभियोजनों को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है।

अब, महोदय, मैं इसे इसलिए कुछ लोगों के लिए पक्षपातपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अवश्य ही निर्दोष होंगे। उदाहरण के लिए, बम विस्फोट के मामले में, यदि आपके पास 150 आरोपी हैं तो उन्हें वहां नहीं रखा जा सकता है। उनमें कुछ पहले ही जमानत पर छूटे हुए हैं। इसे मानवहितैषी बनाने के लिए जो किया गया है उसे मैं सभी को एक मिनट में बताना चाहता हूं। कुछ लोगों को जमानत नहीं मिली होगी क्योंकि उनके विरुद्ध प्राथमिक दृष्टि से साक्ष्य था, जो कि गलत साक्ष्य हो सकते थे, परन्तु उन्हें जमानत नहीं दी गई। अब, वे व्यक्ति यह चाह रहे होंगे कि इतने समय पश्चात् दीर्घकालिक हिरासत और मुकदमे के बाद उन्हें कम-से-कम यह संतुष्टि तो हो कि उन्हें सम्मानपूर्वक निरपराध ठहराया गया और एक न्यायिक निर्णय द्वारा एक माननीय न्यायाधिकरण द्वारा भारत के माननीय नागरिक घोषित किया गया है।

अपराह्न 5.08 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।*)

ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा जो अपने चरित्र को उन पर लगाए गए नृशंस आरोपों से मुक्त कराने के लिए न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे अब कहा जाएगा कि, "चिन्ता मत करो ! तुम्हारे पक्ष में कोई भी न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है, परन्तु तुम्हें श्री बनातवाला के एक मत और लोक सभा की गणपूर्ति से कम द्वारा निरपराध ठहराया गया है।" इससे निर्दोष व्यक्तियों को संतुष्टि नहीं मिलेगी जो कि अपने निर्दोष होने को सत्यापित करने वाले न्यायिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अब महोदय इस बात पर ध्यान दीजिए। मुझसे कहा गया है कि विभिन्न न्यायालयों में 'टाडा' अपराधों के लिए लगभग 700 लोगों पर मुकद्दमा चल रहा है। मेरे मित्र ने कहा, "क्या ऐसे कुछ मामले नहीं हैं जिसमें अभियोजन दायर ही नहीं किया गया है ?" महोदय, मैंने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया परन्तु मैं आपको यह आंकड़े दे पाने में असमर्थ हूं। मैं इसका पता लगाऊंगा और आपको भेजूंगा। परन्तु आज विधि एकदम स्पष्ट है प्रख्यात अंतुले मामले सहित कई मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक आरोपी त्वरित गति से मुकद्दमा चलाए जाने का हकदार है। यदि उसे हिरासत में रखा जाता है या लंबित मुकद्दमे के परिणामस्वरूप काफी लम्बे समय से बेचैनी एवं अनिश्चय की स्थिति में है, वह यह शिकायत कर सकता है कि त्वरित मुकदमा चलाए जाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इसीलिए उसे छोड़ जाना चाहिए।

परन्तु उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायालयों को प्रत्येक मामले में यह पता लगाना होगा कि क्या विलंब स्वयं आरोपी के कारण हो रहा है या यह भ्रष्टाचार या अभियोजक एजेंसियों की अक्षमता के कारण हो रहा है। अब त्वरित मुकद्दमा चलाए जाने के मूलभूत अधिकार को प्रवर्तित करना भी एक न्यायिक कृत्य है। श्री बनातवाला कहते हैं 'नहीं' यह सभा, लोक सभा यह निर्णय करेगी कि इस न्यायिक कृत्य का निर्वहन किस प्रकार किया जाए। आरोपी इस बात का पता लगाने में कामयाब हो गया है कि ऐसे मामले में पिछले कई वर्षों से मुकद्दमा नहीं चला है इस बात पर विचार किए बिना सभी प्रकार के अभियोजन को समाप्त कर देंगे। हम सभी उन चिर परिचित तरीकों को जानते है जिनसे आरोपी मुकद्दमा चलने में विलम्ब होने देते हैं, हम उन चिर परिचित तरीकों को जानते हैं जिनसे प्रतिवादी सिविल मुकदमों में डिक्रियों को पारित होने से रोकते हैं।

महोदय, इसीलिए यह पक्षपातपूर्ण है, इसके भयानक परिणाम होंगे। आज टाडा, विधान द्वारा संशोधित, न्यायिक निर्णयों द्वारा संशोधित रूप में उस प्रकार का ड्रेकोनियन कानून नहीं रह गया है जिसकी शिकायत की जाती रही है। मुझे यह कहने दीजिए कि न्यायालयों में हमारे संघर्ष के परिणामस्वरूप, सरकार को समीक्षा पैनलों का गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इन समीक्षा पैनलों का गठन केन्द्र स्तर पर राज्य स्तर पर किया गया है। न्यायिक निर्णय से पैदा हुई बाध्यताओं के अधीन उन्होंने प्रत्येक मामले की जांच की और निर्णय किया कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार है और अभियोजन पक्ष उसे जमानत पर रिहा करने के लिए अपनी सहमति देगा।

महोदय, यदि कोई ऐसे मामले हैं जो न्यायालय के ध्यान में लाए गए हैं और जिनमें अभियुक्त का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए ऐसा अभियुक्त अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में नहीं जानता है और उसे नाहक दीर्घावधि तक हिरासत में रखा जा रहा है—माननीय सदस्यों को ऐसे कुछ मामलों को हमारे ध्यान में लाना चाहिए—हम अभियोजन के प्रभारी लोक प्राधिकारियों को निर्देश देकर यह प्रयास करेंगे कि उन मामलों में अभी भी न्याय किया जाए। इसका कारण यह है कि हम दंड प्रक्रिया की एक सभ्य प्रणाली में विश्वास करते हैं जिसके बिना हम यह कहने के हकदार नहीं हैं कि हमारा समाज सभ्य है।

महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने का खेद है किंतु मैं ऐसा चाहता भी था। यहां तक कि श्री राधाकृष्णन जिनकी आयु व अनुभव ने उन्हें भाषण की स्वतंत्रता के प्रति पूर्णतः प्रतिरक्षित कर दिया है....

श्री वरकला राधाकृष्णन : आपके फार्मूले अपने आप में पूर्ण हैं किंतु मुझे यह कहते खेद है कि आपने श्री बनातवाला के इरादों की काल्पनिक व्याख्या की है।

श्री राम जेठमलानी : कृपया विधेयक को पढ़ें, क्या मैं विधेयक को ५०। विधेयक कहता है और मैं उद्धृत करता हूं :

"(क) मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लंबित अथवा चल रही सभी अन्वेषण और विधिक कार्यवाहियां और ऐसी लंबित अथवा चल रही कार्यवाहियों के अन्तर्गत जारी किये गये सभी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से व्यपगत अथवा उपशमित अथवा वापस लिये गये माने जायेंगे;

(ख) कोई भी अन्वेषण, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही, चाहे वह मूल अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन से संबंधित हो अथवा अन्यथा हो, इस अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात् संस्थित नहीं की जायेगी; और

(ग) वे सभी अभियुक्त जिनके विरुद्ध मूल अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही चल रही है, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को एवं तारीख से उन्मोचित हो जायेंगे।"

यदि मैंने इसे गलत समझा है तो मुझे आशंका है कि आपने मुझे पूरी तरह गलत समझा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह काल्पनिक है।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं नहीं समझता कि इस सभा को संविधान और न्याय की इस भग्नाशा का पक्षकार होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कुछ दोषी लोग हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है और इस सभा के मत के कारण इन दोषी लोगों के छूटने के बारे में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. एच. विद्यासागर राव) : महोदय, मैं यहां पर माननीय सदस्य श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा पेश किए गए आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) (विधिक कार्यवाही को वापस लेना) विधेयक, 1999 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं वैसी पांडित्यपूर्ण शैली में नहीं बोल सकता हूं जैसा कि श्री बनातवाला अपनी पांडित्यपूर्ण उर्दू में बोल रहे थे।

अधिकतर सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है कुछ सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है किंतु उनमें से अधिकतर सदस्यों ने भी इस विधेयक की भावना का समर्थन किया है। माननीय सदस्य श्री जी.एम. बनातवाला इस सम्माननीय सदन में ऐसा वातावरण पैदा करने में सफल हुए हैं कि मानो टाडा के उपबंधों का फायदा उठाते हुए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हजारों विचाराधीन कैदी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और उनके मूल अधिकारों का हनन किया गया है और इसलिए उन्होंने कहा कि वे सभी अभियुक्त जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, रिहा/उन्मोचित किए जाएं।

सभापति महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री का अभारी हूं। उनके भाषण के बाद इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। तथापि मैं इस सभा के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि इससे माननीय सदस्य श्री जी. एम. बनातवाला सहमत होंगे और इस विधेयक को वापस ले लेंगे। महोदय, मूल बात यह है यदि इस सभा में यह मांग करते हुए गैर सरकारी सदस्यों के इस विधेयक को पेश किया गया है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित टाडा मामलों को वापस लिया जाए, तो यह स्वीकार करना असंभव है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि इन मामलों में अधिकतर अपराधियों पर कानून के विभिन्न उपबंधों के अधीन आरोप हैं, अभियुक्तों पर कुछ ऐसे उपबंधों के अधीन अपराधों के आरोप हैं कि जिनमें दंड आजीवन कारावास और यहां तक कि मृत्युदंड भी है।

महोदय, यह विधेयक आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 के अधीन सभी जांचों और विधिक कार्यवाही को वापस लेने का प्रावधान करता है। इस विधेयक को तत्कालीन सरकार ने मई, 1995 में व्यपगत होने दिया था। आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 के व्यावृत्ति खंड धारा 1 (4) के कारण इस अधिनियम के व्यपगत होने के समय लम्बित सभी अन्वेषण और विधिक कार्यवाही अप्रभावित रही। दांडिक कानूनों में यह एक सामान्य उपबंध है। यही नहीं यदि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1987 में यह उपबंध नहीं होता तो भी इस अधिनियम के अधीन लम्बित कार्यवाही इसके व्यपगत होने से साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (ङ) के कारण अप्रभावित रहती।

महोदय, मैं साधारण खंड अधिनियम 1897 के सामान्य खंडों के संगत उपबंधों को उद्धृत करना चाहता हूं। जिनमें कहा गया है :–

> "निरसन का प्रभाव–जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् यह अधिनियम या कोई (केन्द्रीय अधिनियम) या विनियम, जब तक कोई भिन्न आशय प्रतीत न हो, अब तक बनाए गई या इसके पश्चात् बनाए जाने वाली अधिनियमिति का निरसन करता है तो निरसन . . . (ङ) पूर्वोक्त किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व शास्ति, समयहरण या दंड के संबंध में उपचार को प्रभावित नहीं करेगा;
>
> ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा जारी रह सकेगा या प्रवृत्त रह सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समयहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा कि मानो निरसन अधिनियम या विनियम पारित न किया गया हो।"

महोदय, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में व्यावृत्ति संबंधी उपबंध अर्थात खंड 1 (4) के न होने पर भी साधारण खंड अधिनियम 1897 के अनुसार उन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न उपबंधों के अधीन आरोप थे, उन्हें कानूनी रूप से आरोपित किया गया क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किए और वे दंड के भागी हैं अतः सभी मामलों को एक समान मानने या सभी दुर्दान्त अपराधियों को रिहा करने के लिए सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करना ठीक नहीं है।

[श्री सी. एच. विद्यासागर राव]

दूसरा, जैसा आप सभी जानते हैं कि यह आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजाब में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर अधिनियमित किया गया था। भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने के लिए चलाए गए कम तीव्रता वाले परोक्ष युद्ध के अंग के रूप में आतंकवादी सीमा पार से पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी द्वारा प्रेरित, प्रशिक्षित, हथियारों से सुसज्जित और आर्थिक सहायता प्राप्त थे और वह उन्हें भारतीय क्षेत्र में भेज रही थी।

ये चुनौतियां न केवल पंजाब और जम्मू–कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों अपितु देश के अन्य भागों में भी अभी भी विद्यमान है और पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध चलाए गए परोक्ष युद्ध ने पहले ही 30,000 से अधिक निर्दोष लोगों की जान ले ली है। पूर्वोत्तर में विभिन्न जातीय उपद्रवों के अलावा आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में भी वामपंथी आतंकवादियों द्वारा चुनौतियां पैदा की जा रही हैं।

कुछ राज्यों में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग के कुछ आरोप थे और लोगों का भी ऐसा मानना था। शायद इसी तथ्य के मद्देनजर तत्कालीन सरकार ने 1995 में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1987 को व्यपगत होने दिया और साथ ही 1995 में ही राज्य सभा में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक पुरःस्थापित कर दिया था। दुर्भाग्यवश, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 व्यपगत हो गया किंतु इसका स्थान लेने वाले विधेयक के पारित नहीं किया गया। फलतः हमारे सुरक्षा बलों को आतंकवादी हिंसा और सीमा पार से चलाए जा रहे परोक्ष युद्ध से निपटने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यहां यह उल्लेख करना रुचिकर है कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण कुछ ही लोगों की जाने गई हैं किंतु उन्होंने आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए व्यापक आतंकवादी विरोधी कानून बनाए हैं। दूसरी ओर भारत जो सीमा पार से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सर्वाधिक सामना कर रहा है वहां पर कोई आतंकवाद विरोधी कानून नहीं है। हमने विधि आयोग से विश्व के विभिन्न देशों के आतंकवाद विरोधी कानूनों का अध्ययन करने के लिए कहा है, हमने विधि आयोग से आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की बारीकी से छानबीन करने के लिए भी कहा है जिसे व्यपगत होने दिया गया था और दोहरे उद्देश्यों युक्त समुचित विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा। इन दोहरे उद्देश्यों में से एक आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए समुचित कानूनी तंत्र का प्रावधान करना है और दूसरा अभियुक्त स्वयं समुचित ढंग से बचाव के बुनियादी अधिकार की सुरक्षा करना है।

जहां तक आंतकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दुरुपयोग के आरोपों का संबंध है इस संबंध में आंकड़े कुछ आतिशयोक्ति पूर्ण हैं। मैं कुछ तथ्यों और आंकड़ों को देना चाहता हूं और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में भी बताना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री श्री राम जेठमलानी ने कहा है कि इस संबंध में विभिन्न समीक्षा समितियां गठित की गई थीं इन समीक्षा समितियों की सिफारिशों के अनुसार अनेक अभियुक्तों को पहले ही रिहा कर दिया गया है, केवल कुछ ही अभियुक्त जेल में हैं।

इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में कई बार गहन विचार किया। जैसा कि श्री जी.एम. बनातवाला ने उल्लेख किया है कि 1994 में श्री करतार सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को राज्य समीक्षा समितियां और केन्द्रीय समीक्षा समिति गठित करनी चाहिए राज्य समीक्षा समिति का गठन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाए और उसके सदस्य विधि सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक हो और केन्द्रीय समीक्षा केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाए और इसके सदस्य विधि सचिव व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक हो और ये समितियां क्रमशः राज्य पुलिस और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा टाडा के लम्बित मामलों की गहन समीक्षा करें। राज्य समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के परिणामस्वरूप 23,862 व्यक्तियों के विरुद्ध टाडा आरोप हटाए गए, ऐसा नहीं है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके बारे में कोई पेरशान नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में राज्य समीक्षा समितियों और केन्द्रीय समीक्षा समिति ने त्वरित गति से कार्य किया और टाडा उपबंधों के अधीन 23,862 लोगों के विरुद्ध मामले हटाए गए।

तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे निर्दोष लोग हैं। हालांकि उनके विरुद्ध टाडा कार्यवाही नहीं चल रही है फिर भी उनके विरुद्ध सामान्य कानूनों के अधीन मुकदमे चल रहे हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने टाडा कैदियों की वास्तविक शिकायतों पर पुनः गौर किया और जनहित याचिका के मामले को पुनः देखा, 1996 के शाहीन वेल्फेयर ऐसोसिएशन केस, 1986 से संबंधित जनहित याचिका में टाडा के अंतर्गत चल रहे मुकदमों को जमानत देने के लिए निम्न चार भागों में बांट दिया।

(क) ऐसे दुर्दान्त कैदी जिन्हें छोड़ने पर मुकद्दमा प्रभावित हो सकता है और इनका छूटना सामान्य रूप से समाज के लिए विशेषकर शिकायतकर्ता और मुकदमे में गवाह के लिए खतरा बन सकता है।

(ख) विचाराधीन कैदी जिनके अतिवादी कृत्यों या आतंकवादी अपराधों में संलिप्तता सीधे अधिनियम की धारा 3 या 4 को आकर्षित करती है।

(ग) वे विचाराधीन कैदी जो किसी अतिवादी कृत्य के कारण नहीं, फंसे हैं बल्कि किसी आपराधिक षड्यन्त्र में संलिप्तता के कारण उन्हें बन्दी बनाया गया है।

(घ) वे विचाराधीन कैदी जिन पर अधिसूचित क्षेत्र में अपराधसूचक सामग्री रखने के लिए अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि (क) श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विचाराधीन कैदियों के साथ उदारपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। वे विचाराधीन अपराधी जो (ख) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और वे पांच या अधिक साल से जेल में बन्द हैं और उनका विचारण अगले छः महीनों में समाप्त होने की उम्मीद नहीं है उन्हें जमानत पर न्यायालय के विवेक पर छोड़ा जा सकता है। (ग) और (घ) श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विचाराधीन कैदियों को, यदि वे क्रमशः दो या तीन साल से जेल में हैं, अधिक ढील दी जा सकती है और जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

इन दिशा–निर्देशों के परिणामस्वरूप अभिहित टाडा न्यायालयों ने 11,351 लोगों को जमानत पर छोड़ा है। अब केवल 522 लोग ही टाडा के अन्तर्गत कैद हैं। यह इसका अंतिम परिणाम है ऐसा नहीं है कि कई हजार लोग कई सालों तक जेलों मे बंद हैं। यह सही नहीं है। केवल 522 लोग "टाडा" के अन्तर्गत जेल में हैं। आज, इसलिए टाडा के अंतर्गत लंबित कार्यवाहियों में कोई भी वास्तविक शिकायतें नहीं हैं। जो लोग भी जेलों में बंद हैं। उन्हें राज्य संवीक्षा समिति और अभिहित टाडा न्यायालयों में जाने का अवसर प्राप्त है। जो अभी भी हिरासत में हैं उन्हें यह अवसर प्राप्त है कि वे अभिहित टाडा न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल कर सकें। अगर वे अभी भी जेलों में हैं, तो इसका कारण उनके खिलाफ सबूत और उनके द्वारा किए गए अपराध की भयानकता है, जिनके अंतर्गत वे आरोपित हैं।

माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने 17.12.1999 को हुई चर्चा में टाडा के अन्तर्गत चल रही जांच पड़ताल के अधीन बड़ी संख्या में लंबित मामले अभियुक्त को जमानत न देना मामलों के विचारण में विलम्ब और झूठे मामले में फंसाने आदि जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। आज की तारीख तक, केवल 3,619 मामले ही टाडा (निवारण) अधिनियम, 1987 के अधीन लंबित पड़े हैं जिनमें से 648 मामलों पर जांच पड़ताल चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए दिया गया समय लगभग समाप्त हो चुका है। यदि सभा चाहे तो, इस पर चर्चा पूरी करने के लिए इसे और 20 मिनट तक बढ़ायेंगे। क्या सभा उत्तर दिए जाने तक इसलिए समय बढ़ाए जाने पर सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप कृपया अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

श्री सी.एच.विद्यासागर राव : आज की स्थिति के अनुसार टाडा (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत केवल 3,619 मामले ही लंबित पड़े हैं जिनमें से 648 मामले अन्वेषणाधीन हैं।

अधिकतर मामले असम में लंबित पड़े हैं, जहां पुलिस बल आतंकवाद विरोधी कार्यवाही में व्यस्त है, उल्फा और बोडो अलगाववादी ताकतों की गतिविधियों के कारण कोई भी गवाही देने के लिए सामने नहीं आ रहा है बहुत से अभियुक्त फरार हैं। 648 अन्वेषण के लिए पड़े लंबित मामलों में से, 611 अकेले असम में हैं, केवल 27 लोग ही असम में हिरासत में हैं।

माननीय सदस्य ने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में लंबित पड़े बहुत सारे मामलों का उल्लेख किया। श्री एम.बी.चांद द्वारा लिखित पुस्तक 'ब्रिट्रेएल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी' में से कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अगर पुलिस किसी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करना चाहती है वे उसका नाम अन्वेषणाधीन लंबित पड़े मामले से संबंधित किसी पुराने एफ.आई.आर. से जोड़ देते हैं। यह असंभव है। यह विशेष रूप से एक सज्जन से संबंधित है। आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में, केवल दो मामले ही अन्वेषणाधीन हैं और बाकी हजारों मामले विचारण के स्तर पर हैं। पुलिस द्वारा लंबित मामलों की पुरानी एफ.आई.आर में व्यक्तियों को फंसाने के बारे में उपर्युक्त पुस्तक के 170 पृष्ठ पर यह केवल एक ही मामले का उल्लेख हुआ है वह बारामूल्ला जिले के मुजफ्फर अहमद शाह के संबंध में है जिसे मार्च 1991 में गिरफ्तार किया गया था और यह इस अवधि से संबंधित है जब टाडा अधिनियम अस्तित्व में था। इसलिए किसी सज्जन के नाम पर पुरानी लंबित एफ.आई.आर से जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन यदि माननीय सदस्य इसका विशिष्ट उदाहरण देते हैं चाहे वह जम्मू या कश्मीर में या देश के अन्य किसी भी राज्य की हो, तो उस मामले की तहकीकात की जा सकती है।

जहां तक लंबित कार्यवाही के अन्तर्गत जमानत न मिलने की बात है मैंने पहले ही उच्चतम न्यायालय के मार्ग–निर्देशों का उल्लेख किया है। अधिकतर लोगों को छोड़ दिया गया है और केवल 522 ही निरोधित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त दिए अपने उपर्युक्त निर्णय में इस बात का उल्लेख किया कि ये मार्ग–निर्देश मुम्बई बम विस्फोट जैसे उन पेचीदा और गम्भीर मामलों पर लागू नहीं होंगे जिनमें मामले की जटिलता के कारण लम्बा विचारण अपरिहार्य है। मुम्बई बम विस्फोट मामले में भी, 122 पर मुकद्दमा चल रहा है, 90 लोग नियमित जमानत पर हैं और सात अंतरिम जमानत पर हैं। केवल 31 अभियुक्तों पर स्पष्ट और सीधे सबूत उनके मुम्बई बम्ब विस्फोट कांड में उनके लिप्त होने के संबंध में हैं और वे अभी भी जेल में हैं क्योंकि या तो जमानत नहीं ली या उनकी जमानत के आवेदनों को विभिन्न न्यायालयों ने बार–बार नामंजूर कर दिया इसका कारण उन पर जघन्य अपराध का आरोप है।

माननीय सदस्य ने इस मामले में बड़ी संख्या में गवाहों का उल्लेख किया है जिनसे अभी पूछताछ की जानी है मैं यहां बताना चाहता हूं कि अब तक 586 अभियोजन पक्ष के गवाहों का न्यायालय में परीक्षण किया जा चुका है और इस मामले मे 130 गवाहों का परीक्षण अभी रहता है। इस मामले की सुनवाई अन्य टाडा मामलों की तरह अभिहित टाडा न्यायालय में दिन–प्रतिदिन के आधार पर हो रही है।

[श्री सी. एच. विद्यासागर राव]

माननीय सदस्य ने एक मामले का उल्लेख किया जिसमें एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि वह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक कार्यकर्ता से मिलने गया था। यह कहा गया कि उस व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने रास्ते में कुछ आतंकवादियों को देखा और इस कारण उसे मामले में आरोपित किया गया। यह सच नहीं है।

ऐसे ही, यह आरोप लगाया गया कि किसी महिला ने किसी अनजान आतंकवादी को पानी पिलाया और इस प्रकार उसे झूठे मामले में फंसा दिया गया। ये इस प्रकार दो ज्वलन्त घटनाएं हैं जिन पर माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से प्रकाश डालने को कहा। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों मामलों की छानबीन की गई और ऐसे किसी व्यक्ति या महिला को इस आधार पर जिसका उल्लेख किया गया है गिरफ्तार नहीं किया गया। भारत सरकार ने राज्य सरकार को यह सलाह दी है कि अभियोजन शाखाओं को यह निर्देश दें कि टाडा मामलों में स्थगन न लें। अधिकत्तर, बचाव पक्ष का वकील स्थगन प्राप्त कर लेते हैं और इसी कारण यह मुकद्दमा लंबा खीच लाता है। सरकार ने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसी मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा :

> "जबकि किसी नागरिक की स्वतंत्रता को न्यायालय द्वारा उत्साहपूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा होते हुए भी टाडा अधिनियम के अंतर्गत जैसे मामलों में न्याय करते वक्त, न केवल अभियुक्त की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि पीड़ित व्यक्ति और सगे सम्बन्धियों के हित तथा सबसे ऊपर समाज के गुणात्मक हित और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जनता न्यायायिक प्रशासन की प्रक्रिया में अपना विश्वास न खोवे और निजी प्रतिकारात्मक कार्यवाही में लिप्त न होवे।"

यदि श्री बनातवाला के इस विधेयक को सभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो, जो मुम्बई बम विस्फोट कांड, 1993 में कई रेलगाड़ियों में हुए विस्फोट में संलिप्त दुर्दान्त आतंकवादी और जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर और पंजाब के सभी आतंकवादी, जो मासूम लोगों की निर्मम हत्या में लिप्त हैं, खुले घूमेंगें। यह सलाह ठीक नही है कि अगर टाडा के अंतर्गत लगाए गए अभियोगों को वापस ले लेते हैं तो उन्हें फिर भी साधारण कानून के अंतर्गत सजा दी जा सकती है। इसलिए, मैं श्री बनातवाला से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें। अन्यथा यह देश में गलत संकेत देगा। मुम्बई बम विस्फोट मामले और अन्य मामलों में मुकदमा तेज किया जाएगा। राज्य सरकारों ने संबधित एजेन्सियों को जांच का कार्य शीघ्र निपटाने का निर्देश पहले ही दे दिया है।

मैं शाहीन कल्याण एसोसिएशन द्वारा जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों में से एक और टिप्पणी का उल्लेख करना चाहता हूं इसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि टाडा के अन्तर्गत विचाराधीन उपरोक्त "ख" "ग" और "घ" श्रेणियों के कैदियों को जमानत देने मे ढिलाई के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश मुम्बई बम बिस्फोट मामले जैसे अति असाधारण मामलों में अभिहित न्यायालयों को लागू न करे क्योंकि ऐसे मामलों में आरोपियों की संख्या, साक्षियों की संख्या और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए मुकदमे में अधिक समय लगना अपरिहार्य है। इस विधेयक को स्वीकार करना देश में गलत संकेत भेजना होगा। हम पहले ही पूरे देश में विद्रोही, विखंडनकारी एवं वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से जूझ रहे हैं। अतः मैं श्री बनातवाला से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं सभी सदस्यों, माननीय विधि मन्त्री और गृह राज्य मन्त्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधेयक में हस्तक्षेप किया और चर्चा में भाग लिया। मैं उनका आभारी हूं क्योंकि इस सम्माननीय सदन में चर्चा के लिए कई मुद्दे सामने आ सकते हैं। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में अत्यन्त प्रसन्न था जब माननीय विधि मन्त्री हस्तक्षेप करने के लिए खड़े हुए क्योंकि मैं जानता था और मुझे पता है कि वह इस क्रूर विधि अर्थात् 'टाडा' के जबरदस्त विरोधी थे। मुझे आशा थी कि इस विधेयक के पीछे के सिद्धान्त, इस विधेयक में छिपी भावना को विधि मन्त्री श्री राम जेठमलानी सें भरपूर समर्थन मिलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया मैं दंग रह गया। विपक्ष से सत्ता पक्ष में आते ही कितनी तब्दीली आती है! क्या परिवर्तन है! वह मेरे विधेयक की आलोचना करने लगे, और मेरे शरीर का एक–एक अंग चीख उठा "ब्रुटस तुम भी ! ऐसी अपेक्षा तुमसे नहीं थी"

ऐसी अपेक्षा तुम से नहीं थी। तर्क के बजाय, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधि मन्त्री इधर–उधर की ओर से हांकने लगे। इस विधेयक का सिद्धान्त क्या था जिसको सभा के लगभग प्रत्येग वर्ग से समर्थन प्राप्त हुआ था? उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन अभी मुझे विधि मन्त्री जी को गम्भीरता से लेने दीजिए। क्या वह अपने वचन का पालन करते हैं? ऊपर देखिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि यह विधेयक यह नहीं कहता है कि जिन्हें छोड़ा जाएगा उन पर देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। क्या आप ऐसा विधेयक लाऐंगे ? हम उस विधेयक को यथा संभव सर्वसमिति के पारित करेंगे ... *(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी : यदि आपने 1995 में ऐसा कहा होता तो हमने वह कर दिया होता। अब मुकदमों के 5 वर्षों के पश्चात् आप चाहते हैं कि उन्हें खत्म किया जाए और उन्हें दूसरे न्यायालयों में लाया जाए जहां उस पर फिर 5 वर्ष और लगाए जाएंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला : आज पांच वर्षों के पश्चात् आपने उसकी इतनी आलोचना की है। इस आलोचना से यह मामला स्पष्ट होता है कि यह एक हानिकर और आपत्तिजनक विधेयक है। उन लोगों को जो वर्षों से जेलों में सड़ रहे हैं उनको सड़ने दीजिए हमें उनके

परिवारों की, जो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, परवाह नहीं है। जी हां।

एक बात जिसका हम उल्लेख कर रहे थे कि अपराधी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि यदि सरकार महसूस करती है कि वे जघन्य अपराध के आरोपी हैं तो उन्हें कुत्सित क्रूर विधि जिसका बड़े पैमाने पर दूरुपयोग किया गया है और जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कलंक माना जाता है के बजाय देश की विधि के अन्तर्गत मुकदमा लाया जाए। स्थिति इस प्रकार है। इस सभा में बोलने वाले प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि अपराधी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता लेकिन हमें यह विधेयक क्यों लाना चाहिए। हमें टाडा के स्वरूप को समझना होगा और इसे व्यपगत क्यों होने दिया गया।

हम टाडा का निरसन चाहते थे। उस समय हम निरसन के लिए कह रहे थे। लेकिन निरसन के बजाय यह व्यपगत हो गया। तत्कालीन सरकार ने टाडा को व्यपगत क्यों होने दिया ? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ग ने यह स्वीकार किया था कि टाडा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है। इसका प्रयोग अन्यत्र निरंकुशता से किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि चरम सीमा तक पक्षपात किया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि यह विधिशास्त्र के स्वस्थ सिद्धान्तों का अतिक्रमण है। यह भी स्वीकार किया गया कि मानवाधिकार का उल्लंघन है। इन सभी को स्वीकार करते हुए भी टाडा को व्यपगत होने दिया गया। अतः जब आप यह सब स्वीकार करते हैं तो उन लोगों को जो टाडा के अन्तर्गत सजा भुगत रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। टाडा का प्रभाव मिटाना होगा। यह स्पष्ट विरोधाभास है कि एक ओर तो आप टाडा को क्रूर विधि के रूप में स्वीकार करते हैं एक ऐसा कानून है जो विधिशास्त्र के स्वरूप सिद्धान्त का उल्लंघन है एक ऐसा कानून जिसने मानव अधिकारों की विचारधारा की धज्जियां उड़ा दी हैं लेकिन यह अभी भी जारी है। आप कहते हैं कि यह कानून व्यपगत हो गया है लेकिन आप इस प्रकार की विधि के अन्तर्गत मुकद्दमों को जारी रखे हुए हैं।

इस विधेयक को लाने के पीछे सिद्धान्त यह है कि कोई भी अपराधी छूटा नहीं रहना चाहिए। उन्हें देश के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत लाया जा सकता है। यदि सरकार तैयार है यदि विधि मंत्री इस मामले पर अपनी धारणा में गंभीर हैं और यदि वे तैयार हैं तो सरकार को इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए एक सरकारी विधेयक लेकर आना चाहिए। लोगों को ऐसे कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत दण्ड नहीं मिलना चाहिए जो व्यपगत हो चुका है। क्योंकि यह कानून कानूनहीनता का द्योतक है।

महोदय, जब कभी भी "मीसा", "एनएसए" आदि के बारे में उल्लेख किया जाता है तो आपको याद होगा और जब कभी ऐसे कानून सामने आए तो हम मुस्लिम लीग के सदस्यों ने हमेशा ऐसे कानूनों का विरोध किया। कई ऐसे विधेयकों को मैंने कानूनहीन की संज्ञा दी। तब क्या भारत प्रजातांत्रिक नहीं था ? हम कानून–हीनता की ओर बढ़ते हुए प्रजातंत्र की बेइज्जती कर रहे हैं।

मैंने पूछा टाडा को व्यपगत क्यों होने दिया गया। इसे व्यपगत इसलिए होने दिया गया क्योंकि यह आपत्तिजनक स्वरूप का था और इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। उन लोगों को जो ऐसे आपत्तिजनक कानून के अन्तर्गत सड़ रहे थे को छोड़ दिया जाना चाहिए था। देश का कानून वहां है और कोई भी सरकार जो प्रजातांत्रिक देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाने में रोक नहीं रहा है। जब कोई सत्ता में आता है तो वह प्रजातांत्रिक मानदण्ड भूल जाता है और सत्ता उसको और अधिक सत्ता, तानाशाही और उग्रराष्ट्रवाद के लिए भूखा बना देती है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। अतः मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस शब्दावली में यह अपनी बात कह रहे हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं। उन जैसे वरिष्ठ सांसद जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : अतः जब वरिष्ठ सदस्य ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने को मजबूर हो तो उन्हें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए।

मैंने विधि मंत्री जी का भाषण ध्यानपूर्वक सुना था उन्होंने इसे आपत्तिजनक व हानिकर विधेयक बताया है। "ब्रूटस तुम भी। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी।" वे अपने खुद के जाल मे फंस गए हैं। उन्हें ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसमें प्रावधान हो कि जो इस क्रूर कानून के अन्तर्गत आरोपी हो उस पर देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। महोदय प्रश्न बाकी है और वह यह है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो एक साल से लेकर दस वर्षों से अधिक तक की अवधि में जेलों में सड़ते रहे हैं। यह तथ्य है कि बड़ी संख्या में छोड़े गए व्यक्तियों की संख्या उनके उस मनमाने तरीके को दर्शाती है जिसमें यह अधिनियम लागू किया गया था।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : मानवाधिकारों के हनन की बात तो सब करते हैं लेकिन मानवाधिकारों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ भी कुछ बात कहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस हाउस के बड़े सीनियर मैम्बर हैं। अगर यह यील्ड करते हैं तभी आप बात कर सकते हैं। बनातवाला जी, क्या आप यील्ड करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : बिल्कुल नहीं। मैं इसे पूरा करना चाहता हूं। उन्होंने तरीके से समझा था और फिर वे बोलने के लिए अपना समय भी ले चुके हैं।

[श्री जी. एम. बनातवाला]

महोदय, मैं जो कह रहा था वह यह है कि टाडा बुरी तरह से असफल हुआ है और अभी भी वे उस असफल विधि को बनाए रखना चाहते हैं।

वे लोग जिन पर अभिहित टाडा न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है, दोष सिद्धि दर 0.81 प्रतिशत है। टाडा के अन्तर्गत जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था अथवा जिन पर अभियोग लगाया गया था उनके एक प्रतिशत से भी कम लोगों को दोषी पाया गया। अभी भी, आप इस क्रूर विधि को जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। 1985 से 1994 के दौरान गिरफ्तार किए गए 67,000 लोगों में से केवल 8,000 मुकदमे ही दायर किए गए और 67,000 व्यक्तियों में से केवल 725 लोगों को दोषी ठहराया जा सका। ऐसी दयनीय स्थिति है। जब मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाया गया तो पता चला कि इस अधिनियम के अन्तर्गत 59,505 लोगों को बन्दी बनाया गया। और इस अधिनियम को व्यपगत होने की अनुमति दिए जाने के लगभग एक वर्ष बाद भी उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाया गया। इस कानून का ऐसा भेदभावपूर्ण प्रयोग किया गया है।

इसीलिए उस विशेष उपबन्ध, जिसके अनतर्गत अभी भी मामले चल रहे हैं, को निरस्त करने के लिए सदन के सम्मुख मैं यह विधेयक लाया हूं।

मैं इस वर्ष 19 जनवरी को "दिल्ली मिड–डे के गेस्ट कालम" में प्रकाशित लेख का एक हिस्सा उद्धृत करता हूं। यह लेख श्री पी. एन. टिक्कू का है जिन्होंने अपनी बात बहुत अच्छी तरह इस प्रकार रखी है :

> "निम्न दोषसिद्धि दर स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि टाडा का प्रयोग मुख्य रूप से मनमाने निरोध के लिए किया जाता था जब निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत अपेक्षित विधि सुरक्षोपाय को नजरअंदाज किया जाता था, उच्च आतंकवाद के क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने के नाम पर टाडा ने भारतीय न्यायिक प्रणाली का मजाक बना दिया और यह भारत में आज तक लागू किए गए कानूनों में अत्यन्त क्रूरतापूर्ण कानून के रूप में समाप्त हुआ।"

माननीय विधि मंत्री द्वारा मानवीय शब्द का प्रयोग किया गया है। मुझे विश्वास है कि हम सभी को टाडा की मानवीयता के बारे में पता है। टाडा इतना क्रूर है, सभी विधि शास्त्र के स्वच्छ सिद्धान्तों के इतना विपरीत है, मानव अधिकार सिद्धान्त के इतना विपरीत है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी स्वयं की सीमाओं के भीतर संघर्ष करना पड़ा है। यह विधि इस सम्माननीय सदन द्वारा पारित की गई है। विधि को उसकी स्वयं की सीमाओं के भीतर रखते हुए उच्चतम न्यायालय जो कुछ कर सकता था उसे करने का प्रयास किया। हमें इस कानून को मानवाहितैषी बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाए गए संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें लोकतांत्रिक सिद्धान्तों और यहां के सामान्य कानूनों को अपनाना चाहिए।

हमें यह भी कहा जा रहा है कि नया कानून आ रहा है। टाडा को नया रूप दिया जा रहा है। मैं सरकार से कहूंगा कि ये सभी तरीके आतंकवाद से निपटरने के बजाय उसमें वृद्धि करने वाले हैं। अपने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मैंने उस पहलू पर विस्तार से चर्चा की थी। इसका प्रभाव क्या हुआ है ? मुझे उदार विधेयक लाने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था। मुझे इसलिए दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि इस विधेयक में विधि के अधीन उन मनमाने रूप में निरोपित किए गए व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मैं उन सभी सदस्यों को, जिन्होंने इस वाद–विवाद में भाग लिया है, धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय श्री राम जेठमलानी सहित सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी।

इस विधेयक का सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कानून के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जिसका दुरुपयोग किया गया माना गया हो, बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया ठहराया गया हो और जिसे क्रूर और विधिविहीन ठहराया गया हो। किसी को ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। यह हमारे देश के लोकतांत्रिक चरित्र और विधि पर आघात है। मैं आशा करता हूं और मैंने तो विधि मंत्री जी को अपने स्वयं के शब्द गंभीरता से लेने के लिए आमंत्रित किया है और कहा है कि वे विधि लेकर आएं जिसमे यह कहा जाए कि इस कानून के अन्तर्गत निरूद्ध किए गए व्यक्ति को आजाद किया जाए, उस पर देश के साधारण कानून के अधीन मुकदमा जारी रखा जा सकता है। वह प्रस्ताव था जिसे वह लाने का प्रयास कर रहे थे। मैं उन्हें अपने प्रयास में ईमानदारी बरतने को कहता हूं। मैं समझता हूं कि इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस स्थिति पर विचार भी करेगी।

जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मेरे द्वारा बताए गए कुछ मामले सही नहीं हैं। लेकिन मेरे पास उन लोगों के नाम और संख्या भी है। मैं उन्हें वह नाम और संख्याएं दे सकता हूं लेकिन बाद में न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। अतः ऐसे मामले में मैं वे नाम और संख्याएं नहीं देना चाहता हूं। मैं किसी "क" "ख" या "ग" के पक्ष में नही बोल रहा हूं। मैं स्वस्थ विधिशास्त्र के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं उन फासीवादी कानूनों के बजाय स्वस्थ विधिशास्त्र, स्वस्थ न्यायिक प्रक्रिया की वकालत कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस स्थिति पर पुनर्विचार करेगी और बिना समय गवांए हुए एक ऐसा उपयुक्त विधान लेकिन आएगी जो श्री राम जेठमलानी, मुझे और सभा के सभी वर्गो को सन्तुष्ट कर सकेगा कि इससे उन सभी कैदियों को न्याय मिलेगा जो दस वर्षों से अधिक समय से जेलों में सड़ रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी और सभा की अनुमति से अपना विधेयक वापस लेता हूं।

महोदय, मुझे आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987, जो 23 मई, 1995, को व्यपगत हो गया

था, के अंतर्गत सभी विधिक कार्यवाहियों को वापस लेने और उनके निवारण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए¶

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि आतंकवाद और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987, जो 23 मई, 1995, को व्यपगत हो गया था के अंतर्गत सभी विधिक कार्यवाहियों को वापस लेने और उनके निवारण तथा उनसे संसक्त अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम.बनातवाला : इस आशा के साथ कि सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.59 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा के कार्य के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि सभा को पता है कि माननीय अध्यक्ष ने आज सुबह टिप्पणी की थी कि वह सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने के संबंध में चर्चा करने की अनुमति देंगे। माननीय अध्यक्ष ने श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा नियम 193 के अन्तर्गत इस विषय पर दी गई सूचनाओं को स्वीकृत किया है जिस पर सोमवार, 28 फरवरी, 2000 को शाम 4.00 बजे चर्चा की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री जी.एम.बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, चर्चा का यह अत्यन्त असंतोषजनक तरीका है। हम सरकार की भर्त्सना करना चाहते हैं। यह चर्चा 184 के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी। जहां सभा द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय की घोषणा कर दी है। अब क्या इस नए मद पर आएं ?

(व्यवधान)

श्री जी.एम.बनातवाला : महोदय, हमारे विरोध को कार्यवाही वृतान्त में शामिल करें और माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्प्रेषित कर दीजिए। हम स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे। लेकिन उसे अस्वीकार किया गया। अब नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा को भी नामंजूर किया गया है ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो केवल माननीय अध्यक्ष महोदय के आज सुबह बताए गए निर्णय की घोषणा की है।

सांय 6.00 बजे

निःसंदेह उन्होंने बताया था कि वह किस प्रावधान के अन्तर्गत की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री ए.सी.जोस (त्रिचूर) : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। आपने माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय हमें बता दिया है। कृपया आप उन्हें बता दीजिएगा कि यह अत्यन्त आपत्तिजनक निर्णय है। यह अत्यन्त ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह अध्यक्ष महोदय का निर्णय है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री ए.सी.जोस : हम निवेदन करते हैं कि उस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए ...*(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, माननीय सदस्य की टिप्पणी अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्णय पर प्रतिक्रिया है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी.जोस : हम अध्यक्षपीठ से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, कृपया पहले मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, आप इसे बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। हम भी समझ जाएंगे। लेकिन हमारा मुद्दा कुछ भिन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरी अपील मान ली है आप भी वैसा ही क्यों नहीं करते ? मैं तो केवल बता रहा हूं कि आज सुबह माननीय अध्यक्ष ने इसके बारे में पहले ही घोषणा कर दी थी।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सभा के सम्मुख मामला वह नहीं है। हम स्थगन प्रस्ताव के रूप में उसे चाहते हैं न कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के रूप में।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी टिप्पणी में बताया है कि वह इस चर्चा को जिस नियम के अन्तर्गत वह उसे उचित पाएंगे उसके अन्तर्गत करवाएंगे।

श्री पी.सी.थामस (मुवत्तुपुजा) : हालांकि इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं लिया गया है फिर भी इसे एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में लिया जाना चाहिए जिस पर मतदान किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : काफी चर्चा करने के पश्चात् मैं कहता हूं कि कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सायं 6.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 26क और 26ख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विधेयक चर्चा हेतु लेते हैं। आज की बैठक स्थगित होने के पहले वह कम-से-कम आरम्भ तो कर लें।

इससे पहले कि मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊं, हमें इसके लिए समय निर्धारित करना होगा। क्या हम दो घंटे निर्धारित कर सकते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम दो घंटे निर्धारित करते हैं।

अब श्री रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधित्व जो प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके संदर्भ में बहस शुरू कर रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र वोट का राज ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, यह बिहार में हार रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप फैक्ट्स बताने की कृपा मत कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश भर के बड़े-बड़े विद्वानों और काबिल लोगों ने सुझाव दिया कि चुनाव प्रणाली में सुधार किए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा और लोकतंत्र की जो असली परिकल्पना है, उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार ने चुनाव सुधारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार इस बिल के आने पर कंटिन्यू करें।

[अनुवाद]

अब यह सभा सोमवार 28 फरवरी, 2000 को ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 फरवरी, 2000/9 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 25 फरवरी, 2000/6 फाल्गुन, 1921 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (i)	2	2021	1921
77	2	(क) और (ख)	(क) और (घ)
186	8	(घ)	(ग)
186	9	(ङ)	(घ)
301	2	श्री अजय सिंह चौटाला	394. श्री अजय सिंह चौटाला
309	7	(ग)	(ख)

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।